



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का

सामाजिक, सामान्य, आर्थिक (गैर-सा.क्षे.उ.) क्षेत्रों पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



जम्मू और कश्मीर सरकार
वर्ष 2019 की प्रतिवेदन संख्या 2

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
सामाजिक, सामान्य, आर्थिक (गैर-सा.क्षे.उ.) क्षेत्रों पर
प्रतिवेदन
31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

जम्मू और कश्मीर सरकार
वर्ष 2019 की प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
अध्याय-I : प्रस्तावना		
बजट रूपरेखा	1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग	1.2	2
निरंतर बचत	1.3	2
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई निधियां	1.4	3
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.5	3
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.6	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.7	5
लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.8	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.9	6
स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखाओं की प्रस्तुति न करना/ विलंब से प्रस्तुत करना	1.10	7
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शायी गई समीक्षाओं और पैराग्राफों के वर्षवार ब्यौरे	1.11	9
अध्याय-II : निष्पादन लेखापरीक्षा		
जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग		
राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम	2.1	11
लोक निर्माण (सड़क एवं भवन) विभाग		
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन	2.2	51
अध्याय-III : अनुपालन लेखापरीक्षा		
कृषि उत्पादन विभाग		
शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू में अनुसंधान तथा विकास गतिविधियां	3.1	101
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग		
आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न की खरीद पर परिहार्य व्यय	3.2	120

विवरण	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ
अतिरिक्त परिहार्य व्यय और बोलीकर्ता के पक्ष में अनुचित लाभ	3.3	122
खाद्यान्नों के बिक्री लाभों से अल्प संग्रहण	3.4	124
स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग		
निधियों का अवरोधन और स्पाईनल इंजरी सेंटर की स्थापना न करना	3.5	125
स्वाइन फ्लू जांच प्रयोगशाला की स्थापना न होना	3.6	127
ट्रोमा अस्पताल खेल्लानी की स्थापना न करने के कारण निष्फल व्यय	3.7	129
एसएनसीयू/ एसपीवी के गैर-संचालन पर निधियों का अवरोधन/ निष्फल व्यय	3.8	131
निष्फल व्यय तथा ब्याज देयता	3.9	135
गृह विभाग		
अतिरिक्त परिहार्य व्यय और ठेकेदार के पक्ष में अनुचित लाभ	3.10	137
वेतन बकाया और अस्वीकार्य भत्तों का अधिक भुगतान	3.11	139
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग		
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग में अधूरी परियोजनाएं	3.12	141
झज्जर कोटली में बांध का निर्माण न करने के कारण निधियों का अवरोधन	3.13	160
विधि, न्याय तथा संसदीय मामले विभाग		
एडीआर केन्द्र उधमपुर के लिए नियत निधियों का अवरोधन और विपथन	3.14	162
बिजली विकास विभाग		
पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली न होना	3.15	164
जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग		
भू-जल विनियमन तथा प्रबंधन	3.16	165
स्टाफ के संयोजन के कारण अनुत्पादक व्यय	3.17	184

विवरण	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ
लोक निर्माण (सड़क एवं भवन) विभाग		
निधियों का अवरोधन तथा विपथन	3.18	185
निधियों का विपथन तथा अनियमित व्यय	3.19	187
निष्फल व्यय, निधियों का विपथन और अवरोधन	3.20	189
गांव त्राशी की अपूर्ण सड़क पर निधियों का निष्फल व्यय/ अवरोधन	3.21	191
कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटों पर निष्फल व्यय	3.22	192
स्टाफ के संयोजन के कारण अनुत्पादक व्यय	3.23	194
राजस्व विभाग		
वेतन और भत्तों का अधिक भुगतान	3.24	195

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ
1.1.1	वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य बजट से बाहर कार्यक्रमों/ योजनाओं के तहत विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण	1.4	199
2.1.1	पिछले दो वर्षों के दौरान जिन अधूरे कार्यों के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की गई, उनको दर्शाने वाला विवरण	2.1.8.4	203
2.1.2	सैंपल डिवीजनों में डीपीआर के बिना क्रियान्वित कार्य	2.1.8.5	205
2.1.3	भूमि अधिग्रहण/ स्रोत विकास आदि के बिना आरंभ की गई जलापूर्ति योजनाओं का विवरण	2.1.8.10	208
2.2.1	संगठनात्मक ढांचा और लेखापरीक्षा के मापदंड	2.2.2 एवं 2.2.4	213
2.2.2	सड़क परियोजनाओं की स्थिति	2.2.4	214
2.2.3	निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु नमूना-चयन	2.2.4	215
2.2.4	विभागीय प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से प्रत्यक्ष निरीक्षित की गई सड़कों की सूची	2.2.6.2 (ख)	217
2.2.5	विभिन्न कारणों से राज्य में रुकी हुई सड़क परियोजनाओं का विवरण	2.2.8	218
2.2.6	लेखापरीक्षा के दौरान सूचित की गई अन्य प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ	2.2.8.5	221
2.2.7	नमूना जिलों में परीक्षण-जाँच कार्यों के एसक्यूएम के निरीक्षण को दर्शाने वाला विवरण	2.2.9.4	226

परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ
2.2.8	ओएमएमएस सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल	2.2.10	227
2.2.9	तुलन पत्रों में दर्शाये गए व्यय तथा अपलोड किए गए व्यय में अंतर	2.2.10	229
3.1.1	एसकेयूएसटी-जम्मू के अंतर्गत अनुसंधान स्टेशनों/ केन्द्रों की सूची	3.1.1	230
3.1.2	विश्वविद्यालय द्वारा आरंभ की गई परियोजनाओं (दीर्घकालिक/ तदर्थ) का ब्यौरा दिखाता विवरण	3.1.1	233
3.1.3	एसकेयूएसटी जम्मू का संगठनात्मक ढांचा	3.1.1	235
3.1.4	परियोजनाओं के चयन हेतु फ्लो चार्ट	3.1.3	236
3.1.5	2011-12 और 2017-18 के बीच लाइन विभागों द्वारा उजागर किए गए मुद्दों का ब्यौरा दिखाता विवरण	3.1.3	237
3.1.6	2012 में पहचाने गए अनुसंधान योग्य क्षेत्रों की उपेक्षा दर्शाता विवरण	3.1.3	250
3.1.7	एसकेयूएसटी-जम्मू में मांग के प्रति बीज उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण	3.1.4.2	254
3.1.8	बंद की गई/ अवरुद्ध परियोजनाओं का विवरण	3.1.4.4	255
3.1.9	कोर ब्रीडिंग कार्यक्रम में अनुसंधान परिणामों का गैर-एकीकरण	3.1.4.5	258
3.1.10	प्रयोगशाला से खेतों तक तकनीक हस्तांतरण संबंधी परियोजनाओं का विवरण	3.1.5.1	260
3.4.1	पूर्व-संशोधित दरों पर खाद्यान्नों की बिक्री दर्शाता विवरण	3.4	261
3.11.1	वेतन बकायों तथा अमान्य भत्तों के अधिक भुगतान के समय-वार ब्योरों को दर्शाता विवरण	3.11	263
3.12.1	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग का संगठनात्मक चार्ट	3.12.1	265

परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ
3.12.2	प्रति हेक्टेयर एक लाख से अधिक विकास लागत वाली 28 योजनाओं के ब्योरे को दर्शाता विवरण	3.12.2.1	266
3.12.3	चयनित डिवीजनों में अधिकतम सिंचाई सामर्थ्य, सृजित सिंचाई सामर्थ्य तथा प्रयुक्त सिंचाई सामर्थ्य को दर्शाता विवरण	3.12.5	268
3.12.4	पूर्ण होने वाले निर्माण कार्य, वास्तविक पूर्ण निर्माण कार्य तथा देरी हेतु कारणों के विभिन्न चरणों को दर्शाता विवरण	3.12.8.1	269
3.12.5	आठ सैंपल डिवीजनों में निष्क्रिय पड़ी मशीनरी के योजना वार ब्योरे दर्शाता विवरण	3.12.8.2	270
3.15.1	अनुमानित लागत, आबंटित/ निर्माचित निधि, किया गया व्यय, देय पर्यवेक्षण प्रभार, बकाया तथा वसूल किए गए पर्यवेक्षण प्रभारों के कार्य-वार ब्योरे दर्शाता विवरण	3.15	272
3.16.1	पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वीकृति हेतु अंगीकृत प्रक्रिया तथा पीएचई विभाग का संगठनात्मक चार्ट	3.16.1	274
3.16.2	2013 से 2016 की अवधि के दौरान राज्य (जम्मू/ कश्मीर) के दो डिवीजनों के कुओं में शीतकाल उपरांत और मानसून उपरांत भू-जल स्तर (जीडबल्यूएल) का मौसमी और वार्षिक वर्षा में उतार-चढ़ाव	3.16.3	275
3.17.1	जुलाई 2016 के परे मुख्य अभियंता, पीएचई जम्मू के कार्यालय में स्टाफ का निरंतर संयोजन दर्शाता विवरण	3.17	276
3.24.1	राजस्व विभाग में अधिक वेतन और भत्ते तथा की गई वसूलियां दिखाता कार्यालय-वार विवरण	3.24	278

प्राक्कथन

मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत तैयार किया गया है। यह प्रतिवेदन जम्मू तथा कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 82(1) के अंतर्गत आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू तथा कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के उपराज्यपालों को प्रेषित की जा रही है।

इस प्रतिवेदन में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार की गई सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जम्मू एवं कश्मीर सरकार के विभागों/ स्वायत्त निकायों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) की निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलों में वे मामले शामिल हैं जो वर्ष 2017-18 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये, साथ ही वो मामले भी जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे; 2017-18 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक हो, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षा यथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और परिहार्य, अतिरिक्त, निष्फल तथा अनुत्पादक व्यय, निधियों का अवरोधन और विपथन, ठेकेदार को अनुचित लाभ, बिक्री आय का अल्प संग्रहण, पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली न करना और वेतन और भत्तों का अधिक भुगतान इत्यादि से संबन्धित ₹394.13 करोड़ के 24 पैराग्राफ सम्मिलित हैं। कुछ प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

2013-18 के दौरान राज्य का कुल व्यय¹ ₹31,686 करोड़ से ₹51,294 करोड़ तक बढ़ गया, जबकि राजस्व व्यय 2013-14 में ₹27,058 करोड़ से 51 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में ₹40,916 करोड़ हो गया। वर्ष 2013-18 की अवधि के दौरान अनियोजन/ सामान्य राजस्व व्यय ₹25,219 करोड़ से 52 प्रतिशत बढ़कर ₹38,416 करोड़ तक हो गया तथा पूंजीगत व्यय ₹4,507 करोड़ से 130 प्रतिशत बढ़कर ₹10,353 करोड़ रहा।

निष्पादन लेखापरीक्षा

राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) को सतत आधार पर ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचई) द्वारा जम्मू और कश्मीर में एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा में कुछ कमियां सामने आईं। निष्पादन लेखापरीक्षा की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- जल स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम)/ प्रशासनिक विभाग को राज्य वित्त विभाग (एफडी) द्वारा 2014-17 के दौरान प्राप्त ₹871.87 करोड़ की धनराशि जारी करने में 7 से 67 दिनों के बीच देरी हुई।

(पैराग्राफ: 2.1.7.2)

- 10 पीएचई डिवीजनों (तीन नमूना डिवीजनों सहित) में कार्यान्वित की गई 28 जल आपूर्ति योजनाओं में संचयी व्यय को बाद के वर्षों में गलत व्यय को दर्शाते हुए कम बताया गया था, जिसके कारण इन योजनाओं की अनुमानित लागत के प्रति ₹1.10 करोड़ अतिरिक्त जारी किए गए।

(पैराग्राफ: 2.1.7.5)

- प्रशासनिक विभाग तथा 14 में से छह नमूना डिवीजनों के रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला कि 2013-14 से 2017-18 के दौरान कुल उपलब्ध निधि में से

¹ राजस्व व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋणों और अग्रिमों का संवितरण सहित कुल व्यय

कार्यक्रम और सहायक निधि पर अर्जित ₹1.74 करोड़ ब्याज लेखाबही/ खातों में लेखाबद्ध नहीं था।

(पैराग्राफ: 2.1.7.7)

- 2013-18 के दौरान, 1,067 जल आपूर्ति योजनाओं (डब्ल्यूएसएस) को पूरा करने के लक्ष्य के प्रति, केवल 679 योजनाएं (64 प्रतिशत) पूरी हुईं। 388 योजनाओं (36 प्रतिशत) के पूरा न होने से 5.67 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को प्रभावित किया।

(पैराग्राफ: 2.1.8.2)

- 2013-14 से 2016-17 के दौरान सरकारी स्कूलों में पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति में वर्ष-वार कमी 10 से 29 प्रतिशत के बीच रही। केवल नौ आंगनवाड़ी केंद्रों को 2013-15 की अवधि के दौरान पीने के पानी की सुविधा प्रदान की गई थी और विभाग ने 2014-15 से इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था।

(पैराग्राफ: 2.1.8.3)

- इस तथ्य के बावजूद कि सभी स्कूलों को 2012-13 तक कवर किया जाना था, विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर उसे नहीं किया और सात नमूना-जांच जिलों में 17 प्रतिशत स्कूलों और 36 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों को कवर नहीं किया गया।

(पैराग्राफ: 2.1.8.3)

- 14 नमूना डिवीजनों में, मजदूरी के भुगतान के लिए, पेट्रोल-तेल-स्नेहक (पीओएल), वाहनों को किराए पर लेने, हार्ड कोक की खरीद, और डीईओ को वेतन आदि के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी निधि को विचलित करते हुए ₹31.24 करोड़ का व्यय किया गया था।

(पैराग्राफ: 2.1.8.6)

- 14 नमूना डिवीजनों में, ₹1,415.37 करोड़ की अनुमानित लागत की 657 योजनाओं को प्रशासनिक अनुमोदन (एए) और तकनीकी संस्वीकृति (टीएस) के बिना क्रियान्वयन हेतु लिया गया और इन योजनाओं पर ₹830.11 करोड़ का व्यय हुआ।

(पैराग्राफ: 2.1.8.7)

- 28 योजनाओं के संबंध में, 13 नमूना डिवीजनों द्वारा वितरण प्रणाली को निर्धारित करने और अन्य कार्यों को क्रियान्वित करने पर ₹43.45 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ जो बिना मुख्य निर्माणकार्य जैसे स्रोत विकास, भूमि अधिग्रहण, अपर्याप्त निधि और बिना वन विभाग की मंजूरी से शुरू किए गए।

(पैराग्राफ: 2.1.8.10)

- 2013-14 से 2017-18 के दौरान, 30 से 48 प्रतिशत स्रोतों के संबंध में जल के नमूनों की जांच की गई। इसके अतिरिक्त, 2013-18 के दौरान अपेक्षित 7,66,326 जल नमूनों की जांच किए जाने के प्रति, केवल 5,60,331 (73 प्रतिशत) नमूने जांचे गए तथा बैक्टियोलॉजिकल परीक्षण और रसायन संदूषण का विवरण अलग से उपलब्ध नहीं था।

(पैराग्राफ: 2.1.10.4)

भारत सरकार (जीओआई) ने ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र असंबद्ध निवास स्थानों को 'सर्व मौसम सड़क' द्वारा संपर्क प्रदान करने के लिए दिसंबर 2000 में **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)** आरंभ की। मार्च 2015 तक पीएमजीएसवाई एक 100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना थी तथा बाद में वित्तपोषण पद्धति को केंद्र तथा राज्य के बीच 90:10 के अनुपात में बांटा गया था। सभी कार्मिक लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी जबकि प्रशासनिक और यात्रा खर्चों को भारत सरकार द्वारा निश्चित सीमा² तक राज्य सरकार के साथ अन्य अतिरिक्त लागत के साथ वहन किया जाएगा। पूर्ण की गई सड़क परियोजनाओं के रखरखाव का बजट राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा और भूमि अधिग्रहण हेतु भारत सरकार द्वारा कोई निधि प्रदान नहीं की जाएगी। जम्मू तथा कश्मीर राज्य में पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा दिसंबर 2017 से जून 2018 के बीच, 2013-14 से 2017-18 की अवधि को कवर करते हुए की गई। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- वर्ष 2013-18 के दौरान निर्माणाधीन 9,383.07 किमी की सड़क लंबाई को सम्मिलित करते हुए संस्वीकृत 1,769 सड़क परियोजनाओं में से, मार्च 2018 तक 4,172.50 किमी सड़क लंबाई वाली केवल 810 सड़क परियोजनाएँ (46 प्रतिशत) पूर्ण की गई थी। 2013-18 के दौरान सड़क परियोजनाओं को पूर्ण करने की वर्ष-वार दर 8 से 19 प्रतिशत के बीच थी। भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी इत्यादि में समस्याओं के कारण, 175 निवास स्थानों को जोड़ने के लिए अप्रैल 2013 से पूर्व संस्वीकृत 467 सड़क परियोजनाएँ (सड़क लंबाई: 2,577.88 किमी) अभी मार्च 2018 तक भी अपूर्ण थी।

(पैराग्राफ: 2.2.4)

² पीआईड्यू हेतु प्रशासनिक खर्च: 1 प्रतिशत; पीआईड्यू के यात्रा खर्च: 0.50 प्रतिशत; प्रशासनिक तथा यात्रा खर्च (जेकेएसआरआरडीए): 0.25 प्रतिशत (अधिकतम ₹75 लाख) तथा स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी: 0.50 प्रतिशत

- राज्य में पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन हेतु योजना अपूर्ण थी क्योंकि जिला ग्रामीण सड़क योजना न तो अधिकतर नमूना कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईयों (पीआईयू) में तैयार की गई थीं और न ही मध्यवर्ती पंचायत/ जिला पंचायत/ जिला ग्रामीण विकास विभाग और राज्य स्तर स्थायी समिति से अनुमोदित थी। कोर नेटवर्क में सभी योग्य निवास स्थानों को कवर नहीं किया गया था, अस्वीकार्य सड़क परियोजनाएँ कोर नेटवर्क में सम्मिलित की गई थीं तथा जो सड़क परियोजनाएँ कोर नेटवर्क में नहीं थीं उनको क्रियान्वयन हेतु लिया गया था।

(पैराग्राफ: 2.2.5)

- चरण-I से XI के अंतर्गत 2000-01 से 2017-18 (जनवरी 2018) के दौरान ₹8,892.69 करोड़ की योजना निधि की कुल संस्वीकृति में से, भारत सरकार ने ₹5,092.14 करोड़ जारी किए जिसके प्रति मार्च 2018 तक ₹4,312.41 करोड़ खर्च किये गये थे। 2015-18 के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंत शेष ₹128 करोड़ से ₹1,046 करोड़ के बीच था।

(पैराग्राफ: 2.2.6.1)

- सड़क परियोजनाओं को पूर्ण करने की कम प्रगति के कारण, भारत सरकार द्वारा चरण-VI, VII और IX के अंतर्गत ₹1,494.60 करोड़ की शेष निधि को जारी नहीं किया गया। राज्य के देय भाग ₹252 करोड़ के प्रति, राज्य सरकार ने 2015-18 के दौरान ₹97 करोड़ शेष रखते हुए ₹155 करोड़ जारी किये थे।

(पैराग्राफ: 2.2.6.1)

- जम्मू एवं कश्मीर राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (जेकेएसआरआरडीए) द्वारा रखी गई ₹36.22 करोड़ की मांग के प्रति, राज्य सरकार द्वारा केवल ₹8.12 करोड़ (22 प्रतिशत) जारी किया गया। 2013-18 के दौरान, निधियों के उपयोग की प्रतिशतता बहुत कम थी तथा इसकी सीमा 6 से 30 प्रतिशत के बीच थी।

(पैराग्राफ: 2.2.6.2)

- अप्रैल 2000 तक 2,738 संपर्क रहित निवास स्थानों में से, 2000-2018 के दौरान कुल 1,694 (62 प्रतिशत) निवास स्थानों को जोड़ा गया और मार्च 2018 के अंत तक 1,044 (38 प्रतिशत) निवास स्थानों को जोड़ा जाना शेष था। वर्ष 2003 तक 1,000 तथा अधिक जनसंख्या वाले 572 संस्वीकृत निवास स्थानों को कवर करने के लक्ष्य के प्रति, मार्च 2018 तक 506 निवास स्थानों को संपर्क में लाया गया। जबकि 500 से 999 के बीच की जनसंख्या वाले निवास स्थानों को 2007 तक कवर किया जाना था, जबकि जेकेएसआरआरडीए मार्च 2018 तक

भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत 870 में से 112 योग्य निवास स्थानों की कमी के साथ 758 निवास स्थानों को ही कवर कर सकी।

(पैराग्राफ: 2.2.7.2)

- चरण-VI से X के अंतर्गत ₹169.68 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत 46 सड़क परियोजनाओं, जिन पर जनवरी 2018 तक ₹39.93 करोड़ का व्यय हुआ, का क्रियान्वयन भूमि विवाद, वन भूमि की नामंजूरी इत्यादि के कारण पूर्ण नहीं हुआ था।

(पैराग्राफ: 2.2.8)

- भूमि अधिग्रहण हेतु नौ जिलों के 13 पीआईयू द्वारा जारी ₹370.70 करोड़ में से, ₹302.54 करोड़ की राशि राजस्व विभाग के पास, ₹17.85 करोड़ वन विभाग के पास तथा ₹5.80 करोड़ पीएचई/ पीडीडी/ सिंचाई विभाग के पास रखी हुई थी।

(पैराग्राफ: 2.2.8.4)

- नौ नमूना जिलों में, ₹1,031.35 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत 254 सड़क परियोजनाएँ, जिन पर ₹514.62 करोड़ का व्यय हुआ, को सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन/ तकनीकी संस्वीकृति (एए/ टीएस) को प्राप्त किए बिना ₹935.96 करोड़ की लागत पर आबंटित किया गया। आठ पूर्ण/ रोकी गई सड़क परियोजनाओं के संबंध में ₹46.52 लाख के मोबिलाईजेशन/ मशीनरी अग्रिम को ठेकेदारों से नहीं वसूला गया। ठेकेदारों पर ₹17.64 करोड़ का परिसमापित हर्जाना नहीं लगाया गया था।

(पैराग्राफ: 2.2.8.5)

- 2013-14 से 2017-18 के दौरान राज्य गुणवत्ता निगरानी (एसक्यूएम) द्वारा संचालित 492 निरीक्षणों के संबंध में किसी भी पीआईयू के द्वारा कोई भी गैर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत नहीं की गई, जबकि 159 निरीक्षणों को 'असंतोषजनक' और शेष 333 को 'सुधार की आवश्यकता' ग्रेड दिया गया। आठ नमूना जिलों में किए गए 221 निरीक्षणों के संबंध में एटीआर पीआईयू से प्रतीक्षित थी। पीएमजीएसवाई निर्माणकार्यों की निगरानी हेतु नौ नमूना जिलों में जिला सतर्कता तथा निगरानी समिति/ जिला विकास समन्वयन तथा निगरानी समिति (डीवीएमसी/ डीआईएसएचए) द्वारा आयोजित की जाने वाली आवश्यक 180 बैठकों के प्रति, 2013-18 के दौरान दो जिलों में केवल छः बैठकें आयोजित की गईं।

(पैराग्राफ: 2.2.9.5 तथा 2.2.9.9)

- ऑनलाइन प्रबंधन निगरानी तथा लेखांकन समिति (ओएमएमएस) का डेटाबेस अपूर्ण और अविश्वसनीय था। अप्रैल 2000 तक जेकेएसआरआरडीए द्वारा संपर्क रहित बताए गए 2,738 निवास स्थानों के प्रति, ओएमएमएस में 2,493 निवास स्थानों को संपर्करहित दर्शाया गया।

(पैराग्राफ: 2.2.10)

अनुपालन लेखापरीक्षा

शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां

विश्वविद्यालय ने पांच खाद्य फसलों हेतु 'अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना' (एआईसीआरपी) पर ₹16.08 करोड़ का व्यय करने के बावजूद किसी भी संकर बीज (मक्के की एकल संकर किस्म को छोड़कर) को विकसित नहीं किया है। शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू द्वारा किसानों को गुणवत्ता बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी बीज उत्पादन श्रृंखला नहीं बनाई गई चूँकि वर्ष 2014-18 के दौरान राज्य कृषि विभाग द्वारा 2,62,207 क्विंटल प्रजनक/मूल बीजों की मांग के प्रति विश्वविद्यालय केवल 5,126.69 क्विंटल बीज ही उपलब्ध करा सका। शुष्क भूमि कृषि पर अनुसंधान हेतु राख धियंसर केंद्र की स्थापना की गई थी, परंतु इसने इस परियोजना के अंतर्गत 2008-09 से 2017-18 के दौरान परियोजना के तहत ₹6.99 करोड़ व्यय करने के बावजूद शुष्क भूमि की उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण नहीं किया। परियोजना निगरानी और मूल्यांकन (पीएमई) विंग द्वारा की गई निगरानी लगभग मौजूद नहीं थी चूँकि विश्वविद्यालय ने वित्त पोषण प्राधिकरणों को प्रस्तुत की गई परियोजनाओं की संख्या, स्वीकृत/अस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और परियोजनाओं के पूरा होने पर प्रकाशित अनुसंधान पत्र एवं उनके प्रभाव का डेटाबेस लेखापरीक्षा हस्तक्षेप होने तक नहीं बनाया था। 2014-18 के दौरान होने वाली अनुसंधान परिषद की आठ अनिवार्य बैठकों के बजाय केवल तीन बैठकें आयोजित की गईं।

(पैराग्राफ: 3.1)

आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न की खरीद पर परिहार्य व्यय

सितंबर 2014 की बाढ़ से प्रभावित राशनकार्ड रहित परिवारों में वितरण हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा खाद्यान्न की आवश्यकता से अधिक खरीद होने के कारण ₹6.54 करोड़ का परिहार्य अधिक व्यय हुआ। नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि 11,117.90 क्विंटल का अवितरित भंडार डिपार्टमेंटल स्ट्रोर्स में रखा हुआ था या लगभग तीन वर्षों तक निजी आटा मिलों द्वारा रखा गया था और

विभाग को उसकी खरीद लागत से कम दर पर खाद्यान्न की बिक्री द्वारा ₹18.63 लाख की हानि हुई।

(पैराग्राफ: 3.2)

अतिरिक्त परिहार्य व्यय और बोलीकर्ता के पक्ष में अनुचित लाभ

संविदा के प्रवर्तन हेतु आमंत्रित निविदा ज्ञापन में निर्धारित खंड को शामिल करने और सफल बोलीकर्ता, जो समझौतों को कार्यान्वित करने में असफल रहा, से परिनिर्धारित नुकसानों के स्वरूप में हानि की वसूली करने में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹12.74 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य और बोलीकर्ता को अनुचित लाभ करने के कारण हुआ।

(पैराग्राफ: 3.3)

खाद्यान्नों के बिक्री लाभों से अल्प संग्रहण

गैर-प्राथमिकता परिवार श्रेणी (एनपीएचएच) और मुफ्ती मोहम्मद सईद खाद्य हकदारी योजना (एमएमएसएफईएस) के उपभोक्ताओं को जारी किए गए खाद्यान्नों की बिक्री हेतु निर्धारित दरों को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा लागू करने में असफलता के परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को बिक्री लाभों का अल्प संग्रहण हुआ तथा इसके परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को ₹6.85 करोड़ का वित्तीय घाटा हुआ।

(पैराग्राफ: 3.4)

निधियों का अवरोधन और स्पाईनल इंजरी सेंटर की स्थापना न करना

स्पाईनल इंजरी सेंटर की स्थापना करने के लिए भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त राशि के उपयोग हेतु समय पर कार्यवाई न करने में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप न केवल ₹3.04 करोड़ की राशि का अवरोधन हुआ, बल्कि इस योजना के लाभों से गरीब मरीज भी वंचित रहे। यह भी एक जोखिम है कि निधि के उपयोग न करने से, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि को भारत सरकार को वापस करना पड़ेगा।

(पैराग्राफ: 3.5)

स्वाइन फ्लू जांच प्रयोगशाला की स्थापना न होना

वित्तीय वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर निधि को व्ययगत होने से बचाने के लिए प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडीकल कॉलेज, जम्मू की ट्रेजरी से निधि आहरण करने की असंगत कार्यवाई और विगत 3½ वर्षों के दौरान इस निधि के उपयोग में विफलता के फलस्वरूप जमा शीर्ष में ₹3.45 करोड़ छोड़ देने से कीमत में वृद्धि हुई और स्वाइन फ्लू परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना के अपेक्षित लक्ष्य को भी पूरा नहीं किया जा सका।

(पैराग्राफ: 3.6)

ट्रोमा अस्पताल खेल्लानी की स्थापना न करने के कारण निष्फल व्यय

आवश्यक कर्मचारियों को पदस्थापित करके ट्रोमा अस्पताल को चालू करने में स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की असफलता और प्रयोगशाला/ रोग निदान सुविधायें, ऑपरेशन थियेटर, ब्लड बैंक और एम्बुलेंस इत्यादि का प्रबंध करने में असफलता से ₹394.59 लाख का निवेश निष्फल हो गया।

(पैराग्राफ: 3.7)

एसएनसीयू/ एसपीवी के गैर-संचालन पर निधियों का अवरोधन/ निष्फल व्यय

दो वर्ष से अधिक समय तक एसएनसीयू सरवाल के लिए चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने में, एसएनसीयू भद्रवाह और गंदोह के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करने में और दो सौर ऊर्जा जेनरेटर्स के संचालन में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹122.18 लाख का निष्फल व्यय और ₹44.82 लाख का अवरोधन हुआ। निधि की उपलब्धता और अतिरिक्त कर्मचारियों के होने के बावजूद नवजातों की देखभाल के लिए परिकल्पित सेवाओं को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(पैराग्राफ: 3.8)

निष्फल व्यय और ब्याज देयता

अस्पताल के भवनों के निर्माण से पूर्व भूमि की उपलब्धता की सुनिश्चितता और लागत अनुमानों के अनुसार कार्यों को करना और आठ वर्षों की अवधि के दौरान उनकी पूर्णता को सुनिश्चित करने में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹1.16 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ और ली गई निधि पर ₹44.21 लाख की ब्याज देयता हुई।

(पैराग्राफ: 3.9)

अतिरिक्त परिहार्य व्यय और ठेकेदार के पक्ष में अनुचित लाभ

अपेक्षित विशेष विवरणों की सूची के बिना और निम्नतम बोलीकर्ता को अस्वीकार करते हुए, जो तकनीकी मूल्यांकन में विधिवत रूप से योग्य था, पुलिस विभाग द्वारा बोलियों के वित्तीय मूल्यांकन के समय आयातित सामग्री के उपयोग की अनुशंसा के अनियमित कार्रवाई के परिणामस्वरूप ₹2.24 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया गया और ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

(पैराग्राफ: 3.10)

वेतन बकाया और अस्वीकार्य भत्तों का अधिक भुगतान

गृह विभाग की निर्धारित नियमों और स्थायी निर्देशों के अनुपालन में असफलता के परिणामस्वरूप ₹33.10 लाख के वेतन बकायों और ₹12.88 लाख के अस्वीकार्य भत्तों का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ: 3.11)

सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग में अधूरी योजनाएं

लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग की चालू 274 योजनाओं में से केवल 23 योजनाओं को 2015-18 के दौरान पूरा किया गया और 251 अधूरी योजनाएं जिनमें 209 ऐसी योजनाएं शामिल हैं जिन्हें मार्च 2018 तक पूर्ण किया जाना था। शेष 42 योजनाएं मार्च 2018 के बाद पूर्ण होने के लिए लम्बित थीं। 30 योजनाओं को पूरा करने में पांच वर्षों से ज्यादा की देरी हुई, 137 योजनाओं के पूरा होने में 2 से 5 वर्षों की देरी हुई और 39 योजनाओं में दो वर्षों तक की देरी हुई। लेखापरीक्षा ने ₹39.92 करोड़ के निधि के विपथन/ अवरोधन, व्यर्थ, निष्फल/ अनुत्पादक व्यय के मामले पाए।

(पैराग्राफ: 3.12)

झज्जर कोटली में बांध का निर्माण न करने के कारण निधियों का अवरोधन

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के संरेखण में आने वाले प्रस्तावित स्थान झज्जर कोटली में झज्जर नाले के ऊपर बांध के निर्माण हेतु योजना का प्रकाशन और आपत्तियों/ स्पष्टीकरणों की मांग से पूर्व, जम्मू और कश्मीर परियोजना निर्माण निगम को अग्रिम निधियाँ प्रदान करने की अनुचित योजना के परिणामस्वरूप छह से सात वर्षों से अधिक के लिए ₹1.80 करोड़ का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ: 3.13)

एडीआर केंद्र ऊधमपुर के लिए नियत निधियों का अवरोधन और विपथन

वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) केंद्र भवन के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना कार्यान्वयन डिवीजन को अग्रिम निधियां प्रदान करने की विधि, न्याय और संसदीय मामले विभाग की अविवेकपूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरूप जमा शीर्षों में ₹0.89 करोड़ का अवरोधन तथा ₹0.44 करोड़ की सामग्री का विपथन हुआ।

(पैराग्राफ: 3.14)

पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली न होना

कार्यपालक अभियंता, सब ट्रांसमिशन डिवीजन, डोडा के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में सही तरीके से पर्यवेक्षण प्रभारों की राशि का प्रक्षेपण करने तथा वर्तमान नियमावली के अनुसार वसूली करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹49.51 लाख के पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली नहीं हुई। लेखापरीक्षा द्वारा निर्दिष्ट किए जाने पर ₹17.47 लाख की वसूली की गई थी तथा शेष ₹32.04 लाख अभी तक वसूल किए जाने हैं।

(पैराग्राफ: 3.15)

भू-जल विनियमन तथा प्रबंधन

राज्य में भू-जल प्रबंधन, भू-जल के निष्कर्षण और दोहन में शामिल औद्योगिक/ अवसंरचना परियोजनाओं को पंजीकरण प्रमाण-पत्र (आरसी) जारी करने तक सीमित था। राज्य को अभी तक (मार्च 2018) हानि को न्यूनतम करते हुए तथा प्रतिधारण को अधिकतम करते हुए भू-जल को रिचार्ज करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपायों के कार्यान्वयन हेतु एक कार्य योजना का प्रतिपादन करना था, जैसा कि "राज्य जल नीति" में अवधारित था। औद्योगिक/ अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 46 आरसी की अनियमित स्वीकृति तथा 92 बोर/ ट्यूबवैलों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के किसी आरसी के बिना 78 उपयोगकर्ताओं द्वारा भू-जल के अप्राधिकृत निष्कर्षण के कारण ₹128.80 लाख के शुल्क की वसूली नहीं हुई। 32 उपयोगकर्ताओं के जल उपयोग प्रभारों का निर्धारण न करने के परिणामस्वरूप ₹12.92 करोड़ की न्यूनतम मांग सृजित नहीं हुई। यद्यपि, 11 उपयोगकर्ताओं के संबंध में ₹47.08 लाख के जल उपयोग प्रभारों का निर्धारण किया गया था, परंतु उक्त की उगाही (मार्च 2018 तक) नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ: 3.16)

स्टाफ के संयोजन के कारण अनुत्पादक व्यय

किसी सौंपे गए कार्य के बिना जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) डिवीजन-1, जम्मू में स्टाफ के संयोजन के परिणामस्वरूप उनके वेतन के भुगतान पर ₹3.68 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ: 3.17)

निधियों का अवरोधन तथा विपथन

सात वर्षों की अवधि में फुट सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण हेतु उचित स्थल का चयन करने में कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण (सड़क एवं भवन) डिवीजन, किशतवाड़ की असफलता के परिणामस्वरूप ₹1.57 करोड़ का अवरोधन एवं ₹0.04 करोड़ का विपथन हुआ।

(पैराग्राफ: 3.18)

निधियों का विपथन एवं अनियमित व्यय

सड़क परियोजना में वन भूमि के उपयोग हेतु पूर्व निर्बाधता प्राप्त करने तथा केवल निधियों के व्यपगत होने से बचने के लिए किसी तत्काल उपयोग के बिना सामग्री की अधिप्राप्ति पर व्यय करने के लिए कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण (सड़क एवं भवन) डिवीजन, उधमपुर की असफलता के परिणामस्वरूप ₹299.89 लाख का विपथन हुआ। तीन वर्षों में पूरे किए जाने वाले प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य पांच वर्षों से अधिक बीत जाने के बावजूद भी आरंभ नहीं किए गए थे। ₹5.66 लाख

का एक अनियमित व्यय भी उन मदों पर किया गया था जो परियोजना निर्माण कार्यों से संबंधित नहीं था।

(पैराग्राफ: 3.19)

निष्फल व्यय, निधियों का विपथन और अवरोधन

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर केवल निधियों के व्यपगत होने से बचने के लिए कोषागार से निधियों का आहरण करने हेतु कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी (आरण्डबी) डिवीजन किशतवाड की अविवेकपूर्ण कार्रवाई तथा एक सड़क परियोजना में वन भूमि के उपयोग हेतु पूर्व निर्बाधता प्राप्त करने की असफलता के परिणामस्वरूप ₹9.43 लाख का निष्फल व्यय, ₹8.63 लाख का विपथन तथा नाबार्ड से उधार लिए गए ₹161.75 लाख का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ: 3.20)

ग्राम त्राशी की अपूर्ण सड़क पर निधियों का निष्फल व्यय/ अवरोधन

सड़क कार्य का क्रियान्वयन आरंभ करने से पहले भूमि अधिग्रहण नहीं करने की कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण डिवीजन (सड़क एवं भवन) छात्रू की अविवेकपूर्ण कार्रवाई और आठ वर्षों से अधिक की अवधि तक परियोजना को पूर्ण करने में असफलता के परिणामस्वरूप ₹2.77 करोड़ का निष्फल व्यय तथा ₹0.69 करोड़ का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ: 3.21)

कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटों पर निष्फल व्यय

टोल पोस्ट नगरी परोल पर स्थापित किए गए पांच कम्प्यूटरीकृत धर्म कांटों को चालू करने और उनको उत्पाद शुल्क विभाग को सुपुर्द करने में लोक निर्माण (सड़क एवं भवन) विभाग तथा मैकेनिकल अभियांत्रिकी विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹1.25 करोड़ का निष्फल व्यय और सात वर्षों से अधिक की अवधि तक ₹0.03 करोड़ का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ: 3.22)

स्टाफ के संयोजन के कारण अनुत्पादक व्यय

मुख्य अभियंता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, जम्मू में बिना किसी कार्य के स्टाफ के संयोजन के परिणामस्वरूप उनके वेतन के भुगतान पर ₹14.64 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ: 3.23)

वेतन और भत्तों का अधिक भुगतान

सरकार द्वारा जारी किए गए निर्धारित नियमों/ अनुदेशों के अनुसार निर्धारित वेतन मोड पर नियुक्त कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को नियमित करने की राजस्व विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप जुलाई 2014 से मार्च 2018 के दौरान अस्वीकार्य वेतन, भत्तों और नई पेंशन योजना (एनपीएस) अंशदान के कारण ₹64.21 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ: 3.24)

अध्याय-I
प्रस्तावना

अध्याय-1

प्रस्तावना

1.1 बजट रूपरेखा

राज्य में 29 विभाग और 42 स्वायत्त निकाय हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹89,939 करोड़ के कुल बजट अनुमानों के प्रति ₹89,624 करोड़ का व्यय था। वर्ष 2013-18 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमानों और उसके प्रति वास्तविक की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका-1.1: वर्ष 2013-18 के दौरान राज्य सरकार का बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
	बजट अनुमान	वास्तविक								
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	12,228	11,403	12,923	12,039	14,895	13,675	16,445	15,110	17,314	16,888
सामाजिक सेवाएं	7,096	7,896	9,114	8,501	11,416	11,331	13,028	11,564	13,909	13,117
आर्थिक सेवाएं	8,293	7,759	9,466	8,789	10,886	11,414	13,095	13,138	12,659	10,911
सहायता अनुदान ¹ एवं अंशदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़ (1)	27,617	27,058	31,503	29,329	37,197	36,420	42,568	39,812	43,882	40,916
पूंजीगत व्यय										
पूंजीगत परिव्यय	7,308	4,507	10,221	5,134	12,685	7,331	16,904	8,286	22,126	10,353
संवितरित ऋण और अग्रिम	133	121	71	87	93	94	91	76	569	25
सार्वजनिक ऋण ² की चुकौती	1,231	4,147	8,412	8,549	8,812	10,815	15,367	17,023	18,401	22,490
आकस्मिक निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लोक लेखा संवितरण ³	3,964	14,169	3,690	17,796	3,939	24,094	5,535	19,458	4,961	15,286
अंत नकद शेष	01	1,063	-	1,401	-	527	-	429	-	554
जोड़ (2)	12,637	24,007	22,394	32,967	25,529	42,861	37,897	45,272	46,057	48,708
कुल जोड़ (1+2)	40,254	51,065	53,897	62,296	62,726	79,281	80,465	85,084	89,939	89,624

(स्रोत: राज्य सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण और वित्त लेखे)

¹ राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदान को उपर्युक्त क्षेत्रों में शामिल किया गया है।

² अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत संव्यवहारों सहित

³ वास्तविक में रोकड शेष और विभागीय रोकड शेष के निवेश के संव्यवहारों को शामिल नहीं किया है।

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग

राज्य के कुल व्यय⁴ में 2013-18 के दौरान ₹31,686 करोड़ से ₹51,294 करोड़ तक की वृद्धि हुई थी, जबकि राजस्व व्यय में 2013-14 में ₹27,058 करोड़ से 2017-18 में ₹40,916 करोड़ तक 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2013-18 की अवधि के दौरान अनियोजित/ सामान्य राजस्व व्यय में ₹25,219 करोड़ से ₹38,416 करोड़ तक 52 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय में ₹4,507 करोड़ से ₹10,353 करोड़ तक 130 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2013-18 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का 80 से 85 प्रतिशत और पूंजीगत व्यय का 15 से 20 प्रतिशत शामिल था।

1.3 निरंतर बचत

पिछले पांच वर्षों के दौरान 10 मामलों में प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक की और कुल अनुदान के 10 प्रतिशत या अधिक तक निरंतर बचत देखी गई जिसे नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.2: 2013-18 के दौरान निरंतर बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या और नाम	बचत राशि				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व (दत्तमत)						
1.	10- कानून विभाग	65.28 (32)	97.04 (34)	102.19 (37)	154.81 (48)	154.33 (42)
2.	11- उद्योग और वाणिज्य विभाग	42.17 (18)	89.05 (33)	53.91 (19)	86.65 (28)	68.16 (22)
3.	21- वन विभाग	58.36 (11)	133.20 (21)	95.01 (14)	127.62 (18)	116.66 (61)
राजस्व (प्रभारित)						
4.	10- कानून विभाग	3.81 (14)	6.47 (22)	3.98 (13)	7.32 (21)	4.06 (11)
पूंजीगत (दत्तमत)						
5.	06- विद्युत विकास विभाग	485.02 (56)	250.25 (64)	707.60 (70)	2,177.61 (76)	5,591.27 (89)
6.	12- कृषि विभाग	159.06 (40)	222.70 (55)	179.63 (33)	634.82 (67)	333.92 (37)

⁴ कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूंजीगत परिव्यय और ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण शामिल किए गए हैं।

क्र. सं.	अनुदान संख्या और नाम	बचत राशि				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
7.	17- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	32.80 (12)	235.89 (53)	496.95 (67)	168.56 (28)	282.43 (36)
8.	19- आवासीय तथा शहरी विकास विभाग	672.87 (76)	568.44 (77)	220.61 (42)	394.59 (51)	519.54 (53)
9.	25- श्रम, स्टेशनरी तथा मुद्रण विभाग	102.52 (98)	76.70 (98)	31.79 (29)	14.54 (13)	100.74 (84)
10.	28- ग्रामीण विकास विभाग	185.13 (48)	1,104.58 (60)	496.79 (38)	798.19 (42)	541.36 (23)

(स्रोत: विनियोजन लेखे)

(टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल अनुदान का बचत प्रतिशत दर्शाते हैं।)

राज्य सरकार द्वारा इन शीर्षों के अंतर्गत निरंतर बचतों के कारणों की सूचना नहीं दी गई थी (दिसंबर 2018)।

1.4 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई निधियां

भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य बजट में डाले बिना विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (संस्थानों, निगमों, समितियों, इत्यादि) को ₹1,105 करोड़ (परिशिष्ट-1.1.1) सीधे हस्तांतरित किए थे। इसके परिणामस्वरूप यह राशि वर्ष के दौरान राज्य सरकार के वार्षिक लेखों (वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे) के दायरे से बाहर रह गई।

1.5 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त सहायता अनुदान को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.3: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 ⁵
अनियोजित अनुदान	4,009	3,343	11,135	12,776	-
केन्द्रीय सहायता प्राप्त राज्य नियोजन योजनाओं हेतु अनुदान/ केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान	9,008	12,720	4,365	7,766	9,096

⁵ उप-मुख्य शीर्ष: 'अनियोजित अनुदान'; 'राज्य/ केंद्र शासित नियोजित योजना हेतु अनुदान'; 'केंद्र नियोजित योजना हेतु अनुदान'; 'केंद्र प्रायोजित नियोजित योजनाओं हेतु अनुदान' तथा विशिष्ट नियोजित योजना हेतु अनुदान तथा लघु शीर्ष अप्रैल 2017 से उनके अंतर्गत संव्यवहारों हेतु कार्यशील नहीं। (संदर्भ: वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, नई दिल्ली की शोधन पर्ची सं. 829 दिनांकित 06.01.2017)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
केंद्र के लिए तथा केंद्रीय प्रायोजित नियोजन योजना	826	87	1,228	56	-
वित्त आयोग अनुदान	-	-	-	-	11,849
अन्य हस्तांतरण/ राज्यों को अनुदान	-	-	-	-	620
जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति	-	-	-	-	1,137
कुल	13,843	16,150	16,728	20,598	22,702
पिछले वर्ष में वृद्धि/ कमी (-) की प्रतिशतता	(-) 4	17	4	23	10
राजस्व प्राप्तियां	27,128	28,939	35,781	41,978	48,512
राजस्व प्राप्तियों से कुल अनुदानों की प्रतिशतता	51	56	47	49	47

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

भारत सरकार से प्राप्त कुल सहायता अनुदान में वर्ष 2013-18 की अवधि के दौरान ₹13,843 करोड़ से ₹22,702 करोड़ तक की वृद्धि हुई थी।

1.6 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/ परियोजनाओं के जोखिम निर्धारण के साथ शुरू होती है जिसमें कार्यकलापों की महत्वपूर्णता/ जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रणों और हितधारकों की चिंताओं और पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विचार किया जाता है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की निरंतरता और सीमा पर निर्णय लिया जाता है और एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाई जाती है।

लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाली एक निरीक्षण रिपोर्ट एक माह में उत्तर देने के अनुरोध के साथ कार्यालय अध्यक्ष को जारी की जाती है। उत्तर प्राप्त होने पर या तो लेखापरीक्षा निष्कर्ष का निपटान कर दिया जाता है या अनुपालन हेतु अगली कार्रवाई का परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण रिपोर्टों में बताई गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु संसाधित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर सरकार के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किए गए निष्कर्ष राज्य सरकार के संव्यवहारों की नमूना जांच पर आधारित होते हैं। अतः यह अनुशांसा की जाती है कि राज्य सरकार द्वारा दूसरे सरकारी विभागों में भी विशेष रूप से दर्शाए गए मामलों की विस्तृत जांच की जाए।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू एवं कश्मीर के कार्यालय द्वारा 2017-18 के दौरान राज्य के 899 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों और 11 स्वायत्त निकायों की 70 इकाईयों की अनुपालन लेखापरीक्षा का संचालन किया गया था। इसके अलावा, तीन निष्पादन लेखापरीक्षाओं⁶ का भी संचालन किया गया था।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार की प्रतिक्रिया

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने चयनित विभागों में, जिनका विभागों के कार्यक्रमों एवं कार्यप्रणाली की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव हुआ है, आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता के साथ-साथ विभिन्न कार्यक्रमों/ कार्यकलापों के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों को सूचना दी है। नागरिकों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने और सेवा सुपुर्दगी सुधारने के लिए कार्यपालक को उचित अनुशंसायें करने हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों/ योजनाओं के लेखापरीक्षण पर ही पूरा ध्यान था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों को महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संबंधित विभाग के प्रधान सचिवों/ सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनके ध्यानाकर्षण और छः सप्ताह में उनकी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध करते हुए भेजा जाता है। विभागों/ सरकार से उत्तर प्राप्त न होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल ऐसे पैराग्राफों के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक (गैर-पीएसयू) क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित तीन निष्पादन लेखापरीक्षाओं और 26 पैराग्राफों को संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को भेजा गया था। इनमें से एक निष्पादन लेखापरीक्षा और 18 पैराग्राफों के संबंध में उत्तर (सितंबर 2019 तक) प्राप्त नहीं हुए थे।

1.8 लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

सरकार (वित्त विभाग) द्वारा जारी की गई लेखापरीक्षा आपत्तियों/ निरीक्षण रिपोर्टों (आईआर) के शीघ्रता से निपटान हेतु अनुदेशों की हस्तपुस्तिका में निर्धारित नियमों एवं कार्यविधियों का अनुपालन करते हुए उपचारात्मक/ आशोधन कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा जारी आईआर पर कार्यकारी अधिकारी द्वारा शीघ्र उत्तर देने का प्रावधान किया गया है। कार्यालय अध्यक्षों और अगले उच्च अधिकारियों से आईआर में निर्दिष्ट आपत्तियों का अनुपालन करने और त्रुटियों को

⁶ (1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन, (2) सर्व शिक्षा अभियान तथा (3) राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम

परिशोधित करने और उनके अनुपालन की सूचना महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को देने की अपेक्षा की जाती है।

नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर 1998-2018 की अवधि से संबंधित 11,016 आईआर में निर्दिष्ट 45,170 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ और 31 मार्च 2018 को अधिशेष निम्नानुसार हैं:

तालिका-1.4: 31 मार्च 2018 की समाप्ति पर बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियां दर्शाते ब्यौरे

क्षेत्र का नाम	आदि शेष (1 अप्रैल 2017)		वर्ष 2017-18 के दौरान वृद्धि		वर्ष 2017-18 के दौरान निपटाए गए		अंत शेष (31 मार्च 2018)	
	निरीक्षण रिपोर्टों की संख्या	पैराग्राफों की संख्या						
सामाजिक क्षेत्र (गैर-पीएसयू)	5,008	22,058	529	3,886	248	1,963	5,289	23,981
सामान्य क्षेत्र (गैर-पीएसयू)	1,544	4,739	167	1,032	77	573	1,634	5,198
आर्थिक क्षेत्र (गैर-पीएसयू)	4,073	16,409	525	3,196	505	3,614	4,093	15,991
कुल	10,625	43,206	1,221	8,114	830	6,150	11,016	45,170

पैराग्राफों का बड़ी संख्या में लंबन लेखापरीक्षा हेतु सरकारी विभागों की प्रतिक्रिया में कमी को दर्शाता है। सरकार को इस मामले पर विचार-विमर्श करना चाहिए और विभागों से समय बाधित तरीके से लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली को ठीक करना चाहिए। इसके अलावा, राज्य द्वारा लंबित आपत्तियों पर चर्चा हेतु वर्ष 2017-18 के दौरान किसी भी लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया। संबंधित विभागों द्वारा लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया जाए, इसकी बैठकें आयोजित की जाएं तथा पैराग्राफों के निपटान की प्रगति की निगरानी की जाए।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

1.9.1 स्वप्रेरणा से की गई कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत न करना

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चा किए गए मामलों पर कार्यकारी अधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार (वित्त विभाग) ने इस पर ध्यान दिए बिना कि इन समितियों द्वारा चर्चा की गई थी या नहीं, लोक लेखा समिति (पीएससी)/ सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति (सीओपीयू) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में

दर्शाए गए सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर स्वप्रेरणा से की गई कार्रवाई टिप्पणियों (एटीएन) को प्रस्तुत करने हेतु प्रशासनिक विभागों को जून 1997 में अनुदेश जारी किए थे। इन एटीएन को राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तिथि से तीन माह की अवधि में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा यथावत् जांच के बाद इन समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है।

तथापि, यह देखा गया कि 2000-01 से 2015-16 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्याय में दर्शाए गए 495 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से 146 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में स्वप्रेरणा से एटीएन 30 सितंबर 2018 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

1.9.2 पीएसी की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

पीएसी/ सीओपीयू द्वारा चर्चा किए गए लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में उनके द्वारा की गई आपत्तियों/ अनुशंसाओं पर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा यथावत् जांच के बाद की गई कार्रवाई टिप्पणियों को इन आपत्तियों/ अनुशंसाओं की तिथि से छः माह के अंदर इन समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है। वर्ष 2000-01 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में दर्शाए गए 495 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से केवल 245 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर 30 सितंबर 2018 तक पीएसी द्वारा चर्चा की गई है। पीएसी द्वारा 223 लेखापरीक्षा पैराग्राफों से संबंधित अनुशंसाओं पर चर्चा की गई है। तथापि, समितियों की अनुशंसाओं पर एटीएन 165 पैराग्राफों के संबंध में राज्य सरकार से लंबित हैं।

1.10 स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखाओं की प्रस्तुति न करना/ विलंब से प्रस्तुत करना

56 स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा सीएण्डएजी के (डीपीसी) अधिनियम 1971 की धारा 14 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) को सौंपी गई है। 31 मार्च 2018 तक इन स्वायत्त निकायों से कुल 801 वार्षिक लेखे प्रतीक्षित थे। सीएण्डएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) और 20(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) द्वारा लेखापरीक्षा हेतु अपेक्षित दस स्वायत्त निकायों ने भी वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे, जो निम्नानुसार हैं:

तालिका-1.5: स्वायत्त निकायों द्वारा लेखों का अप्रस्तुतीकरण

क्रम.सं.	निकाय/ प्राधिकरण का नाम	वर्ष संख्या में विलंब	लेखों की संख्या	2017-18 के दौरान अनुदान (₹ करोड़ में)
1.	लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी क्षेत्र विकास परिषद्, लेह	23	23	278.31
2.	लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी क्षेत्र विकास परिषद्, कारगिल	15	15	279.58
3.	प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	09	09	शून्य
4.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	08	08	94.62
5.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू	02	02	146.38
6.	ईपीएफ बोर्ड, श्रीनगर	12	12	शून्य
7.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य आवासीय बोर्ड	06	06	शून्य
8.	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	03	03	18.00
9.	भवन एवं अन्य निर्माण संबंधी मजदूर कल्याण बोर्ड	05	05	शून्य
10.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	03	03	6.94
	कुल		86	823.83

लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी क्षेत्र विकास परिषद् (एलएचडीसी), लेह और एलएचडीसी, कारगिल की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। एलएचडीसी, लेह इसके आरंभ अर्थात् 1995-96 से ही लेखापरीक्षा हेतु लेखे प्रस्तुत करने में विफल रहा है, यद्यपि परिषद् को पर्याप्त राशि का भुगतान किया जा रहा है और वर्ष के अंत में अव्ययित शेष राज्य के लोक लेखा में गैर-व्ययगमन योग्य निधि में क्रेडिट रहा। यही स्थिति एलएचडीसी, कारगिल के संबंध में है जो 2004-05 में अस्तित्व में आई और लेखे इसके आरंभ से ही बकाया थे।

राज्य बजट से पर्याप्त निधि प्राप्त करने वाले इन निकायों द्वारा लेखाओं के अप्रस्तुतीकरण/ विलंब से प्रस्तुतीकरण एक गंभीर वित्तीय अनियमितता हैं जो वर्षों से जारी हैं। अननुपालन के मद्देनजर, इन सांविधिक निकायों के लेखापरीक्षित लेखे अभी तक राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जैसा कि उन सांविधियों के अंतर्गत अपेक्षित है और जिनके अंतर्गत इन निकायों का गठन किया गया था। इससे राज्य विधानमंडल ने उनके कार्यकलापों एवं वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन करने का अवसर खो दिया।

1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शायी गई समीक्षाओं और पैराग्राफों के वर्षवार ब्यौरे

पिछले दो वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शायी गई निष्पादन समीक्षाओं और लेखापरीक्षा पैराग्राफों के धन मूल्य सहित वर्षवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

तालिका-1.6: 2015-17 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शायी गई निष्पादन समीक्षाओं और लेखापरीक्षा पैराग्राफों के ब्यौरे

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		लेखापरीक्षा पैराग्राफ		प्राप्त उत्तर	
	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	निष्पादन लेखापरीक्षा	ड्राफ्ट पैराग्राफ
2015-16	3	1072.58	23	414.50	1	14
2016-17	4	3646.43	27	364.88	शून्य	5

पिछले दो वर्षों में लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लेखापरीक्षा निष्कर्षों में सम्मिलित धन मूल्य नमूना जांच पर आधारित था। तथापि, सरकार द्वारा दूसरे सरकारी विभागों में भी विशेष रूप से दर्शाए गए मामलों की विस्तृत जांच की जाए।

इस रिपोर्ट में ₹394.13 करोड़⁷ धन मूल्य की दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं 24 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किए गए हैं। उत्तर जहां कहीं भी प्राप्त हुए हैं, उचित स्थान पर शामिल किए गए हैं।

⁷ दो निष्पादन लेखापरीक्षा: ₹251.43 करोड़; 24 ड्राफ्ट पैराग्राफ: ₹142.70 करोड़

अध्याय-II
निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय-II

निष्पादन लेखापरीक्षा

जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

2.1 राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) को संपोषणीय आधार पर ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचई) द्वारा जम्मू और कश्मीर में एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा में कुछ कमियां सामने आईं। निष्पादन लेखापरीक्षा की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

मुख्य विशेषताएं

- एसडब्ल्यूएसएम/ प्रशासनिक विभाग को राज्य वित्त विभाग (एफडी) द्वारा 2014-17 के दौरान प्राप्त ₹871.87 करोड़ की धनराशि जारी करने में 7 से 67 दिनों के बीच देरी हुई।
(पैराग्राफ: 2.1.7.2)
- 10 पीएचई डिवीजनों (तीन नमूना डिवीजनों सहित) में कार्यान्वित की गई 28 जल आपूर्ति योजनाओं में संचयी व्यय को बाद के वर्षों में गलत व्यय को दर्शाते हुए कम बताया गया था, जिसके कारण इन योजनाओं की अनुमानित लागत के प्रति ₹1.10 करोड़ अतिरिक्त जारी किए गए।
(पैराग्राफ: 2.1.7.5)
- प्रशासनिक विभाग तथा 14 में से छह नमूना डिवीजनों के रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला कि 2013-14 से 2017-18 के दौरान कुल उपलब्ध निधि में से कार्यक्रम और सहायक निधि पर अर्जित ₹1.74 करोड़ ब्याज लेखाबही/ खातों में लेखाबद्ध नहीं था।
(पैराग्राफ: 2.1.7.7)
- 2013-18 के दौरान, 1,067 जल आपूर्ति योजनाओं (डब्ल्यूएसएस) को पूरा करने के लक्ष्य के प्रति, केवल 679 योजनाएं (64 प्रतिशत) पूरी हुईं। 388 योजनाओं (36 प्रतिशत) के पूरा न होने से 5.67 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को प्रभावित किया।
(पैराग्राफ: 2.1.8.2)

- 2013-14 से 2016-17 के दौरान सरकारी स्कूलों में पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति में वर्ष-वार कमी 10 से 29 प्रतिशत के बीच रही। केवल नौ आंगनवाड़ी केंद्रों को 2013-15 की अवधि के दौरान पीने के पानी की सुविधा प्रदान की गई थी और विभाग ने 2014-15 से इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था।

(पैराग्राफ: 2.1.8.3)

- इस तथ्य के बावजूद कि सभी स्कूलों को 2012-13 तक कवर किया जाना था, विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर उसे नहीं किया और सात नमूना-जांच जिलों में 17 प्रतिशत स्कूलों और 36 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों को कवर नहीं किया गया।

(पैराग्राफ: 2.1.8.3)

- 14 नमूना डिवीजनों में, मजदूरी के भुगतान के लिए, पेट्रोल-तेल-स्नेहक (पीओएल), वाहनों को किराए पर लेने, हार्ड कोक की खरीद और डीईओ को वेतन आदि के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी निधि को विचलित करते हुए ₹31.24 करोड़ का व्यय किया गया था।

(पैराग्राफ: 2.1.8.6)

- 14 नमूना डिवीजनों में, ₹1,415.37 करोड़ की अनुमानित लागत की 657 योजनाओं को एए और टीएस के बिना क्रियान्वयन हेतु लिया गया और इन योजनाओं पर ₹830.11 करोड़ का व्यय हुआ।

(पैराग्राफ: 2.1.8.7)

- 28 योजनाओं के संबंध में, 13 नमूना डिवीजनों द्वारा वितरण प्रणाली को निर्धारित करने और अन्य कार्यों को क्रियान्वित करने पर ₹43.45 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ जो बिना मुख्य निर्माणकार्य जैसे स्रोत विकास, भूमि अधिग्रहण, अपर्याप्त निधि और बिना वन विभाग की मंजूरी से शुरू किए गए।

(पैराग्राफ: 2.1.8.10)

- 2013-14 से 2017-18 के दौरान, 30 से 48 प्रतिशत स्रोतों के संबंध में जल के नमूनों की जांच की गई। इसके अतिरिक्त, 2013-18 के दौरान अपेक्षित 7,66,326 जल नमूनों की जांच किए जाने के प्रति, केवल 5,60,331 (73 प्रतिशत) नमूने जांचे गए तथा बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण और रसायन संदूषण का विवरण अलग से उपलब्ध नहीं था।

(पैराग्राफ: 2.1.10.4)

2.1.1 प्रस्तावना

ग्रामीण आबादी को सतत् आधार पर पीने, खाना-पकाने और अन्य घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ पानी हेतु भारत सरकार (जीओआई) ने (1972-73) में त्वरित ग्रामीण पेय जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडीब्ल्यूएसपी) आरंभ किया। कार्यक्रम को 1986 में राष्ट्रीय पेय जल मिशन (एनडीडब्ल्यूएम) की प्रस्तावना देते हुए मिशन एप्रोच दी गई थी और 1991 में पुनः नामकरण करके राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन (आरजीएनडीडब्ल्यूएम) कर दिया गया। योजना को फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में आरंभ किया गया और पुनः नामकरण करके राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) कर दिया गया (2009), विशेष गतिविधियों जैसे कवरेज, जल गुणवत्ता, परिचालन और रख रखाव लागत पर भारत सरकार तथा राज्य के बीच 90:10 का शेयरिंग पैटर्न रखा गया। निरंतरता, डीडीपी¹ क्षेत्रों, सहायक गतिविधियों तथा डब्ल्यूक्यूएमएंडएस² जैसे घटकों पर भारत सरकार 100 प्रतिशत निधि उपलब्ध करा रही थी। एनआरडीडब्ल्यूपी कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को समय-समय पर संशोधित किया गया था, नवीनतम संशोधन, 2013 में किया गया। अगस्त 2013 में यह परिकल्पना की गई थी कि 2017 के अंत तक ग्रामीण आबादी के 50 प्रतिशत के घरेलू परिसर के अंदर कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) सुरक्षित पाईपड पेय जल और 2022 के अंत तक प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को 70 एलपीसीडी की आपूर्ति की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण भारत के सारे विद्यालय और आंगनवाड़ी केन्द्रों को पर्याप्त सुरक्षित पेय जल पहुंचाया जा रहा है। सतही जल आधारित योजनाओं की तरफ क्रमिक रूप से स्थान्तरित करने पर बल दिया गया था जिससे कि नीचे जाते हुए जल स्तर को रोका जा सके।


2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

जम्मू और कश्मीर राज्य (जेएंडके) में, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, (पीएचई) विभाग सभी जल आपूर्ति योजनाओं/ कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। विभाग की पदानुक्रम और संगठनात्मक संरचना निम्नानुसार है:

¹ मरुस्थल विकास कार्यक्रम

² पानी की गुणवत्ता की जांच और निगरानी

चार्ट: 2.1.1



2.1.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा पद्धति

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (2014 की प्रतिवेदन संख्या: 2) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन में पैरा 2.2 में 2009-10 से 2012-13 की अवधि को सम्मिलित करते हुए, एनआरडीडब्ल्यूपी पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए), को दर्शाया गया है। लोक लेखा समिति द्वारा पैरा पर आंशिक रूप से चर्चा की गई थी; उनकी सिफारिशें प्रतीक्षित हैं (मार्च 2019)। राज्य के तीन क्षेत्रों³ के सात जिलों के आयुक्त सचिव पीएचई विभाग, दो मुख्य अभियंताओं⁴ और 14 पीएचई डिवीजनों⁵ और चार प्रांतीय स्तर पर डिवीजनों⁶ (22 जिलों में 50 डिवीजनों में से) के कार्यालयों के रिकार्डों के जांच-परीक्षण द्वारा 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि को सम्मिलित करते हुए वर्तमान लेखापरीक्षा निष्पादन जनवरी 2018 से अगस्त 2018 के बीच की गई थी और व्यय को ध्यान में रखते हुए संभावना के आधार पर प्रतिस्थापन के बिना नमूनों का चयन किया गया था। उन लिये गये 14 नमूना पीएचई डिवीजनों में 989 जल आपूर्ति योजनाएं थीं, जिनमें से 28 का विस्तार से विश्लेषण किया गया था। 7 मार्च 2018 को अतिरिक्त सचिव, पीएचई विभाग के साथ एक प्रारंभिक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, मानदंड और कार्यपद्धति पर चर्चा की गई थी। 3 जनवरी 2019 को

³ (i) जम्मू: जम्मू, कठुआ और राजौरी; (ii) कश्मीर: बारामूला, अनंतनाग और पुलवामा, (iii) लद्दाख: लेह

⁴ जम्मू और श्रीनगर प्रत्येक के लिए एक

⁵ जल आपूर्ति योजनाओं के निष्पादन के लिए जिम्मेदार पीएचई विभाग: (i) सिटी-I जम्मू, (ii) सिटी-II जम्मू, (iii) ग्रामीण जम्मू, (iv) अखनूर, (v) कठुआ, (vi) राजौरी, (vii) नौशेरा, (viii) बारामूला, (ix) सोपोर, (x) काजीगुंड, (xi) बिजबेहारा, (xii) अवंतिपोरा, (xiii) पुलवामा (xiv) लेह।

⁶ भूमिगत जल डिवीजन बोरवेल की ड्रिलिंग के लिए जिम्मेदार: (i) जम्मू (ii) श्रीनगर; सामग्री की अधिप्राप्त और आपूर्ति के लिए प्राप्त डिवीजन जिम्मेदार: (i) जम्मू (ii) श्रीनगर

आयोजित एक एग्जिट बैठक में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई और रिपोर्ट में उपयुक्त स्थानों पर उत्तरों को उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

2.1.4 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारण करना है कि:

- क्या कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संरचनात्मक तंत्र उपलब्ध था और पर्याप्त क्षमता निर्माण के उपाय किए गए थे;
- क्या राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देश/ परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में धनराशि जारी की गई, और उसके उपयोग को तथा उसको लेखाबद्ध किया गया;
- योजनाओं का कार्यान्वयन कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुपालन में मितव्ययी रूप से, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से और समयबद्ध तरीके से किया गया था और
- क्या कार्यक्रम की निगरानी और पर्यवेक्षण, कार्यक्रम के उद्देश्यों की उपलब्धि को सुविधाजनक बनाने में कुशल और प्रभावी थी।

2.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदंडों के प्रति किया गया था:

- एनआरडीडब्ल्यूपी दिशा-निर्देश-2013,
- संचालन और रखरखाव के अलावा जल गुणवत्ता, निगरानी और संधारणीयता पर पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी नियमावली,
- जल उपचार तकनीकों पर हैंडबुक,
- जेएंडके लोक निर्माण कोड,
- जेएंडके वित्तीय कोड तथा वित्तीय शक्तियों की पुस्तिका तथा,
- परियोजना रिपोर्टें तथा परियोजना/ ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के लिए कार्य योजनाएँ


2.1.6 योजना बनाना

2.1.6.1 कार्यक्रम का सुपुर्दगी तंत्र

एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देश, कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए, राज्य जल स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम), राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति (एसएलएसएससी), ग्राम जल स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी), जिला जल स्वच्छता मिशन

(डीडब्ल्यूएसएम), राज्य तकनीकी एजेंसी (एसटीए) तथा जल स्वच्छता और सहायता संगठन (डब्ल्यूएसएसओ) जैसे विभिन्न संस्थानों के निर्माण और स्थापना के लिए प्रावधान करते हैं। पीएचई विभाग के आयुक्त सचिव मुख्य अभियंताओं द्वारा प्रांतीय स्तर पर समर्थित एसडब्ल्यूएसएम के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। निष्पादन भाग कार्यकारी अभियंताओं (ईई) द्वारा कार्यकारी डिवीजनों के प्रमुखों के रूप में किया जाता है। कार्यक्रम दिशानिर्देशों में निर्धारित संस्थागत सुपुर्दगी तंत्र को नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट: 2.1.2



⁷ जल सुरक्षा योजना

⁸ राज्य जल संसाधन विनियामक प्राधिकरण

⁹ एचआरडी: मानव संसाधन विकास, आईईसी : सूचना शिक्षा संचार

कार्यक्रम के तहत विभिन्न संस्थानों की स्थापना से संबंधित स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका- 2.1.1: राज्य में विभिन्न संस्थानों की स्थापना से संबंधित में स्थिति

क्र. सं.	संस्थान तथा कार्य की प्रकृति	स्थिति
1.	ग्राम जल स्वच्छता समितियाँ (वीडब्ल्यूएससी)	
	ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जल आपूर्ति योजनाओं (डब्ल्यूएसएस) की योजना, निगरानी, कार्यान्वयन और संचालन और रखरखाव के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत जल और स्वच्छता समिति (जीपीडब्ल्यूएससी)/ ग्राम जल तथा स्वच्छता समितियाँ (वीडब्ल्यूएससी) की स्थापना एक स्थायी समिति/ उप-समिति के रूप में स्थापित की जानी थी। इस समिति का विलय एनआरएचएम के तहत गठित ग्राम स्वच्छता स्वास्थ्य और पोषण समिति के साथ किया जाना था, ताकि ग्रामीण स्तर पर जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का एक साथ निपटारा किया जा सके।	वीडब्ल्यूएससी (जून 2013 में) बनाई गई थी, लेकिन वे योजनाओं के निर्माण में शामिल नहीं थी। विभाग ने (फरवरी 2018 में) उत्तर दिया कि वीडब्ल्यूएससी जुलाई 2016 तक विद्यमान थी और पीआरआई के विघटन के बाद निष्क्रिय हो गई। आगे (जनवरी 2019 में) कहा गया कि हाल ही में पीआरआई चुने गए और वीडब्ल्यूएससी के फिर से गठन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।
2.	ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी)	
	ग्राम पंचायतों, (जीपी) और ग्राम पंचायत जल और स्वच्छता समिति (जीपीडब्ल्यूएससी)/ ग्राम जल तथा स्वच्छता समितियाँ (वीडब्ल्यूएससी) पीढ़ी जागरूकता, प्रेरणा, मोबलाईजेशन, प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग के संदर्भ में निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर बीआरसी की स्थापना की जानी थी। बीआरसी को डीडब्ल्यूएसएम की विस्तारित डिलीवरी शाखा के सॉफ्टवेयर सहायता तथा जीपी/ जीपीडब्ल्यूएससी/ वीडब्ल्यूएससी के बीच कड़ी के रूप में कार्य करना था।	विभाग ने (फरवरी 2018 में) कहा कि राज्य में पीआरआई के चुनाव होते ही बीआरसी की भूमिका सक्रिय हो जाएगी। आगे कहा गया (जनवरी 2019) कि हाल ही में पीआरआई के लिए चुनाव हुए हैं और विभाग ग्रामीण विकास विभाग के परामर्श से बीआरसी सक्रिय करने की प्रक्रिया में है।
3	जिला जल और स्वच्छता अभियान (डीडब्ल्यूएसएम)	
	जिले में जिला पंचायत/ परिषद या जिला उपायुक्त की देखरेख में कार्य करने के लिए जिला स्तर पर डीडब्ल्यूएसएम का गठन किया जाना था, जहां जिला परिषदों का गठन नहीं किया गया था। जिला जल स्वच्छता योजना को तैयार करना और लागू करना था और जहां पीआरआई गैर-उपलब्ध थे, वैकल्पिक व्यवस्था की जानी थी।	विभाग ने (फरवरी 2018 में) कहा कि डीडब्ल्यूएसएम समितियां बनी हुई हैं, लेकिन उनकी भूमिका सक्रिय नहीं है क्योंकि धन उनके माध्यम से कार्यकारी एजेंसियों को नहीं भेजा जाता है। यह भी कहा गया (जनवरी 2019) कि पीआरआई के गठन के बाद डीडब्ल्यूएसएम ने अब सक्रिय भूमिका निभाई है
4.	जल तथा स्वच्छता सहायता संस्थान (डब्ल्यूएसएसओ)	
	राज्यों को, जल गुणवत्ता निगरानी और चौकसी (डब्ल्यूक्यूएमएंडएस) यानी जिला जल परीक्षण प्रयोगशालाओं (डीडब्ल्यूटी लैब्स), प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)/ कम्प्यूटरीकरण, निगरानी और मूल्यांकन (एमएण्डई), सूचना शिक्षा संचार (आईईसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी), संचार और क्षमता विकास इकाइयां (सीसीडीयू), अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) आदि के साथ कार्य करने के लिए एसडब्ल्यूएसएम के तहत डब्ल्यूएसएसओ की स्थापना करनी थी। जल और स्वच्छता के लिए सीसीडीयू का डब्ल्यूएसएसओ में विलय किया जाना था।	विभाग ने 2008 में आईईसी और एचआरडी जैसी सहायक गतिविधियों के लिए सीसीडीयू का गठन किया था, लेकिन इसे अभी भी (फरवरी 2018) डब्ल्यूएसएसओ के साथ विलय नहीं किया गया था। जवाब में, विभाग ने (फरवरी 2018 में) सूचित किया कि सीसीडीयू की सभी गतिविधियों को रोक दिया गया था क्योंकि गैर-सरकारी संगठनों (दिसंबर 2017) के चयन को लेकर विवाद था। यह कहा गया था (जनवरी 2019) कि वर्तमान में सीसीडीयू विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से आईईसी एवं संचार और क्षमता विकास गतिविधियों के लिए काम कर रहा है। विभाग द्वारा पानी की गुणवत्ता की निगरानी और चौकसी रखी जाती है

क्र. सं.	संस्थान तथा कार्य की प्रकृति	स्थिति
5.	राज्य तकनीकी एजेंसी (एसटीए)	
	प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान, राज्य तकनीकी एजेंसियाँ (एसटीए), पीएचई विभाग/ बोर्ड को ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के डिजाईन और योजना, हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर परामर्श और क्षेत्र स्तर पर समस्याओं की प्रतिपुष्ट हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने के रूप में नामित थे।	राज्य तकनीकी एजेंसी की स्थापना (फरवरी 2018 तक) नहीं की गई थी और इसकी स्थापना न करने के लिए विभाग ने डिजाईन, जांच तथा गुणवत्ता नियंत्रण निदेशालय जो डिजाईन की गुणवत्ता नियंत्रण और तकनीकी पुनरीक्षण को नियंत्रित करता है की उपलब्धता को न्यायसंगत ठहराया है। यह भी कहा गया (जनवरी 2019) था कि मेगा परियोजनाओं के लिए, विकास आयुक्त निर्माण द्वारा सभी डीपीआर का तकनीकी रूप से पुनरीक्षण किया जाता है।
6.	राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी)	
	राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) के साथ सचिव पीएचई विभाग/ ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के अध्यक्ष के रूप में, अभियंता प्रमुख, पीएचई/ ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के सदस्य सचिव के रूप में, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि, केंद्रीय भूजल बोर्ड, राज्य और केंद्रीय जल आयोग/ बोर्ड, राज्य तकनीकी एजेंसी (एसटीए), प्रतिष्ठित राज्य से तकनीकी विशेषज्ञ और/ या राष्ट्रीय संबंधित संस्थान, मुख्य अभियंता, योजना पीएचई विभाग/ ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, निदेशक, जल और स्वच्छता सहायता संगठन और नामित कोई अन्य सदस्य (आवश्यकता आधारित) राज्य सचिव, पीएचई विभाग द्वारा नामित। एसएलएसएससी भारत सरकार के साथ लक्ष्य की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी देने और अंतिम रूप देने के लिए है। एसएलएसएससी को प्रत्यायोजित शक्तियाँ इस शर्त के अंतर्गत हैं कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना था कि गहन निगरानी और मूल्यांकन की समुचित व्यवस्था है। भारत सरकार को नियमित रूप से धनराशि जारी करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार को पूर्ण और समय पर जानकारी प्रस्तुत करना था।	राज्य में पीएचई विभाग के सचिव एसएलएसएससी के अध्यक्ष के रूप में मौजूद थे, जिसने वार्षिक कार्य योजनाओं को मंजूरी दी थी। यद्यपि, कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, राज्य/ केंद्रीय जल आयोगों के किसी सदस्य या डब्ल्यूएसएसओ के निदेशक और एसटीए के प्रतिनिधि को एसएलएसएससी में शामिल नहीं किया गया था। विभाग ने (फरवरी 2018 में) आश्वासन दिया कि भविष्य में अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधियों पर भी विचार किया जाएगा।
7.	राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम)	
	राज्य को, मुख्य स्वास्थ्य सचिव, के जन स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग, ग्रामीण विकास (आरडी), पंचायती राज (पीआर), वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला तथा बाल विकास, जल संसाधन, कृषि, सूचना तथा जन-संपर्क (आईएंडपीआर) एक सदस्य के रूप में, प्रभारी सचिव के साथ मुख्य सचिव/ अपर मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त के नेतृत्व में एसडब्ल्यूएसएम (एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत) का गठन करना था। पीएचई विभाग का सचिव नोडल सचिव होगा। एसडब्ल्यूएसएम उन गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगा जिनमें नीति मार्गदर्शन, अभिसरण, निगरानी और मूल्यांकन, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करना और कार्यक्रम और सहायता निधि के लेखाओं को बनाए रखना शामिल है। एसडब्ल्यूएसएम को हर साल कम से कम दो बैठकें बुलानी होती हैं।	एसडब्ल्यूएसएम के मुख्य सचिव राज्य में इसके अध्यक्ष के रूप में मौजूद थे। यद्यपि, आवश्यक दस बैठकों के विपरीत, 2013-18 के दौरान केवल एक बैठक (दिसंबर 2013) हुई थी और विभाग ने कोरम की पूर्ण अनुपलब्धता के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया था।

(स्रोत: संयुक्त निदेशक, योजना, जम्मू और कश्मीर द्वारा प्रदत्त सूचना)

2.1.6.2 योजनाएं तैयार करना

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा-14 में राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक पंचवर्षीय पंचायत जल स्वच्छता कार्य योजना (सीडब्ल्यूएसएपी) और उस पर आधारित उप-लक्ष्यों को तैयार करके विस्तृत लक्ष्य के निर्धारण की परिकल्पना की गई है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के साथ आपसी परामर्श से कार्यक्रम को एक निश्चित दिशा देने और इसकी लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकताएं तय की जाएगी।

योजना को ग्राम जल स्वच्छता योजनाओं (वीडब्ल्यूएसपी) से तैयार किया जाना था और फिर संबंधित डिवीजनों द्वारा समेकित किया जाना था और अंत में एसएलएसएससी द्वारा अनुमोदन के लिए एसडब्ल्यूएसएम द्वारा राज्य स्तर पर तैयार किया जाना था।

यह देखा गया कि पांच साल के सीडब्ल्यूएसएपी (फरवरी 2018 तक) तैयार नहीं किए गए थे। हालांकि, वार्षिक कार्य योजनाएं ग्राम प्रतिनिधियों/ पीआरआई की भागीदारी के बिना डिवीजन के स्तर पर तैयार की गई थीं और प्रशासनिक विभाग द्वारा एसडब्ल्यूएसएम को शामिल किये बिना समेकित की गई थी।

विभाग ने (फरवरी 2018 में) स्वीकार किया कि पाँच वर्ष की व्यापक योजनाएँ तैयार नहीं की गईं, और वीडब्ल्यूएससी/ डीडब्ल्यूएसएम को शामिल किए बिना विभागीय स्तर पर वार्षिक कार्य योजनाएँ तैयार की गईं और एसएलएसएससी में चर्चा की गई। यह कहा गया (जनवरी 2019) था कि चूंकि पीआरआई का चयन पूरा हो चुका है, इसलिए मुख्य अभियंताओं को एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन में वीडब्ल्यूएससी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा। इस प्रकार, कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार सीडब्ल्यूएसएपी तैयार नहीं कर पाने के कारण अंततः ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्यों को अंतिम रूप देने के लिए राज्य द्वारा व्यापक लक्ष्य की स्थापना प्रभावित हुई।

2.1.6.3 जलापूर्ति योजनाओं का पुनरीक्षण

राज्य ने जम्मू और कश्मीर जल संसाधन (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम, 2010 को (जनवरी 2011 में) लागू किया, जिसमें परिकल्पित किया गया कि पीएचई विभाग द्वारा ली गई जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन से पहले जम्मू कश्मीर राज्य जल संसाधन नियामक प्राधिकरण (जेकेएसडब्ल्यूआरआरए) द्वारा पुनरीक्षण किया जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2013-18 के दौरान, पीएचई विभाग द्वारा तय कार्यक्रमों के तहत क्रियान्वित की गई 247 नई योजनाओं में से, केवल

53 (21 प्रतिशत) को जेकेएसडब्ल्यूआरआरए को संदर्भित किया गया था, जिसके विपरीत पाँच योजनाओं को मंजूरी दी गई थी और 48 योजनाओं को डीपीआर संलग्न जांच सूची, स्रोत की जानकारी, उपलब्ध पानी की गुणवत्ता, सुरक्षा और पर्यावरण के उपायों में कमियों के कारण लौटा दिया गया था। विभाग ने कमियों को दूर करने की अपेक्षा, जेकेएसडब्ल्यूआरआरए से अनुमोदन लिए बिना सभी योजनाओं को क्रियान्वित किया। इन 48 डब्ल्यूएसएस में से, 40 नमूना डिवीजनों में थी और जो मार्च 2018 के अंत तक चल रहे थी।

विभाग ने (जनवरी 2018 में) कहा कि संबंधित मुख्य अभियंताओं को सभी नई योजनाओं को उनके वास्तविक क्रियान्वयन से पहले जेकेएसडब्ल्यूआरआरए द्वारा पुनरीक्षण के लिए आगे प्रेषित करने के लिए कहा जाएगा। सचिव, जेकेएसडब्ल्यूआरआरए ने (अप्रैल 2019 में) कहा कि अक्टूबर 2015 से नवंबर 2017 के बीच कोई प्राधिकारी नहीं था और उस अवधि से संबंधित योजनाओं के लिए इकाईयों को निर्देश दिया गया था कि एक विशेष मामले के रूप में एक उपयुक्त कैबिनेट के माध्यम से सरकार से संपर्क कर एकल अपवाद के रूप में अनुमोदित कर दिया जाए। सरकार ने (जनवरी 2019 में) कहा कि क्रियान्वयन डिवीजनों को निर्देश दिया जाएगा कि 2018-19 से जेकेएसडब्ल्यूआरआरए द्वारा पुनरीक्षण के बिना एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत कोई भी योजना न ली जाए।

2.1.7 वित्तीय प्रबंधन

कार्यक्रम दिशानिर्देशों का पैरा 9.3 (ii) कवरेज, पानी की गुणवत्ता, संचालन और रखरखाव लागत जैसी कुछ गतिविधियों पर भारत सरकार से 90 प्रतिशत वित्त पोषण की प्राप्ति के लिए प्रावधान करता है। भारत सरकार को स्थिरता, डीडीपी क्षेत्रों, सहायक गतिविधियों और डब्ल्यूक्यूएमएंडएस जैसे घटकों पर 100 प्रतिशत धन उपलब्ध कराना था। भारत सरकार ने 2013-14 तक एसडब्ल्यूएसएम को सीधे और उसके बाद राज्य के बजट के माध्यम से धन जारी किया। 2013-18 के दौरान कार्यक्रम और व्यय के तहत भारत सरकार/ राज्य द्वारा जारी की गई धनराशि की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका-2.1.2: निधि प्रवाह

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आदि शेष	जारी की गई निधि		ब्याज	कुल उपलब्धता	व्यय (कुल उपलब्धता के प्रतिशत के रूप में)	अंत शेष
		केन्द्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा				
2013-14	115.92 ¹⁰	414.82	59.55	0.00	590.29	537.57 (91)	52.72
2014-15	54.73	474.41	53.83	7.13	590.10	513.46 (87)	76.64
2015-16	76.64	192.12	45.46	2.60	316.82	270.91 (86)	45.91
2016-17	45.91	225.14	56.85	0.00	327.90	286.18 (87)	41.72
2017-18	47.05	325.33	51.02	0.00	423.40	396.79 (94)	26.61
कुल		1,631.82	266.71	9.73		2,004.91	

(स्रोत: प्रशासनिक विभाग के वित्तीय विवरण)

2013-14 से 2017-18 के दौरान निधि का उपयोग 86 और 94 प्रतिशत के बीच रहा।

विगत वर्षों के अंतशेष, की तुलना में 1 अप्रैल 2014 और 1 अप्रैल 2017 को आदि शेष में ₹2.01 करोड़ और ₹5.33 करोड़ का अंतर था, जो विभाग द्वारा एनआरडीडब्ल्यूपी निधि पर विभिन्न डिवीजनों से प्राप्त ब्याज के साथ-साथ बैंक के साथ पुनः मिलान के बाद ब्याज राशि को शामिल करने के कारण था।

2014-17 के दौरान भारत सरकार द्वारा आवंटित धनराशि ₹474.41 करोड़ (2014-15) से ₹192.12 करोड़ (2015-16) और ₹225.14 करोड़ (2016-17) घटती प्रवृत्ति की थी। 2017-18 के आरंभ में, 873 चल रही जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि ₹1,586.47 करोड़ थी, जिसके विपरीत केवल ₹281.45 करोड़¹¹ प्रदान किए गए थे और शेष ₹1,305.02 करोड़ जारी नहीं किए गए, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

¹⁰ विभाग द्वारा सूचित मार्च 2013 तक अंतशेष जो 2014 के सीएजी प्रतिवेदन संख्या 2 के पैरा 2.2.8 में परिलक्षित हुआ, वह ₹137.23 करोड़ था। हालाँकि, विभाग ने अब सूचित किया है कि 1 अप्रैल 2013 को शेष राशि ₹115.92 करोड़ है। बदलाव के कारण (जनवरी 2019 तक) प्रतीक्षित थे

¹¹ ₹277.23 करोड़ की अल्प फंडिंग योजनाओं और ₹4.22 करोड़ की वित्तीय रूप से पूर्ण परंतु शुरू नहीं की गई योजनाओं को शामिल किया गया

तालिका-2.1.3: अपूर्ण योजनाओं में निधि आवश्यकता दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

शुरूआत होने का वर्ष	मार्च 2017 के अंत तक अधूरी डब्ल्यूएसएस				अल्प वित्तपोषण प्रदान किया (2017-18)			शून्य वित्तपोषण		वित्तीय रूप से पूर्ण लेकिन शुरू नहीं की गई	
	योजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	संचयी व्यय मार्च 2017	1 अप्रैल 2017 तक अपेक्षित शेष लागत	योजनाओं की संख्या	अपेक्षित निधि	जारी की गई निधि	योजनाओं की संख्या	अपेक्षित निधि	योजनाओं की संख्या	2017-18 के दौरान जारी निधि
2000-01	1	369.80	240.12	129.68	1	129.68	28.00	0	0	0	0
2002-03	1	466.51	142.32	324.19	1	324.19	93.71	0	0	0	0
2003-04	22	7,007.13	4,253.59	2,753.54	19	2,735.69	484.49	2	0.92	1	16.93
2004-05	1	299.13	2.00	297.13	1	297.13	15.25	0	0	0	0
2005-06	3	699.23	401.96	297.27	3	297.27	76.36	0	0	0	0
2006-07	58	16,748.70	10,087.37	6,661.33	53	6,615.53	1,654.78	1	0.23	4	45.57
2007-08	33	13,158.61	5,242.70	7,915.91	31	7,873.89	1,171.70	0	0	2	42.02
2008-09	29	8,786.20	3,996.96	4,789.24	21	4,286.41	1,005.80	4	491.15	4	11.68
2009-10	39	9,544.91	4,140.13	5,404.78	34	5,177.61	934.70	2	202.50	3	24.67
2010-11	62	12,544.32	6,017.16	6,527.16	58	6,389.98	1,429.03	4	137.18	0	0
2011-12	211	49,754.65	17,115.51	32,639.14	205	32,564.26	6,270.61	4	1.02	2	73.86
2012-13	234	63,330.39	14,527.24	48,803.15	227	48,413.82	8,113.33	5	182.26	2	207.07
2013-14	154	45,921.90	8,104.99	37,816.91	153	37,805.66	5,315.52	1	11.25	0	0
2014-15	15	5,696.97	1,648.80	4,048.17	15	4,048.17	1,046.64	0	0	0	0
2015-16	10	509.59	270.35	239.24	10	239.24	83.01	0	0	0	0
कुल	873	2,34,838.04	76,191.20	1,58,646.84	832	15,71,98.53	27,722.93	23	1,026.51	18	421.80

(स्रोत: जम्मू और कश्मीर प्रांत के दो मुख्य अभियन्ताओं द्वारा प्रदत्त सूचना)

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, 2000-01 से 2015-16 के दौरान ₹2,348.38 करोड़ की अनुमानित लागत पर क्रियान्वित की जाने वाली 873 जलापूर्ति योजनाएं अल्प निधि प्रदान करने (832)/ निधि प्रदान न करने (23) के कारण मार्च 2018 तक अधूरी रही। 18 योजनाओं के संबंध में, हालांकि संपूर्ण धनराशि जारी कर दी गई थी और योजनाओं को वित्तीय रूप से पूरा दिखाया गया, लेकिन अभी तक विभाग द्वारा शुरू नहीं की गई थी।

वित्तीय बाधाओं और संसाधन विवाद, संशोधित डीपीआर को अंतिम रूप न देने, वन विभाग से मंजूरी प्राप्त न करने, भूमि विवाद आदि जैसे के कारण योजनाओं को पूरा नहीं किया जा सका है जैसा कि विस्तृत जांच हेतु लिए गए मामलों के संबंध में पैरा संख्या 2.1.8.10 में टिप्पणी की गई है।

2.1.7.1 निधि की प्राप्ति और जारी करने की निगरानी के रिकार्ड अनुरक्षित न करना

योजना दिशानिर्देशों का पैरा 16.9 यह प्रावधान करता है कि लेखांकन प्रणाली राज्य द्वारा अपनाई गई उत्तम तरीके से स्थापित लोक निर्माण लेखांकन प्रणाली पर आधारित होगी। इसलिए, निधि के उचित लेखांकन के लिए, प्रशासनिक विभाग/

एसडब्ल्यूएसएम और मुख्य अभियंताओं द्वारा जारी की गई निधि (केंद्र के हिस्से/राज्य के हिस्से) का विवरण रखना आवश्यक था, जिससे प्राप्तियों और निधियों की उपलब्धता और जारी होने की सच्ची और सही स्थिति का पता लगाया जा सके।

हालाँकि, यह देखा गया (अगस्त 2018) था कि, निधि प्राप्ति और आगे जारी करने के लिए न तो प्रशासनिक विभाग/ एसडब्ल्यूएसएम द्वारा और न ही मुख्य अभियंताओं द्वारा, कैश बुक का रखरखाव किया था जिसके कारण योजना के अंतर्गत प्राप्तियों और जारी धनराशि की स्थिति का पता लगाना मुश्किल था।

विभाग ने (फरवरी 2018 में) उत्तर दिया कि चूंकि एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) के माध्यम से जारी धनराशि को ऑनलाइन देखा गया था, इस प्रकार कैश बुक का रखरखाव नहीं किया गया था; हालाँकि, यह आश्वासन दिया गया था कि अब से उसे बनाए रखा जाएगा। (जनवरी 2019) में सरकार ने कहा कि 2018-19 से लेखों को ठीक से रखा जा रहा है और पुराने रिकॉर्ड महालेखाकार (एएंडई) और बैंक के साथ मिलान के बाद तैयार किए जाएंगे।

2.1.7.2 राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की निधियों को जारी करने में विलंब

योजना के दिशानिर्देशों का पैरा 17 (एस) राज्य को केंद्रीय आवंटन की पूरी राशि को एजेंसियों के लिए अपने हिस्से के अनुसार बिना किसी भी विलंब के मामले में इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर जारी करने का प्रावधान करता है। इसके अलावा, निधि जारी करने के लिए भारत सरकार के स्वीकृत आदेशों के साथ संलग्न शर्तों के अनुसार, राज्य को निर्देशित किया गया था कि निर्धारित अवधि से अधिक विलंब की स्थिति में 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से पैनल ब्याज संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों को निधि की मूल राशि के साथ हस्तांतरित किया जाए। निधि को विलंब से जारी करने की स्थिति को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1.4: निधि को जारी करने में विलंब का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	भारत सरकार से वित्त विभाग को प्राप्त	एसडब्ल्यूएसएम को जारी की गई	रोकी गई राशि	निधि जारी करने में विलंब		
	राशि	राशि	राशि	राशि	दिनों में विलंब	प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से वित्त विभाग द्वारा देय ब्याज
2014-15	47,440.94	45,440.94	2,000.00	44,460.22	7 से 34	2
2015-16	19,211.61	20,981.39	230.22	20,981.39	14 से 67	279.50
2016-17	22,513.56	22,694.43	49.35	21,745.22	10 से 33	116.91
कुल				87,186.83		821.65

(स्रोत: प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)

रिकार्डों की (फरवरी 2018 में) जांच से पता चला कि भारत सरकार द्वारा दो किश्तों में (जुलाई और अक्टूबर 2015) ₹49.35 लाख की राशि जारी की गई थी, लेकिन राज्य वित्त विभाग द्वारा एसडब्ल्यूएसएम को केंद्रीय हिस्सा फरवरी 2018 तक जारी नहीं किया गया था। इसके अलावा, 2014-17 के दौरान एसडब्ल्यूएसएम/ प्रशासनिक विभागों को राज्य वित्त विभाग (एफडी) द्वारा प्राप्त ₹871.87 करोड़ की राशि को जारी करने में 7 से 67 दिनों के बीच की देरी हुई। लेखापरीक्षा में पता चला कि वित्त विभाग द्वारा निधि (2014-17 के दौरान) को रोकने के कारण ₹8.22 करोड़ का पैन्ल ब्याज, लागू करने वाली एजेंसियों को हस्तांतरित नहीं किया गया (दिसंबर 2018) था। पीएचई विभाग/ एसडब्ल्यूएसएम ने न तो वित्त विभाग के साथ निधि को रोकने का मुद्दा उठाया था और न ही इस कारण हुए विलंब के लिए किसी ब्याज का दावा किया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद, सहायक निदेशक, नियोजन ने (दिसंबर 2018 में) कहा कि ब्याज के मामले को राज्य के वित्त विभाग के साथ उठाया गया है। सरकार ने कहा (जनवरी 2019) कि कुछ मामलों में देरी प्रक्रियागत रुकावटों के कारण हुई थी और वित्त विभाग के साथ बैठकों में इस पर चर्चा की जाएगी।

2.1.7.3 राज्य का कम हिस्सा जारी किया जाना

प्रशासनिक विभाग/ एसडब्ल्यूएसएम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने 2013-18 के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत ₹1,631.82 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा और ₹266.71 करोड़ का राज्य हिस्सा जारी किया। शीर्ष स्तर पर राज्य का देय हिस्सा लेखों के रखरखाव न होने के कारण नहीं निकाला जा सका। दो मुख्य अभियंता कार्यालयों में, यह देखा गया कि 2013-18 के दौरान केंद्रीय हिस्से के रूप में प्राप्त ₹1,346.78 करोड़¹² की राशि के प्रति, अनुपातिक रूप में राज्य का हिस्सा ₹149.64 करोड़ बनता था। हालांकि, दो मुख्य अभियंताओं द्वारा केवल ₹121.86 करोड़ प्राप्त किए गए थे, परिणामस्वरूप राज्य स्तर पर ₹27.78 करोड़ कम जारी किए गए। 18 में से 12 नमूना जांच डिवीजनों में, देय ₹41.28¹³ करोड़

¹² योजना के घटकों के लिए भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत और राज्य की 10 प्रतिशत धनराशि शामिल है

¹³ (i) सिटी-I जम्मू: ₹0.97 करोड़; (ii) सिटी-II जम्मू: ₹0.53 करोड़; (iii) ग्रामीण जम्मू: ₹3.84 करोड़; (iv) अखनूर: ₹4.45 करोड़; (v); कठुआ: ₹4.20 करोड़; (vi) राजौरी: ₹1.66 करोड़; (vii) नौशेरा: ₹4.59 करोड़; (viii) बारामूला: ₹3.87 करोड़; (ix) सोपोर: ₹3.82 करोड़; (x) बिजेबेहरा: ₹3.07 करोड़; (xi) अवन्तिपुरा: ₹1.85 करोड़ तथा (xii) पुलवामा: ₹8.43 करोड़

की राज्य हिस्सेदारी के प्रति, इन डिवीजनों द्वारा केवल ₹2.28 करोड़¹⁴ प्राप्त किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹39 करोड़ कम जारी किए गए।

मुख्य अभियंता, जम्मू के रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा जांच से पता चला है कि 2013-16 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा दर्शाए गए एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत राज्य के हिस्से के अनुसार ₹9.85 करोड़,¹⁵ राज्य के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) बजट के प्रति वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए राज्य के हिस्से के रूप में सरकार द्वारा जारी किए गए। इन निधियों का उपयोग अनुमोदित एनआरडीडब्ल्यूपी योजना के प्रति नहीं किया गया था और जैसा कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्रीय हिस्से के प्रति राज्य के हिस्से का मिलान नहीं किया जा सकता। मुख्य अभियंता, जम्मू ने (अगस्त 2018 में) बताया कि हैंड पंपों की ड्रिलिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले कैपेक्स बजट को राज्य के हिस्से के रूप में प्रयोग किया गया था। यह भी कहा गया कि 2016 के बाद से, राज्य के समान हिस्से के प्रति उससे 10 प्रतिशत से अधिक प्राप्त हुआ है, जिससे चल रही विभिन्न योजनाओं को प्रोत्साहन मिला है। सरकार ने (जनवरी 2019 में) कहा कि कुछ अवधि के दौरान राज्य के हिस्से को जारी करने में कमी संसाधन की कमी के कारण थी; हालांकि, अब बजटीय आवंटन के अनुसार, अनुपातिक हिस्सेदारी जारी की जा रही है।

सिफारिश: सरकार, भारत सरकार से प्राप्त निधि को समय पर जारी करना सुनिश्चित कर सकती है और क्रियान्वयन एजेंसियों को राज्य का अनुपातिक हिस्सा भी जारी कर सकती है।

2.1.7.4 व्यय न किये जाने के कारण केंद्रीय सहायता जारी न करना

योजना दिशानिर्देशों के पैरा 17 में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, विभिन्न घटकों के अंतर्गत आवंटन को भारत सरकार द्वारा राज्यों को सूचित किया जाएगा। राज्यों को घटकों को उस सीमा तक इंगित करना आवश्यक होगा, जिस सीमा तक वे धन का लाभ उठाना चाहते हैं। हालांकि, एक बार आवंटन हो जाने के बाद, राज्यों के पास उपलब्ध आदि शेष को ध्यान में रखते हुए योजना निधि के अंतर्गत आवंटन के 50 प्रतिशत की पहली किस्त जारी की जाएगी। सहायता निधि जो 100 प्रतिशत सहायता अनुदान है, उसे भी दो किस्तों में जारी किया जाएगा। पिछले वर्ष में जारी 10 प्रतिशत से अधिक की शेष राशि को पहली किस्त में जमा किया जाएगा। पहली किस्त का शेष, उपलब्ध धन के 60 प्रतिशत के उपयोग किये जाने पर जारी किया जाएगा।

¹⁴ (i) सिटी-I जम्मू: शून्य; (ii) सिटी-II जम्मू: शून्य; (iii) ग्रामीण जम्मू: शून्य; (iv) अखनूर: शून्य (v) कठुआ: शून्य; (vi) राजौरी: शून्य; (vii) नौशेरा: ₹1.30 करोड़; (viii) बारामूला: ₹0.28 करोड़; (ix) सोपोर: शून्य; (x) बिजेबेहरा: ₹0.70 करोड़; (xi) अवंतिपुरा: शून्य तथा (xii) पुलवामा: शून्य

¹⁵ 2013-14: ₹3.35 करोड़; 2014-15: ₹3.25 करोड़ तथा 2015-16: ₹3.25 करोड़

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पिछले वर्ष जारी दस प्रतिशत से अधिक का आदि शेष केवल सहायक गतिविधि और डब्ल्यूक्यूएमएंडएस घटकों के तहत 2012-13 से 2016-17 के दौरान था और प्रत्येक वर्ष के अंत में जारी निधि का व्यय न किया गया बकाया 26 से 96 प्रतिशत के बीच में था।

सहायक गतिविधि (₹89.52 करोड़) और डब्ल्यूक्यूएमएंडएस (₹53.71 करोड़) घटकों के लिए ₹143.23 करोड़ के आवंटन के प्रति, भारत सरकार ने 2013-14 से 2016-17 के दौरान केवल ₹48.94 करोड़ जारी किए और कम व्यय होने के कारण ₹94.29 करोड़ जारी नहीं किए।

संयुक्त निदेशक (योजना), पीएचई विभाग ने (फरवरी 2018 में) कहा कि चूंकि मामला विचाराधीन होने के कारण गतिविधियों को रोक दिया गया था, इस प्रकार इन शीर्षों के तहत कम व्यय के कारण कम निधि जारी की गई। हालांकि, सहायक निदेशक (नियोजन) पीएचई विभाग ने (दिसंबर 2018 में) कहा कि गैर-सरकारी संगठनों द्वारा क्षेत्रों के आवंटन के संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन के कारण प्रशासनिक विभाग द्वारा कुछ समय के लिए गतिविधियों को रोक दिया गया था और गैर-सरकारी संगठनों के विनियोजन नहीं होने के कारण उसमें कमी थी। सरकार ने (जनवरी 2019 में) कहा कि संचार और क्षमता विकास इकाई (सीसीडीयू) जो अब सक्रिय हो गए हैं, द्वारा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से सहायक गतिविधियों का निष्पादन न किए जाने के कारण, व्यय न की गई शेष राशि को उपलब्धता के स्तर तक व्यय किया जाएगा।

2.1.7.5 व्यय की गलत रिपोर्टिंग करना

मुख्य अभियंता (पीएचई) जम्मू के कार्यालय में उपलब्ध वार्षिक भौतिक और वित्तीय विवरणों की तुलना से पता चलता है कि (तीन नमूना डिवीजनों सहित) 10 पीएचई डिवीजनों¹⁶ में निष्पादित 28 जल आपूर्ति योजनाओं में संचयी व्यय को बाद के वर्षों में एसडब्ल्यूएसएम के लिए गलत व्यय के रूप में दर्शाते हुए कम बताया गया था। संचयी शेष की गलत रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप इन योजनाओं की अनुमानित लागत के प्रति, ₹1.10 करोड़ अधिक जारी किए गए। 28 योजनाओं में से, नौ योजनाओं¹⁷ को ₹35.94 लाख की अतिरिक्त लागत के साथ पूरा किया गया था। हालांकि अनुमानों से अधिक, शेष 19 योजनाओं पर ₹74 लाख खर्च किए गए थे, फिर भी योजनाएं वास्तविक रूप से (मार्च 2018 तक) अधूरी थीं ।

¹⁶ (i) सिटी-II जम्मू:1; (ii) कठुआ:13; (iii) उधमपुर:2; (iv) रियासी:1; (v) माहोर:1; (vi) रामबन:06; (vii) किशतवाड़:1; (viii) डोडा: 1; (ix) गंदोह: 1 और (x) नौशेरा: 1

¹⁷ (i) डब्ल्यूएसएस डोमर (ii) डब्ल्यूएसएस न्याली (धामलर), (iii) डब्ल्यूएसएस खालेद, (iv) डब्ल्यूएसएस भुलेरियां, (v) डब्ल्यूएसएस चिल्ला, (vi) डब्ल्यू एसएस बंगाकोट, (vii) डब्ल्यूएसएस सवानी, (viii) डब्ल्यूएसएस चंद्रकोट फेज़-II और (ix) डब्ल्यूएसएस बरयारी, संगलदान

मुख्य अभियंता पीएचई, जम्मू ने (जनवरी 2019 में) कहा कि विभिन्न डिवीजनों द्वारा आईएमआईएस पर व्यय के दोहरे अपलोडिंग के कारण अतिरिक्त व्यय हो सकता है जो कि एक बार भारत सरकार को सूचित करने के बाद सुधारा नहीं जा सकता। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि विभाग द्वारा अतिरिक्त व्यय के कारणों की जांच नहीं की गई थी और आईएमआईएस में व्यय की सही रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए मामले को सुधारने के लिए भारत सरकार के साथ नहीं लिया गया था। (जनवरी 2019) में सरकार ने कहा कि मुख्य अभियंता पीएचई जम्मू से व्यय की गलत रिपोर्टिंग के बारे में विस्तृत जवाब मांगा जा रहा है। वर्तमान तिथि (सितंबर 2019) तक विभाग द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2.1.7.6 प्रोत्साहन राशि प्राप्त न करना

कार्यक्रम दिशानिर्देशों का पैरा 9.6 राज्यों को सुधार लाने और पीने वाले जल की आपूर्ति के विकेन्द्रीकरण, ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं (डब्ल्यूएसएस) के प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए ग्राम पंचायतों/ ग्रामीण आबादी को प्रोत्साहित करने हेतु राज्यों को धन के आवंटन में 10 प्रतिशत वरीयता प्रदान करने का प्रावधान करता है।

विभाग ने न तो डब्ल्यूएसएस के वास्तविक कार्यों को पीआरआई को हस्तांतरित किया और न ही पंचायत राज संस्थानों (पीआरआई) को वित्तीय शक्तियां प्रदान की थीं, जिसके परिणामस्वरूप 2012-15 के दौरान जारी किए गए ₹145.55 करोड़ पर राज्य 10 प्रतिशत प्रोत्साहन¹⁸ राशि का लाभ नहीं उठा सका।

प्रशासनिक विभाग ने योजनाओं को लेने के लिए पीआरआई की लचर प्रतिक्रिया को पूर्ण जलापूर्ति योजनाओं को न संभालने के लिए जिम्मेदार ठहराया (सितंबर 2018)। सरकार ने (जनवरी 2019 में) कहा कि जैसे ही वित्तीय शक्तियां पीआरआई को प्रदान की जाएगी, प्रोत्साहन के लिए, दावा किया जाएगा। सितंबर 2019 तक उन्हें सौंपा नहीं गया था।

2.1.7.7 बैंक-ब्याज का लेखा-जोखा

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 16 (10) में यह प्रावधान है कि एनआरडीडब्ल्यूपी निधि पर अर्जित ब्याज को कार्यक्रम की निधि में शामिल किया जाएगा और संबंधित वर्ष के उपयोग प्रमाणपत्र में उल्लेख किया जाएगा।

¹⁸ ₹1,455.48 करोड़ जो 2012-15 (2012-13: ₹566.25 करोड़; 2013-14: ₹414.82 करोड़ तथा 2014-15: ₹474.41 करोड़) के दौरान जारी हुए थे इसका 10 प्रतिशत = ₹145.55 करोड़

प्रशासनिक विभाग और छह¹⁹ नमूना डिवीजनों के रिकॉर्ड की जांच से पता चला है कि 2013-14 से 2017-18 के दौरान कुल उपलब्ध निधि में से, कार्यक्रम और सहायक निधियों पर अर्जित ₹1.74 करोड़²⁰ का अर्जित ब्याज लेखाबही/ खातों में लेखाबद्ध नहीं था। जबकि विभागीय अधिकारियों ने (मार्च/ जुलाई 2018 में) भविष्य में कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट में ब्याज को शामिल करने का आश्वासन दिया, प्रशासनिक विभाग ने (फरवरी 2018 में) सूचित किया कि ब्याज को उपयोगिता प्रमाणपत्र में लेखाबद्ध किया गया है। तथ्य यह है कि इन वर्षों के दौरान, कार्यक्रम के तहत निधि जारी करने के लिए राज्य के साथ उपलब्ध निधि को ध्यान में रखने हुए, भारत सरकार को अर्जित ब्याज के बारे में वास्तव में सही ढंग से सूचित नहीं किया गया था। सरकार ने (जनवरी 2019 में) कहा कि एनआरडीडब्ल्यूपी (नवंबर 2017) के पुनर्गठन के बाद वर्षों से अर्जित ब्याज को लेखाबद्ध किया गया है और वर्तमान में सनदी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा की जा रही है।

2.1.8 कार्यक्रम का क्रियान्वयन

2.1.8.1 बस्तियों का कवरेज

कार्यक्रम दिशानिर्देश के पैरा 14(क) में प्रावधान है कि वार्षिक कार्य योजनाओं में निम्नलिखित पहलुओं को इंगित करना चाहिए:

- वर्ष के लिए शून्य प्रतिशत, 0-25 प्रतिशत, 50-75 प्रतिशत और 75-100 प्रतिशत जल आपूर्ति वाले आवास और वे आवास जहाँ पर पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित हुई थी, को कवर करने का लक्ष्य।
- 0-25 प्रतिशत और 25-50 प्रतिशत आबादी वाली बस्तियों को कवर करने हेतु प्राथमिकता दी जानी थी।
- अधूरे कामों को नए काम पर प्राथमिकता दी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शुरु किए गए कार्यों को अनुसूची के अनुसार पूरा किया जाए और क्रियान्वयन में कोई देरी न हो, ताकि लागत में वृद्धि न हो और सृजित परिसंपत्ति उपयोग किए बिना ही रह जाए। 2013-14 से 2017-18 के दौरान स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आवासों को कवर करने का लक्ष्य और उपलब्धियां तालिका-2.1.5 और चार्ट 2.1.3 में दर्शाई गई हैं।

¹⁹ (i) प्रशासनिक विभाग: ₹116.42 लाख; (ii) सिटी-I जम्मू: ₹4.70 लाख; (iii) सिटी-II जम्मू: ₹2.58 लाख; (iv) कठुआ: ₹17.06 लाख; (v) लेह: ₹25.84 लाख; (vi) राजौरी: ₹3.29 लाख; (vii) ग्रामीण जम्मू: ₹4.35 लाख

²⁰ 2013-14: ₹34.32 लाख; 2014-15: ₹9.33 लाख; 2015-16: ₹59.35 लाख; 2016-17: ₹60.91 लाख; 2017-18: ₹10.33 लाख

तालिका- 2.1.5: स्वच्छ पेयजल के लिए आवासों को कवर करने का लक्ष्य और उपलब्धियां


वर्ष	कवर नहीं की हुई और आंशिक रूप से ²¹ कवर की गई बस्तियाँ (यू एंड पीसीएच)	आबादी को कवर करने के साथ स्वच्छ पेय जल उपलब्ध करवाने के लिए बस्तियों की संख्या												कुल योग	
		जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियाँ		0 और <25 प्रतिशत		25 और <50 प्रतिशत		50 और <75 प्रतिशत		75 और <100 प्रतिशत		कवरेज 100 प्रतिशत		लक्ष्य (यूएंडपीसीएच का प्रतिशत)	उपलब्धि
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि		
2013-14	15613	0	0	27	19	503	412	69	53	82	81	282	336	963 (6)	901
2014-15	15798	10	2	32	30	147	124	448	380	75	44	91	62	803 (5)	642
2015-16	15798	4	3	12	7	54	30	216	153	48	27	39	13	373 (2)	233
2016-17	15958	4	3	14	9	52	35	226	156	41	30	54	27	391 (2)	260
2017-18	15958	12	1	9	7	52	52	212	204	29	29	41	29	355 (2)	322
कुल		30	9	94	72	808	653	1,171	946	275	211	507	467	2,885 (18)	2,358
2013-18 के दौरान समय लक्षित बस्तियाँ प्रतिशत के रूप में		1		3		28		41		9		18			

(स्रोत: जम्मू और कश्मीर प्रांत के दो मुख्य अभियंताओं द्वारा प्रदत्त दस्तावेज)

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है कि कवर नहीं की हुई/ आंशिक रूप से कवर की गई बस्तियां 15,613 (2013-14) से बढ़कर 15,958 (2017-18) हो गईं। 2013-18 के दौरान, तय लक्ष्य 2,885 बस्तियों के प्रति, केवल 2,358 बस्तियों को कवर किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप 527 बस्तियों के कवरेज में कमी हुई। कवर की जाने वाली लक्षित बस्तियों की संख्या में लगातार गिरावट आई और 2013-14 से 2017-18 के दौरान कवर न की हुई बस्तियों और आंशिक रूप से कवर की हुई बस्तियों के लिए लगभग 2 से 6 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 0-25 और 25-50 प्रतिशत के बीच की आबादी वाली बस्तियों को कवरेज की प्राथमिकता नहीं दी गई। 2013-18 के दौरान कुल लक्षित 2,885 बस्तियों में से, 0-25 प्रतिशत आबादी वाली केवल तीन प्रतिशत (94 बस्तियों) को कवर करने का लक्ष्य रखा गया। 50 प्रतिशत से कम कवरेज और पानी की गुणवत्ता से प्रभावित होने वाली बस्तियों के निर्धारित लक्ष्यों का केवल 32 प्रतिशत का लेखांकन किया गया। मुख्य अभियंता, पीएचई जम्मू ने (अगस्त 2018 में) भारत सरकार द्वारा निधियों की कटौती को लक्ष्यों में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। मुख्य अभियंता, कश्मीर ने (सितंबर 2018 में) कहा कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा (दिसंबर 2016 में) पूर्ण रूप से प्रतिबंध के कारण, पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रियान्वयन के लिए कोई नई योजना नहीं तैयार कर ली गई थी।

²¹ जल आपूर्ति योजनाएँ जो पूर्णतः पूरी नहीं हुईं लेकिन कुछ बस्तियों को पानी मुहैया करा रही हैं।

चार्ट-2.1.3: श्रेणी वार बस्तियों का कवरेज



बस्तियों की श्रेणी

2.1.8.2 जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन

भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी की गई नियमावली के अनुसार डीपीआर तैयार करने से जल आपूर्ति योजनाओं को शुरू करने तक अधिकतम तीन वर्ष²² का समय दिया गया। आरंभ की गई, पूर्ण की जाने वाली योजनाओं और अपूर्ण योजनाओं की वर्ष-वार स्थिति को नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका-2.1.6: राज्य के संबंध में जल आपूर्ति योजनाओं के लक्ष्य और उपलब्धियाँ

वर्ष	आरंभ की गई योजनाओं की संख्या			योजनाओं की पूर्णता के लिए लक्ष्य और उपलब्धियाँ			वर्ष के अंत में अधूरी परियोजनाएँ	कमी के कारण वंचित आबादी
	स्पिल ओवर योजनाएँ	नई	कुल	लक्षित	पूर्ण	कमी		
	1	2	3	4	5	6	7=(3-5)	8
समग्र राज्य में								
2013-14	1,305	217	1,522	163	118	45	1,404	1,04,560
2014-15	1,404	18	1,422	281	203	78	1,219	1,27,308
2015-16	1,219	12	1,231	214	64	150	1,167	1,89,317
2016-17	1,167	0	1,167	210	116	94	1,051	52,930
2017-18	1,051	0	1,051	199	178	21	873	92,397
कुल		247		1,067	679	388		5,66,512
					(64 प्रतिशत)	(36 प्रतिशत)		

(स्रोत: जम्मू और कश्मीर प्रांत के दो मुख्य अभियंताओं द्वारा प्रदत्त सूचना)

2013-14 के आरंभ में 1305 स्पिलओवर योजनाएँ थीं। पुरानी अधूरी योजनाओं के बावजूद, 2013-16 के दौरान विभाग ने 247 नई जलापूर्ति योजनाएँ शुरू कीं। हालांकि, 2016-17 और 2017-18 के दौरान कोई नई योजनाएँ नहीं ली गईं। कुल 1,552 योजनाओं में से, 679 योजनाएँ ही पूरी हो सकीं और मार्च 2018 तक 873 योजनाएँ अपूर्ण थीं जिसमें 2013-14 से पूर्व ली गई 694 योजनाएँ शामिल हैं। केवल 64 प्रतिशत लक्षित योजनाएँ पूरी हुई हैं। 388 (36 प्रतिशत) पूरी न होने वाली लक्षित योजनाओं की अपूर्णता ने 5.67 लाख व्यक्तियों को पीने योग्य पानी उपलब्ध

²² मिनी-पाइप योजनाओं के लिए एक वर्ष, स्टैंडअलोन जलापूर्ति योजनाओं के लिए एक से दो वर्ष और बहु ग्राम जलापूर्ति योजनाओं के लिए दो से तीन वर्ष


कराने की प्रक्रिया को प्रभावित किया। नीचे दी गई तालिका 2.1.7 और चार्ट 2.1.4 में अपूर्ण योजनाओं की वर्ष-वार स्थिति को दर्शाया गया है।

तालिका-2.1.7: मार्च 2018 की समाप्ति तक अपूर्ण योजनाओं का वर्ष-वार वर्गीकरण

वर्ष	जम्मू और कश्मीर में एनआरडब्ल्यूपी के तहत जलापूर्ति योजनाओं का वर्ष वार लक्ष्य और उपलब्धि															मार्च 2018 के अंत में स्थित ओवर योजनाएँ
	2013-14			2014-15			2015-16			2016-17			2017-18			
	अपूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	अपूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	अपूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	अपूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	अपूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	
2000-01	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
2002-03	5	1	1	4	3	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
2003-04	64	12	10	54	15	11	43	18	6	37	12	8	29	9	7	22
2004-05	3	0	0	3	2	2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2005-06	13	6	5	8	3	2	6	2	1	5	1	1	4	1	1	3
2006-07	136	28	18	118	44	34	84	16	3	81	18	10	71	15	13	58
2007-08	107	24	19	88	43	29	59	27	7	52	18	4	48	28	15	33
2008-09	99	11	8	91	27	16	75	36	8	67	37	15	52	23	23	29
कुल 2009 तक (प्रतिशत)	428 (28)	82 (19)	61 (26)	367 (37)	137 (37)	97 (22)	270 (37)	100 (37)	25 (21)	245 (36)	87 (38)	38 (20)	207 (77 (37))	77 (37)	59 (17)	148 (17)
2009-10	108	17	12	96	37	30	66	21	3	63	23	5	58	19	19	39
2010-11	160	33	25	135	36	29	106	28	7	99	26	14	85	24	23	62
2011-12	283	10	3	280	22	17	263	35	8	255	29	16	239	31	28	211
2012-13	326	20	16	310	24	19	291	15	7	284	23	21	263	28	29	234
2013-14	217	1	1	216	21	9	207	13	12	195	22	22	173	19	19	154
2014-15	0	0	0	18	4	2	16	0	0	16	0	0	16	1	1	15
2015-16	0	0	0	0	0	0	12	2	2	10	0	0	10	0	0	10
कुल	1522	163	118	1422	281	203	1231	214	64	1167	210	116	1051	199	178	873

(स्रोत: जम्मू और कश्मीर प्रांत के दो मुख्य अभियंताओं द्वारा प्रदत्त सूचना)

विभाग ने लक्ष्य तय करते हुए नई योजनाओं के बदले पुरानी योजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता नहीं दी, जिसके परिणामस्वरूप पुरानी जल योजनाएं पूरी नहीं हुई हैं। 2013-14 से 2017-18 के दौरान कुल अपूर्ण योजनाओं में से 2009 से पहले की अवधि की अपूर्ण योजनाओं का प्रतिशत 20 से 28 तक था। इसके अलावा, 2009 से पहले की पुरानी योजनाओं को 2013-14 से 2017-18 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि इस तरह की योजनाओं का केवल 19 से 37 प्रतिशत हिस्सा है। मार्च 2018 तक 873 अपूर्ण जल आपूर्ति योजनाओं में से, 25 योजनाओं को पूरा करने में 10 से 15 साल की देरी हुई थी, 162 योजनाओं में 5 से 10 साल और 676 योजनाओं में एक से पांच साल की देरी हुई थी। अधूरी योजनाओं में 2002-15 के दौरान निष्पादित के लिए ली गई 485 योजनाएँ शामिल थीं, जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से स्रोत विकास के काम के रूप में किसी भी बस्ती को कवर नहीं कर सकती थीं, क्योंकि स्रोत विकास, राइजिंग मेन का निर्माण और वितरण नेटवर्क का सृजन नहीं किया गया था। 14 नमूना डिविजनों में स्थिति अलग नहीं थी, क्योंकि मार्च 2018 तक 645 अधूरी जल आपूर्ति योजनाओं में से 80 योजनाएं 11-15 साल, 438 योजनाएं 6-10 साल और 127 योजनाएं, 1-5 साल पुरानी थीं।



विभाग ने 2015-18 के दौरान भारत सरकार द्वारा कम निधि जारी करने को लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी (अगस्त 2018) के लिए जिम्मेदार ठहराया। सरकार ने (जनवरी 2019 में) कहा कि 2015-16 से पहले के वर्षों की तुलना में भारत सरकार द्वारा निधि को घटाने के परिणामस्वरूप बस्तियों का कम कवरेज और योजनाओं के पूरा होने में देरी हुई।

सिफारिश: सरकार समयबद्ध तरीके से अधूरे कामों को पूरा करने को सुनिश्चित कर सकती है ताकि कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, इसके अलावा कवर नहीं की गई बस्तियों को प्राथमिकता दी जाए।

2.1.8.3 स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों की कवरेज

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 9.8 में प्रावधान है कि शिक्षा विभाग और महिला और बाल विकास विभाग में सभी ग्रामीण सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ियों जहाँ पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध हो, उनका एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में ऑनलाइन डेटा फीड करने हेतु डेटा प्रदान किये जायें। कवर नहीं किए गए ग्रामीण सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ियों (सरकारी/ सार्वजनिक/ सामुदायिक भवनों में स्थित) को 2012-13 के अंत तक पीने के पानी की सुविधा प्रदान की जानी थी।

राज्य के स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को 2013-14 से 2017-18 के दौरान पाइपड जल सेवाएं प्रदान करने के लिए लक्ष्यों की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका-2.1.8: स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को पाइपड वाटर सप्लाई (पीडब्ल्यूएस) के लक्ष्य और उपलब्धियाँ

वर्ष	स्कूल				आंगनवाड़ी		
	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	कमी	कमी (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	कमी
2013-14	2,634	2,378	256	10	6	6	0
2014-15	1,776	1,372	404	23	0	3	0
2015-16	509	402	107	21	0	0	0
2016-17	217	153	64	29	0	0	0
2017-18	0	0	0	0	0	0	0
कुल	5,136	4,305 (84 प्रतिशत)	831		6	9	

(स्रोत: प्रशासनिक विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 5,136 स्कूलों के लक्ष्य के प्रति 4,305 स्कूलों को 2013-18 के दौरान पीने के पानी की सुविधा प्रदान की गई थी और 831 (16 प्रतिशत) स्कूलों को अभी (2017-18) सुविधा प्रदान की जानी थी। सिर्फ नौ आंगनवाड़ी केंद्रों को इस अवधि के दौरान पीने के पानी की सुविधा प्रदान की गई थी। तय किए गए लक्ष्य बहुत कम थे और यहां तक कि कम लक्ष्यों (84 प्रतिशत) को भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका।

यह देखा गया कि विभाग ने संबंधित विभागों (शिक्षा और समाज कल्याण) से किसी भी स्कूलों और आंगनवाड़ी में पीने के पानी की सुविधा की उपलब्धता की स्थिति जानने के लिए आंकड़े नहीं मंगाये और न ही उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य तय किया।

समापन बैठक के दौरान यह बताया गया कि स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को पाइप लाइन की आपूर्ति प्रदान करने के लिए धनराशि को भारत सरकार ने 2016-17 से बंद कर दिया था। यह भी कहा था कि विभाग ने 4,158 कवर नहीं किए गए स्कूलों की एक नई सूची तैयार की है और ₹32.36 करोड़ जारी करने के लिए शिक्षा विभाग को अग्रेषित किया है, ताकि कवर नहीं किए गए सभी स्कूलों को पानी की आपूर्ति प्रदान की जा सके।

सात परीक्षण-जांच किए गए जिलों (नीचे दी गई तालिका) से एकत्र किए गए विवरणों से यह देखा गया कि 8,966 स्कूलों और 559 आंगनवाड़ी केंद्रों में से 1,480 स्कूल (17 प्रतिशत) और 203 आंगनवाड़ी केंद्रों (36 प्रतिशत) को पीएचई विभाग या किसी अन्य विभाग द्वारा पीने के पानी की सुविधा प्रदान नहीं की गई जैसा कि तालिका में दिया गया है:

तालिका-2.1.9: नमूना चयनित जिलों में बिना पाइप पानी की आपूर्ति के सरकारी भवनों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र

जिले	स्कूलों की संख्या	पीने के पानी की सुविधा के बिना स्कूल		आंगनवाडियों की संख्या	सरकारी भवनों में चल रहे आंगनवाड़ी की संख्या	बिना पेयजल के सरकारी भवनों में आंगनवाड़ी केंद्र	
		संख्या	प्रतिशत			संख्या	प्रतिशत
जम्मू	1,574	19	1	2,658	32	7	22
राजौरी	1,724	888	52	1,672	39	19	49
कठुआ	1,452	195	13	1,678	19	17	89
लेह	358	91	25	473	311	81	26
अनंतनाग	1,188	73	6	2,008	90	76	84
पुलवामा	703	23	3	1,093	31	3	10
बारामुला	1,967	191	10	2,366	37	0	0
कुल	8,966	1,480	17	11,948	559	203	36

(स्रोत: शिक्षा और समाज कल्याण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी)

तात्पर्य यह है कि विभाग पिछले 10 वर्षों से चल रहे कार्यक्रम के बावजूद स्कूल जाने वाले बच्चों की पानी की कमी की समस्या को कम करने में गंभीर नहीं था।

लेखापरीक्षा में बताए जाने पर, विभाग ने (अगस्त 2018 में) कहा कि स्कूलों को पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए 2016-17 के बाद से भारत सरकार द्वारा धनराशि रोक दी गई थी। इस तथ्य के मद्देनजर जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सभी स्कूलों को 2012-13 तक कवर किया जाना था, और विभाग ने इसे प्राथमिकता नहीं दी थी और नमूना-जांच किए गए जिलों में 17 प्रतिशत स्कूलों को एवं 36 प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्रों को कवर नहीं किया गया था।

2.1.8.4 अपूर्ण योजनाओं पर निष्क्रिय निवेश

सात जिलों में 14 नमूना चयनित डिवीजनों में से पांच²³ में 2013-18 के दौरान जल आपूर्ति योजनाओं (डब्ल्यूएसएस) की वर्ष-वार वास्तविक प्रगति से पता चला कि 1999-2014 के दौरान 20 डब्ल्यूएसएस, मूल अनुमानित लागत ₹26.28 करोड़ (₹31.25 करोड़ संशोधित) पर ली गई थी, हालांकि, 1999-2016 के दौरान ₹17.71 करोड़ के व्यय के बाद पिछले दो से पांच वर्षों के दौरान 20 अपूर्ण योजनाओं के संबंध में कोई और व्यय नहीं किया गया था (*परिशिष्ट-2.1.1*), जिससे एन योजनाओं पर निवेश निष्क्रिय हो गया। क्रियान्वयन डिवीजनों ने (सितंबर 2018 में) कहा कि धनराशि जारी नहीं होने, स्रोत में समस्या और लागत अधिक होने के कारण इन योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

चूंकि ये विवरण केवल नमूना-जांच किए गए डिवीजन के संबंध में हैं, इसलिए विभाग सभी डिवीजनों में ऐसी सभी योजनाओं का विस्तृत विश्लेषण कर सकता है और लेखापरीक्षा के लिए सूचना के तहत ऐसे अपूर्ण कार्यों की स्थिति का पता लगा सकता है।

सरकार ने (जनवरी 2019) कहा कि अल्प वित्त पोषण के कारण परियोजनाओं को पूर्ण होने में देरी हुई थी और ऐसी सभी सुस्त परियोजनाओं को अब जेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (जेकेआईडीएफसी) के माध्यम से वित्त पोषण के लिए मंजूरी दी गई है।

2.1.8.5 डीपीआर तैयार किए बिना निर्माण पर व्यय

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 15.6 में बताया गया है कि राज्य ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा मॉडल डीपीआर प्रारूप में जलापूर्ति योजनाओं/ परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जानी है, जिसके लिए राज्य तकनीकी एजेंसी (एसटीए) की सेवाएं पुनरीक्षण के लिए ली जा सकती हैं। नए डब्ल्यूएसएस के लिए

²³ (i) अखनूर: 1; (ii) सोपोर: 8; (iii) बिजेबेहरा: 4; (iv) अवन्तिपुरा: 5; (v) पुलवामा: 2

डीपीआर तैयार करने और मौजूदा योजनाओं के संवर्द्धन के लिए, जहां भी आवश्यक और संभव हो भूजल संभावित/ मानचित्रों का उपयोग, कुओं/ बोरवेलों की खुदाई के सिटिंग के स्थानों और उपयुक्त संधारणीयता संरचनाओं के लिए स्थानों को खोजने के लिए किया जाना चाहिए। एसएलएसएससी योजनाओं के अनुमोदन के दौरान इसे सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, पैरा 15.8 के संदर्भ में, एसएलएसएससी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं (डीपीआर) की अनुमोदित वार्षिक शेल्फ को निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार ऑनलाइन (आईएमआईएस) में दर्ज किया जाना है। परियोजनाओं को विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान कवर किए जाने वाले निवास स्थानों से जोड़ा जाना है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि, सात नमूना चयनित डिवीजनों (सात जिलों में चयनित 14 डिवीजनों में से) में, ₹79.18 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 43 योजनाओं को डीपीआर की तैयारी के बिना क्रियान्वयन किया गया था और इन योजनाओं पर ₹26.95 करोड़ का व्यय किया गया था (*परिशिष्ट 2.1.2*)। इसके अलावा, पीएचई डिवीजन लेह में, 11 योजनाएं, जिन पर ₹12.83 करोड़ की अनुमानित लागत के प्रति, ₹6.30 करोड़ का व्यय किया गया था, के संबंध में इनकी डीपीआर लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत (मार्च 2019) नहीं की गई थी। कार्यकारी डिवीजनों ने कहा (मार्च से सितंबर 2018) कि योजनाएँ छोटी/ उभरती प्रकृति की थीं और जनता की माँग पर बनाई गईं; इसलिए, डीपीआर तैयार नहीं किया जा सका। तथ्य यह है कि डीपीआर के बिना नई योजनाओं का क्रियान्वयन एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देशों का उल्लंघन था क्योंकि छोटी योजनाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

सरकार ने (जनवरी 2019 में) कहा कि डीपीआर के बिना और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत किसी भी योजना को क्रियान्वित नहीं करने के सख्त निर्देश हैं।

2.1.8.6 निधियों का विचलन

मार्च 2017 के दौरान आयोजित एएपी चर्चा और मई 2017 में परिचालित 12वीं एसएलएसएससी बैठक के कार्यवृत्तों को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि 0-25 प्रतिशत की भौतिक प्रगति श्रेणी के अंतर्गत आने वाली योजनाओं के अलावा, स्कूलों और हैंडपंपों को एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत प्राप्त केंद्रीय सहायता के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं किया जाएगा और उन्हें किसी अन्य स्रोतों से वित्त पोषित किया जाएगा।

- 2003-15 के दौरान 259²⁴ डब्ल्यूएसएस शुरू की गई थी, जिन्होंने मार्च 2017 तक 25 प्रतिशत से कम की भौतिक प्रगति प्राप्त की थी, और उन्हें 1 अप्रैल 2017 के

²⁴ जम्मू: 144; कश्मीर: 115

बाद अन्य²⁵ स्रोतों से वित्त पोषित किया जाना था। लेखापरीक्षा में नमूना-जांच से पता चला कि राज्य सरकार ने 2017-18 के दौरान इन योजनाओं पर धनराशि जारी की और ₹28.94 करोड़ का व्यय किया था, जिसे एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत एक समान राज्य के हिस्से के रूप में दिखाया गया, जो धन के विचलन के समान था। मुख्य अभियंता, जम्मू ने (अगस्त 2018 में) लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते हुए काफी खर्च के बाद इन चालू योजनाओं को आधे रास्ते पर छोड़ने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। हालांकि, तथ्य यह है कि विभाग 2 से 14 वर्षों के बीच की लंबी अवधि में इन योजनाओं को पूरा करने में विफल रहा और एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत उनकी निरंतरता के लिए एएपी की बैठक के दौरान भी भारत सरकार को विश्वास नहीं दिला सका। सरकार ने (जनवरी 2019 में) कहा कि अनियमित और अपर्याप्त धनराशि के मद्देनजर योजनाएं पूरी नहीं की जा सकी हैं, और अब जेकेआईडीएफसी के माध्यम से वित्त पोषण के लिए मंजूरी दी गई है।

- लेखापरीक्षा में नमूना-जांच से यह भी पता चला है कि अधिप्राप्ति डिवीजन, जम्मू ने कार्यक्रम निधियों में से ₹1.28 करोड़ का व्यय करके 125 मिमी व्यास और 5.4 मिमी मोटाई के 251.72 एमटी स्टील ट्यूब (जनवरी 2018 में) खरीदे, जिसका विशेष रूप से गहरी ड्रिलिंग/ हैंड पंपों की स्थापना के लिए उपयोग किया जाता है। स्थायी निर्देशों के उल्लंघन में किया गया व्यय अनियमित था। अपने जवाब में, ईई, पीएचई मैकेनिकल प्रोक्योरमेंट डिवीजन, जम्मू ने (जून 2018 में) कहा कि निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि के तहत धन उपलब्ध नहीं होने के कारण, जन प्रतिनिधियों के आदेश पर खरीद एनआरडीडब्ल्यूपी निधि से की गई और राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। डिवीजन ने (दिसंबर 2018/ अप्रैल 2019 में) उत्तर दिया कि निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि के तहत धन प्राप्त हुआ है और मार्च 2019 के अंत तक पुनर्पूजीकरण पूरा हो गया है। 14 नमूना डिवीजनों (सात नमूना जिलों में 18 नमूना डिवीजनों में से) में लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि मजदूरी, पेट्रोल-तेल-स्नेहक (पीओएल), वाहनों को किराए पर लेना, हार्ड कोक की खरीद, और डीईओ को वेतन आदि के भुगतान के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी निधि को विचलित करके ₹31.24 करोड़²⁶ का व्यय (अप्रैल 2013 से मार्च 2018 के दौरान) किया था, जो धन के विचलन के समान है। व्यय के उपर्युक्त मदों को डिवीजन के

²⁵ एनआरडीडब्ल्यूपी के समान राज्य के हिस्से के अलावा राज्य संसाधन से बाहर धन

²⁶ (i) सिटी-I जम्मू: ₹1.94 लाख; (ii) नौशेरा: ₹18.22 लाख; (iii) बारामूला: ₹675.20 लाख; (iv) सोपोर: ₹218.20 लाख; (v) काजीगुंड: ₹61.66 लाख; (vi) बिजबेहरा: ₹501.58 लाख; (vii) अवंतिपोरा: ₹66.55 लाख; (viii) लेह: ₹2.38 लाख; (ix) भूजल ड्रिलिंग डिवीजन जम्मू: ₹111.66 लाख; (x) मैकेनिकल डिवीजन दक्षिण जम्मू: ₹2.59 लाख; (xi) भूजल डिवीजन विभाग श्रीनगर: ₹22.35 लाख; (xii) मैकेनिकल नॉर्थ सोपोर: ₹656.80 लाख; (xiii) प्रोक्योरमेंट डिवीजन श्रीनगर: ₹53.68 लाख; (xiv) मैकेनिकल डिवीजन अवंतिपोरा: ₹731.08 लाख

सामान्य बजट अनुदान से बाहर किया जाना था, न कि एनआरडीडब्ल्यूपी निधि से, जो योजना के कार्यों के निष्पादन के लिए थे। सरकार ने (जनवरी 2019 में) कहा कि कार्यक्रम के धन के विचलन के संबंध में संबंधित डिवीजनों से एक रिपोर्ट मांगी जा रही है, और एक तथ्यात्मक रिपोर्ट लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की जाएगी, लेकिन वह (मार्च 2019 तक) प्रतीक्षित थी।

- कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 1 में ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। हालांकि, यह देखा गया कि दो नमूना चयनित भूजल डिवीजनों²⁷ ने क्रमशः जम्मू और श्रीनगर के शहरी क्षेत्रों में ₹6.12 करोड़ की लागत से 276 बोरवेल/ हैंड पंप सेट खोदे थे। इस कार्रवाई ने कार्यक्रम के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया। जवाब में, संबंधित डिवीजनों के कार्यकारी अभियंताओं ने (फरवरी/ मार्च 2018 में) कहा कि नगर निगम सीमाओं के भीतर कुछ क्षेत्रों में निर्माण सार्वजनिक मांग पर किया गया था क्योंकि उनके पास बुनियादी ढांचे की कमी थी। तथ्य यह है कि इन डिवीजनों की कार्रवाई कार्यक्रम के दिशानिर्देशों का उल्लंघन और अनियमित थी। सरकार ने (जनवरी 2019 में) कहा कि श्रीनगर और जम्मू शहर के कुछ शहरी इलाकों में पानी की कमी को दूर करने के लिए कुछ हैंड पंपों की खुदाई की गई थी; हालांकि, संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, 2017-18 से हैंडपंपों के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत अब कोई धन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

2.1.8.7 प्रशासनिक अनुमोदन के बिना योजनाओं का क्रियान्वयन

दिशानिर्देशों के पैरा 15.7 में कहा है कि एक बार परियोजनाओं की वार्षिक शेल्फ (डीपीआर) को अंतिम रूप दे दिया जाता है तो इसे अनुमोदन के लिए एसएलएसएससी की बैठक में रखा जाना है। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर वित्तीय संहिता के नियम 9-3 के साथ पठित वित्तीय शक्तियों की जेएंडके पुस्तक के अध्याय-5 में यह भी कहा है कि जब तक कि प्रशासनिक रूप से अनुमोदित (एए) और तकनीकी रूप से स्वीकृत (टीएस) न हो तब तक किसी भी कार्य का क्रियान्वयन और व्यय नहीं किया जाना चाहिए। एए निधि के प्रवाह की गारंटी देता है और टीएस योजना की व्यवहार्यता का आश्वासन देता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2013-18 के दौरान क्रियान्वयन 989 योजनाओं²⁸ में से 14 नमूना चयनित डिवीजनों में, ₹1,415.37 करोड़ की अनुमानित लागत पर 657 योजनाओं के संबंध में एए एंड टीएस प्राप्त नहीं हुआ था।

²⁷ जम्मू: 24; श्रीनगर: 252

²⁸ इसमें 2012-13 का स्पिल ओवर कार्य शामिल हैं

जबकि एए धन के प्रवाह की गारंटी देता है, टीएस योजना की व्यवहार्यता का आश्वासन देता है। गारंटी के अलावा एए और टीएस जारी करना इस तरह का अनुमोदन जारी करने वाले अधिकारियों पर योजनाओं के सफल समापन के लिए जिम्मेदारी का दायित्व देता है। इन महत्वपूर्ण घटकों की अनुपस्थिति में, योजनाओं पर खर्च को उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि न तो निधि प्रवाह और न ही किसी योजना के सफल समापन या व्यवहार्यता को सुनिश्चित किया जाता है, परिणामतः उपरोक्त उद्धृत योजनाओं पर खर्च किए गए ₹830.11 करोड़ को अनियमित कहा जाता है।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए, विभाग ने (अगस्त 2018 में) कहा कि एसएलएसएससी द्वारा अधीक्षण अभियंताओं और कार्यकारी इंजीनियरों को (जुलाई 2018) डब्ल्यूएसएस को और अधिक धनराशि जारी करने के लिए प्रशासनिक रूप से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने (जनवरी 2019 में) कहा कि सभी डिवीजनों को निर्देश जारी किए गए हैं कि एए और टीएस के बिना न तो धन खर्च किया जाए और न ही कार्य शुरू किया जाए।

सिफारिश: सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि कार्यक्रम के तहत योजनाओं को प्रशासनिक और तकनीकी रूप से अनुमोदित करने के बाद ही लिया जाए।

2.1.8.8 समय लंघन और लागत में वृद्धि

कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के पैरा 14 में यह बताया है कि कार्य क्रियान्वयन में देरी के बिना निर्धारित समय पर पूरा हो, अन्यथा इसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि, निर्मित परिसंपत्तियों का गैर-उपयोग आदि होगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2013-18 के दौरान क्रियान्वयन के तहत 989 योजनाओं में से, 14 नमूना चयनित नमूना-जांच किए गए डिवीजनों में केवल 150 योजनाएं (15 प्रतिशत) को समय पर पूरा किया गया था। ₹1689.75 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ शेष 839 योजनाएं (85 प्रतिशत) समय पर पूरी नहीं हुई थीं और पूरा होने में एक से बारह साल तक देरी हुई थी। नीचे दी गई तालिका 2013-18 के दौरान नमूना चयनित पीएचई डिवीजन में क्रियान्वयन के तहत योजनाओं के संबंध में देरी की सीमा दी गई है।

तालिका-2.1.10: 2013-18 के दौरान 14 नमूना चयनित डिवीजनों में डब्ल्यूएसएस का समय लंघन/ लागत में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

डिवीजन का नाम	योजनाओं की संख्या			अनुमानित लागत	व्यय	लागत में वृद्धि		समय-वार समय लंघन योजनाएं (संख्या)			
	2013-18 के दौरान	समय से पूरी हुई	विलंबित			योजनाएं	राशि	1-3 वर्ष	4-6 वर्ष	7-9 वर्ष	10-12 वर्ष
ग्रामीण जम्मू	71	12	59	121.50	90.98	9	6.03	21	36	2	0
सिटी-I जम्मू	14	1	13	31.21	25.75	10	10.33	5	6	2	0
सिटी-II जम्मू	17	0	17	45.27	30.04	6	6.16	7	7	3	0
अखनूर जम्मू	120	11	109	194.22	109.80	7	5.73	63	33	12	1
कठुआ	149	4	145	218.03	148.46	27	22.07	49	45	35	16
राजौरी	83	0	83	170.14	114.22	16	26.71	41	19	16	7
नौशेहरा	66	3	63	129.55	77.54	13	18.65	35	20	2	6
लेह	51	11	40	83.62	57.69	11	12.13	37	3	0	0
बारामूला	61	28	33	117.42	70.40	11	4.70	26	5	2	0
सोपोर	58	0	58	126.83	64.45	23	25.78	21	23	11	3
बिजबेहरा	137	75	62	182.32	49.36	16	7.68	40	21	1	0
अवन्तिपुरा	56	5	51	81.07	54.73	20	12.70	31	13	6	1
काज़ीकुंड	35	0	35	27.60	28.06	14	12.60	34	1	0	0
पुलवामा	71	0	71	160.97	156.39	26	10.29	29	22	20	0
कुल	989	150	839	1,689.75	1,077.87	209	181.56	439	254	112	34

(स्रोत: नमूना चयनित पीएचई डिवीजनों द्वारा दी गई जानकारी)

जैसा कि देखा जा सकता है, 439 योजनाओं में एक से तीन साल, 254 योजनाओं में चार से छह साल, 112 योजनाओं में सात से नौ साल और 34 योजनाओं में 10 से 12 साल तक देरी हुई थी। असाधारण देरी ने योजनाओं के उद्देश्य को पराजित किया और परिकल्पित लक्षित आबादी को लाभों से वंचित किया, इसके अलावा 209 योजनाओं के संबंध में लागत वृद्धि के प्रति, ₹181.56 करोड़ का व्यय किया गया था। संबन्धित डिवीजनों ने राज्य सरकार द्वारा अल्प वित्त पोषण को लागत में वृद्धि के लिए जिम्मेदार (मार्च से सितंबर 2018) ठहराया गया। सरकार ने (जनवरी 2019 में) कहा कि अनियमित और अपर्याप्त धनराशि के परिणामस्वरूप इन योजनाओं का समय और लागत अधिक हो गया जो अब 'लैंगविशिंग परियोजनाओं' के तहत ली जा रही हैं। यह भी कहा गया था कि अधूरी योजनाओं के संबंध में भारत सरकार ने (सितंबर 2018) 15 प्रतिशत लागत में वृद्धि पर सहमति व्यक्त की है।

सिफारिश: सरकार कार्यक्रम की सभी योजनाओं की समीक्षा कर सकती है और उन योजनाओं को प्राथमिकता पर धनराशि जारी कर सकती है जो धनराशि की कमी के लिए रूकी हुई हैं। संसाधनों का आवंटन प्रत्येक घटक के तहत आवश्यकताओं और उपलब्धियों के स्पष्ट निर्धारण पर आधारित होना चाहिए।

2.1.8.9 अग्राह्य व्यय

(I) कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 17(x) के अनुसार, एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत जारी की गई राशि को योजनाओं की किसी भी लागत में वृद्धि या पिछले वर्षों में योजनाओं की स्वीकृत लागत से अधिक व्यय के विरुद्ध उपयोग/ समायोजित नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में 14 नमूना चयनित वाले पीएचई डिवीजनों में से 13 में देखा गया, कि 119 (209 में से) योजनाओं में ₹69.90 करोड़²⁹ की लागत से अधिक की राशि एनआरडीडब्ल्यूपी धन से पूरी की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अग्राह्य व्यय हुई थी। संबंधित डिवीजनों ने (मार्च, मई, जून, जुलाई और सितंबर 2018 में) कहा कि बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई अलग से धन उपलब्ध नहीं कराया गया था।

(II) जम्मू और कश्मीर लोक निर्माण लेखा संहिता के पैरा 113 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्दिष्ट है कि जब कभी प्रत्येक नई वस्तु को स्टॉक पर लाया जाता है तब इसे निर्गम दर सौंपी जानी चाहिए। यह दर इस सिद्धांत पर तय की जाती है कि जिन कार्यों के लिए सामग्री का उपयोग किया जाना है, उनसे प्रभारित की जाने वाली लागत स्टॉक लेखों में लाभ या हानि के बिना वार्षिक तय की गई, भंडारण की वास्तविक लागत जोड़ संग्रहण प्रभार (उतराई लागत) के बराबर होनी चाहिए। ऐसे तय की गई निर्गम दर किसी भी स्थिति में वस्तु की बाजार दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, व्यय के लिए किसी भी राजस्व/ विभागीय प्राप्तियों का उपयोग राज्य वित्तीय संहिता के तहत निर्धारित किया जाता है।

अधिप्राप्ति डिवीजन, जम्मू में रिकॉर्ड्स की नमूना-जांच में पता चला कि एमएस पाइप्स (125 मिमी x 5.4 मिमी मोटी) की निर्गम दर, जुलाई 2015 से फरवरी 2017 के दौरान वास्तविक आयातित लागत और पर्यवेक्षण प्रभार जारी ₹45,554 प्रति मीट्रिक टन के आधार पर प्राप्त और जारी की गई है, जैसा कि नीचे विस्तृत है:

²⁹ (i) सिटी- I जम्मू: ₹6.26 करोड़; (ii) सिटी- II जम्मू: ₹3.36 करोड़; (iii) ग्रामीण जम्मू: ₹4.57 करोड़; (iv) कठुआ: ₹11.62 करोड़ (v) राजौरी: ₹4.99 करोड़; (vi) नौशेरा: ₹2.74 करोड़; (vii) बारामूला: ₹3.59 करोड़; (viii) सोपोर: ₹2.41 करोड़; (ix) काजीगुंड: ₹0.63 करोड़; (x) बिजबेहरा: ₹6.55 करोड़; (xi) अवंतिपोरा: ₹1.83 करोड़; (xii) पुलवामा: ₹18.02 करोड़ और (xiii) लेह: ₹3.33 करोड़

तालिका-2.1.11: वास्तविक आयातित माल की लागत और पर्यवेक्षण शुल्कों के लिए आधार

(राशि ₹ में)

विवरण	प्रति एमटी दर	दो प्रतिशत की दर से सीएसटी	माल भाड़ा प्रभार	एक प्रतिशत की दर से निरीक्षण शुल्क	माल उतारने तक की लागत	चार प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण शुल्क	जारी दर प्रति एमटी
एमएस पाइप्स (125 मिमी x 5.4 मिमी मोटी)	41,003.12	820.06	1,568.60 ³⁰	410.03	43,801.81	1,752.07	45,553.88

(स्रोत: पर्यवेक्षण शुल्क के साथ-साथ खरीदी डिविजन द्वारा प्रदत्त आपूर्तिकर्ताओं के बिल)

हालाँकि, डिविजन ने अक्टूबर 2015 तक ग्राउंड वाटर ड्रिलिंग डिविजन, जम्मू को जारी की गई सामग्री के 330.20 मीट्रिक टन के लिए ₹62,200 प्रति मीट्रिक टन का शुल्क लगाया था और उसके बाद फरवरी 2017 तक 750.495 मीट्रिक टन के लिए ₹48,093 प्रति मीट्रिक टन, जिससे ₹74.02 लाख की अतिरिक्त राशि चार्ज हुई, जैसा नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है।

तालिका-2.1.12: पर्यवेक्षण शुल्क का अधिक प्रभार

(राशि ₹ में)

विवरण	जारी दर प्रति एमटी			जारी की गई सामग्री की मात्रा (एमटी में)	अतिरिक्त शुल्क राशि
	वास्तविक	प्रभारित शुल्क लगाया गया	अतिरिक्त दर		
एमएस पाइप्स (125 मिमी x 5.4 मिमी मोटी)	45,554	62,200	16,646	330.20	54,96,509
		48,093	2,539	750.495	19,05,507
कुल				1,080.695	74,02,016

(स्रोत: पर्यवेक्षण शुल्क के साथ-साथ अधिप्राप्ति डिविजन द्वारा प्रदत्त आपूर्तिकर्ताओं के बिल)

इसके अलावा, अधिप्राप्ति डिविजन जम्मू ने मर्दों³¹ पर ₹32.26 लाख खर्च किए, जो डिविजन के कार्यालय व्यय (ओई) के तहत सामान्य आवंटियों को मिलने चाहिए थे।

लेखापरीक्षा में बताए जाने पर, डिविजन ने (जून 2018 में) कहा कि तत्काल मामले में समायोजन यदि कोई होगा, तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। यह भी कहा गया था (जून/ दिसंबर 2018 और अप्रैल 2019) कि ऐसी गतिविधियों के लिए धन का आवंटन न होने के कारण ₹32.26 लाख का ओई व्यय पीएचई, पीओएल, भर्ती के परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए कंप्यूटर, एनआरडीडब्ल्यूपी योजनाओं से जुड़े आधिकारिक दौरे करने के लिए वाहनों को किराए पर लेने के लिए खर्च किया गया था। तथ्य यह है कि इन मर्दों पर किए गए व्यय को डिविजन के सामान्य बजट

³⁰ 620 किमी के लिए ₹2.53 प्रति किमी प्रति एमटी की दर से माल ढुलाई शुल्क

³¹ स्टेशनरी, कंप्यूटर, किराया शुल्क, बायोमेट्रिक मशीन, ईंधन पर उपयोग किया गया

अनुदान से खर्च किया जाना था और एनआरडीडब्ल्यूपी धन को विशेष रूप से परियोजना कार्यों के निष्पादन के लिए उपयोग किया जाना था।

2.1.8.10 अनुत्पादक/ निष्फल व्यय

राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति (एसएलएसएससी) के निर्णय (जून 2013) के संदर्भ में, स्रोत विकास में प्रथम प्रभार और जलाशय का निर्माण आदि कार्य योजना पर दूसरा प्रभार होना चाहिए।

13 नमूना चयनित डिवीजनों में 28 जल आपूर्ति योजनाओं के रिकॉर्डों की संवीक्षा से पता चला कि ₹43.45 करोड़ (परिशिष्ट-2.1.3) वितरण और अन्य कार्यों (अनुमानित लागत: ₹75.67 करोड़) पर खर्च किए गए थे जो मुख्य कार्यों को क्रियान्वित किए बिना, जैसे स्रोत विकास भूमि/ भूमि विवाद का अधिग्रहण, डीपीआर में त्रुटि, अपर्याप्त धन और बिना वन विभाग की मंजूरी से शुरू किए गए जिसके परिणामस्वरूप इन डब्ल्यूएसएस पर किए गए व्यय अनुत्पादक साबित हुए। यह राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की आज्ञा के खिलाफ होने के अलावा पैसे के मूल्य की अवधारणा के भी विरुद्ध है।

तालिका-2.1.13: निष्फल व्यय के कारण

(₹ लाख में)

आरंभिक वर्ष	योजनाओं की संख्या	पूर्ण होने की परिकल्पित तिथि	अनुमानित व्यय	किया गया व्यय	जिस वर्ष काम रुका हुआ था	काम रुकने का कारण
2011-14	3	2013-16	499.12	426.46	2016-18	त्रुटिपूर्ण डीपीआर
2011-13	8	2013-15	2,218.54	1,247.46	2016-18	भूमि विवाद
2006-13	10	2008-15	2,850.88	1,797.99	2014-18	अपर्याप्त कोष
2008-14	6	2011-16	1,704.25	760.39	2013-18	स्रोत विवाद
2013-14	1	2015-16	294.43	112.57	2015-16	वन विभाग से अस्वीकृति
कुल	28		7,567.22	4,344.87		

(स्रोत: नमूना चयनित डिवीजनों द्वारा दी गई जानकारी)

कार्यकारी डिवीजनों ने भूमि/ स्रोत विवादों और कम धनराशि जारी होने के कारणों को इन योजनाओं के पूरा न होने के लिए उत्तरदायी ठहराया (मार्च से सितम्बर 2018)।

सरकार ने (जनवरी 2019 में) कहा कि अधिकांश योजनाओं की पहचान कर ली गई है और उन्हें लैंगविशिंग परियोजनाओं के तहत लिया गया है और अगले दो वर्षों में पूरा किया जाएगा। यह भी कहा गया कि भूमि विवादों के जल्द निपटारे और सभी चल रही योजनाओं को प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

2.1.8.11 अभिसरण

कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के पैरा 10.3 (vii) में समान गतिविधियों में शामिल अन्य एजेंसियों के साथ अभिसरण को बढ़ावा देने और जल स्वच्छता क्षेत्र (डब्ल्यूएटीएसएएन) के लाभ के लिए कार्यक्रमों का ब्यौरा प्रदान किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग धन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि कुछ प्रमुख संबंधित कार्यक्रम हैं।

हालाँकि, यह देखा गया कि एसडब्ल्यूएसएम ने (अगस्त 2018) अभिसरण पर कोई विशेष दिशा-निर्देश/ निर्देश जारी नहीं किए थे और न ही अन्य राज्य विभागों द्वारा कार्यान्वित अन्य कार्यक्रमों के साथ साझा करने के आधार पर किसी कार्यक्रम का ब्यौरा दिया था। इस तरह के क्रमवेशन के परिणामस्वरूप जो राशि बचाई जा सकती थी, वह मात्रात्मक नहीं थी।

लेखापरीक्षा में यह कहा गया, (सितंबर 2018) कि राज्य ने अभिसरण के लिए कोई नीति नहीं बनाई थी। सरकार ने (जनवरी 2019 में) कहा कि अभिसरण घटक के अंतर्गत कार्य लेने का निर्णय एसडब्ल्यूएसएम में, कुछ व्यावहारिक समस्याओं जैसे संधारणीयता घटक के विघटन जिसके तहत अभिसरण संभव था, नहीं लिया जा सका और 2013-18 के दौरान पूर्ण कोरम न मिलने के कारण केवल एक एसडब्ल्यूएसएम बैठक का आयोजन किया गया था।

2.1.9 बकायेदारों पर शास्ति न लगाना

आपूर्ति आदेशों के मानक नियम और शर्तें यह बताती हैं कि आपूर्ति में देरी करने वाली फर्मों की स्थिति में, विभाग आदेश के मूल्य का 10 प्रतिशत से अधिक शास्ति नहीं लगा सकता है। अधिप्राप्ति डिवीजन जम्मू में रिकॉर्ड्स की जांच-परीक्षण के दौरान यह देखा गया कि वितरण समय सारणी का पालन 13 में से आठ जांच-परीक्षण मामलों में नहीं किया गया है जहाँ अगस्त 2016 से दिसंबर 2017 के दौरान आपूर्ति आदेश जारी किए गए थे और आपूर्ति में देरी एक से 204 दिनों के बीच हुई। जबकि दो मामलों में, मुख्य अभियंता, पीएचई विभाग जम्मू द्वारा एक मामूली शास्ति लगाई गई थी, छह मामलों में, शास्ति को माफ़ किया गया था, भले ही शास्ति लगाने के आदेश के निर्धारण में कहा गया कि आपूर्ति आदेश के शास्ति खंड के अनुसार, 150 दिनों से अधिक की देरी के मामलों को खरीद समिति द्वारा निपटाया/ तय किया जाएगा।

यह भी देखा गया कि जिन मामलों में 150 दिन से अधिक की देरी थी, विभाग ने बैंक गारंटी को जब्त करने, अनुबंध के मूल्य पर 10 प्रतिशत शास्ति लगाने, अनुबंध

की समाप्ति आदि सहित में अपनी मनोवृत्ति से शास्ति खंड लागू करने का सहारा नहीं लिया था। निष्क्रियता/ छूट ने आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ दिया था। यहां तक कि पहले अनुबंध को बिना समाप्त किए, चूक करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के साथ नए आपूर्ति आदेशों को जारी किया गया, जो यह दर्शाता है कि विभाग बकाएदारों पर नरमी बनाए हुआ था। असामान्य देरी के मामलों में शास्ति का खंड लागू न करने के परिणामस्वरूप 2013-18 के दौरान छह बकाएदारों के पक्ष में अनुचित प्रभाव पड़ा, जिनके विरुद्ध ठेका के सकल मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से अधिकतम शास्ति ₹2.37 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा में बताए जाने पर, ईई, एमएंडपी डिवीजन, जम्मू ने (जून 2018 में) कहा कि डिवीजन द्वारा मुख्य अभियंता के आदेश (नवंबर 2010) के आलोक में शास्ति लगाई गई है और ऐसे मामले जिनमें शास्ति नहीं लगाई गई है उनकी समीक्षा की जाएगी। तथ्य यह है कि नवंबर 2010 के आदेश में कहा गया कि 150 दिनों तक की देरी के लिए 0.2 से 1.80 प्रतिशत शास्ति लगाई जाए, जो आपूर्ति आदेशों के प्रावधानों के सार में नहीं था, जिसमें 10 प्रतिशत तक की शास्ति की परिकल्पना की गई थी। आगे यह कहा गया था (दिसंबर 2018/ अप्रैल 2019) कि शास्ति खंड के पुनःनिर्धारण के मामले को उच्च अधिकारियों के साथ उठाया गया है, और अप्रत्याशित परिस्थितियों, भंडारण के लिए स्थान की कमी आदि जैसे कारणों पर विचार के बाद प्रांतीय स्तर की खरीद समिति द्वारा लगाए गए शास्ति को माफ़ किया गया। हालाँकि, उस समिति के कार्यवृत्त, जिसमें शास्ति के संघन के संबंधित निर्णय लिए गए थे, लेखापरीक्षा (अप्रैल 2019) के लिए प्रस्तुत नहीं किए थे और इस संबंध में की गई कार्यवाही का सत्यापन नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने (जनवरी 2019 में) कहा कि संबंधित डिवीजनों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एनआईटी में निर्धारित नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करें और ठेका के अनुसार शास्ति लगाएं।

सिफारिश: सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि आपूर्तिकर्ताओं पर कार्रवाई अनुबंधात्मक के प्रावधानों के अनुसार की जाए और विलंबता के लिए दंडित किया जाए।

2.1.10 निगरानी और मूल्यांकन

2.1.10.1 सहायक गतिविधियाँ

कार्यक्रम दिशानिर्देश के पैरा 1 (अनुबंध-IV) और पैरा 4 (अनुबंध-VII) यह दर्शाते हैं कि संचार और क्षमता विकास इकाई (सीसीडीयू) को जल और स्वच्छता सहायता संगठन (डब्ल्यूएसएसओ) में विलय कर दिया जाएगा और वह सभी सहायक

गतिविधियों को पूरा करेगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण जल आपूर्ति और संबंधित मुद्दों के सभी पहलुओं पर ग्रामीण लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना और पंचायती राज संस्थानों/ स्थानीय निकायों/ ग्राम पंचायत जल और स्वच्छता समिति (जीपीडब्ल्यूएससी)/ ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) की ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं से संबंधित योजना, कार्यान्वयन और संचालन और रखरखाव गतिविधियों को उठाने के लिए उन्हें सक्षम करने के उद्देश्य से क्षमता को बढ़ाना है। संचार और क्षमता विकास इकाई (सीसीडीयू) को सूचना शिक्षा संचार (आईईसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी), प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) इत्यादि जैसे सॉफ्टवेयर गतिविधियों को ले कर अभियांत्रिकी विभाग को सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

विभाग के संचार और क्षमता विकास इकाई (सीसीडीयू) द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण के आंकड़ों के अनुसार, 2013-18 के दौरान राज्य स्तर से जमीनी स्तर तक प्रशिक्षण³² के लक्ष्यों की प्राप्ति में समग्र कमी 60 और 95 प्रतिशत के बीच रही। लेखापरीक्षा ने देखा कि वार्षिक कार्य योजना 2015-16 और 2016-17 के लिए ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर प्रशिक्षण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

विभाग ने (मार्च 2018 में) कहा कि 2015-18 के दौरान कोई गतिविधियां नहीं की गई थी क्योंकि एनजीओ के बीच विवाद के कारण सचिव पीएचई, आई एंड एफसी विभाग के आदेशों से गतिविधियों को रोक दिया गया था, जिन्हें सहायक गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए लगाया जाना था। सरकार ने (जनवरी 2019 में) कहा कि 2018-19 से एनजीओ पारदर्शी तरीके से उचित संवीक्षा के बाद लगाए गए हैं। यह भी कहा गया था (दिसंबर 2018/ अप्रैल 2019) कि प्रशिक्षण गतिविधियों को फिर से शुरू किया गया था और अभियंता (90) और केमिस्ट (158) सहित 248 स्टाफ सदस्यों को 2018-19 के दौरान प्रशिक्षण दिया गया था।

2.1.10.2 सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) गतिविधियाँ

कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के संलग्नक-IV में यह प्रावधान है कि प्रशिक्षण, सम्मेलन, संगोष्ठी, अनुसंधान और विकास गतिविधियाँ की जाएंगी, जिसमें राज्य और जिला/ क्षेत्रीय स्तर पर प्रमुख संसाधन केंद्रों की पहचान की जा सकती है। इसके अलावा, सफल मामलों के साथ-साथ राज्यों/ एजेंसियों द्वारा की गई पहल के संबंध में प्रलेखन किया जाएगा। जिन जिलों का प्रदर्शन खराब है, उन कारणों और संभावित समाधानों का पता लगाने के लिए भी प्रलेखन किया जाएगा जो उनके निष्पादन को

³² राज्य स्तरीय प्रशिक्षण: 60 प्रतिशत; जिला स्तरीय प्रशिक्षण: 93 प्रतिशत; ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण: 95 प्रतिशत; ग्राम स्तर/ वीडब्ल्यूएससी प्रशिक्षण: 80 प्रतिशत; ग्रास रूट कार्यकर्ता: 83 प्रतिशत; राज्य के बाहर के इंजीनियर: 87 प्रतिशत

बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, स्कूल में आईईसी गतिविधियों, सेमिनार और कार्यशालाओं आदि का आयोजन करके जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। विभाग की संचार और क्षमता विकास इकाई (सीसीडीयू) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2013-18 के दौरान 52 और 95 प्रतिशत के बीच विभिन्न आईईसी गतिविधियों³³ में लक्ष्यों की प्राप्ति में काफी कमी थी।

विभाग ने (मार्च 2018 में) कहा कि 2015-18 के दौरान कोई गतिविधियां नहीं की गईं, क्योंकि गैर-सरकारी संगठनों के बीच विवाद था, जिन्हें सहायक गतिविधियों के लिए संलग्न किया जाना था। यह भी कहा गया (अप्रैल 2019) कि 2018-19 के दौरान विभिन्न मीडिया गतिविधियां की गईं और प्रिंट मीडिया और अनुस्मारक मीडिया गतिविधियों³⁴ के तहत क्रमशः 73 प्रतिशत और 84 प्रतिशत की कमी थी। 2018-19 के दौरान कमी के कारणों में कर्मचारियों की कमी, ई-टेंडरिंग को अपनाने, बोली लगाने वालों द्वारा लचर प्रतिक्रिया, निविदाओं के विस्तार आदि को जिम्मेदार ठहराया गया था।

2.1.10.3 सामाजिक लेखापरीक्षा

दिशानिर्देशों के पैरा 19.3 में ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक निगरानी और छःमाही आधार पर सामाजिक लेखा परीक्षा का प्रावधान है, ताकि समुदाय की जरूरतों के बारे में नियमित और व्यवस्थित जानकारी प्रदान की जा सके, जो पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में उपभोक्ता की संतुष्टि की योजना और माप को निर्देशित करेगा। इसका उपयोग सभी राज्यों में ग्रामीण जल आपूर्ति की स्थिति के प्रदर्शन सूचकांक को विकसित करने और राज्यों, जिलों और पंचायतों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि एनआरडीडब्ल्यूपी योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा राज्य में नहीं की जा रही थी। विभाग ने (फरवरी 2018 में) कहा कि भविष्य में सामाजिक लेखापरीक्षा पहलू के कार्यान्वयन पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार, एनआरडीडब्ल्यूपी योजनाओं के सामाजिक लेखापरीक्षा की अनुपस्थिति में कार्यक्रम से समग्र प्रभाव और परिणाम का आकलन नहीं किया जा सका। सरकार ने (जनवरी 2019 में) कहा कि चूंकि अभी पीआरआई लागू हैं, इसलिए वीडब्ल्यूएससी और जीपी सामाजिक लेखापरीक्षा में शामिल होंगे।

³³ मिड मीडिया: 92 प्रतिशत; रिमाइंडर मीडिया: 95 प्रतिशत; वकालत कार्यशाला: 57 प्रतिशत; सामाजिक गतिशीलता: 90 प्रतिशत; प्रिंट मीडिया: 79 प्रतिशत; स्कूलों में: 92 प्रतिशत; आईईसी गैजेट्स: 83 प्रतिशत; प्रशिक्षण और कार्यशाला: 82 प्रतिशत; अन्य: 52 प्रतिशत

³⁴ मास मीडिया गतिविधि: 22,200; न्यू मीडिया गतिविधियाँ: 276; मध्य मीडिया गतिविधियाँ: 54; अनुस्मारक मीडिया गतिविधियाँ: 343; प्रिंट मीडिया गतिविधियाँ: 31,900; अन्य गतिविधियाँ: 29

2.1.10.4 जल गुणवत्ता की निगरानी और पर्यवेक्षण

कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के पैरा 10.4 में यह प्रावधान है कि सभी पेयजल स्रोतों का परीक्षण जीवाणु संदूषणों के लिए वर्ष में कम से कम दो बार, और रासायनिक संदूषण के लिए वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए। राज्य में 101 विभागीय जल परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत थीं। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार उपलब्ध स्रोतों, परीक्षण किए गए स्रोतों और परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या की वर्ष-वार स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका-2.1.14: उपलब्ध स्रोतों, परीक्षण किए गए स्रोतों और नमूनों के परीक्षण की वर्ष-वार स्थिति

वर्ष	जल स्रोतों की संख्या	परीक्षण के लिए आवश्यक ³⁵ नमूनों की संख्या	उन स्रोतों की संख्या जो वास्तव में परीक्षण किए गए थे (प्रतिशत)	परीक्षण नहीं किए गए स्रोतों की संख्या (प्रतिशत)	परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या	परीक्षणों के संचालन में कमी (प्रतिशत)	जल की गुणवत्ता से प्रभावित निवास स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
2013-14	49,316	1,47,948	14,984 (30)	34,332 (70)	65,327	82,621 (56)	0
2014-15	49,316	1,47,948	17,803 (36)	31,513 (64)	90,525	57,423 (39)	10
2015-16	52,270	1,56,810	19,515 (37)	32,755 (63)	1,25,064	31,746 (20)	6
2016-17	52,270	1,56,810	25,320 (48)	26,950 (52)	1,34,578	22,232 (14)	11
2017-18	52,270	1,56,810	23,187 (44)	29,083 (56)	1,44,837	11,973 (08)	17
कुल		7,66,326			5,60,331	2,05,995 (27)	

(स्रोत: संयुक्त निदेशक, योजना, पीएचई, आईएंडएफसी विभाग, जेएंडके द्वारा दी गई जानकारी)

2013-15 के दौरान उपलब्ध 49,316 और 2015-18 के दौरान 52,270 स्रोतों के प्रति, 2013-14 से 2017-18 के दौरान केवल 30 से 48 प्रतिशत स्रोतों का परीक्षण किया गया है। कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, जीवाणु संदूषण (5,10,884), रासायनिक संदूषण (2,55,442) के लिए 7,66,326 नमूनों का परीक्षण किया जाना था। हालांकि, केवल 5,60,331 (73 प्रतिशत) पानी के नमूनों का परीक्षण किया गया था, और जीवाणु और रासायनिक संदूषण के परिणामों के ब्यौरे अलग से उपलब्ध नहीं थे।

लेखापरीक्षा में बताए जाने पर, संयुक्त निदेशक योजना पीएचई ने (फरवरी 2018 में) कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी और सभी परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार

³⁵ प्रति वर्ष प्रति स्रोत तीन बार

किए गए थे। यह भी कहा गया (दिसंबर 2018) कि 2013-14 के दौरान कमी, प्रयोगशालाओं की स्थापना नहीं होने के कारण थी। हालांकि, एक बार प्रयोगशालाओं की पूरी तरह से स्थापना होने और श्रमबल की नियुक्ति और प्रशिक्षण होने पर विभाग नियमित रूप से लक्ष्य प्राप्त कर रहा है। तथ्य यह है कि सभी स्रोतों से नमूनों की अपेक्षित संख्या का परीक्षण नहीं किया गया था, जिससे ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का उद्देश्य क्षीण होता है। सरकार ने (जनवरी 2019 में) कहा कि प्रयोगशालाओं की पूरी तरह से स्थापना और पूर्ण श्रमबल की नियुक्ति और प्रशिक्षण हो जाने के बाद लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त हो जाएंगे।

सिफारिश: सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जल गुणवत्ता पर्यवेक्षण और निगरानी निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाए।

2.1.10.5 कार्यक्रम और मूल्यांकन अध्ययन का प्रभाव आकलन

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 19 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार को सभी गतिविधियों अर्थात् संधारणीयता परियोजनाओं पर प्रमुख बल देने वाली आरडब्ल्यूएस परियोजनाओं (100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित), सॉफ्टवेयर गतिविधियों की एसटीए के माध्यम से नियमित निगरानी और मूल्यांकन करना चाहिए और मध्यावधि सुधारों के लिए एसडब्ल्यूएसएम/ एसएलएसएससी/ पीएचई विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। यह हर साल कम से कम एक बार और अधिमानत, द्विवार्षिक रूप से किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2013-18 के दौरान, फरवरी 2018 तक विभाग द्वारा इस तरह का कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप विभाग कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विसंगतियों का आकलन नहीं कर सका और इसलिए कोई सुधार नहीं किया गया।

विभाग ने (फरवरी 2018 में) स्वीकार किया कि 2013-18 के दौरान इस तरह का कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया था। सरकार ने कहा (जनवरी 2019) कि हालांकि इस योजना की निगरानी राज्य, डिवीजनल और जिला स्तर पर की जाती है, फिर भी प्रभाव मूल्यांकन और निष्पादित अध्ययनों के मूल्यांकन कराने के लिए क्षेत्रीय एजेंसियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं।

2.1.10.6 संयुक्त लाभार्थी सर्वेक्षण

लेखापरीक्षा और पीएचई विभाग द्वारा जनवरी 2018 से अगस्त 2018 के दौरान संयुक्त निरीक्षण के परिणामस्वरूप सात चयनित जिलों जहाँ 14 नमूना चयनित

डिवीजन³⁶ कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार थे, के 549 लाभार्थी³⁷ उपभोक्ताओं के संबंध में, निम्न स्थिति सामने आई।

- 41 परिवारों (7 प्रतिशत) ने सूचना दी कि वे अभी भी पाइप से पानी की आपूर्ति के बिना हैं और वे स्प्रिंग्स/ नालों/ हैंडपंपों/ कुओं से पानी ला रहे हैं।
- 73 परिवारों (13 प्रतिशत) ने सूचना दी कि उनके घर परिसरों में पाइप से पानी की आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। इनमें से 13 परिवार गाँव के नलों से पानी ले रहे थे जो 50 से 2000 मीटर की दूरी पर थे।
- 136 परिवारों/ उपभोक्ताओं (27 प्रतिशत³⁸) ने सूचना दी कि पानी की आपूर्ति प्रतिदिन नहीं की जा रही है।
- 123 परिवारों/ उपभोक्ताओं (24 प्रतिशत³⁹) ने सूचना दी कि पानी की आपूर्ति उनके साथ-साथ उनके जानवरों के लिए भी पर्याप्त नहीं है।
- 25 परिवारों (5 प्रतिशत) ने पानी की गुणवत्ता के बारे में शिकायत की और बताया कि गंदे पानी की आपूर्ति की जा रही है।
- 203 परिवारों (37 प्रतिशत) ने सूचना दी कि उन्हें पानी के परीक्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सर्वेक्षण में शामिल सभी (100 प्रतिशत) परिवारों ने बताया कि किसी जलसुरक्षक या किसी अन्य विभागीय कार्यकर्ता (आशा कार्यकर्ता) ने कभी भी उनसे पानी के परीक्षण के लिए संपर्क नहीं किया।
- सभी 549 परिवारों (100 प्रतिशत) ने सूचना दी कि उनके गांव में कोई भी ग्राम जल स्वच्छता समितियां मौजूद नहीं हैं।
- 12 परिवारों (2 प्रतिशत) ने उपभोक्ताओं के रूप में अपनी असंतुष्टि व्यक्त की।

यह देखा गया कि निष्पादित संयुक्त सर्वेक्षण के प्रत्युत्तर में एनआरडीडब्ल्यू कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया थी। विभाग ने कहा (जनवरी 2019) कि योजनाओं को पूरा हाने के बाद सभी घरों में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यह भी कहा गया कि चरणबद्ध तरीके से बाकी निवास स्थानों को कवर करने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा, गंदे पानी की शिकायतों का समाधान

³⁶ 18 नमूना चयनित डिवीजनों में से केवल 14 कार्यशील डिवीजन थी। शेष चार डिवीजनों में दो खरीद डिवीजन और दो ट्रिलिंग डिवीजन शामिल थी जो उपभोक्ताओं/ लाभार्थियों का प्रबंधन नहीं करते थे।

³⁷ प्रत्येक 14 कार्यकारी डिवीजनों में से कम से कम दो दूरस्थ निवास स्थानों के 20 लाभार्थियों के साथ (14 x 2 x 20 = 560 लाभार्थी) निवास-स्थानों का यादृच्छिक चयन। चूंकि एक गांव बहुत छोटा था, जहां केवल 9 लाभार्थियों का चयन किया जा सकता था।

³⁸ $136 / (549-41) * 100 = 27$ प्रतिशत

³⁹ $123 / (549-41) * 100 = 24$ प्रतिशत

अधिक फिल्टरेशन संयंत्रों की संस्थापना के बाद कर दिया जाएगा और जम्मू और श्रीनगर शहरों में प्राथमिकता के आधार पर संस्थापनों की मीटरिंग चल रही है।

2.1.11 निष्कर्ष

योजना की रूपरेखा त्रुटिपूर्ण थी और पाँच साल की व्यापक योजनाएँ तैयार नहीं की गई थीं। हितधारकों की भागीदारी के बिना डिवीजन स्तर पर वार्षिक योजनाएँ तैयार की गई थीं। निष्पादन लेखापरीक्षा में धन प्रबंधन की कमियाँ सामने आईं, जिसमें धन जारी करने में देरी, राज्य के हिस्से का गैर/ कम-भुगतान, गलत रिपोर्टिंग के कारण कुछ योजनाओं के लिए अधिक धन जारी करना, कार्यक्रम निधि पर अर्जित ब्याज की गैर-जवाबदेही आदि शामिल थे। निवास स्थानों के कवरेज में कमी थी। 36 प्रतिशत लक्षित योजनाओं के पूरा न होने से 5.67 लाख व्यक्तियों की परिकल्पित आबादी को पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रभावित हुई। इस तथ्य के बावजूद कि सभी स्कूलों और आंगनवाड़ियों को 2012-13 तक कवर किया जाना था, विभाग ने इसे प्राथमिकता नहीं दी और सात नमूना जांच किए गए जिलों में 17 प्रतिशत स्कूलों और 36 प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्रों को शामिल नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा में एए/ टीएस के बिना या डीपीआर तैयार किए बिना, कार्यों के निष्पादन, धन के विचलन, अनियमित और अनुत्पादक व्यय के मामले भी देखे गए। पानी की गुणवत्ता की निगरानी और पर्यवेक्षण निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं किया गया था और पर्याप्त संख्या में जल स्रोतों और नमूनों का परीक्षण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को सितंबर 2018 में सरकार/ विभाग को भेज दिया गया था, सरकार ने जनवरी 2019 में अपना जवाब दिया था जिसे इस प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है।

लोक निर्माण (सड़क और भवन) विभाग

2.2 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन

भारत सरकार (जीओआई) ने ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र असंबंध निवास स्थानों को 'सर्व मौसम सड़क' द्वारा संपर्क प्रदान करने के लिए दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) आरंभ की। मार्च 2015 तक पीएमजीएसवाई एक 100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना थी तथा बाद में वित्तपोषण पद्धति को केंद्र तथा राज्य के बीच 90:10 के अनुपात में बांटा गया था। सभी कार्मिक लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी जबकि प्रशासनिक और यात्रा खर्चों को भारत सरकार द्वारा निश्चित सीमा⁴⁰ तक राज्य सरकार के साथ अन्य अतिरिक्त लागत के साथ वहन किया जाएगा। पूर्ण की गई सड़क परियोजनाओं के रखरखाव का बजट राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा और भूमि अधिग्रहण हेतु भारत सरकार द्वारा कोई निधि प्रदान नहीं की जाएगी। जम्मू तथा कश्मीर राज्य में पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा दिसंबर 2017 से जून 2018 के बीच, 2013-14 से 2017-18 की अवधि को कवर करते हुए की गई। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

मुख्य विशेषताएं

- 2013-18 के दौरान निर्माणाधीन 9,383.07 किमी की सड़क लंबाई को सम्मिलित करते हुए संस्वीकृत 1,769 सड़क परियोजनाओं में से, मार्च 2018 तक 4,172.50 किमी सड़क लंबाई वाली केवल 810 सड़क परियोजनाएँ (46 प्रतिशत) पूर्ण की गई थी। 2013-18 के दौरान सड़क परियोजनाओं को पूर्ण करने की वर्ष-वार दर 8 से 19 प्रतिशत के बीच थी। भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी इत्यादि में समस्याओं के कारण, 175 निवास स्थानों को जोड़ने के लिए अप्रैल 2013 से पूर्व संस्वीकृत 467 सड़क परियोजनाएँ (सड़क लंबाई: 2,577.88 किमी) अभी मार्च 2018 तक भी अपूर्ण थी।

(पैराग्राफ: 2.2.4)

- राज्य में पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन हेतु योजना अपूर्ण थी क्योंकि जिला ग्रामीण सड़क योजना न तो अधिकतर नमूना कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों में तैयार की गई थीं और न ही मध्यवर्ती पंचायत/ जिला पंचायत/ जिला ग्रामीण विकास विभाग और राज्य स्तर स्थायी समिति से अनुमोदित थी। कोर नेटवर्क में सभी योग्य निवास स्थानों को कवर नहीं किया गया था, अस्वीकार्य सड़क

⁴⁰ पीआईयू हेतु प्रशासनिक खर्च: 1 प्रतिशत; पीआईयू के यात्रा खर्च: 0.50 प्रतिशत; प्रशासनिक तथा यात्रा खर्च (जेकेएसआरआरडीए): 0.25 प्रतिशत (अधिकतम ₹75 लाख) तथा स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी: 0.50 प्रतिशत।

परियोजनाएँ कोर नेटवर्क में सम्मिलित की गई थीं तथा जो सड़क परियोजनाएँ कोर नेटवर्क में नहीं थीं उनको क्रियान्वयन हेतु लिया गया था।

(पैराग्राफ: 2.2.5)

- चरण-I से XI के अंतर्गत 2000-01 से 2017-18 (जनवरी 2018) के दौरान ₹8,892.69 करोड़ की योजना निधि की कुल संस्वीकृति में से, भारत सरकार ने ₹5,092.14 करोड़ जारी किए जिसके प्रति मार्च 2018 तक ₹4,312.41 करोड़ खर्च किये गये थे। 2015-18 के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंत शेष ₹128 करोड़ से ₹1,046 करोड़ के बीच था।

(पैराग्राफ: 2.2.6.1)

- सड़क परियोजनाओं को पूर्ण करने की कम प्रगति के कारण, भारत सरकार द्वारा चरण-VI, VII और IX के अंतर्गत ₹1,494.60 करोड़ की शेष निधि को जारी नहीं किया गया। राज्य के देय भाग ₹252 करोड़ के प्रति, राज्य सरकार ने 2015-18 के दौरान ₹97 करोड़ शेष रखते हुए ₹155 करोड़ जारी किये थे।

(पैराग्राफ: 2.2.6.1)

- जेकेएसआरआरडीए द्वारा रखी गई ₹36.22 करोड़ की मांग के प्रति, राज्य सरकार द्वारा केवल ₹8.12 करोड़ (22 प्रतिशत) जारी किया गया। 2013-18 के दौरान, निधियों के उपयोग की प्रतिशतता बहुत कम थी तथा इसकी सीमा 6 से 30 प्रतिशत के बीच थी।

(पैराग्राफ: 2.2.6.2)

- अप्रैल 2000 तक 2,738 संपर्क रहित निवास स्थानों में से, 2000-2018 के दौरान कुल 1,694 (62 प्रतिशत) निवास स्थानों को जोड़ा गया और मार्च 2018 के अंत तक 1,044 (38 प्रतिशत) निवास स्थानों को जोड़ा जाना शेष था। वर्ष 2003 तक 1,000 तथा अधिक जनसंख्या वाले 572 संस्वीकृत निवास स्थानों को कवर करने के लक्ष्य के प्रति, मार्च 2018 तक 506 निवास स्थानों को संपर्क में लाया गया। जबकि 500 से 999 के बीच की जनसंख्या वाले निवास स्थानों को 2007 तक कवर किया जाना था, जबकि जेकेएसआरआरडीए मार्च 2018 तक भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत 870 में से 112 योग्य निवास स्थानों की कमी के साथ 758 निवास स्थानों को ही कवर कर सकी।

(पैराग्राफ: 2.2.7.2)

- चरण-VI से X के अंतर्गत ₹169.68 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत 46 सड़क परियोजनाओं, जिन पर जनवरी 2018 तक ₹39.93 करोड़ का व्यय हुआ, का क्रियान्वयन भूमि विवाद, वन भूमि की नामंजूरी इत्यादि के कारण पूर्ण नहीं हुआ था।

(पैराग्राफ: 2.2.8)

- भूमि अधिग्रहण हेतु नौ जिलों के 13 पीआईयू द्वारा जारी ₹370.70 करोड़ में से, ₹302.54 करोड़ की राशि राजस्व विभाग के पास, ₹17.85 करोड़ वन विभाग के पास तथा ₹5.80 करोड़ पीएचई/ पीडीडी/ सिंचाई विभाग के पास रखी हुई थी।
(पैराग्राफ: 2.2.8.4)
- नौ नमूना जिलों में, ₹1,031.35 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत 254 सड़क परियोजनाएँ, जिनपर ₹514.62 करोड़ का व्यय हुआ, को सक्षम प्राधिकारी से एए/टीएस को प्राप्त किए बिना ₹935.96 करोड़ की लागत पर आबंटित किया गया। आठ पूर्ण/ रोकی गई सड़क परियोजनाओं के संबंध में ₹46.52 लाख के मोबिलाईजेशन/ मशीनरी अग्रिम को ठेकेदारों से नहीं वसूला गया। ठेकेदारों पर ₹17.64 करोड़ का परिसमापित हर्जाना नहीं लगाया गया था।
(पैराग्राफ: 2.2.8.5)
- 2013-14 से 2017-18 के दौरान एसक्यूएम द्वारा संचालित 492 निरीक्षणों के संबंध में किसी भी पीआईयू के द्वारा कोई भी गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत नहीं की गई, जबकि 159 निरीक्षणों को 'असंतोषजनक' और शेष 333 को 'सुधार की आवश्यकता' ग्रेड दिया गया। आठ नमूना जिलों में किए गए 221 निरीक्षणों के संबंध में एटीआर पीआईयू से प्रतीक्षित थी। पीएमजीएसवाई निर्माणकार्यों की निगरानी हेतु नौ नमूना जिलों में डीवीएमसी/ डीआईएसएचए द्वारा आयोजित की जाने वाली आवश्यक 180 बैठकों के प्रति, 2013-18 के दौरान दो जिलों में केवल छः बैठकें आयोजित की गईं।
(पैराग्राफ: 2.2.9.5 तथा 2.2.9.9)
- ओएमएमएस का डेटाबेस अपूर्ण और अविश्वसनीय था। अप्रैल 2000 तक जेकेएसआरआरडीए द्वारा संपर्करहित बताए गए 2,738 निवास स्थानों के प्रति, ओएमएमएस में 2,493 निवास स्थानों को संपर्करहित दर्शाया गया।
(पैराग्राफ: 2.2.10)

2.2.1 प्रस्तावना

दिसंबर 2000 में शुरू की गई पीएमजीएसवाई मार्च 2015 तक केंद्र द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित योजना थी जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के लिए एक रणनीति के रूप में 500 व्यक्तियों और उससे अधिक (पहाड़ी क्षेत्रों में 250 व्यक्ति) की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य असंबद्ध निवास स्थानों के लिए एक 'सभी मौसम वाली सड़क' के माध्यम से संपर्क प्रदान करना था। मार्च 2015 के बाद, वित्त पोषण पद्धति को 90:10 के अनुपात में केंद्र और राज्य के बीच साझा किया गया था। सड़कों को आवश्यक पुलियाँ और क्रॉस ड्रेनेज संरचनाओं के साथ प्रदान किया

जाना था ताकि उन्हें पूरे वर्ष मोटर योग्य बनाया जा सके। इसके अलावा, मौजूदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन को दूसरी प्राथमिकता के काम के रूप में भी लिया जाना है। जम्मू और कश्मीर में, पीएमजीएसवाई को 2000-01 से लागू किया गया था और मार्च 2018 तक ग्यारहवें चरण⁴¹ तक ले जाया गया है।

चयनित पारगामी मार्गों और कुछ प्रमुख ग्रामीण लिंक⁴² के उन्नयन के माध्यम से पूरे ग्रामीण सड़क नेटवर्क को समेकित करने के लिए, भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर के मामले में 90:10 के अनुपात में केंद्र और राज्यों के बीच लागत सहभाजन के आधार पर पीएमजीएसवाई- II नाम से एक नई योजना (मई 2013 में) शुरू की। पीएमजीएसवाई-II दिशानिर्देशों के पैरा 4.1 के अनुसार, कोई भी राज्य इस कार्यक्रम के तहत तभी भाग ले सकता है जब पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत 100 प्रतिशत नई संपर्कता और 90 प्रतिशत उन्नयन कार्य किए हों। चूंकि राज्य ने पीएमजीएसवाई-I के तहत परिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया था, अतः जनवरी 2019 तक पीएमजीएसवाई-II को राज्य में लागू किया जाना बाकी है। मार्च 2019 तक, राज्य में 40,500 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है, जिसमें से 9,000 किलोमीटर (22 प्रतिशत) सड़क लंबाई पीएमजीएसवाई के अंतर्गत है।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

राज्य स्तर पर, कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं की निगरानी, समन्वय और क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा अपनी एजेंसी जम्मू और कश्मीर राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (जेकेएसआरआरडीए) के माध्यम से किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) द्वारा और दो मुख्य इंजीनियरों, जम्मू और कश्मीर द्वारा सहायता की जाती है। जिला स्तर पर, केवल पीएमजीएसवाई कार्यों के निष्पादन के लिए कार्यकारी इंजीनियरों (ईई) की अध्यक्षता में 22⁴³ जिलों में 30 कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) नामित की गई हैं। पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन में लगे विभिन्न प्राधिकरणों/ एजेंसियों को दर्शाने वाला एक संगठनात्मक ढांचा **परिशिष्ट-2.2.1** में दिया गया है।

⁴¹ चरण- I (2000-01), चरण- II (2001-03), चरण- III (जून 2004), चरण- IV (अप्रैल 2006), चरण- V (मार्च 2007), चरण- VI (मई 2008), चरण- VII (अप्रैल 2010), चरण- VIII (जुलाई 2012), चरण- IX (दिसंबर 2012), चरण- X (अगस्त 2016) और चरण- XI (जनवरी 2018)

⁴² पारगामी मार्ग वह हैं जो कई लिंक सड़कों या निवास स्थानों की एक लंबी श्रृंखला से यातायात एकत्र करता है और यह सीधे या उच्च श्रेणी की सड़कों के माध्यम से अर्थात् जिला सड़कें या राज्य या राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से विपणन केंद्रों तक पहुंचता है। यदि पारगामी मार्ग ग्रामीण सड़कों का हिस्सा नहीं है, तो सड़कों की अगली निचली श्रेणियां मुख्य ग्रामीण लिंक (एमआरएल) हैं।

⁴³ तत्कालीन 14 जिलों में अनुरक्षित पीएमजीएसवाई के अभिलेख जो ओएमएमएस में दर्शाए गए हैं

2.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या:

- कोर नेट कार्य के साथ-साथ जिला ग्रामीण सड़क योजना (डीआरआरपी) की पहचान/ तैयारी के लिए मौजूद प्रणाली और प्रक्रियाएँ पर्याप्त थीं और कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुरूप थीं;
- पीएमजीएसवाई के तहत निधियों का आवंटन और विमोचन धन के इष्टतम उपयोग के लिए पर्याप्त और समयबद्ध तरीके से किया गया था;
- सड़क के कार्यों को किफायत से, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निष्पादित किया गया था और
- वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र और निगरानी प्रणाली पर्याप्त और प्रभावी थी।

2.2.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

2008-09 से 2012-13 के लिए पीएमजीएसवाई की निष्पादन लेखापरीक्षा नवंबर 2012 और मई 2013 के बीच की गई थी और 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु सामाजिक, सामान्य, आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। लोक लेखा समिति (पीएसी) में प्रतिवेदन पर आंशिक रूप से (अगस्त 2015 में) चर्चा की गई थी, हालांकि, कोई सिफारिश नहीं दी गई थी।

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा दिसंबर 2017 से जून 2018 के बीच की गई थी, जिसमें 2013-14 से 2017-18 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन को शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा जाँच में लेखापरीक्षा अवधि से पहले स्वीकृत कार्यों से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जाँच, जो लेखापरीक्षा अवधि अर्थात् 2013-14 से 2017-18 के दौरान प्रगति पर थे (चालू कार्य) या पूर्ण हो चुके थे; और लेखापरीक्षा अवधि के दौरान स्वीकृत कार्य और प्रगतिशील (चालू) या पूर्ण हो चुके थे और लेखापरीक्षा अवधि के दौरान स्वीकृत कार्य जो विभिन्न कारणों से कार्यान्वित नहीं किए जा सके। इन कार्यों का चयन प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टु साइज विदाउट रिपलेशमेंट (पीपीएसडबल्यूओआर) के माध्यम से और इनका जांच परीक्षण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेकेएसआरआरडीए, मुख्य अभियंता (जम्मू और कश्मीर) और 22 जिलों की 30 पीआईयू में से नौ जिलों⁴⁴ की 14 पीआईयू के कार्यालयों में किया

⁴⁴ जम्मू प्रांत: (1) रामबन (पीआईयू रामबन और बनिहाल) (2) राजौरी (पीआईयू राजौरी और बुधल) (3) उधमपुर (पीआईयू उधमपुर और रामनगर) (4) जम्मू (पीआईयू जम्मू); कश्मीर प्रांत: (5) कुपवाड़ा (पीआईयू कुपवाड़ा और हंदवाड़ा), (6) बारामूला (पीआईयू बारामूला और उरी), (7) अनंतनाग (पीआईयू: अनंतनाग), (8) गांदरबल (पीआईयू गांदरबल) और (9) लेह (पीआईयू लेह)

गया। पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए, नौ नमूना जिलों में 272 सड़क परियोजनाओं में से 49 सड़क परियोजनाओं⁴⁵ के संयुक्त निरीक्षण (विभाग के प्रतिनिधियों के साथ) के माध्यम से भौतिक साक्ष्य भी एकत्र किए गए थे।

राज्य में, अप्रैल 2013 तक निर्माण की जाने वाली 5,863.13 किलोमीटर की सड़क लंबाई के साथ 1,227 सड़क परियोजनाएं थीं और भारत सरकार ने 2013-18 के दौरान 3,519.94 किलोमीटर की सड़क लंबाई की 542 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें से, 4,172.50 किमी सड़क लंबाई की 810 सड़क परियोजनाएं (46⁴⁶ प्रतिशत) पूरी हो गई थी, मार्च 2018 तक 5,210.57 किलोमीटर की लंबाई की 959 सड़क परियोजना रह गई थी जिसमें 467 वे सड़क परियोजनाएं शामिल थीं जिन्हें अप्रैल 2013 से पहले मंजूरी दी गई थी। लेखापरीक्षा अवधि (2013-18) के दौरान सड़क परियोजनाओं के निष्पादन की स्थिति को **परिशिष्ट-2.2.2** में दिखाया गया है।

जैसा कि **परिशिष्ट-2.2.2** से देखा जा सकता है, समीक्षा अवधि के दौरान सड़क परियोजनाओं की पूर्णता 8 से 19 प्रतिशत के बीच थी। यह देखा गया कि 175 निवास स्थानों को जोड़ने के लिए अप्रैल 2013 से पहले स्वीकृत 1,227 में से 467 सड़क परियोजनाएं (सड़क की लंबाई: 2,577.88 किलोमीटर) भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी आदि में समस्याओं के कारण अभी भी (मार्च 2018) तक अधूरी थी।

आईटी नोडल अधिकारी पीएमजीएसवाई जेकेएसआरआरडीए ने (सितंबर 2018 में) कहा कि राज्य में अशांत स्थिति और भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी में समस्याओं और लंबे अदालती मामलों के कारण; कार्यक्रम के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग से दिशानिर्देशों के अनुसार सड़क परियोजनाओं के अनुमोदन/ स्वीकृति से पहले भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना अपेक्षित है।

विस्तृत जांच के लिए, 729 निवास स्थानों⁴⁷ के 979 पैकेजों⁴⁸ में से 196 निवास स्थानों⁴⁹ के 272 पैकेज⁵⁰ (26 प्रतिशत⁵¹) का चयन सिम्पल रैंडम सैंपलिंग विदाउट

⁴⁵ रामबन: 6; राजौरी: 12; उधमपुर: 13; जम्मू: 3; बारामूला: 2; गांदरबल: 3; कुपवाड़ा: 4; अनंतनाग: 3 और लेह: 3

⁴⁶ $810 / (1,227 + 542 = 1,769) \times 100$

⁴⁷ रामबन: 90; राजौरी: 121; उधमपुर: 273; जम्मू: 48; बारामूला: 55; गांदरबल: 36; कुपवाड़ा: 35; अनंतनाग: 68 और लेह: 3

⁴⁸ नई कनेक्टिविटी: 907; अप-ग्रेडेशन: 72

⁴⁹ रामबन: 20; राजौरी: 36; उधमपुर: 87; जम्मू: 10; बारामूला: 8; गांदरबल: 7; कुपवाड़ा: 7; अनंतनाग: 19 और लेह: 2

⁵⁰ नई कनेक्टिविटी: 233; अप-ग्रेडेशन: 39

⁵¹ कुल नमूना चयनित परियोजनाएं 272 थीं, जिनमें से 254 सड़क के काम (254/ 979 x 100 = 26 प्रतिशत) को विस्तृत जांच के लिए चुना गया था, क्योंकि 18 सड़क परियोजनाओं पर नमूना चयन के समय टेंडर प्रक्रिया चल रही थी/ आवंटित नहीं किया गया था।

रिपलेशमेंट (एसआरएसडब्ल्यूओआर) का उपयोग करके चुना⁵² गया था। चयनित जिलों के पैकेजों और नई संपर्कता और अपग्रेडेशन के तहत चयनित पैकेजों में कुल संख्या की स्थिति **परिशिष्ट-2.2.3** में दी गई है।

एंटी कॉन्फ्रेंस के दौरान लेखा परीक्षा के उद्देश्यों/ मानदंडों/ कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर सशक्त अधिकारी पीएमजीएसवाई जम्मू और कश्मीर (जम्मू-कश्मीर सरकार के आयुक्त सचिव, लोक निर्माण, अनुसंधान एवं विकास विभाग) के साथ (जनवरी 2018 में) चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मुद्दों पर विभाग के उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए सशक्त अधिकारी के साथ 4 जनवरी 2019 को एक एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। लेखापरीक्षा के मापदंड **परिशिष्ट-2.2.1** में दिये गये हैं।


लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.5 योजना बनाना

पीएमजीएसवाई परिचालन पुस्तिका (ओएम) के अनुसार निवास स्थानों की सड़क संपर्कता की स्थिति के साथ जिले में सभी ग्रामीण निवास स्थानों को इंगित करते हुए प्रत्येक पीआईयू द्वारा जिला ग्रामीण सड़क योजना (डीआरआरपी) तैयार किया जाना आवश्यक था। तत्पश्चात, कोर नेटवर्क (सीएनडब्ल्यू), डीआरआरपी का सबसे छोटा संकेत जो डीआरआरपी में सबसे छोटी एकल संयोजकता को दर्शाता है, डीआरआरपी से प्राप्त किया जाता है। नई संपर्कता के लिए व्यापक नई संपर्कता प्राथमिकता सूची (सीएनसीपीएल) और मौजूदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिए व्यापक अपग्रेडेशन प्राथमिकता सूची (सीयूपीएल) को भी सीएनडब्ल्यू से तैयार किया जाना था। ओएम के पैरा 3.4 के अनुसार, जैसे ही डीआरआरपी को अंतिम रूप दिया जाएगा, पीआईयू ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखाकरण प्रणाली (ओएमएमएस) में डेटा दर्ज करेंगे। जिले के मास्टर डेटा को पहले दर्ज किया जाता है उसके बाद निवास स्थानों और उन्हें जोड़ने वाली सड़कों के विवरण को दर्ज किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) द्वारा विकसित ओएमएमएस के सॉफ्टवेयर को राज्य में किसी भी स्तर पर संशोधित नहीं किया जाएगा और परिवर्तन के लिए किसी भी आवश्यकता और सुझाव को एनआरआरडीए (कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 16.1) को सूचित किया जाएगा। नियोजन प्रक्रिया प्रवाह को निम्नानुसार चार्ट में दिखाया गया है:

⁵² कुल पैकेजों का 25 प्रतिशत (न्यूनतम पांच) का चयन किया गया

चार्ट-2.2.1



नौ नमूना चयनित जिलों में अभिलेखों की संवीक्षा से नियोजन में विभिन्न कमियों का पता चला, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

2.2.5.1 जिला ग्रामीण सड़क योजना

जैसा कि परिचालन पुस्तिका (ओएम) के पैरा 3.1.2 में परिकल्पित किया गया है, जिला ग्रामीण सड़क योजना (डीआरआरपी) जिले में मौजूदा और प्रस्तावित सड़क नेटवर्क प्रणालियों का एक संग्रह है। डीआरआरपी को आर्थिक और कुशल तरीके से सभी मौसम सड़कों के साथ असंबद्ध निवास स्थानों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित सड़कों की स्पष्ट रूप से पहचान करना अपेक्षित है और इसे ब्लॉक और जिला स्तर

पर तैयार किया जाता है। संबंधित मध्यवर्ती पंचायत के अनुमोदन के बाद एक जिले के सभी ब्लॉकों की योजनाओं को डीआरआरपी में एकीकृत किया जाना है। इसे जिला पंचायत या जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) के समक्ष विचार और अनुमोदन के लिए रखा जाता है। इसलिए, डीआरआरपी को राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) की मंजूरी के लिए नोडल विभाग/ जम्मू और कश्मीर राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (जेकेएसआरआरडीए) के समक्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित है। स्वीकृत डीआरआरपी कोर नेटवर्क (सीएनडब्ल्यू) के माध्यम से पीएमजीएसवाई के तहत सड़क कार्यों के चयन के लिए आधार बनाते हैं।

दिशानिर्देशों के विपरीत, नौ नमूना चयनित जिलों में से छह⁵³ में, डीआरआरपी तैयार नहीं किया गए थे और शेष तीन जिलों⁵⁴ में; डीआरआरपी हालांकि उपलब्ध थे, पर पीएमजीएसवाई के परिचालन मैनुअल के अनुसार मध्यवर्ती पंचायत, जिला पंचायत/ डीआरडीए और एसएलएससी से इसकी मंजूरी का कोई साक्ष्य नहीं था।

कार्यकारी अभियंताओं (ईई) ने (मार्च से जून 2018 में) कहा कि विभिन्न एजेंसियों से डीआरआरपी के अनुमोदन से संबंधित प्रासंगिक अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। एग्जिट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2019) में, आयुक्त सचिव, आरएंडबी ने कहा कि विभिन्न एजेंसियों से डीआरआरपी के अनुमोदन से संबंधित अभिलेख 2014 की विनाशकारी बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गए।

सिफारिश: डीआरआरपी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए और इसके प्रावधानों का विधिवत पालन किया जाना चाहिए।

2.2.5.2 कोर नेटवर्क की तैयारी में कमी

ओएम के पैरा 3.2.1 में परिकल्पना की गई है कि कोर नेटवर्क (सीएनडब्ल्यू)⁵⁵ की पहचान के लिए, निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की प्राथमिकताओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। सीएनडब्ल्यू को सभी स्तरों, अर्थात् इंटरमीडिएट पंचायत, जिला पंचायत और एसएलएससी से मंजूर किया जाएगा। ओएमएमएस में सीएनडब्ल्यू सड़कों की पहचान हो जाने पर, ओएमएमएस जिले के लिए सीएनसीपीएल का उत्पादन करने में सक्षम हो जाएगी, और साथ ही, एक बार फुटपाथ स्थिति सूचकांक दर्ज हो जाए तो सीयूपीएल (ओएम के पैरा 3.4.2)। विभिन्न पदाधिकारियों के प्रतिनिधित्व के इन सभी मूल अभिलेखों को संबंधित पीआईयू में रखा जाना चाहिए।

⁵³ राजौरी, उधमपुर, जम्मू, बारामूला, गांदरबल और लेह

⁵⁴ रामबन, अनंतनाग और कुपवाड़ा

⁵⁵ सीएनडब्ल्यू सभी ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क है जो सभी निवास स्थानों को मूलभूत पहुंच प्रदान करता है। यह डीआरआरपी से प्राप्त सड़कों का सैट है जो सभी एकल मौसम सड़कों की कनेक्टिविटी के साथ लक्षित निवास स्थानों को कवर करता है।

नौ नमूना चयनित जिलों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, ओएमएमएस से डाउनलोड की गई ब्लॉक-वार सीएनडब्ल्यू की प्रतियां प्रदान की गईं; हालांकि, प्रासंगिक अभिलेखों के अभाव में, निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी और मध्यवर्ती पंचायत, जिला पंचायत/ डीआरडीए और एसएलएससी से सीएनडब्ल्यू का अनुमोदन (जून 2018) सत्यापित नहीं किया जा सका। इसलिए, यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि सीएनडब्ल्यू की तैयारी में जनप्रतिनिधियों के सुझावों का पर्याप्त रूप से ध्यान रखा गया था।

ईई ने (मार्च से जून 2018 में) कहा कि जनप्रतिनिधि की भागीदारी और सीएनडब्ल्यू की मंजूरी से संबंधित कोई अभिलेख ग्रामीण विकास विभाग/ लोक निर्माण विभाग (आरडीडी/ पीडब्ल्यूडी) से प्राप्त नहीं हुए थे। एग्जिट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2019) में, आयुक्त सचिव, आरएंडबी ने कहा कि सभी जिलों के लिए सीएनडब्ल्यू के अभिलेख, पीडब्ल्यूडी आरएंडबी विभाग से प्राप्त किए गए थे, जिन्हें पीएमजीएसवाई के अलग विंग के निर्माण के बाद मुख्य अभियंता कार्यालय, श्रीनगर के रिकॉर्ड रूम में रखा गया था और वे 2014 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गए थे।

इस प्रकार, सीएनडब्ल्यू को बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने और डीआरआरपी को न बनाने के कारण यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता था कि सभी योग्य असंबद्ध निवास स्थानों को वास्तव में सीएनडब्ल्यू में शामिल किया गया था। सीएनडब्ल्यू की अनुचित तैयारी की पुष्टि नौ नमूना जिलों में की गई जहाँ मार्च 2018 तक 250 तथा अधिक आबादी वाले 1,171 असंबद्ध योग्य निवास स्थानों में से, 606 निवास स्थानों⁵⁶ को मूल सीएनडब्ल्यू (जनगणना 2001) में शामिल नहीं किया गया था जो कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 2.1 का उल्लंघन था, जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि 250 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाले सभी योग्य असंबद्ध बस्तियों को एक सभी मौसम सड़क के माध्यम से संपर्कता प्रदान की जाए और इस प्रकार, ये सभी पीएमजीएसवाई योजना के लाभों से वंचित रहें। ईई ने (मार्च से जून 2018 में) कहा कि, हालांकि बचे हुए आवासों को ओएमएमएस में अपलोड किया गया था, लेकिन एनआरआरडीए/ एमओआरडी द्वारा अनुमोदन नहीं दिया गया था। सीएनडब्ल्यू की तैयारी के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। एग्जिट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2019) में, आयुक्त सचिव, आरएंडबी ने कहा कि ओएमएमएस में दर्ज बस्तियों पर एमओआरडी, भारत सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया था और जून 2018 में हटा दिया गया था। हालांकि, वित्तीय नियंत्रक, पीएमजीएसवाई (जेकेएसआरआरडीए), ने

⁵⁶ जम्मू: 18; उधमपुर: 150; रामबन: 51; राजौरी: 152; गांदरबल: 29; अनंतनाग: 109; बारामूला: 89; कुपवाड़ा: 7 और लेह: 1

(अप्रैल 2019 में) कहा कि पीएमजीएसवाई- III के तहत शेष निवास स्थानों पर विचार किया जाएगा।

(क) अस्वीकार्य सड़क परियोजनाओं को शामिल करना

कार्यक्रम दिशानिर्देशों का पैरा 3.3 परिकल्पना करता है कि असंबद्ध बस्ती वह है जो विनिर्दिष्ट जनसंख्या आकार के साथ बारामासी सड़क से एक समतल क्षेत्र की संयुक्त बस्ती से कम से कम 500 मीटर या उससे अधिक और पर्वतीय मामलों में 1.5 किमी पथ की दूरी पर स्थित है।

सीएनडब्ल्यू की नमूना-जाँच के दौरान, नौ नमूना जिलों में से छह में, सीएनडब्ल्यू की तैयारी में कमियों को देखा गया था, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में 1.5 किमी से कम की दूरी पर 64 सड़क परियोजनाएं⁵⁷ कार्यक्रम दिशानिर्देशों के उल्लंघन में सीएनडब्ल्यू में शामिल थीं।

ईई ने (मार्च से जून 2018 में) कहा कि इन सड़कों को एनआरआरडीए, भारत सरकार ने मंजूरी दी थी। तथ्य यह है कि विभाग ने कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार सीएनडब्ल्यू की तैयारी के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया, इसके अलावा एनआरआरडीए ने सीएनडब्ल्यू को इस तथ्य के बावजूद भी मंजूरी दी कि ओएमएमएस में पहचानी गई सीएनडब्ल्यू सड़कें स्पष्ट रूप से निर्माण की जाने वाली सड़कों की लम्बाई का संकेत देती हैं।

(ख) कोर नेटवर्क पैरामीटर्स की अननुपालना

दिशानिर्देशों के पैरा 3.6 में परिकल्पित है कि सीएनडब्ल्यू सड़कों और मार्गों का वह न्यूनतम नेटवर्क है जो कम से कम एकल सभी मौसम सड़क संपर्क के माध्यम से चयनित क्षेत्रों में सभी योग्य बस्तियों के लिए आवश्यक सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का मूल अभिगम प्रदान करने के लिए आवश्यक है। विभाग ने ब्लॉक वार सीएनडब्ल्यू को कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया। सीएनडब्ल्यू ने सड़क का नाम, जुड़ी हुई बस्तियों का विवरण, सड़क की लंबाई आदि को दर्शाया।

विस्तृत परियोजनाओं रिपोर्ट (डीपीआर)/ मासिक प्रगति रिपोर्ट के साथ सीएनडब्ल्यू से संबंधित रिकॉर्ड की तुलना में, नौ नमूना जिलों में यह देखा गया कि क्रियान्वयन के लिए ली गई सड़क परियोजनाएं सड़कों की वास्तविक लंबाई से कम या अधिक थी,

⁵⁷ जम्मू: 9; गांदरबल: 8; अनंतनाग: 30; बारामूला: 11; कुपवाड़ा: 4 और लेह: 2

जैसा कि सीएनडब्ल्यू में प्रतिबिम्बित था। 117 सड़क परियोजनाओं⁵⁸ में, 998.11 किमी की लंबाई जैसा कि सीएनडब्ल्यू में प्रतिबिम्बित था, के प्रति 679.86 किमी को वास्तव में क्रियान्वयन के लिए लिया गया था। इन सड़क परियोजनाओं के संबंध में कम की गई सड़क की लंबाई 0.10 से 58.85 किमी⁵⁹ तक कम थी। दूसरी ओर, 60 सड़क परियोजनाओं⁶⁰ को सीएनडब्ल्यू में वर्णित 306.18 किमी सड़क की लंबाई के प्रति 396.30 किलोमीटर की कुल सड़क लंबाई के साथ क्रियान्वयन के लिए लिया गया था। इन सड़क परियोजनाओं के संबंध में क्रियान्वित अतिरिक्त सड़क लंबाई 0.10 से 5.97 किमी के बीच थी, जिसके लिए कोई अनुमोदन उपलब्ध नहीं था। सीएनडब्ल्यू में प्रतिबिम्बित सड़क की लंबाई के संबंध में कम/ अतिरिक्त सड़कों की लंबाई लेने के कारण रिकॉर्ड पर नहीं थे।

ईई ने (मार्च से जून 2018 में) कहा कि सड़कें एनआरआरडीए (जीओआई) द्वारा अनुमोदित की गई थीं और लक्षित गांवों/ बस्तियों को जोड़ने के लिए वास्तविक लंबाई, साइट पर ली गई हैं। जवाब को इन तथ्यों के आलोक में देखा जाना चाहिए कि ब्लॉक, गांव, बस्ती और सीएनडब्ल्यू में सड़कों के मुख्य प्रबंधन के भाग का विवरण केवल एक ही बार ओएमएमएस में दर्ज किया जाता है और किसी भी स्तर पर इसके संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) कोर नेटवर्क में न पाई गई सड़क परियोजनाओं का कार्यान्वयन

पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों के पैरा 3.8 के अनुसार, प्रत्येक सड़क कार्य को सीएनडब्ल्यू का हिस्सा होना चाहिए। नौ नमूना जिलों में से छह में, हालांकि, यह देखा गया कि 45 सड़क कार्य⁶¹ जो ₹113.19 करोड़ (स्वीकृत लागत: ₹150.15 करोड़) की लागत से क्रियान्वित किए गए थे, सीएनडब्ल्यू का हिस्सा नहीं थे।

ईई ने (मार्च से जून 2018 में) कहा कि ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी) और पीडब्ल्यूडी विभागों द्वारा किए गए खराब सर्वेक्षण के कारण बस्तियों को मूल सीएनडब्ल्यू में शामिल नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें छोड़ दिया गया। तथ्य यह है कि इन सड़क कार्यों को पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में राज्य सरकार/ एनआरआरडीए द्वारा क्रियान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया

⁵⁸ जम्मू: 7; उधमपुर: 52; रामबन: 6; राजौरी: 7; गांदरबल: 9; अनंतनाग: 6; बारामूला: 17; कुपवाड़ा: 10 और लेह: 3

⁵⁹ सीएनडब्ल्यू के अनुसार फंजिला से लिंगसहेड (फोटास्कर) तक सड़क की लंबाई 96 किलोमीटर थी, जबकि एनआरआरडीए द्वारा पैकेज नंबर जेके09-13 के तहत इसे डीपीआर के अनुसार 37.15 किमी स्वीकृत किया गया था।

⁶⁰ जम्मू: 2; उधमपुर: 5; रामबन: 1; राजौरी: 4; गांदरबल: 4; अनंतनाग: 9; बारामूला: 17; कुपवाड़ा: 16 और लेह: 2

⁶¹ जम्मू: 2; रामबन: 1; अनंतनाग: 10; बारामूला: 11; कुपवाड़ा: 11 और लेह: 10

था, जिसके परिणामस्वरूप योग्य बस्तियों को सड़क संपर्कता प्रदान नहीं की जा सकी।

सिफारिश: सीएनडब्ल्यू की तैयारी में कमी को संबोधित किया जाना चाहिए और इसके प्रावधानों का योग्य बस्तियों को कवर करने के लिए पालन किया जाना चाहिए।



बालीनी से कटाल बटल उन्नयन का निरीक्षण 06.03.2018 को किया गया जो सीएनडब्ल्यू में शामिल नहीं थी

2.2.5.3 व्यापक नई संपर्कता प्राथमिकता सूची/ व्यापक उन्नयन प्राथमिकता सूची

ओएम के पैरा 3.3.1 में परिकल्पना की गई है कि एक बार सीएनडब्ल्यू तैयार हो जाए तो राज्यों को प्राथमिकता⁶² के क्रम में समूहीकृत किए गए सभी प्रस्तावित रोड लिंक के ब्लॉक और जिला स्तर पर व्यापक नई संपर्कता प्राथमिकता सूची (सीएनसीपीएल) तैयार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, कार्यक्रम दिशा-निर्देश (पैरा 6.3 और 6.4) अनुबंधित करते हैं कि उन जिलों के संबंध में एक व्यापक उन्नयन प्राथमिकता सूची (सीयूपीएल) तैयार की जानी है, जहां कोई नई संपर्कता देना शेष नहीं है। सीयूपीएल को राज्य तकनीकी एजेंसियों (एसटीए) और राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर (एनक्यूएम) के माध्यम से नमूना आधार पर सत्यापित किया जाना है। इसकी मंजूरी के लिए सीएनसीपीएल/ सीयूपीएल को जिला पंचायत के समक्ष रखा जाएगा। सांसद/ विधायक को सीएनसीपीएल/ सीयूपीएल की एक प्रति दी जानी है और उनके सुझावों और साथ-साथ निम्न स्तर की पंचायती राज संस्था के सुझावों को अनुमोदन के समय जिला पंचायतों द्वारा पूर्ण महत्व दिया जाना था।

सीएनसीपीएल/ सीयूपीएल की तैयारी में देखी गई कमियाँ निम्नानुसार थीं:

⁶² प्राथमिकता-I: 1,000 व्यक्ति और उससे अधिक; प्राथमिकता- II: 500 व्यक्ति और उससे अधिक लेकिन 1,000 से कम व्यक्ति और प्राथमिकता- III: 250 व्यक्ति और उससे अधिक लेकिन 500 से कम व्यक्ति

(क) सीएनसीपीएल/ सीयूपीएल की मंजूरी न होना

नौ नमूना जिलों में सीएनसीपीएल/ सीयूपीएल की संवीक्षा के दौरान, ब्लॉक स्तर,⁶³ जिला पंचायत⁶⁴ में मध्यवर्ती पंचायत से निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी और सीएनसीपीएल/ सीयूपीएल की मंजूरी के प्रमाण को सत्यापित करने के लिए रिकॉर्ड (जून 2018) में कुछ भी नहीं था। इसके अलावा, एसटीए/ एनक्यूएम द्वारा नमूना आधार पर सीयूपीएल को सत्यापित नहीं किया गया था (जून 2018)।

ईई ने (मार्च से जून 2018 में) कहा कि अद्यतित सीएनसीपीएल और सीयूपीएल ओएमएमएस में उपलब्ध हैं। आईटी नोडल अधिकारी पीएमजीएसवाई, जेकेएसआरआरडीए ने (सितंबर 2018 में) कहा कि पीडब्ल्यूडी, आरएंडबी विभाग से प्राप्त सभी जिलों के डीआरआरपी, सीएनडब्ल्यू, सीएनसीपीएल, सीयूपीएल से संबंधित सभी अभिलेख 2014 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके अलावा यह भी कहा गया कि उस समय कोई पंचायतें मौजूद नहीं थीं और मंजूर की गई सभी सड़क परियोजनाएं मंजूरी के लिए एनआरआरडीए/ एमओआरडी को प्रस्तुत करने से पहले एसएलएससी द्वारा अनुमोदित थीं। उत्तर तर्कसंगत नहीं है और इसे इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि जहां डीआरआरपी, सीएनडब्ल्यू, सीएनसीपीएल और सीयूपीएल की तैयारी के समय कोई पंचायत मौजूद नहीं थी, वहां इसे जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (ओएम का पैरा 3.1.2) से अनुमोदित होना चाहिए था। तथ्य यह है कि मध्यवर्ती पंचायतों के अनुमोदन का पता लगाने के लिए कोई भी क्षेत्र न तो ओएमएमएस में उपलब्ध है, और न ही किसी भी प्रत्यक्ष रिकॉर्ड को सत्यापन और मध्यवर्ती पंचायतों से सीएनसीपीएल/ सीयूपीएल के अनुमोदन के समर्थन में लेखापरीक्षा के लिए दिखाया गया।

(ख) सीएनसीपीएल और सीयूपीएल दोनों में सड़कों का समावेश

सीयूपीएल के साथ सीएनसीपीएल की तुलना करने पर, लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ नमूना जिलों में से छह में, सीएनडब्ल्यू की 48 सड़कें⁶⁵ जो केवल उन्नयन के लिए योग्य थीं इनको सीयूपीएल के बजाय, सीएनसीपीएल और सीयूपीएल दोनों में शामिल किया गया था। चरण-1 पर, उन्नयन के बजाय तीन नमूना जिलों⁶⁶ में

⁶³ ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों, सरपंचों, ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ), उस क्षेत्र के विधायक/ सांसद/ एमएलसी को मिलाकर

⁶⁴ चेयरपर्सन, बीडीओ और पंचायत समिति के अध्यक्ष, उस क्षेत्र के सांसद/ विधायक, सरकारी विभाग के प्रमुख और उपायुक्त को मिलाकर

⁶⁵ जम्मू: 6; उधमपुर: 3; रामबन: 7; गांदरबल: 28; अनंतनाग: 3 और कुपवाड़ा: 1

⁶⁶ जम्मू: (सड़क: 1; व्यय: ₹0.27 करोड़), उधमपुर: (सड़क: 1; व्यय: ₹6.06 करोड़) और रामबन: (सड़कें: 4; व्यय: ₹14.92 करोड़)

छह सड़क परियोजनाओं पर ₹37.11 करोड़ की स्वीकृत लागत के प्रति ₹21.25 करोड़ का व्यय गंभीर अनियमितता को दर्शाता है।

ईई ने (मार्च से जून 2018 में) कहा कि सभी योजनाएं या तो सीएनसीपीएल या सीयूपीएल में सीएनडब्ल्यू के अनुसार ली गई थीं। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सीयूपीएल के तहत सड़क परियोजनाएं चरण-1 काम के योग्य नहीं हैं।

(ग) स्वीकार्य आबादी के आकार के नीचे की बस्तियों का समावेश

कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के पैरा 2.1 के अनुसार, 250 व्यक्ति और उससे अधिक (2001 की जनगणना) की आबादी वाली असंबद्ध बस्तियां सड़क संपर्क के योग्य हैं।

सीएनसीपीएल और सीएनडब्ल्यू की नमूना-जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नौ नमूना जिलों में से आठ में, ब्लॉक स्तर के सीएनसीपीएल/ सीएनडब्ल्यू में 250 व्यक्ति से कम आबादी वाली 197 बस्तियों⁶⁷ को जोड़ने के लिए 172 सड़कों⁶⁸ को शामिल किया गया था। 197 बस्तियों में से, ₹6.18 करोड़⁶⁹ के खर्च से पांच बस्तियों को संपर्कता प्रदान की गई थी।

ईई ने कहा (मार्च से जून 2018) कि उल्लेखित सभी बस्तियां वर्तमान में सीएनसीपीएल में नहीं हैं, लेकिन संशोधित सीएनडब्ल्यू 2011 के अनुसार प्रस्तावित बस्ती के वे भाग हैं, जो अभी तक अनुमोदित नहीं है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ये बस्तियां सीएनडब्ल्यू में इस तथ्य के बावजूद शामिल थीं जब ये कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार योग्य नहीं थीं।

2.2.5.4 वार्षिक प्रस्ताव

ओएम के पैरा 4.2 में परिकल्पित है कि पीएमजीएसवाई के तहत योग्य सड़कों की सूची वाले वार्षिक प्रस्ताव को जिला पंचायत द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है। डीआरआरपी और सीएनडब्ल्यू के आधार पर, सीएनसीपीएल या सीयूपीएल को योग्य सड़क कार्यों की सूची को प्राथमिकता देते हुए पीआईयू/ जेकेएसआरआरडीए द्वारा तैयार किया जाना है, और सूची के आधार पर वार्षिक प्रस्ताव तैयार करना है। उन राज्यों में जहां मौजूदा ग्रामीण लिंक पारगामी मार्ग यथोचित स्थिति में है (अर्थात् तीन से ऊपर पीसीआई⁷⁰), वहां सीएनसीपीएल के क्रमानुसार निर्माण के लिए नए लिंक का प्राथमिकताकरण किया जाएगा। जहां मौजूदा ग्रामीण लिंक पारगामी मार्ग

⁶⁷ जम्मू: 14; उधमपुर: 16; राजौरी: 5; गांदरबल: 70; अनंतनाग: 17; बारामूला: 19; कुपवाड़ा: 23 और लेह: 33

⁶⁸ जम्मू: 14; उधमपुर: 16; राजौरी: 5; गांदरबल: 45; अनंतनाग: 17; बारामूला: 19; कुपवाड़ा: 23 और लेह: 33

⁶⁹ जम्मू: (बस्ती: 1; व्यय: ₹1.40 करोड़), गांदरबल: (बस्ती: 4; खर्च: ₹4.78 करोड़)

⁷⁰ फुटपाथ स्थिति सूचकांक

खराब स्थिति में है (पीसीआई तीन या कम है), वहां पारगामी मार्गों के माध्यम से उन्नयन/ नवीनीकरण को नई संपर्कता के लिए एक योजक के रूप में लिया जा सकता है। सभी जिलों के प्रस्तावों को इस पर विचार करने के लिए एसएलएससी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

नमूना-जांच किए गए नौ जिलों में, वार्षिक प्रस्ताव तैयार नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप ये प्रस्ताव एसएलएससी के समक्ष उनके विचार के लिए नहीं रखे जा सके। ईई ने कहा (मार्च से जून 2018) कि सभी परियोजनाओं की डीपीआर को मंजूरी के लिए उच्च प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया था और कोई वार्षिक प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया था और भारत सरकार द्वारा सस्वीकृत सड़क परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लिया गया था।

इस प्रकार, डीआरआरपी और कोर नेटवर्क तैयार करते समय निर्धारित प्रक्रिया से विचलन के कारण योग्य बस्तियों को या तो छोड़ दिया गया था या जुड़ा हुआ दिखाया गया था।

सिफारिश: सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि सीएनसीपीएल और सीयूपीएल, वार्षिक प्रस्ताव आदि तैयार करते समय पीएमजीएसवाई के लिए दिशानिर्देश/ परिचालनात्मक नियमावली के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए।

2.2.6 निधि प्रबंधन

मार्च 2015 तक पीएमजीएसवाई 100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना थी और इसके बाद केंद्र और राज्य के बीच 90:10 के अनुपात में वित्तपोषण पैटर्न साझा किया गया। पूर्ण सड़क परियोजनाओं के अनुरक्षण का बजट राज्य सरकार द्वारा बनाया जाना है। वर्ष 2013-14 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जेकेएसआरआरडीए को सीधे निधि जारी की गई थी और उसके बाद, भारत सरकार की सहायता और सड़कों के अनुरक्षण के लिए राज्य वित्त विभाग के माध्यम से जेकेएसआरआरडीए द्वारा निधि प्राप्त की जाती हैं। इन निधियों को तीन नामित लेखों अर्थात् कार्यक्रम निधि लेखा (कार्यों के क्रियान्वयन के लिए), प्रशासनिक निधि लेखा (प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए) और अनुरक्षण निधि लेखा (सड़कों के अनुरक्षण के लिए) में रखा जाता है। राज्य सरकार को निधि की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर जेकेएसआरआरडीए को इन निधियों का हस्तांतरित करना अपेक्षित है।

2.2.6.1 वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियां

(क) कार्यक्रम निधि लेखा

वर्ष 2000-01 से वर्ष 2017-18 (जनवरी 2018) के दौरान चरण I से XI के तहत ₹8,892.69 करोड़ की कार्यक्रम निधि राशि की कुल मंजूरी में से, भारत सरकार ने ₹5,092.14 करोड़ जारी किए, जिसके प्रति मार्च 2018 तक ₹4,312.41 करोड़⁷¹ खर्च किए गए। वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान कार्य निष्पादन के लिए कार्यक्रम निधि की उपलब्धता और व्यय की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका-2.2.1: वर्ष 2013-18 के दौरान राज्य स्तर पर उपलब्ध और व्यय निधि का विवरण
(₹ करोड़ में)

वर्ष	आदि शेष	केंद्र द्वारा जारी	विविध प्राप्तियाँ	ब्याज	राज्य का हिस्सा	कुल	व्यय (कॉलम 7 का प्रतिशत)	अन्त शेष (कॉलम 7 का प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013-14	142.41	366.67 ⁷²	5.29	0	0	514.37	508.29 (99)	6.08 (1)
2014-15	6.08	414.00 ⁷³	2.96	15.55	0	438.59	422.73 (96)	15.86 (4)
2015-16	15.86	364.00 ⁷⁴	0	10.40	20	410.26	282.47 (69)	127.79 (31)
2016-17	127.79	384.77	0	15.09	50	577.65	320.91 (56)	256.74 (44)
2017-18	256.74	1,400.00	0	20.44	85	1,762.18	716.00 (41)	1046.18 (59)
कुल		2,929.44	8.25	61.48	155		2,250.40	

(कोष्ठक में आंकड़े उपलब्ध कुल निधि का प्रतिशत हैं)

(स्रोत: जेकेएसआरआरडीए के रिकॉर्ड)

जैसा कि उक्त तालिका से स्पष्ट है वर्ष 2015-18 के दौरान, मुख्य रूप से कार्यों को लेने में विलंब, निविदाओं को अंतिम रूप न देने, अनुबंधों का क्रियान्वयन न करने और कार्यों की धीमी प्रगति के कारण राज्य सरकार ने 31 से 59 प्रतिशत के बीच उपलब्ध निधि को खर्च नहीं किया। इसके अलावा, वर्ष 2017-18 के दौरान कार्यक्रम निधि के तहत भारत सरकार द्वारा जारी ₹1,400 करोड़ में से, ₹880.63 करोड़ की राशि वित्त विभाग के पास दो से नौ महीनों तक रही और अन्ततः मई 2018 से दिसंबर 2018⁷⁵ के दौरान जेकेएसआरआरडीए को जारी की गई।

⁷¹ जिसमें ₹160 करोड़ की राज्य हिस्सेदारी शामिल है

⁷² 2013-14 के दौरान अर्जित ₹66.43 करोड़ का ब्याज शामिल है

⁷³ कार्यक्रम निधि के तहत: ₹290 करोड़ और भूमि अधिग्रहण के तहत: ₹124 करोड़ (कार्यक्रम निधि के तहत अस्थायी रूप से उपयोग किए गए थे)

⁷⁴ कार्यक्रम निधि के तहत: ₹488 करोड़ माइनस ₹124 करोड़ जो वर्ष 2014-15 के दौरान कार्यक्रम निधि से अस्थायी रूप से उपयोग किए गए थे

⁷⁵ 31.5.2018: ₹200 करोड़; 26.06.2018: ₹100 करोड़; 27.07.2018: ₹180 करोड़; 8.08.2018: ₹200 करोड़ और 12.12.2018: ₹200.63 करोड़

(ख) राज्य के हिस्से को कम जारी करना

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार ने विशेष श्रेणी के राज्यों को छोड़कर जिसके लिए साझाकरण पैटर्न 90:10 था, सभी राज्यों के संबंध में 60:40 के अनुपात में पीएमजीएसवाई के वित्त पोषण पैटर्न को (अप्रैल 2015 में) संशोधित किया। सभी चालू और बकाया कार्यों को इस साझाकरण पैटर्न के तहत कवर किया जाएगा। एमओआरडी द्वारा जारी निधि की स्थिति, राज्य का देय हिस्सा और जारी किया गया राज्य का हिस्सा निम्नानुसार है:

तालिका-2.2.2: राज्य के हिस्से को जारी करने का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवंटन	जारी की गई केंद्रीय निधियाँ	राज्य की देय हिस्सेदारी	राज्य का जारी किया गया हिस्सा	अल्प जारी/ (कॉलम 4 का प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
2015-16	488.00	488.00	54.00	20.00	34.00 (63)
2016-17	786.00	384.77	43.00	50.00	(-) 7.00
2017-18	1,400.00	1,400.00	155.00	85.00	70.00 (45)
कुल		2,272.77	252.00	155.00	97.00 (38)

(स्रोत: जेकेएसआरआरडीए के रिकॉर्ड)

₹252 करोड़ की राज्य की देय हिस्सेदारी के प्रति, ₹155 करोड़ की राशि जारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2015-18 के दौरान ₹97 करोड़ की राशि कम जारी हुई।

वित्तीय नियंत्रक पीएमजीएसवाई ने (सितंबर 2018/ अप्रैल 2019 में) कहा कि राज्य के शेष हिस्से को जारी करने के लिए राज्य योजना विकास और निगरानी विभाग के साथ मामला उठाया गया था।

(ग) भारत सरकार द्वारा राज्य को निधि का नहीं/ अल्प जारी करना

पीएमजीएसवाई ने एक ऐसा परियोजना दृष्टिकोण अपनाया है, जहां सड़क निर्माणकार्यों को तय समय के भीतर पूरा करना होता है। जेकेएसआरआरडीए को मंजूर परियोजनाओं के लिए निधि दो किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है। परियोजनाओं के स्वीकृत मूल्य का 50 प्रतिशत (या वार्षिक आवंटन जो भी कम हो) की पहली किस्त पूर्व में निर्धारित शर्तों यदि कोई हो, की पूर्ति के अधीन जारी की जाएगी, (कार्यक्रम दिशानिर्देशों का 19.1 पैरा)। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम दिशानिर्देशों

के पैरा 19.3 में परिकल्पना की गई है कि दूसरी किस्त आवश्यक दस्तावेजों⁷⁶ को जमा करने के अधीन जारी होगी।

जारी की गई निधि की तुलना में एमओआरडी के हिस्से की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका-2.2.3: निधि का भारत सरकार द्वारा अल्प जारी करना

(₹ करोड़ में)

चरण	स्वीकृति वर्ष	एमओआरडी/ जीओआई हिस्सेदारी	पहली किस्त	दूसरी किस्त	कुल जारी	अल्प जारी
1	2	3	4	5	6	7=(3-6)
VI ⁷⁷	फरवरी/ मई 2008	1,384.90	600.12	0	600.12	784.78
VII	अप्रैल 2010	1,461.95	730.97	547.53*	1,278.50	183.45
VIII	जुलाई 2012	1,246.24	109.14	1,137.10	1,246.24	0
IX	दिसंबर 2012	526.37	0	0	0	526.37
X	अगस्त 2016	2,558.09	55.04	1,080.62	1,135.66	1,422.43
	कुल	7,177.55	1,495.27	2,765.25	4,260.52	2,917.03

(स्रोत: जेकेएसआरआरडीए के रिकॉर्ड)

(*ब्याज के ₹66.43 करोड़ सहित)

अभिलेखों की समीक्षा से यह पता चला कि कार्यक्रम कार्यान्वयन (पैरा 2.2.8.) के तहत टिप्पणी की गई सड़क परियोजनाओं के पूरा होने में खराब प्रगति के कारण भारत सरकार द्वारा चरण-VI, VII और IX के संबंध में ₹1,494.60 करोड़ की शेष राशि जारी नहीं की गई थी। चरण-X के संबंध में, 44 प्रतिशत निधि मार्च 2018 तक जारी की जा सकी।

2.2.6.2 प्रशासनिक व्यय के लिए निधि का अपर्याप्त हस्तांतरण

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 12.2 (x) के अनुसार, 2.25 प्रतिशत वार्षिक आवंटन, प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्य को कार्यक्रम निधि के साथ जारी किया जाना था। वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल तक (प्रोदभूत ब्याज सहित) राज्य के साथ प्रशासन निधि के लेखों में आदि शेष में कटौती के बाद 50 प्रतिशत की पहली किस्त

⁷⁶ पहले जारी की गई निधियों के लिए यूसी; बैंक प्रबंधक द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो उस तारीख पर शेष राशि और ब्याज जमा को इंगित करता है; वास्तविक कार्य समापन का प्रमाण-पत्र; पिछले वित्तीय वर्ष के लेखाओं के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किए गए कार्यों का लेखा-जोखा और बैलेंस शीट की उत्पत्ति का काम पूरा होने के संबंध में एक प्रमाण पत्र; ओएमएमएस के प्रासंगिक मॉड्यूल का आउटपुट, जेकेएसआरडीडीए द्वारा सही होने के रूप में विधिवत प्रमाणित किया गया है आदि

⁷⁷ चरण-I और II के लिए कोई भी स्वीकृति विभाग के पास नहीं थी और चरण-III से चरण-V के लिए पूर्ण धनराशि जारी की गई थी

वित्तीय वर्ष की शुरुआत में जारी की जाएगी। शर्तों की पूर्ति के अधीन उपलब्ध राशि के 60 प्रतिशत के उपयोग के बाद शेष 50 प्रतिशत की दूसरी किस्त जारी की जाएगी। देय, जारी और उपयोग की गई प्रशासनिक निधि की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका-2.2.4: प्रशासनिक व्यय को कम जारी करना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवंटन/ जारी	आवंटन/ जारी के 2.25 प्रतिशत की दर से स्वीकार्य प्रशासनिक निधि	भारत सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक निधि	प्रोदभूत ब्याज	व्यय	कम/ अल्प जारी (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7 = (3-4)
2013-14	300.24 ⁷⁸	6.76	0	0.16	3.13	6.76 (100)
2014-15	290.00	6.53	2.60	0.09	2.92	3.93 (60)
2015-16	488.00	10.98	0	0.07	2.07	10.98 (100)
2016-17	384.77	8.66	7.84	0.29	2.81	0.82 (9)
2017-18	1,400.00	31.50	0	0.12	4.06	31.50 (100)
	2,863.01	64.43	10.44	0.73	14.99	53.99 (84)

(स्रोत: जेकेएसआरआरडीए के रिकॉर्ड)

उपरोक्त से, यह देखा गया था कि भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक निधियों को दिशानिर्देशों में निर्धारित दरों पर जारी नहीं किया गया था। वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान ₹53.99 करोड़ को कम जारी किया गया। वर्ष 2013-18 के दौरान ₹15.71 करोड़⁷⁹ को उपलब्धता के प्रति, ₹14.99 करोड़ का व्यय हुआ।

वित्तीय नियंत्रक पीएमजीएसवाई ने (सितंबर 2018 में) कहा कि प्रशासनिक निधि को समय पर जारी करने के मामले को समय-समय पर एमओआरडी, भारत सरकार के साथ उठाया गया है।

(क) प्रशासनिक निधि का विपथन

पीएमजीएसवाई प्रशासनिक व्यय निधि लेखों के पैरा 1.4 में परिकल्पित किया गया है कि प्रशासनिक व्यय में सामान्य कार्यालय खर्चों के अलावा, इंटरनेट शुल्क और डेटा प्रविष्टि लागत सहित, ऑन लाइन प्रबंधन और निगरानी और लेखांकन प्रणाली (ओएमएमएस) कंप्यूटर के संचालन और रखरखाव से संबंधित सभी खर्च शामिल हैं। क्रियान्वयन और प्रबंधन संबंधी कार्यों को बाहर से करवाने की लागत का भी निर्धारित सीमा के भीतर प्रशासनिक खर्चों से भुगतान किया जा सकता है। हालांकि, वाहनों की खरीद, इमारतों की खरीद या निर्माण पर खर्च स्वीकार्य नहीं है। पीएमजीएसवाई के लेखाओं के मैनुअल के प्रावधान की अवहेलना करते हुए,

⁷⁸ वर्ष 2013-14 के दौरान वहन किए गए ₹66.43 करोड़ के ब्याज को छोड़कर

⁷⁹ ₹4.54 करोड़ का प्रारम्भिक शेष + ₹10.44 करोड़ भारत सरकार द्वारा जारी + ₹0.73 करोड़ का प्रोदभूत ब्याज

₹4.38 लाख की राशि को प्रशासनिक निधि से विपथन करके अस्वीकार्य वस्तुओं⁸⁰ पर खर्च किया।

जवाब में, मुख्य अभियंता पीएमजीएसवाई जम्मू ने (अप्रैल 2019 में) कहा कि संबंधित शीर्षों के तहत उच्च अधिकारियों द्वारा कोई भी निधि जारी नहीं किए जाने के कारण व्यय किया गया था। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निधि को अस्वीकार्य वस्तुओं पर खर्च किया गया था।

(ख) अनुरक्षण निधि खाता

कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के पैरा 17 ने प्रणालीगत अनुरक्षण सुनिश्चित करने और ग्रामीण कोर नेटवर्क के अनुरक्षण के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने के लिए, खासकर पीएमजीएसवाई की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण रूट्स के माध्यम से संस्थागत उपाय किए हैं।

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 17.2 के अनुसार, सभी पीएमजीएसवाई सड़कों (पीएमजीएसवाई लिंक मार्गों के जुड़े हुए प्रमुख ग्रामीण लिंको पारगामी मार्गों सहित) को उसी ठेकेदार के साथ निर्माण (चरण-II) अनुबंध करते हुए पांच साल के अनुरक्षण अनुबंध द्वारा कवर किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षण निधि का बजट बनाया जाना है और एक वर्ष में दो बार, मई और नवंबर में एक अलग अनुरक्षण निधि खातों में जेकेएसआरआरडीए के निपटान के लिए रखा जाना है। राज्य सरकार को पांच वर्ष की पश्च निर्माण अवधि के दौरान सड़कों के अनुरक्षण के लिए निधि का स्थायी स्रोत विकसित किया जाना अपेक्षित है। इस उद्देश्य के लिए (क) राज्य नोडल विभाग और एनआरआरडीए को ग्रामीण सीएनडब्ल्यू के उचित अनुरक्षण के लिए निधि का वार्षिक आकलन तैयार और प्रस्तुत करेगा, (ख) बजटीय अनुरक्षण निधियों के आवंटन के लिए प्राथमिकता मानदंड लागू करना और (ग) प्राथमिकता के मानदंड (कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 17.5) के समन्वित अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों के लिए अनुरक्षण निधि प्राप्त करने वाली कार्यकारी एजेंसियों से संपर्क करना होगा।

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान अपेक्षित, जारी और व्यय की गई अनुरक्षण निधि की स्थिति निम्नानुसार है।

⁸⁰ बिजली उप-स्टेशन का सृजन: ₹3 लाख, डेस्कटॉप/ प्रिंटर: ₹0.92 लाख, चुनाव अभियान: ₹0.25 लाख, वाहन का पंजीकरण शुल्क: ₹0.21 लाख

तालिका-2.2.5: अनुरक्षण निधि की प्राप्तियाँ और उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अपेक्षित निधि	आदि शेष	राज्य का हिस्सा	कुल	व्यय (कॉलम 5 से प्रतिशत)	अन्त शेष
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
2013-14	8.39	14.96	5.00	19.96	1.43 (7)	18.53
2014-15	5.48	18.53	0	18.53	1.50 (8)	17.03
2015-16	7.10	17.03	2.42	19.45	1.18 (6)	18.27
2016-17	8.71	18.27	0.40	18.67	1.89 (10)	16.78
2017-18	6.54	16.78	0.30	17.08	5.16 (30)	11.92
कुल	36.22		8.12		11.16	

(स्रोत: जेकेएसआरआरडीए के रिकॉर्ड)

तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2013-18 के दौरान जेकेएसआरआरडीए द्वारा रखी गई ₹36.22 करोड़ की मांग के प्रति, राज्य सरकार ने केवल ₹8.12 करोड़ (22 प्रतिशत) जारी किए। निधि को कम जारी करने के अलावा, उपयोग का प्रतिशत भी बहुत कम था और यह 6 से 30 प्रतिशत के बीच था। सड़कों के खराब अनुरक्षण को दर्शाने वाले संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ली गई कुछ तस्वीरें नीचे दर्शाई गई हैं:

	
लिक रोड बटोत से राखजरोग (पीआईयू-रामबन) का भौतिक निरीक्षण 09.05.2018 को किया गया व्यय: ₹336.06 लाख; पूरा होने की तारीख: सितंबर 2017	लिक रोड गीन से लाह (पीआईयू-बुधल, राजौरी) का भौतिक निरीक्षण 18.05.2018 को किया गया व्यय: ₹329.42 लाख; पूरा होने की तारीख: दिसंबर 2014

वित्तीय नियंत्रक पीएमजीएसवाई ने (सितंबर 2018 में) कहा कि अनुरक्षण निधि के तहत ₹11.92 करोड़ की राशि शेष है और संबंधित मुख्य अभियंताओं से मांग प्राप्ति पर ही निधि जारी की जाती है। हालांकि, तथ्य यह है कि राज्य सरकार ने पूरी हो गई सड़कों को समय से पहले खराब होने से कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार

पीएमजीएसवाई सड़कों के अनुरक्षण के लिए कोई नीति तैयार नहीं की है, और उपलब्ध अनुरक्षित निधि भी अव्ययित रही।

लेखापरीक्षा ने विभागीय प्रतिनिधियों के साथ भौतिक निरीक्षण भी किया था, चरण-I के पूरा होने के बाद जहां 12 सड़कों के लिए चरण- II का काम आवंटित⁸¹ नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सड़कों की स्थिति खराब हो गई थी, जैसा कि परिशिष्ट-2.2.4 में विस्तृत है। कुछ फोटो साक्ष्य नीचे दिए गए हैं:

	
<p>16.08.2018 को लिंक रोड राजधानी से पंजगेन राजौरी का भौतिक निरीक्षण किया गया चरण-I: मई 2013 में पूरा हुआ चरण-II: निविदाकरण के तहत</p>	<p>24.08.2018 को लिंक रोड मौड़ से ऊपरी मौड़ तक, उधमपुर का भौतिक रूप से निरीक्षण किया गया चरण-I: दिसंबर 2012 में पूरा हुआ चरण-II: आवंटित नहीं किया गया</p>
	
<p>लिंक रोड सुनेतरखास से धनवाल्ड, उधमपुर (पीआईयू रामनगर) का प्रत्यक्ष निरीक्षण 11.09.2018 को किया गया चरण-I: दिसंबर 2012 में पूरा हुआ चरण-II: आवंटित नहीं किया गया</p>	<p>लिंक रोड जाखेद से गुरसगला, उधमपुर (पीआईयू रामनगर) का प्रत्यक्ष निरीक्षण 12.09.2018 को किया गया चरण-I: मई 2017 में पूरा हुआ चरण-II: आवंटित नहीं किया गया</p>

⁸¹ साइड स्लोप का पर्याप्त स्टेबलाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए, चरण-II को दो बारिश के मौसम समाप्त होने के पश्चात किया जाता है (ओएम का पैरा 4.3.1)

सिफारिश: राज्य सरकार को समय से पहले होने वाले नुकसान से बचने के लिए पीएमजीएसवाई सड़कों के उचित अनुरक्षण के लिए ग्रामीण सड़क अनुरक्षण नीति लागू करनी चाहिए।

2.2.6.3 राज्य सरकार द्वारा जेकेएसआरआरडीए को विलंब से जारी की गई निधि

भारत सरकार, एमओआरडी ने वर्ष 2013-14 तक नोडल एजेंसी (जेकेएसआरआरडीए) को सीधे निधि जारी की। वर्ष 2014-15 के बाद से, राज्य सरकार (वित्त विभाग) के माध्यम से निधियों का नियमन किया जाता है, ये निधि प्राप्ति की तिथि से तीन कार्य दिवसों के अंदर जेकेएसआरआरडीए को हस्तांतरित करनी अपेक्षित होती हैं, ऐसा न होने पर राज्य सरकार निर्दिष्ट अवधि के अतिरिक्त विलंब की अवधि के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी।

वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान जीओआई, एमओआरडी ने जम्मू और कश्मीर सरकार को ₹3,049.77 करोड़⁸² जारी किए। जारी की गई निधियां जेकेएसआरआरडीए को तीन कार्य दिवसों के अंदर हस्तांतरित नहीं की गई थी, और इससे 11 से 259 दिनों के बीच का विलंब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकार (वित्त विभाग) जेकेएसआरआरडीए को ब्याज के रूप में ₹53.34 करोड़ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी, जिसका भुगतान मार्च 2019 तक भी नहीं किया गया है।

वित्तीय नियंत्रक पीएमजीएसवाई ने (सितंबर 2018/ अप्रैल 2019 में) बताया कि इस मामले के विषय में समय-समय पर वित्त विभाग को अवगत कराया गया था। तथ्य यह है कि मार्च 2019 तक न तो निधियों को तीन दिनों की निर्धारित अवधि के अंदर जारी किया गया और न ही वित्त विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान किया गया था।

2.2.7 सड़क परियोजनाओं की स्थिति

ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य असंबद्ध निवास स्थान के लिए सभी मौसम के मार्ग के माध्यम से संयोजकता प्रदान करने के लिए, वर्ष 2000-01 से वर्ष 2016-17⁸³ के दौरान राज्य में पीएमजीएसवाई को दस चरणों में लागू किया गया था। राज्य में पीएमजीएसवाई सड़क परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है:

⁸² ₹487 करोड़ सहित भूमि अधिग्रहण के लिए (2014-15: ₹124 करोड़; 2016-17: ₹363 करोड़) प्राप्त किए गए हैं

⁸³ चरण-XI के तहत 141 सड़क परियोजनाओं और 58 पुलों के साथ 199 पैकेजों जिसमें ₹955.63 करोड़ की राशि (एमओआरडी का हिस्सा ₹860.06 करोड़; राज्य का हिस्सा: ₹95.57 करोड़) को जनवरी 2018 में संस्वीकृत किया गया था परंतु मार्च 2018 तक परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू नहीं हुआ/ पूरा नहीं हुआ। इसलिए, निष्पादन लेखापरीक्षा में इस चरण को कवर नहीं किया गया है

तालिका-2.2.6: पीएमजीएसवाई के तहत सड़क परियोजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में; सड़क की लंबाई कि.मी. में)

चरण	कुल स्वीकृत पैकेज	स्वीकृति लागत		निधियों का जारी करना		व्यय (केंद्र का हिस्सा और राज्य का हिस्सा)	स्वीकृत सड़क की लंबाई	पूर्ण की गई लंबाई (प्रतिशत में)	पूर्ण किए गए निर्माण कार्य			निवास स्थान	
		केंद्र का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	केंद्र का हिस्सा	राज्य का हिस्सा				नई संपर्कता	उन्नयन	कुल (कॉलम 2 का प्रतिशत)	स्वीकृत	संबद्ध (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (10+11)	13	14
I	36	21.84	-	20.09	-	0	97.21	96.95 (99.73)	25	11	36 (100)	37	37 (100)
II	66	59.78	-	52.44	-	17.27	219.85	214.22 (97)	66	0	66 (100)	109	111
III	67	91.27	-	91.27	-	25.63	295.22	265.32 (90)	57	1	58 (87)	101	101 (100)
IV	108	144.41	-	144.41	-	15.65	413.83	400.48 (97)	102	0	102 (94)	165	163 (99)
V	143	520.43	-	523.40	-	36.40	1,152.78	791.23 (69)	103	0	103 (72)	266	251 (94)
VI	465	1,402.25	-	600.12	-	297.28	2,593.56	2,286.16 (88)	387	32	419 (90)	748	692 (93)
VII	494	1,461.95	1.26	1,278.50	5.00	658.21	2,239.01	1,787.36 (80)	378	16	394 (80)	584	482 (83)
VIII	534	1,246.24	1.91	1,246.25	-	510.25	2,651.23	1,426.31 (54)	289	0	289 (54)	115	88 (77)
IX	124	526.37	0	0	-	501.32	843.52	312.10 (37)	50	0	50 (40)	53	29 (55)
X	542	2,558.09	284.23	1,135.66	155.00	2,250.40	3,519.94	887.25 (25)	45	5	50 (9)	595	145 (24)
कुल	2579	8,032.63	287.40	5,092.14	160.00	4,312.41	14,026.15	8,467.38 (60)	1,502	65	1,567 (61)	2,773	2,099 (76)

(स्रोत: जेकेएसआरआरडीए द्वारा दी गई सूचना)

चरण-I से X के अन्तर्गत ली गई कुल 2,579 सड़क परियोजनाओं⁸⁴ (सड़क की लंबाई: 14,026.15 किमी) में से, 1,567 (61 प्रतिशत) सड़क परियोजनाएं (नई संपर्कता और उन्नयन निर्माण कार्य), जिसमें 8,467.38 किमी सड़क की लंबाई (60 प्रतिशत) शामिल थी, पूरी की जा सकी और शेष 959 सड़क परियोजनाएं⁸⁵ (सड़क की लंबाई: 5,210.56 किमी) मार्च 2018 तक लंबित थी। मौजूदा परियोजनाओं की समय पर पूर्णता सुनिश्चित किए बिना सड़क परियोजनाओं का प्राथमिकताकरण और नई परियोजनाओं का चयन एक अनुचित योजना का संकेत है। इसके अलावा मार्च 2018 तक, 2,773 स्वीकृत आवास स्थानों को जोड़ने के प्रति, केवल 2,099 (76 प्रतिशत) ही संबद्ध किए गए थे।

मुख्य इंजीनियर पीएमजीएसवाई, जम्मू/ आईटी नोडल अधिकारी पीएमजीएसवाई जेकेएसआरआरडीए ने (अप्रैल/ सितंबर 2018 में) बताया कि निजी भूमि का

⁸⁴ नई संपर्कता और उन्नयन निर्माण कार्य दोनों शामिल हैं।

⁸⁵ 348.21 किलोमीटर की सड़क लंबाई के साथ 49 बस्तियों की संपर्कता हेतु 53 सड़क परियोजनाएं असंस्वीकृति के लिए प्रस्तावित थीं।

अधिग्रहण नहीं होने, वन भूमि का विपथन, सार्वजनिक उपयोगिताओं का स्थानांतरण, क्षेत्र के स्थानीय लोगों के कारण होने वाली प्रतिदिन की बाधाएं और अदालती मामलों के कारण परियोजनाओं में कम प्रगति हुई है। जवाब स्वीकार्य नहीं है, जैसा कि पीएमजीएसवाई दिशानिर्देश में स्पष्ट रूप से परिकल्पित हैं कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध है और प्रत्येक प्रस्ताव जो कि भारत सरकार के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है इस आशय के एक प्रमाणपत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

2.2.7.1 कुल संस्वीकृत सड़क परियोजनाओं में विसंगतियाँ

सड़क परियोजनाएं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दर्शाया गया है वे मुख्य इंजीनियरों (जम्मू-कश्मीर)/ जेकेएसआरआरडीए द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा और पीएमजीएसवाई की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान दिए गए आंकड़े जिन्हें 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विधिवत रूप से शामिल किया गया था, से पूर्ण रूप से मेल नहीं खाते हैं। जेकेएसआरआरडीए, मुख्य इंजीनियर कश्मीर और जम्मू के अभिलेखों की संवीक्षा, नीचे दी गई तालिका में दिखाए गए ब्यौरों के अनुसार, संस्वीकृत सड़क परियोजनाओं की कुल संख्या में भिन्नताओं को उजागर करती है:

तालिका-2.2.7: संस्वीकृत सड़क परियोजनाओं के आंकड़ों में भिन्नता

चरण	संस्वीकृति का वर्ष	संस्वीकृत सड़क परियोजनाओं की कुल संख्या			
		मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार	भारत सरकार के संस्वीकृत आदेश के अनुसार	जैसा मुख्य इंजीनियरों द्वारा बताया गया	जैसा जेकेएसआरआरडीए द्वारा बताया गया
I	2000-01	28	36	36	36
II	2001-03	66	66	66	66
III	जून 2004	62	67	58	67
IV	अप्रैल 2006	104	108	103	108
V	मार्च 2007	139	143	119	143
VI	मई 2008	400	465	458	465
VII	अप्रैल 2010	449	494	481	494
	कुल	1,248	1,379	1,321	1,379

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

आईटी नोडल ऑफिसर पीएमजीएसवाई, जेकेएसआरआरडीए और कमिश्नर सचिव (आरण्डबी) ने (सितंबर 2018/ जनवरी 2019 में) एग्जिट क्रॉफेंस में कहा कि भिन्नता का पता लगाया जाएगा।

2.2.7.2 नई संपर्कता को प्राथमिकता नहीं देना

ओएम के पैरा 1.2.1 में वर्ष 2003 तक 1,000 व्यक्ति (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 500 व्यक्ति) व इससे अधिक और मार्च 2007 तक, 500 लोगों की आबादी के साथ (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 250 व्यक्ति) सभी असंबद्ध निवास स्थानों के लिए सड़क संपर्क मार्ग प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। कुल असंबद्ध, संस्वीकृत और जुड़े आवास स्थानों की श्रेणी-वार स्थिति निम्नानुसार दी गई है:

तालिका-2.2.8: मार्च 2018 तक जनसंख्या के आकार के साथ निवास स्थानों की संपर्कता करने की स्थिति

जनसंख्या के आकार के साथ निवास स्थान के प्रकार	अप्रैल 2000 तक असंबद्ध निवास	वर्ष 2000-2018 के दौरान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत	स्वीकृत निवासों में से संयोजकता प्रदान निवास	स्वीकृत निवासों में से असंबद्ध निवास स्थान	मार्च 2018 के समापन पर कुल असंबद्ध निवास (कॉलम 2 से प्रतिशत)
1	2	3	4	5=(3-4)	6=(2-4)
1000 व्यक्ति या इससे अधिक	618	572	506	66	112 (18)
500 व्यक्ति या इससे अधिक परंतु 1000 व्यक्ति से कम	1,034	870	758	112	276 (27)
250 व्यक्ति या इससे अधिक परन्तु 500 व्यक्ति से कम	1,086	760	430	330	656 (60)
कुल	2,738	2,202	1,694	508	1,044 (38)
250 व्यक्ति से कम (आकस्मिक रूप से जुड़े)		571	405	166	
कुल		2,773	2,099	674⁸⁶	

(स्रोत: एनआरआरडीए के अभिलेख)

तालिका से यह देखा गया था कि मूल सीएनडबल्यू के अनुसार:

- अप्रैल 2000 तक 2,738 असंबद्ध निवास स्थानों में से, कुल 1,694 (62 प्रतिशत) निवास स्थान वर्ष 2000-2018 की अवधि के दौरान संबद्ध हो गए थे और मार्च 2018 के अंत तक 1,044 (38 प्रतिशत) निवास स्थान असंबद्ध रह गए थे।
- वर्ष 2000-2018 के दौरान भारत सरकार द्वारा संपर्कता के लिए संस्वीकृत किए गए 2,202 निवास स्थानों में से, मार्च 2018 तक कुल 508 (23 प्रतिशत) निवास स्थान असंबद्ध रह गए थे। नौ नमूना जिलों में, वर्ष 2000-2018 के दौरान भारत सरकार द्वारा संपर्कता के लिए संस्वीकृत किए गए 196 निवासों⁸⁷ में से, मार्च 2018 तक कुल 85 (43 प्रतिशत) निवास स्थान संपर्कता के लिए शेष रह गए थे।
- मार्च 2018 तक असंबद्ध निवास स्थानों में से, 1,000 व्यक्ति और इससे अधिक की आबादी के साथ कुल 112 बस्तियां, 500 व्यक्ति और इससे अधिक की आबादी के साथ 276 बस्तियां और 250 व्यक्ति और इससे अधिक की आबादी

⁸⁶ असंस्वीकृत परियोजनाओं के 49 निवास स्थान शामिल हैं

⁸⁷ रामबन: 20; राजौरी: 36; उधमपुर: 87; जम्मू: 10, बारामूला: 8; गांदरबल: 7, कुपवाड़ा: 7; अनंतनाग: 19 और लेह: 2

के साथ 656 बस्तियां मार्च 2018 तक असंबद्ध रह गई थी, जिन्हें क्रमशः मार्च 2003 और मार्च 2007 के अंत तक संयोजकता प्रदान करना आवश्यक था। नौ नमूना जिलों में मार्च 2018 तक निवास स्थानों को संबद्ध करने की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका-2.2.9: मार्च 2018 तक नौ नमूना जिलों में निवास स्थानों की संपर्कता की स्थिति

जनसंख्या के आकार के साथ निवास स्थान का प्रकार	संस्वीकृत निवास स्थान	संबद्ध किए गए निवास स्थान	असंबद्ध निवास स्थान
1	2	3	4
1000 व्यक्ति और ऊपर	29	26	3
500 व्यक्ति और इससे अधिक परन्तु 1000 व्यक्ति से कम	48	38	10
250 व्यक्ति और इससे अधिक परन्तु 500 व्यक्ति से कम	62	24	38
कुल	139	88	51

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

जैसा देखा जा सकता है कि संपर्कता के लिए संस्वीकृत 139 बस्तियों में से 250 और इससे अधिक की आबादी वाले 51 निवास स्थान मार्च 2018 तक असंबद्ध रहे।

आईटी नोडल अधिकारी पीएमजीएसवाई जेकेएसआरआरडीए/ मुख्य इंजीनियर पीएमजीएसवाई जम्मू ने (सितंबर/ अप्रैल 2018 में) कहा कि राज्य में अशांत परिस्थितियों और भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी और दीर्घकालीन अदालती मामलों में समस्याओं का सामना करने के कारण; लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पीएमजीएसवाई कार्यक्रम को पूरा करने के लिए प्रतिपूरक वृक्षारोपण, वन भूमि, पेड़, निजी भूमि और संरचनाओं को कवर करने वाले भूमि अधिग्रहण की लागत के लिए भारत सरकार द्वारा ₹710 करोड़ के रूप में प्रदान विशेष एकमुश्त वितरण में से, ₹152.04 करोड़ की राशि (मार्च 2018 तक) अभी भी पीआईयू के पास ही थी। पीआईयू द्वारा संबन्धित प्राधिकारणों को भूमि अधिग्रहण के लिए जारी की गई ₹370.70 करोड़ की राशि में से, केवल ₹44.51 करोड़ ही भूमि अधिग्रहण के लिए उपयोग/ संवितरण किए गए थे। इसके अलावा, विभाग को सक्षम प्राधिकारी द्वारा डीपीआर की संस्वीकृति से पहले भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी अपेक्षित है।

हालांकि, समीक्षा अवधि के दौरान ओएमएमएस पर अपलोडेड निवास स्थानों से संपर्कता के लक्ष्य और प्राप्ति, नीचे दी गई:

तालिका-2.2.10: निवास स्थानों के लिए संपर्कता के लक्ष्य और प्राप्ति (2013-18)

वर्ष	निवास स्थानों को संयोजकता प्रदान करना		सड़क की लंबाई (किमी में)	
	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)
2013-14	100	165 (165)	1,285	866.21 (67)
2014-15	50	123 (246)	750	858.83 (115)
2015-16	130	110 (85)	975	789.86 (81)
2016-17	120	240 (200)	1,050	1,785.16 (170)
2017-18	400	152 (38)	1,800.00	1,804.54 (100)
कुल	800	790 (99)	5,860	6,104.60(104)

(स्रोत: ओएमएमएस से प्राप्त डाटा)

जैसा देखा जा सकता है, 5,860 कि.मी. लंबी सड़क को 800 निवास स्थानों से जोड़ने के लक्ष्य के प्रति, 6,104.60 कि.मी. लंबी सड़क के साथ 790 निवास स्थानों को (99 प्रतिशत) पूरा किया गया था। हालांकि 2017-18 के दौरान सड़क की लंबाई के लक्ष्यों से अधिक की प्राप्ति के बावजूद, केवल 38 प्रतिशत निवास स्थानों की संपर्कता के संबंध में लक्ष्यों की प्राप्ति हुई थी। इससे संकेत मिलता है कि लक्ष्य वास्तविक रूप से नियत नहीं किए गए थे।

आईटी नोडल अधिकारी पीएमजीएसवाई, जेकेएसआरआरडीए ने (सितंबर 2018 में) कहा कि 2017-18 के दौरान, लक्षित सड़क की लंबाई को प्राप्त किया गया था, परंतु निवास स्थान के लक्ष्यों को इस तथ्य के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि पूर्ण की गई सड़क की अधिकांश लंबाई चरण-2 सड़क परियोजनाओं के लिए थी, जहां पहले से ही निवास स्थान जोड़ दिए गए थे।

2.2.8 कार्यक्रम कार्यान्वयन

2.2.8.1 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट्स

पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों/ ओएम के अनुसार, प्रत्येक कार्य हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को ग्रामीण सड़क नियमावली, भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के विनिर्देशों और समय-समय पर जारी निर्देशों की संगति में होना चाहिए। डीपीआर विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण, डिजाइन एवं तकनीकी विकल्प पर आधारित होना चाहिए। इसमें ऐसी बारीकी होनी चाहिए कि परिणाम एवं लागत स्टीक हो और निष्पादन के समय निर्माण कार्य के विषय क्षेत्र अथवा परिमाणों में परिवर्तन के कारण लागत अधिक न हो जाए। यह देखा गया कि डीपीआर तैयार करते समय समुचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी जिन पर नीचे चर्चा की गई है:

(क) ट्रांसेक्ट वॉक का न किया जाना

कार्यक्रम दिशानिर्देशों का पैरा 8.4 और ओएम के पैरा 5.3.3 में परिकल्पित है कि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयां (पीआईयू) को राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों के साथ ट्रांसेक्ट वॉक⁸⁸ के आयोजन करके प्रत्येक प्रस्तावित सड़क कार्य के लिए डीपीआर तैयार करना अपेक्षित है, इसके साथ ही स्थानीय समुदाय के सदस्यों के साथ वैकल्पिक संरेखण, सड़क के लिए भूमि की आवश्यकताओं और भूस्वामियों पर इसके प्रभाव आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना और अंतिम रूप देना भी अपेक्षित है। ट्रांसेक्ट वॉक की डिजिटल तस्वीरों के साथ कार्यवाही की एक प्रति अंतिम रूप दिए गए डीपीआर के साथ संलग्न की जाएगी।

नौ नमूना जिलों में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि चरण-I⁸⁹ की 106 सड़क परियोजनाओं में (विस्तृत संवीक्षा के लिए चयनित 254⁹⁰ नमूना सड़क परियोजनाओं में से), 17 परियोजनाओं में राजस्व और वन अधिकारियों के बिना ट्रांसेक्ट वॉक का आयोजन किया गया था, 59 परियोजनाओं में या तो ट्रांसेक्ट वॉक आयोजित नहीं किये गये थे या डीपीआर के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं पाए गए थे और शेष 30 परियोजनाओं में, डीपीआर (मार्च 2018 तक) लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

ईई ने (मार्च से जून 2018 में) स्वीकार किया कि सड़क परियोजनाएं जो पहले के चरणों में की गई थीं, वहाँ अपेक्षित ट्रांसेक्ट वॉक का आयोजन नहीं किया जा सका।

इसके अलावा, ट्रांसेक्ट वॉक के दौरान सरकार, वन विभाग और निजी पार्टियों से प्राप्त भूमि की भी पहचान की जानी थी। जैसा कि दिशानिर्देशों के पैरा 6.12 में परिकल्पित किया गया है कि राज्य सरकार/ जिला पंचायतें सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। भूमि उपलब्ध होने का एक प्रमाण पत्र, प्रत्येक सड़क के काम के प्रस्ताव के साथ उपलब्ध होना चाहिए। जब तक चरण-II⁹¹ पूरा नहीं हो जाता है तब तक संबंधित आवास स्थानों की गणना जुड़े हुए निवास स्थानों में नहीं की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया कि:

- जम्मू प्रांत में, 46 सड़क परियोजनाएं⁹², जिन्हें चरण VI (मई 2008 के दौरान स्वीकृत) से चरण-X (अगस्त 2016 के दौरान स्वीकृत) के तहत ₹169.68 करोड़

⁸⁸ संरेखण तय करने के लिए प्रस्तावित सड़क के साथ आयोजित एक वॉक

⁸⁹ चरण-I में फोरमेशन कटिंग, ढलान स्थिरीकरण, संरक्षण/ जल निकासी के निर्माण कार्य होते हैं

⁹⁰ चरण-I: 99; चरण-II: 101; लंबी अवधि का पुल: 15; उन्नयन: 39

⁹¹ चरण-II जिसमें वाटर बॉर्ड मैकडम (डबल्यूबीएम) और कोलतार सतह कोर्स शामिल हैं।

⁹² मार्च 2018 तक 959 सड़क परियोजनाओं में से जो अपूर्ण थीं

की लागत से संस्वीकृत किया गया था और जिन पर जनवरी 2018 तक 66 निवास स्थानों की संपर्कता करने के लिए ₹39.93 करोड़ का व्यय किया गया था, वे भूमि विवाद और वन भूमि, अदालती मामलों आदि की मंजूरी नहीं मिलने के कारण अपूर्ण रह गई (परिशिष्ट 2.2.5)।

- नौ में से सात नमूना जिलों में, 22 सड़क परियोजनाएं (254 नमूना-जांच में से), चरण VII से X⁹³ के तहत ₹130.53 करोड़ की लागत से संस्वीकृत की गई थी और जिन पर 21 निवास स्थानों की संपर्कता करने के लिए ₹38.78 करोड़⁹⁴ का व्यय वहन किया गया था को पूरा नहीं जा सका चूंकि इन परियोजनाओं को बाधा मुक्त भूमि, वन विभाग की मंजूरी आदि सुनिश्चित किए बिना निष्पादन हेतु लिया गया था।

इस प्रकार, नवंबर 2011 से मार्च 2018 तक संपर्कता के लिए लक्षित निवास स्थान (मार्च 2018) तक असंबद्ध रहे।

मुख्य इंजीनियर पीएमजीएसवाई जम्मू ने (अप्रैल 2018 में) कहा कि ग्राम पंचायत के सदस्यों सहित स्थानीय लोग नियमित रूप से संरेखण नियत के लिए ट्रांसेक्ट वॉक में शामिल किये जा रहे हैं। ट्रांसेक्ट वॉक के दौरान लोगों ने अपनी उपस्थिति में नियत संरेखण पर आपत्ति नहीं की और भूमि की उपलब्धता के संबंध में प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। हालांकि, जब काम शुरू किया जाता है, तो ये लोग मुआवजे की मांग उठाते हैं और काम में बाधा पैदा करते हैं। परिणामस्वरूप, परियोजनाओं में देरी हो जाती है चूंकि भूमि अधिग्रहण एक लंबी प्रक्रिया है। तथ्य यह है कि इन सभी मामलों में, सड़कों के संरेखण के लिए स्थानीय लोगों के साथ समझौते के आधार पर डीपीआर में भूमि उपलब्धता का प्रमाण पत्र दिया गया था।

ईई ने (मार्च से जून 2018 में) बताया कि सड़क परियोजनाओं की बाधाओं को उचित स्तरों पर पता लगाया जा रहा है नामतः वन/ राजस्व विभाग और ठेकेदारों को आवंटित निर्माण कार्य को फिर से शुरू करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन सड़क परियोजनाओं को संबंधित अधिकारियों से सांविधिक मंजूरी प्राप्त किए बिना भारत सरकार से मंजूरी ली गई थी।

⁹³ अप्रैल 2010 (चरण-VII), जुलाई 2012 (चरण-VIII), दिसंबर 2012 (चरण-IX) और अगस्त 2016 (चरण-X) के दौरान स्वीकृत अपूर्ण सड़क परियोजनाएं जो नवंबर 2011, फरवरी 2014, जुलाई 2014 और मार्च 2018 तक पूरी हो जानी चाहिए थी उनकी संख्या क्रमशः 10,4,2 और 6 थी


⁹⁴ जम्मू: (सड़क परियोजनाएं: 2; व्यय: ₹0.47 करोड़); उधमपुर: (सड़क परियोजनाएं: 4; व्यय: ₹6.37 करोड़); रामबन: (सड़क परियोजनाएं: 2; व्यय: ₹0.63 करोड़); राजौरी: (सड़क परियोजनाएं: 5; व्यय: ₹6.77 करोड़); अनंतनाग: (सड़क परियोजनाएं: 2; व्यय: ₹1.02 करोड़); बारामुला: (सड़क परियोजनाएं: 4; व्यय: ₹12.46 करोड़) और लेह: (सड़क परियोजनाएं: 3; व्यय: ₹11.06 करोड़)

2.2.8.2 पुलों का निर्माण न किया जाना

पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों के पैरा 2.1 में सभी मौसम में सड़के उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है, जिसमें आवश्यक पुलिया और जल निकासी संरचनाएं हैं जो पूरे वर्ष परिचालन योग्य होती हैं। इसके अतिरिक्त पैरा 8.5 (v) के अनुसार, माइनर ब्रिज (केवल एकल लैन विनिर्देश) जहाँ भी अपेक्षित हो, प्रदान किया जा सकता है। विशेष पुलों की लंबाई 15 मीटर से अधिक होने की स्थिति में, अधीक्षक इंजीनियर और स्टेट तकनीकी एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से कार्य-स्थल निरीक्षण के बाद एक पृथक डीपीआर तैयार किया जाएगा।

प्रत्यक्ष और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट की जांच के दौरान, यह देखा गया कि नौ नमूना जिलों में से दो जिलों में छह सड़क परियोजनाएं⁹⁵ अप्रैल 2013 से फरवरी 2018 के दौरान पूरी की गई थी और ₹24.47 करोड़ की लागत से इनको जुड़ा हुआ दिखाया गया था इसके बावजूद कि मार्च 2019 तक पुलों के निर्माण/ डिजाइनिंग का कार्य प्रगति पर था। इस प्रकार, ये सड़क परियोजनाएँ प्रस्तावित निवास स्थानों के लिए बारहमासी सड़क संपर्कता के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती थीं।

इन सड़कों में से एक के संयुक्त निरीक्षण के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों के कर्मचारियों के साथ तस्वीरें ली गई थीं।



17.03.2018 को पीआईयू उधमपुर में लिंक रोड मानसर से सोरप का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया

ईई ने (मार्च से जून 2018 में) कहा कि पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और पुलों का डीपीआर/ डिजाइन अनुमोदन/ तैयारी के तहत है और यह शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। मार्च 2019 तक, इन छह पुलों पर ₹5.19 करोड़ की अनुमानित लागत के प्रति ₹2.82 करोड़ की राशि खर्च की गई है।

⁹⁵ उधमपुर जिला: (1) कुद से मढ़ा -12.40 किमी (2) बरमेन से सटयलथा खास-7.250 किमी (3) बरमेन से धारनू-14.725 किमी (4) मनसर से सोरप-4.500 किमी (5) धार रोड से प्लाटर-3.850 किमी और जिला राजौरी: (6) खवास से बेला-10 किमी

2.2.8.3 सड़क परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब

दिशानिर्देशों का पैरा 13.1 परिकल्पित करता है कि कार्य आदेश जारी करने की तारीख से नौ महीने के अंदर सड़क परियोजनाओं को पूरा किया जाना होता है, परंतु किसी भी मामले में 12 कैलेंडर महीनों से अधिक नहीं होगा। हालांकि, पहाड़ी राज्यों में सड़कों के चरण-I के काम को पूरा करने के लिए 18 कैलेंडर महीनों तक की समय सीमा की अनुमति दी जाएगी।

नौ नमूना जिलों में अभिलेखों की समीक्षा से पता चला है कि लेखापरीक्षा में 254 सड़क परियोजनाओं की नमूना जांच में से, केवल 43 (17 प्रतिशत) सड़क परियोजनाएं निर्धारित समय के अंदर पूरी हुईं, 78 सड़क परियोजनाएं पूरी होने के लिए देय नहीं थीं और 90 सड़क परियोजनाएं⁹⁶ जिन्हें चरण-IV से IX के तहत निष्पादन के लिए लिया गया था उन्हें 2 महीने से 8 साल⁹⁷ तक की देरी के साथ पूरा किया गया। चरण-V से X⁹⁸ के तहत ₹191.05 करोड़ की संस्वीकृत लागत पर 30 निवास स्थानों⁹⁹ को जोड़ने के लिए शेष 43 सड़क परियोजनाएं¹⁰⁰, ₹173.02 करोड़ पर आवंटित की गईं, जिस पर ₹86.71 करोड़ का व्यय वहन किया गया था, उसे भूमि विवाद, वन विभाग आदि से मंजूरी नहीं मिलने के कारण 09 से 18 महीनों की निर्धारित अवधि के अंदर पूरा नहीं किया जा सका। आवंटन की तारीख से सात साल और चार महीने से अधिक की देरी के बाद भी, ये सड़कें मार्च 2018 तक पूरी नहीं हुईं। इस प्रकार, अक्टूबर 2008 से मार्च 2018 तक संपर्कता के लिए लक्षित निवास स्थान मार्च 2018 तक असंबद्ध रहे।

ईई ने (मार्च से जून 2018) सार्वजनिक हस्तक्षेप, भूमि विवाद, संरेखण के तहत आने वाली संरचनाओं के मुआवजे का भुगतान न करने, वन मंजूरी आदि जैसे कारणों के लिए इन सड़क परियोजनाओं को पूरा न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।

⁹⁶ जम्मू: 6; उधमपुर: 19; रामबन: 5; राजौरी: 19; गांदरबल: 7; अनंतनाग: 12; बारामूला: 5; कुपवाड़ा: 14 और लेह: 3

⁹⁷ शून्य से दो वर्ष = 50 सड़क परियोजनाएं, दो से चार वर्ष = 31 सड़क परियोजनाएं और चार वर्ष से ऊपर = 9 सड़क परियोजनाएं

⁹⁸ मार्च 2007 (चरण-V), मई 2008 (चरण-VI), अप्रैल 2010 (चरण-VII), जुलाई 2012 (चरण-VIII), दिसंबर 2012 (चरण-IX) और अगस्त 2016 (चरण-X) के दौरान अपूर्ण सड़क परियोजनाएं जो अक्टूबर 2008, दिसंबर 2009, नवंबर 2011, फरवरी 2014, जुलाई 2014 और मार्च 2018 तक पूरी हो जानी चाहिए थी उनकी संख्या क्रमशः 1,1,14,17,6 और 4 थी।

⁹⁹ उधमपुर: 14; रामबन: 5; राजौरी: 2; गांदरबल: 2; अनंतनाग: 3; बारामूला: 2; कुपवाड़ा: 1 और लेह: 1

¹⁰⁰ जम्मू: 1; उधमपुर: 8; रामबन: 5; राजौरी: 6; गांदरबल: 3; अनंतनाग: 5; बारामूला: 10; कुपवाड़ा: 2 और लेह: 3

सिफारिश: सड़क परियोजनाओं के निष्पादन की प्रगति की गहनता से निगरानी की जानी चाहिए, ताकि कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा किया जा सके और सुनिश्चित निवास स्थानों से संपर्कता हो सके।

2.2.8.4 भूमि अधिग्रहण के लिए निधि

पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों के पैरा 6.12 में परिकल्पित किया गया है कि प्रस्तावित सड़क परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। भूमि उपलब्धता का एक प्रमाण-पत्र, प्रस्ताव के साथ अवश्य होना चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला है कि यद्यपि भूमि अधिग्रहण के लिए निधियां पीएमजीएसवाई के तहत कवर नहीं की गई हैं, फिर भी मूल रूप से संस्वीकृत सीएनडबल्यू के अनुसार पीएमजीएसवाई कार्यक्रम को पूरा करने के लिए, भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य को ₹710 करोड़¹⁰¹ की धनराशि भूमि अधिग्रहण की लागत के लिए एक विशेष एकमुश्त वितरण के रूप में, प्रतिपूरक वृक्षारोपण, वन भूमि, पेड़, निजी भूमि और संरचनाओं को कवर करने के लिए जारी की गई।

वर्ष 2013-18 के दौरान प्राप्त, जारी और व्यय की गई निधि की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका-2.2.11: भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त निधियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जेकेएसआरआरडीए					पीआईयू				
	आदि शेष	प्राप्त कि गई निधियां	कुल	पीआईयू को जारी निधि	शेष	आदि शेष	जेकेएसआर आरडीए से प्राप्त निधि	कुल	व्यय	खर्च नहीं किया गया शेष
1	2	3	4=2+3	5	6=4-5	7	8	9=7+8	10	11=9-10
2013-14	0	223.00	223.00	0	223.00	0	0	0	0	0
2014-15	223.00	124.00	347.00	223.00	124.00	0	223.00	223.00	160.35	62.65
2015-16	124.00	0	124.00	16.84	107.16	62.65	16.84	79.49	48.24	31.25
2016-17	107.16	363.00	470.16	118.62	351.54	31.25	118.62	149.87	112.39	37.48
2017-18	351.54	0	351.54	272.73	78.81	37.48	272.73	310.21	236.98	73.23
कुल		710.00		631.19			631.19		557.96	

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

जैसा देखा जा सकता है, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ₹710 करोड़ में से, ₹152.04 करोड़ मार्च 2018 तक जेकेएसआरआरडीए (₹78.81 करोड़) और पीआईयू (₹73.23 करोड़) के पास खर्च किए बिना पड़े हुए थे। नौ नमूना जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला है कि भूमि अधिग्रहण के लिए संबंधित

¹⁰¹ 2013-14: ₹223 करोड़; अगस्त 2014: ₹124 करोड़ और मार्च 2017: ₹363 करोड़

अधिकारियों को पीआईयू द्वारा जारी किए गए ₹370.70 करोड़ की राशि के प्रति, केवल ₹44.51 करोड़¹⁰² की राशि का उपयोग/ संवितरण किया गया था। इस प्रकार, संबन्धित अधिकारियों द्वारा ₹326.19 करोड़¹⁰³ की शेष राशि का उपयोग नहीं करने के कारण, 9 में से 7 नमूना जिलों में से 22 सड़क परियोजनाएं वन मंजूरी, भूमि अधिग्रहण, अदालती मामलों आदि की लंबी प्रक्रिया के कारण मार्च 2018 तक, पूरी नहीं हो सकीं जैसा कि पैरा 2.3.8.1 (क) के तहत टिप्पणी की गई थी। उदाहरण के रूप में इस तरह के एक मामले की नीचे चर्चा की गई है:

(क) अतिक्रमण मुक्त भूमि सुनिश्चित किए बिना सड़क परियोजना का निष्पादन करने के परिणामस्वरूप भूमि के अधिग्रहण पर ₹204.63 लाख का निष्फल व्यय हुआ

चरण-VII के तहत, सड़क परियोजना कि चरण-I थुने से बड़ी पथरी' को (अप्रैल 2010 में) ₹573.74 लाख की लागत से संस्वीकृत किया गया। भूमि¹⁰⁴ की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना, विभाग ने एक ठेकेदार को (अगस्त 2011 में) ₹476.46 लाख की लागत से कार्य आवंटित किया। इस बीच, परियोजना के चरण-IX के तहत, भारत सरकार द्वारा ₹324.92 लाख की लागत से परियोजना के चरण-II को भी (दिसंबर 2012 में) मंजूरी दे दी।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने कलेक्टर को ₹340.83 लाख की भूमि की कुल लागत के प्रति ₹204.63 लाख की राशि, भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम के रूप में दी। राजस्व विभाग ने (जनवरी 2011 में) अधिकृत भूमि मालिकों को ₹204.63 लाख की राशि संवितरित की और (जनवरी 2011 में) परियोजना के लिए 69 कनाल और 13 मरला भूमि का अधिग्रहण किया, परंतु कुछ भूमि मालिकों द्वारा उत्पन्न की गई बाधाएं, वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए यथास्थिति आदेश के कारण विभाग को भूमि (मई 2018 तक) नहीं सौंपी गई; इसके परिणामस्वरूप, इस परियोजना को नया रूप नहीं दिया जा सका। ठेके को (अगस्त 2012 में) रद्द कर दिया गया और विभाग ने (मई 2018 में) परियोजना को पुनः मंजूरी देने की सिफारिश की। इस प्रकार, इस उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के बावजूद सड़क परियोजना को निष्पादित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹204.63 लाख का निरर्थक व्यय हुआ।

¹⁰² राजस्व विभाग: ₹32.47 करोड़, वन विभाग: ₹12.04 करोड़

¹⁰³ राजस्व विभाग: ₹302.54 करोड़, वन विभाग: ₹17.85 करोड़ और पीएचई/ पीडीडी/ सिचाई विभाग: ₹5.80 करोड़

¹⁰⁴ परियोजना के लिए प्रदान की गई भूमि जनवरी 2011 में दी

ईई ने (जून 2018 में) बताया कि योजना डीपीआर कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई थी और इसे स्थानीय लोगों और वन विभाग द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं को इसके लिए दोषी ठहराया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सक्षम प्राधिकारी की वचनबद्धता, कि परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध थी, के बिना परियोजना के लिए भारत सरकार से संस्वीकृति प्राप्त की गयी।

सिफारिशें: दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक सभी अनिवार्य मंजूरी के पूरा होने के बाद ही डीपीआर को अनुमोदन के लिए भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए और पीआईयू को कानूनी रूप से बाध्यकारी होने वाली भूमि के कब्जे के संबंध में दस्तावेज प्राप्त करना सुनिश्चित करना चाहिए।

2.2.8.5 अन्य प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ

लेखापरीक्षा ने कार्यक्रम कार्यान्वयन के दौरान कई अन्य प्रक्रियात्मक अनियमितताओं को देखा, जैसा नीचे निर्दिष्ट किया गया है, इसके ब्यौरे **परिशिष्ट-2.2.6** में सारणीबद्ध किये गये हैं।

(1) प्रशासनिक अनुमोदन/ तकनीकी संस्वीकृति का न मिलना

- नौ नमूना जिलों में 254 सड़क परियोजनाएँ, ₹1,031.35 करोड़ की लागत से संस्वीकृत की गई थी, जिस पर ₹514.62 करोड़ का व्यय किया गया था, जो प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी संस्वीकृति के बिना ₹935.96 करोड़ की लागत पर आवंटित की गई थी।

(2) निविदाएं आमंत्रित करने में अनियमितताएं

- लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई 272 सड़क परियोजनाओं में से 77 सड़क परियोजनाओं¹⁰⁵ के लिए निविदाएं मंत्रालय द्वारा अनुमोदन की तारीख से 3 दिन से 5 वर्ष और 11 महीनों¹⁰⁶ के बीच विलंब से आमंत्रित की गईं।

(3) कार्यों के आवंटन/ प्रदान करने में देरी

- जम्मू प्रांत में, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चरण-II के तहत 76 सड़क परियोजनाओं¹⁰⁷ में से, ₹121.02 करोड़ की संस्वीकृत लागत के साथ 30 सड़क परियोजनाओं¹⁰⁸ को निविदा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था चूंकि इन सड़क परियोजनाओं का

¹⁰⁵ जम्मू: 59; कश्मीर: 18

¹⁰⁶ बलहामा से ब्रामण तक पैकेज संख्या जेके 03-08 के तहत सड़क को एनआरआरडीए द्वारा जून 2004 में संस्वीकृति दी गई थी, जबकि एनआईटी को पीआईयू बारामुला द्वारा अप्रैल 2010 में आमंत्रित किया गया था

¹⁰⁷ जुलाई 2012 में चरण-VIII: 59; दिसंबर 2012 में चरण-IX: 17

¹⁰⁸ जिसमें चरण-II के साथ चरण-1 के लिए संस्वीकृत की गई सात सड़क परियोजनाएं भी शामिल हैं

चरण-I अभी भी अपूर्ण था और शेष ₹154.31 करोड़ की संस्वीकृत लागत वाली 46 सड़क परियोजनाएं निविदाओं की प्रतिक्रिया में अभाव के कारण प्रदान नहीं की जा सकीं। चरण-I के पूरा होने के बाद चरण-II के लिए काम के आवंटन में छह साल तक की देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप इन सड़कों की स्थिति खराब हो गई। इन सड़क परियोजनाओं के प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान लिए गए फोटोग्राफिक साक्ष्य नीचे दिए गए हैं।

		
दिनांक 17.08.2018 को लिंक रोड कोटद्वार से चाम्बेतर, बुधल (राजौरी) का वास्तविक निरीक्षण किया गया चरण-I: मार्च 2013 में पूरा हुआ चरण-II: कार्य प्रगति पर है	दिनांक 18.08.2018 को लिंक रोड टी 01 से डोडासनपैन, बुधल (राजौरी) का वास्तविक निरीक्षण किया गया चरण-I: दिसंबर 2015 में पूरा हुआ चरण-II: कार्य प्रगति पर है	दिनांक 17.08.2018 को लिंक रोड थानमंग से बडियार, बुधल (राजौरी) का वास्तविक निरीक्षण किया गया चरण-I: मार्च 2017 में पूरा हुआ चरण-II: कार्य प्रगति पर है

इस प्रकार, इन सड़कों की लागत में वृद्धि के कारण अतिरिक्त धन की व्यवस्था न करने के साथ-साथ चरण-II के लिए एमओआरडी से मंजूरी को प्राप्त करने से पहले चरण-I को पूरा किया जाना सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता और मंत्रालय से 60 से 65 महीने की मंजूरी के बाद भी इन सड़क परियोजनाओं को प्रदान नहीं किया जाना एक खराब योजना का संकेत था।

- 148 सड़कों की परियोजनाओं (जम्मू: 96; कश्मीर; 52) की बोली प्रक्रिया को पूरा करने में 3 दिन से 2 साल और 11 महीने के बीच विलंब हुआ था और नौ मामलों में, निविदाओं की पहली कॉल का विवरण रिकॉर्ड में नहीं था (फरवरी 2018)।

(4) बीमा कवर का प्रावधान न किया जाना

- नौ नमूना जिलों में 254 सड़क परियोजनाएं, ₹1,031.35 करोड़ की लागत से स्वीकृत की गई थी, जिस पर वर्ष 2013-18 के दौरान ₹514.62 करोड़ का व्यय किया गया था, ठेकेदारों से कोई भी बीमा पॉलिसी और प्रमाण पत्र लिए बिना उन्हें ₹935.96 करोड़ की लागत से ठेका दे दिया गया था।

(5) मोबिलाइजेशन और उपकरण अग्रिम की वसूली न होना

- नौ नमूना जिलों में से छह में, आठ सड़क परियोजनाओं के संबंध में (फरवरी 2009 से दिसंबर 2017 में) स्वीकृत ₹133.89 लाख में से, ₹46.52 लाख¹⁰⁹ का मोबिलाइजेशन/ मशीनरी अग्रिम, उन ठेकेदारों से (मार्च 2018 तक) वसूल नहीं किया गया था जिनको आवंटित की गई परियोजनाएं या जिनके अनुबंध जून 2014 से जून 2017 के दौरान समाप्त/ बंद किए गए थे।

(6) बैंक गारंटियों का सत्यापन/ नवीनीकरण न किया जाना

- बैंक-गारंटियों की पुष्टि किसी भी नौ नमूना जिलों की नमूना जांच में संलग्न नहीं पाई गई।
- चार मामलों में ₹46.02 लाख की राशि की बैंक गारंटी की वैधता या तो समाप्त हो गई थी या निर्माण अवधि के दौरान दोबारा सत्यापित नहीं कि गई थी।

(7) अनुमोदित तकनीकी विशिष्टताओं से विचलन

- नौ नमूना जिलों में 254 सड़क परियोजनाओं में से, 57 में एनआरआरडीए की स्वीकृति प्राप्त किए बिना विभिन्न मर्दों को ₹23.51 करोड़ व्यय वहन करने के पश्चात (दिसम्बर 2007 से फरवरी 2017) स्वीकृत मात्रा से अधिकता में 11 से 8,121 प्रतिशत के बीच निष्पादित किए गए। कुछ उदाहरण जिनमें अनुमोदित तकनीकी विशिष्टता से उच्च प्रतिशतता का विचलन था, नीचे दर्शाए गए हैं।

(i) पीआईयू उधमपुर द्वारा रोन् से सुदगर (जेके 14-164) तक के सड़क निर्माण में, लेखापरीक्षा ने देखा कि ड्राइंग और तकनीकी विनिर्देश के अनुसार खुदाई की गई भूमि की खाइयों को भरने के लिए 49 घन मीटर के काम के प्रति, 4,028.22 घन मीटर की मात्रा वास्तव में निष्पादित की गई थी (8,121 प्रतिशत की भिन्नता)।

(ii) इसके अलावा, पीआईयू रामनगर द्वारा चन्नी से पोर्डे (जेके 14-131) तक सड़क निर्माण के दौरान, 1:6 मोर्टार आरआर स्टोन मैसनरी के लिए 348.99 घन मीटर की मात्रा निष्पादित की गयी जो 9 घन मीटर (3,778 प्रतिशत का अन्तर) के लिए गए कार्य के प्रति थी जैसाकि ड्राइंग और तकनीकी विनिर्देश के अनुसार था।

(iii) एक अन्य मामले में यह देखा गया कि जिला राजौरी में लोअर प्लांगेर से बदानू (जेके 12-94) तक सड़क निर्माण में पीआईयू बुदल द्वारा ड्राइंग और तकनीकी विनिर्देश के अनुसार, 140.58 घन मीटर दीवार के पीछे भराव का काम करना था,

¹⁰⁹ जम्मू: ₹2.12 लाख; रामबन: ₹9.63 लाख; गांदरबल: ₹11.26 लाख; अनंतनाग: ₹0.80 लाख; बारामूला: ₹2.17 लाख और कुपवाड़ा: ₹ 20.54 लाख

इसके प्रति, 4,215.47 घन मीटर की मात्रा वास्तव में निष्पादित (2,899 प्रतिशत का अन्तर) की गई।

(8) निर्दिष्ट अवधि के अन्दर साइनबोर्ड की स्थापना न करना

नमूना जांच के 54 मामलों में पीएमजीएसवाई के लोगो के साथ कार्य का विवरण देने वाला कोई भी साइनबोर्ड कार्य आदेश की तिथि से निर्धारित 15 दिनों के अन्दर स्थापित नहीं किया गया था (ओएम का पैरा 8.14)।

(9) परिष्मापित क्षतियों (एलडी) का न लगाया जाना

- आठ नमूना जांच किए गए जिलों में 254 में से 48 सड़क परियोजनाएं¹¹⁰ 176.44 करोड़ की लागत से (अक्टूबर 2008 से मार्च 2016 में) दी गयीं। ठेकेदारों ने दो महीने से छह साल तक के विलंब के साथ काम पूरा किया। इस तरह की देरी के लिए ठेकेदारों पर (अप्रैल 2019 तक) ₹17.64 करोड़ की एलडी राशि नहीं लगाई गई।

(10) प्रतिभूति जमा और निष्पादन प्रतिभूति को समयपूर्व जारी करना

- नौ नमूना जांच किए गए जिलों में से, आठ जिलों में निष्पादित की जा रही 43 सड़क परियोजनाओं¹¹¹ में, ₹6 करोड़ की प्रतिभूति जमा और ₹0.68 करोड़ की निष्पादन प्रतिभूति एक महीने से लेकर चार साल तक की अवधि के लिए नियत तारीखों से पहले जारी की गई थी, इस प्रकार ठेकेदार को दोष देयता अवधि से पहले प्रतिभूति जारी करके अनुचित लाभ दिया गया।

सिफारिश: एनआईटी जारी करने, ठेका देने में देरी से बचने और सड़क परियोजनाओं के निष्पादन की सख्त निगरानी सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। राज्य सरकार को उत्तरदायित्व नियत करके और प्रणालीगत कमियों/ अड़चनों यदि कोई हो को संबोधित करते हुए, कार्यों के निष्पादन में असामान्य देरी के मामलों की भी जांच करनी चाहिए।

¹¹⁰ जम्मू: 2; उधमपुर: 3; रामबन: 3; गांदरबल: 6; अनंतनाग: 12; बारामूला: 4; कुपवाड़ा: 15 और लेह: 3

¹¹¹ उधमपुर: 11; रामबन: 3; राजौरी: 2; गांदरबल: 6; अनंतनाग: 7; बारामूला: 4; कुपवाड़ा: 8 और लेह: 2

2.2.9 गुणवत्ता नियंत्रण, निगरानी और मूल्यांकन

2.2.9.1 निरीक्षण की अनुसूची

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 15.1 में परिकल्पना की गई है कि सड़क कार्यों की गुणवत्ता का रखरखाव राज्य सरकार/ कार्यकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी है, जो कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए, सभी कार्यों का प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए। जब कार्य प्रगति पर होता है तब ग्रामीण सड़कों के लिए एनआरआरडीए की गुणवत्ता पुस्तिका के अध्याय 2 पैरा 3.1 (v) के अनुसार, पीआईयू कर्मचारियों द्वारा स्थल पर निरीक्षण के दौरे की निम्न आवृत्ति की सिफारिश की जाती है: (क) कनिष्ठ अभियंता-दैनिक, (ख) सहायक अभियंता-सप्ताह में दो बार, (ग) कार्यकारी अभियंता-सप्ताह में एक बार।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि नौ नमूना जांच किए गए जिलों में से किसी ने भी किए जाने वाले निरीक्षण की अनुसूची को (जून 2018 तक) अनुरक्षित नहीं रखा था, हालांकि पीआईयू के तकनीकी कर्मचारियों ने सभी स्थलों का निरीक्षण किया।

ईई का (मार्च से जून 2018 में) जवाब कि डिवीजन के तकनीकी कर्मचारियों ने जब कभी आवश्यक था, सड़क के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, मान्य नहीं है चूंकि निरीक्षण की किसी भी अनुसूची का लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए किसी भी जिले में अनुरक्षित नहीं किया गया था।

2.2.9.2 गुणवत्ता नियंत्रण रजिस्टर

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 15.1 में परिकल्पना की गई है कि पीआईयू द्वारा प्रत्येक सड़क कार्यों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण पुस्तिका में निर्धारित जांच के परिणामों वाले गुणवत्ता नियंत्रण रजिस्टर को अनुरक्षित किया जाना होता है। इसके अलावा, प्रत्येक पैकेज के लिए ठेकेदार द्वारा एक स्थल गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करने की आवश्यकता होती है और उसमें की गई विभिन्न जाचों के परिणाम गुणवत्ता नियंत्रण रजिस्टर में दर्ज किए जाने होते हैं।

हालांकि, नौ नमूना जांच किए गए जिलों के रिकॉर्ड की नमूना जांच से पता चला कि जून 2018 तक पीआईयू द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण रजिस्टर को अनुरक्षित नहीं किया गया था, हालांकि, जाचों के परिणामों वाली इन रजिस्ट्रों को सभी मामलों में ठेकेदारों द्वारा अनुरक्षित किया गया था।

जवाब में, ईई ने (मार्च से जून 2018 में) कहा कि जाचों के परिणामों वाली गुणवत्ता नियंत्रण रजिस्ट्रों को परियोजनाओं के लिए स्थापित प्रयोगशाला में ठेकेदार द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। जवाब को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जाना

चाहिए कि प्रत्येक पीआईयू को दिशानिर्देशों के अनुसार अपने स्वयं के गुणवत्ता नियंत्रण रिकॉर्ड को अनुरक्षित किया जाना अपेक्षित है।

2.2.9.3 प्रयोगशालाओं की स्थापना

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 15.2 के अनुसार, पीएमजीएसवाई के तहत एक त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र की परिकल्पना की गई है। गुणवत्ता नियंत्रण संरचना के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। पीआईयू की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि उपयोग की गई सभी सामग्री और कारीगरी निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप हो। पीआईयू ठेकेदार द्वारा स्थापित स्थल गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का पर्यवेक्षण करेगा। यह भी सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित की गई सभी जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय और स्थान पर किए गए हैं। इसके अलावा, ओएम के पैरा 11.7 ने सही सर्वेक्षण और मिट्टी और सामग्री जांच करने के लिए जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की परिकल्पना की है।

प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि ठेकेदार ने प्रत्येक चालू सड़क परियोजनाओं के लिए स्थल गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना की थी और सभी परियोजनाओं में अपेक्षित गुणवत्ता नियंत्रण रजिस्ट्रों का अनुरक्षण किया था। हालाँकि, नौ नमूना जांच किए गए जिलों में से किसी में भी कोई भी गुणवत्ता जांच नहीं की गई थी चूंकि नौ नमूना जांच किए गए जिलों में से सात¹¹² में पीआईयू को आपूर्ति किए गए प्रयोगशाला उपकरण बेकार पड़े थे। संयुक्त सत्यापन के दौरान ली गई कुछ तस्वीरों में खुले में बेकार पड़े उपकरणों को नीचे दिखाया गया है।

	
<p>दिनांक 06.03.2018 को निरीक्षण के दौरान पीआईयू जम्मू में उपकरण बेकार पड़े मिले</p>	<p>दिनांक 09.05.2018 को निरीक्षण के दौरान पीआईयू रामबन में उपकरण बेकार पड़े मिले</p>

¹¹² जम्मू, उधमपुर, राजौरी, रामबन, अनंतनाग, कुपवाड़ा और गांदरबल

जवाब में, ईई ने (मार्च से जून 2018 में) कहा कि आपूर्ति किए गए प्रयोगशाला उपकरण अनुपयोगी हैं और जम्मू¹¹³ और कश्मीर प्रांत¹¹⁴ प्रत्येक के तीन पीआईयू को किसी भी उपकरण की आपूर्ति नहीं की गई थी। मुख्य अभियंता, पीएमजीएसवाई, जम्मू ने (अप्रैल 2019 में) कहा कि जिलों में प्रयोगशालाओं की स्थापना/ उन्नयन के लिए कोई निधि प्रदान नहीं की गई थी।

इस प्रकार, जिला स्तर की प्रयोगशालाओं के अभाव में, अव-मानक कार्यों के निष्पादन को संबोधित नहीं किया जा सकता था और विभाग को अपने स्वयं की प्रयोगशालाओं में ठेकेदार द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार की मिट्टी और सामग्री की जांच पर निर्भर रहना पड़ता था।

2.2.9.4 राज्य गुणवत्ता अनुवीक्षकों और राष्ट्रीय गुणवत्ता अनुवीक्षकों द्वारा कार्यों का निरीक्षण

दूसरी श्रेणी में, कम से कम तीन आवधिक निरीक्षण प्रत्येक पूर्ण सड़क के लिए राज्य गुणवत्ता अनुवीक्षकों (एसक्यूएम) द्वारा किए जाने होते हैं और राज्य सरकार की प्रयोगशालाओं या राज्य तकनीकी एजेंसी की प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त सामग्री के नमूनों की जांच करनी होती है। (कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के पैरा 15.3 और ओएम के पैरा 11.5.7)

नमूना जांच किए गए नौ जिलों में, एसक्यूएम द्वारा अपेक्षित तीन निरीक्षणों को समीक्षा अवधि 2013-18 के दौरान 120 पूर्ण सड़क परियोजनाओं में से केवल 31 में किया गया था, 51 सड़क परियोजनाओं का निरीक्षण 153 निरीक्षणों की निर्धारित सीमा से कम किया गया था, 35 सड़क परियोजनाओं का निरीक्षण निर्धारित सीमा से अधिक किया गया, जबकि तीन सड़क परियोजनाओं में, एसक्यूएम द्वारा मार्च 2018 तक कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। (परिशिष्ट-2.2.7)

इस अवधि के दौरान, एसक्यूएम के 360 निरीक्षणों के प्रति, नौ नमूना जांच किए गए जिलों में 120 सड़क परियोजनाओं में एसक्यूएम के 308 निरीक्षण किए गए थे। अपेक्षित सुधार वाले सड़क निर्माण कार्यों पर की गयी कार्रवाई रिपोर्ट को (जून 2018 तक) प्रस्तुत नहीं किया गया था।

तीसरी श्रेणी में, राष्ट्रीय गुणवत्ता अनुवीक्षकों (एनक्यूएम) को गुणवत्ता के लिए विशेष संदर्भ के साथ कार्य का निरीक्षण करना होता है (कार्यक्रम दिशानिर्देशों का पैरा 15.5 और 15.6)। वे स्थल से नमूने ले सकते हैं और उनकी किसी भी सक्षम

¹¹³ रामनगर, बुधल और बनिहाल

¹¹⁴ लेह, बारामुला और ऊरी

तकनीकी एजेंसी / संस्थान द्वारा जांच करवा सकते हैं। वे जिले में गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के सामान्य कामकाज पर भी रिपोर्ट करेंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनक्यूएम द्वारा 120 सड़क परियोजनाओं में मई 2011 से सितंबर 2017 के दौरान 61 निरीक्षण किए गए थे।

ईई ने (मार्च से जून 2018 में) कहा कि सभी सड़क निर्माण कार्य जो एसक्यूएम/ एनक्यूएम द्वारा संतोषजनक नहीं पाए गए थे उनमें सुधार किया गया और उनकी कार्रवाई की गई रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई थी। एसक्यूएम/ एनक्यूएम द्वारा बकाया निरीक्षण न करने के संबंध में मामला संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया जाएगा।

निर्धारित चरणों में एसक्यूएम/ एनक्यूएम द्वारा निरीक्षण न करने के परिणामस्वरूप, सड़क निर्माण के कार्यों के निष्पादन के लिए उपयोग की गयी सामग्री की गुणवत्ता पर नजर नहीं रखी जा सकी।

2.2.9.5 कृत कार्रवाई रिपोर्ट

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 के दौरान एसक्यूएम द्वारा किए गए 895 निरीक्षणों में से, 492 (55 प्रतिशत) निरीक्षणों को 'असंतोषजनक' (159) या 'अपेक्षित सुधार' (333) के रूप में वर्गीकृत किया गया था; जिसके लिए राज्य में पीआईयू से की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) अभी भी (अक्टूबर 2019 तक) प्रतीक्षित थी। नौ नमूना जांच किए गए जिलों में से, आठ नमूना जांच किए गए जिलों¹¹⁵ में, 439 किए गए निरीक्षणों में से 221 (50 प्रतिशत) निरीक्षणों के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर), पीआईयू से प्रतीक्षित थी।

इसके अलावा, 'ग्रेडिंग असंतोषजनक' या अपेक्षित सुधार (ओएम का पैरा 11.6.3) हो तो एनक्यूएम द्वारा निरीक्षण के एक महीने की अवधि के बाद एटीआर पीआईयू द्वारा राज्य गुणवत्ता समन्वयक (एसक्यूसी) में जमा करना होता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 के दौरान एनक्यूएम द्वारा किए गए 34 निरीक्षणों के संबंध में एटीआर पीआईयू द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। छह नमूना जांच किए गए जिलों में, 12 निरीक्षणों के संबंध में एटीआर जुलाई 2019 तक प्रतीक्षित थी।

इस प्रकार, पीआईयू द्वारा एटीआर प्रस्तुत न करने के कारण, एसक्यूएम/ एनक्यूएम द्वारा बताए गए दोषों के सुधार को संबोधित नहीं किया जा सका।

¹¹⁵ गांदरबल जिले को छोड़कर

2.2.9.6 एसक्यूएम के निष्पादन का मूल्यांकन

एसक्यूएम द्वारा किए गए निरीक्षणों के निष्पादन का मूल्यांकन एनआरआरडीए के (जनवरी 2013 में) निर्देशों के अनुसार किया जाना होता है। निर्देशों के अनुसार, इसे एसक्यूएम का आकलन इन पैरामीटरों पर करना था जैसे कि आपत्तियों, तकनीकी आपत्तियों की गुणवत्ता दर्ज करने में सूझबूझ का प्रयोग करना, निरीक्षण प्रारूप की पूर्णता और यह देखना कि क्या उपयुक्त परीक्षण और गुणवत्ता ग्रेडिंग सार के पश्चात फॉर्म भरे गए हैं और अपेक्षित संख्या में तस्वीरों को ओएमएमएस में अपलोड किया गया है।

यह देखा गया कि एनआरआरडीए के निर्देशों के अनुसार एसक्यूएम के निष्पादन का तकनीकी रूप से मूल्यांकन (जून 2018 तक) नहीं किया गया था।

राज्य गुणवत्ता समन्वयक ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (दिसंबर 2018 में) कहा कि एसक्यूएम का आवधिक निष्पादन मूल्यांकन करने के लिए समिति नहीं थी और यह जून 2018 में अस्तित्व में आई।

2.2.9.7 शिकायत निवारण तंत्र

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 15.8 के अनुसार, राज्य गुणवत्ता समन्वयक/ पीआईयू का अध्यक्ष कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतों/ अभ्यावेदन को प्राप्त करने और पूछताछ करने वाला अधिकारी होता है और उसे शिकायतकर्ता को 30 दिनों के अंदर जवाब देना चाहिए। सभी शिकायतों के प्राप्त होने पर (पंजीकरण संख्या देते हुए) अभिस्वीकृति और जवाब की संभावित तिथि बतानी होती है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर, शिकायतकर्ता को परिणाम और की गई/ प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाएगा। इन सभी अभिलेखों यथा पावती रजिस्टर, की गई कार्रवाई रिपोर्टों इत्यादि को तैयार किया जाना अपेक्षित है।

अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि शिकायतों के निवारण से संबंधित रिकॉर्ड का यथा निर्धारित के अनुसार (जून 2018 तक) रख-रखाव नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतों का समय पर निपटान सुनिश्चित नहीं किया जा सका। नमूना जांच किए गए किसी भी जिले में, इन रिकॉर्डों का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

ईई ने (मार्च से जून 2018 में) कहा कि अनुपालन के लिए निर्देशों को नोट किया गया है।

2.2.9.8 संयुक्त निरीक्षण

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 15.10.1 के अनुसार, ज़ोन/ क्षेत्र से संबंधित अधीक्षक अभियंता को संयुक्त निरीक्षण के लिए किसी भी पीएमजीएसवाई परियोजना (ओं) का चयन करने के लिए छह महीने में एक बार उस ज़ोन/ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद और जिला प्रमुख से अनुरोध करना होता है। सांसद/ जिला प्रमुख की सुविधा के अनुसार संयुक्त निरीक्षण का कार्यक्रम तय किया जाना होता है।

एक डिवीजन के प्रभारी कार्यकारी अभियंता किसी भी पीएमजीएसवाई परियोजना (ओं) के संयुक्त निरीक्षण के लिए तीन महीने में एक बार संबंधित विधायक/ अन्तरवर्ती पंचायत के अध्यक्ष से उनकी पसंद के अनुसार और उनकी सुविधा के अनुसार अनुरोध कर सकता है।

इसी तरह, सब-डिवीजन के प्रभारी सहायक अभियंता दो महीने में एक बार ग्राम पंचायत के संबंधित सरपंच से संयुक्त निरीक्षण के लिए किसी भी पीएमजीएसवाई परियोजना (ओं) का चयन करने के लिए अनुरोध करेगा।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारित किए गए संयुक्त निरीक्षण न तो किए गए थे और न ही कोई शेड्यूल (जून 2018 तक) अनुरक्षित किया गया था। इसके अलावा, सितंबर 2019 तक संयुक्त निरीक्षण करने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

ईई ने (मार्च से जून 2018 में) तथ्यों को स्वीकार करते हुए भविष्य में अनुपालन के लिए आश्वासन दिए।

2.2.9.9 डिस्ट्रिक्ट विजिलेन्स एंड मॉनिटरिंग कमिटी (डीवीएमसी)/ डिस्ट्रिक्ट डेवलेपमेंट कॉरडीनेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी (डीआईएसएचए)

भारत सरकार द्वारा अन्य केन्द्रीकृत प्रायोजित स्कीम को वित्त पोषित करने के साथ, पीएमजीएसवाई के कार्यों की निगरानी एमओआरडी द्वारा स्थापित डीवीएमसी द्वारा की जाती है। एमओआरडी (विजिलेन्स और मानिटरिंग सैल) ने डिस्ट्रिक्ट डेवलेपमेंट कॉरडीनेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी (डीआईएसएचए) के गठन का (जून 2016 में) आदेश दिया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में संसद सदस्य और सदस्य सचिव के रूप में जिला विकास आयुक्त को भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी कार्यक्रमों/ स्कीमों की निगरानी करना थी। प्रत्येक जिले की डीआईएसएचए को वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीवीएमसी/ डीआईएसएचए की अपेक्षित बैठकें नमूना जांच किए गए जिलों में (जून 2018 तक) आयोजित नहीं की गई थीं। नौ नमूना जांच

किए गए जिलों में 2013-18 के दौरान की जाने वाली 180 बैठकों के प्रति, दो जिलों में केवल छह बैठकें¹¹⁶ (जून 2018 तक) आयोजित की गईं।

सिफारिश: एसक्यूएम/ एनक्यूएम द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने पर एटीआर को संबोधित करने की आवश्यकता है। शिकायतों के व्यवस्थित निवारण के लिए एक तंत्र तैयार किया जा सकता है। डीवीएमसी/ डीआईएसएचए की बैठकें चालू कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए। इसके अलावा, जेकेएसआरआरडीए जिलों में प्रयोगशालाओं की स्थापना सुनिश्चित कर सकता है।

2.2.10 ऑनलाइन मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम

ऑनलाइन मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम (ओएमएमएस) सॉफ्टवेयर योजना की ऑनलाइन निगरानी और प्रबंधन के लिए एक प्रमुख तंत्र है। जेकेएसआरआरडीए और पीआईयू ओएमएमएस के प्रासंगिक मॉड्यूल के डेटाबेस में सभी प्रासंगिक डेटा को अपलोड करने और अद्यतन करने को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। सॉफ्टवेयर में पीएमजीएसवाई की प्रत्येक प्रक्रिया को शामिल करते हुए 14 मॉड्यूल शामिल हैं जैसा कि **परिशिष्ट-2.2.8** में दर्शाया गया है।

अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:-

- नेशनल रुरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी (एनआरडीडीए) द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (सी-डीएसी) को (अक्टूबर 2014 में) सलाह दी गई थी कि एक बार ओएमएमएस पर बैलेंस शीट के आंकड़े लेखापरीक्षित किए गए मैनुअल बैलेंस शीट के आंकड़ों के अनुसार मिलान हो जाए तो डेटा लॉक किया जाना चाहिए और किसी भी मामले में किसी भी सुधार की आवश्यकता होने पर, उसे आगामी वित्तीय वर्ष में अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से किया जा सकता है। वर्ष 2013-17 की अवधि के रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला कि इन बैलेंस शीट में आंकड़े मेल नहीं खाते थे। ओएमएमएस के माध्यम से प्रस्तुत मार्च 2018 को समाप्त हुए बैलेंस शीट की रिपोर्ट में ₹22.77 करोड़ “मिलान न किए गए बैंक प्राधिकार” और (-) ₹500.15 करोड़ पीआईयू को अंतरित मिलान न की गयी कार्यक्रम निधि के रूप में दर्शाया गया था। इसने दर्शाया कि 18 से अधिक वर्षों के लिए ओएमएमएस मॉड्यूल के कार्यान्वयन के बाद भी, जेकेएसआरआरडीए प्राप्ति और भुगतान मॉड्यूल को अद्यतन करने की प्रक्रिया में था, जो सिस्टम के कार्यान्वयन के प्रति शिथिल दृष्टिकोण को दिखाता है। जांच में आगे पता चला कि पूर्ण हुए/ चल रहे कार्य वाली नई सड़कों, पूर्ण हुए/ चल रहे कार्य वाली

¹¹⁶ जम्मू: 4; राजोरी: 2

उन्नयन सड़कों ओएमएमएस पर अपलोड किए गए व्यय के आंकड़ों और जेकेएसआरआरडीए की बैलेंस शीट में परिलक्षित व्यय के आंकड़ों के बीच भारी अंतर था, जैसाकि **परिशिष्ट-2.2.9** में दिए गए विवरण के अनुसार सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से लेखापरीक्षित था। इसके अलावा, ओएमएमएस पर अपलोड किए गए बस्तियों के आंकड़ों की तुलना में राज्य के अनुसार बस्तियों के आंकड़ों में असमानता थी। अप्रैल 2000 तक जेकेएसआरआरडीए द्वारा असंयोजित के रूप में सूचित 2,738 बस्तियों के प्रति 2,493 बस्तियों¹¹⁷ को ओएमएमएस पर असंयोजित के रूप में दिखाया गया। इसके अलावा, मार्च 2018 तक ओएमएमएस पर भूमि अधिग्रहण पर व्यय की गई ₹557.96 करोड़ की राशि अपलोड नहीं की गई थी, क्योंकि एनआरआरडीए द्वारा दी गयी सलाह के बावजूद 'नई सड़कों का निर्माण' शीर्ष के तहत नया उप-शीर्ष 'भूमि का अधिग्रहण' नहीं खोला गया था।

- सूचना प्रौद्योगिकी नोडल अधिकारी पीआईयू स्तर पर डेटा प्रविष्टि की प्रगति की निगरानी, बल्क डेटा प्रविष्टि और राज्य के अन्य आईटी संबंधित कार्यों के पर्यवक्षण के लिए जिम्मेदार है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जेकेएसआरआरडीए के अधिकार प्राप्त अधिकारी को न तो मासिक एमआईएस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई (सितंबर 2018), न ही डीपीआईयू में त्रैमासिक एमआईएस रिपोर्ट तैयार की गई और इसे आईटी नोडल अधिकारी को भेजा गया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि यूपीएस/ इनवर्टर का उपयोग करते हुए शुद्ध कनेक्टिविटी, निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सभी नमूना जांच किए गए जिलों/ पीआईयू में उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, एनआरआरडीए द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर की खरीद के लिए जारी की गई ₹26.10 लाख की राशि का उपयोग मार्च 2018 तक नहीं किया जा सका। जवाब में, आईटी नोडल अधिकारी ने (अप्रैल 2019 में) कहा कि अब दैनिक आधार पर वास्तविक प्रगति की निगरानी के लिए अधिकार प्राप्त अधिकारी को एमआईएस रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।
- जेकेएसआरआरडीए, आईटी नोडल अधिकारी द्वारा सूचित और ओएमएमएस पर अपलोड किए गए व्ययों और वास्तविक उपलब्धि एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

¹¹⁷ 1,000 व्यक्ति और उससे अधिक: 574; 500 व्यक्ति और उससे अधिक: 886 और 250 व्यक्ति और उससे अधिक: 1,033

तालिका-2.2.12: व्यय और वास्तविक उपलब्धि के आंकड़ों में भिन्नता

वर्ष	ओएमएमएस के अनुसार		जेकेएसआरआरडीए	आईटी नोडल अधिकारी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार		
	जोड़े गए निवास स्थान	सड़क की लंबाई (कि.मी.)	व्यय (₹ करोड़ में)	व्यय (₹ करोड़ में)	सड़क की लंबाई (कि.मी.)	जोड़े गए निवास स्थान
2013-14	165	866.21	508.29	534.17	891.79	189
2014-15	123	858.83	422.73	422.73	934.66	132
2015-16	110	789.86	282.47	258.39	488.11	85
2016-17	240	1,785.16	320.91	296.56	428.60	87
2017-18	152	1,804.54	716.00	709.44	1,429.34	226
कुल	790	6,104.60	2,250.40	2,221.29	4,172.50	719

(स्रोत: विभागीय रिकॉर्ड)

वास्तविक उपलब्धि की तुलना में व्यय के आंकड़ों में अन्तर को विभाग द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया था।

सिफारिश: ओएमएमएस के संचालन में कमी को सुधारने की आवश्यकता है ताकि यह निगरानी और निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य कर सके जैसाकि परिकल्पित था।

2.2.11 श्रमबल प्रबंधन

राज्य स्तर पर, 853 तकनीकी कर्मचारियों की संस्वीकृत क्षमता के प्रति, 673 अधिकारी/ कर्मचारी थे, इस प्रकार 180 पदों (21 प्रतिशत) की कमी थी। गैर-तकनीकी कर्मचारियों के संबंध में, संस्वीकृत पदों के मुकाबले विभिन्न श्रेणियों के तहत 494 पदों (57 प्रतिशत) की कमी थी।

नमूना जांच किए गए जिलों में, 366 तकनीकी कर्मचारियों (एक्सईएन, आईई, आई, जेई, डीएम) की संस्वीकृत क्षमता के प्रति, 311 अधिकारी/ कर्मचारी थे, इस प्रकार 55 पदों (15 प्रतिशत) की कमी थी। गैर-तकनीकी कर्मचारियों के सम्बन्ध में संस्वीकृत पदों की तुलना में 140 पदों (47 प्रतिशत) की कमी थी। ग्रामीण जिलों में तकनीकी कर्मचारियों की कमी 26 से 58 प्रतिशत के बीच थी। शहरी जिले में तकनीकी कर्मचारियों की स्थिति (77 प्रतिशत तक) अधिक थी क्योंकि संस्वीकृत 26 पदों के प्रति प्रभावी क्षमता 46 थी।

मुख्य अभियंता पीएमजीएसवाई जम्मू ने (अप्रैल 2018 में) कहा कि कार्य के भार से निपटने के लिए विभाग में मंत्रालयीन/ तकनीकी कर्मचारियों की कमी है। कर्मचारियों की कमी के विषय में सरकार के स्तर पर चर्चा की गई थी और यह तय किया गया था कि रिक्त पदों को भरा जाएगा। ग्रामीण जिलों के ईई ने कहा कि तकनीकी संवर्गों

और मंत्रालयीन समूह 'सी' के तहत कर्मचारियों की कमी को उच्च अधिकारियों से बार-बार अवगत कराया गया है। इन संवर्गों में कमी ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन को प्रभावित किया। ईई जम्मू ने (अप्रैल 2018 में) कहा कि डिवीजन में तैनात विभिन्न संवर्गों में अधिक श्रमबल उच्च अधिकारियों के निर्देश पर था।

सिफारिश: शहरी क्षेत्रों में अधिक श्रमबल की तैनाती की विषमता और ग्रामीण क्षेत्र में कमी को देखते हुए, सरकार अधिशेष कर्मचारियों की पहचान करके श्रमबल के तत्काल यौक्तिकीकरण को सुनिश्चित कर सकती है ताकि क्षेत्र में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।

2.2.12 निष्कर्ष

विभिन्न एजेंसियों से डीआरआरपी की तैयारी और अनुमोदन के लिए मूल रिकॉर्ड को बनाए नहीं रखा गया था। सीएनसीपीएल/ सीयूपीएल में यथा परिकल्पित अनुसार सड़क परियोजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी गयी और क्रियान्वयन नहीं किया गया। विभाग मार्च 2018 तक 76 प्रतिशत निवास स्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान करके लक्षित सड़क की लंबाई का 60 प्रतिशत निर्माण कर सका। मई 2008 और अगस्त 2016 के बीच संस्वीकृत 46 सड़क परियोजनाएं भूमि विवाद और वन भूमि की मंजूरी नहीं होने के कारण अपूर्ण रहीं। नौ नमूना जांच किए गए जिलों में नमूना जांच की गई 254 सड़क परियोजनाओं में किसी को भी प्रशासनिक रूप से स्वीकृति और तकनीकी रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा संस्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। तकनीकी रूप से संस्वीकृति प्रदान किए बिना कार्यों के संबंध में निविदाएं आमंत्रित की गईं और बोली प्रक्रिया को पूरा करने में असामान्य देरी हुई। 2015-18 के दौरान कार्यक्रम निधियों में ₹128 करोड़ से ₹1,046 करोड़ की सीमा तक भारी अप्रयुक्त शेष राशि रही, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने ₹1,494.60 करोड़ कम जारी किए। राज्य सरकार ने ₹97 करोड़ की अपनी देय हिस्सेदारी भी जारी नहीं की। पीएमजीएसवाई सड़कों के अनुरक्षण के लिए ग्रामीण सड़क अनुरक्षण नीति राज्य द्वारा तैयार नहीं की गई थी। कार्यक्रम की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली ने कार्य नहीं किया जैसाकि दिशानिर्देशों में परिकल्पित था। ओएमएमएस में डेटा में विसंगतियों के कारण निगरानी अप्रभावी थी।

यह मामला सितंबर 2018 में सरकार को भेजा गया था; दिसंबर 2018, मई 2019 और सितंबर 2019 में जारी किए गए अनुस्मारकों के बावजूद, उनके जवाब (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित थे।

अध्याय-III
अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय-III

अनुपालन लेखापरीक्षा

कृषि उत्पादन विभाग

3.1 शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां

विश्वविद्यालय ने पाँच खाद्य फसलों हेतु 'अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना' (एआईसीआरपी) पर ₹16.08 करोड़ का व्यय करने के बावजूद किसी भी संकर बीज (मक्के की एकल संकर किस्म को छोड़कर) को विकसित नहीं किया है। शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू द्वारा किसानों को गुणवत्ता बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी बीज उत्पादन श्रृंखला नहीं बनाई गई चूँकि वर्ष 2014-18 के दौरान राज्य कृषि विभाग द्वारा 2,62,207 क्विंटल प्रजनक/मूल बीजों की मांग के प्रति विश्वविद्यालय केवल 5,126.69 क्विंटल बीज ही उपलब्ध करा सका। शुष्क भूमि कृषि पर अनुसंधान हेतु राख धियंसर केंद्र की स्थापना की गई थी, परंतु इसने इस परियोजना के अंतर्गत 2008-09 से 2017-18 के दौरान परियोजना के तहत ₹6.99 करोड़ व्यय करने के बावजूद शुष्क भूमि की उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण नहीं किया। परियोजना निगरानी और मूल्यांकन (पीएमई) विंग द्वारा की गई निगरानी लगभग मौजूद नहीं थी चूँकि विश्वविद्यालय ने वित्त पोषण प्राधिकरणों को प्रस्तुत की गई परियोजनाओं की संख्या, स्वीकृत/ अस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और परियोजनाओं के पूरा होने पर प्रकाशित अनुसंधान पत्र एवं उनके प्रभाव का डेटाबेस लेखापरीक्षा हस्तक्षेप होने तक नहीं बनाया था। 2014-18 के दौरान होने वाली अनुसंधान परिषद की आठ अनिवार्य बैठकों के बजाय केवल तीन बैठकें आयोजित की गईं।

3.1.1 प्रस्तावना

जम्मू और कश्मीर मुख्य रूप से एक कृषि-प्रधान राज्य है जिसकी लगभग 70 प्रतिशत आबादी¹ अपनी आजीविका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि या संबद्ध गतिविधियों से प्राप्त करती हैं। शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूएसटी), जम्मू की स्थापना 20 सितंबर, 1999 में ज्ञान के अधिगम, कृषि अनुसंधान और सम्बन्धित विज्ञान के विस्तार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्यों के साथ की गई थी। विश्वविद्यालय अधिनियम 1982 के प्रावधान में

¹ राज्य के सांख्यिकी का सार-संग्रह (2015-16)

परिकल्पित हैं कि विश्वविद्यालय को राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए अपने अनुसंधान कार्यक्रम इस प्रकार विकसित करने हैं कि कृषि, पशुपालन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों के विकास कार्यों में लगे हुए सरकारी विभागों को उचित तकनीकी सहायता और परामर्श प्रदान हो सके। विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्य को विभिन्न विभागों² के संकायों द्वारा और जम्मू डिवीजन में विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में फैले हुए आठ अनुसंधान केंद्रों (**परिशिष्ट-3.1.1**) में कार्यरत वैज्ञानिक द्वारा किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की अनुसंधान गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए अनुसंधान परिषद उत्तरदायी है। कृषि की आधुनिक पद्धतियों और संबद्ध विज्ञानों को विकसित करने के लिए एवं राज्य के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एसकेयूएसटी की भूमिका महत्वपूर्ण है।

विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर लेखापरीक्षा दिसंबर 2017 से अगस्त 2018 के दौरान यादृच्छिक नमूना चयन आधार पर चयनित 2014-18 के दौरान 70 में से 23 पूर्ण/ परिव्यक्त परियोजनाओं और 98 चालू परियोजनाओं³ में से 20⁴ परियोजनाओं की विस्तृत जांच के माध्यम से की गई थी। मार्च 2014 से पहले जारी दीर्घकालिक/ तदर्थ चालू अनुसंधान परियोजनाओं के ब्यौरे, 2014-18 के दौरान पूर्ण की गई और शुरू की गई परियोजनाएँ, वित्त पोषण एजेंसी का नाम सहित **परिशिष्ट 3.1.2** में दर्शाए गये हैं। विश्वविद्यालय का संगठनात्मक ढाँचा **परिशिष्ट 3.1.3** में दर्शाया गया है।

3.1.2 वित्तीय प्रबंधन

2014-18 की अवधि के दौरान विशेष योजनाओं/ परियोजनाओं हेतु राज्य सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) से प्राप्त अनुदान की स्थिति और आंतरिक प्राप्तियों (आईआर)⁵ के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए प्रोद्भवित आय और इसके संबंध में किया गया व्यय निम्नानुसार है:

² कृषि संकाय के अंतर्गत 13 डिवीजन, पशु-चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन संकाय के अंतर्गत 17 डिवीजन, आधारभूत विज्ञान संकाय के अंतर्गत 4 डिवीजन और जैव-प्रौद्योगिकी और कृषि-व्यापार प्रबंधन के 2 विद्यालय

³ कृषि: 81; पशु-चिकित्सा: 13 और बागवानी/ पुष्पकृषि: 4

⁴ 'फल संबंधी फसलों के लिए उच्च नस्ल के पौध सामग्री हेतु मातृ पौध नर्सरी की स्थापना' से संबंधित एक परित्यक्त परियोजना (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा निधियत) को शामिल करते हुए

⁵ शैक्षणिक शुल्क, कृषि भूमि के उत्पादन की बिक्री से आय, अन्य

तालिका-3.1.1: 2014-18 के दौरान प्राप्तियों और व्यय कि स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्ष-वार ब्यौरें ⁶				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	कुल
आदि शेष		43.59	46.64	55.72	58.95	
प्राप्त अनुदान						
राज्य	योजना	11.21	15.29	15.00	12.00	53.50
सरकार	गैर-योजना	61.21	64.25	70.50	83.59	279.55
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्		25.30	20.57	24.80	27.78	98.45
आंतरिक प्राप्तियाँ		9.79	9.54	6.26	6.02	31.61
कुल प्राप्ति		107.51	109.65	116.56	129.39	463.11
कुल उपलब्धता		151.10	156.29	172.28	188.34	
किया गया व्यय						
राज्य	योजना	15.26	5.38	9.08	9.25	38.97
सरकार	गैर-योजना	58.84	63.98	71.62	80.92	275.36
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्		23.72	24.30	26.63	24.90	99.55
आंतरिक प्राप्तियाँ		6.64	6.91	6.00	5.95	25.50
कुल		104.46	100.57	113.33	121.02	439.38
वेतन		54.65 (52)	67.16 (67)	68.52 (60)	71.39 (59)	261.72 (60)
परियोजनाएं		14.53 (14)	21.14 (21)	23.25 (21)	20.67 (17)	79.59 (18)
अन्य		35.28 (34)	12.27 (12)	21.56 (19)	28.96 (24)	98.07 (22)
अन्त शेष		46.64	55.72	58.95	67.32	
कुल उपलब्धता की उपयोगिता का प्रतिशत		69	64	66	64	
योजना शीर्ष के अंतर्गत बचत की प्रतिशता			65	39	23	

(स्रोत: नियंत्रक कार्यालय के अभिलेख)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें कुल किए गए व्यय की प्रतिशतता हैं)

2014-18 के दौरान, आईसीएआर अनुदान के अंतर्गत ₹1.10 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसे आंतरिक स्रोतों से पूरा किया गया। 2014-18 के दौरान समग्र रूप से निधियों की कम उपयोगिता, यद्यपि बजट अंतराल को दर्शाते हुए 31 से 36 प्रतिशत के बीच था। 2014-18 के दौरान ₹439.38 करोड़ के कुल व्यय में से 60 प्रतिशत वेतन पर, 18 प्रतिशत परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर और शेष 22 प्रतिशत यात्रा व्यय, पेंशन भुगतान, ग्रेच्युटी और अन्य आकस्मिक व्ययों पर खर्च किया गया।

⁶ वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लेखे चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित नहीं थे

2014-15 में परियोजनाओं पर व्यय 14 प्रतिशत से 2016-17 में 21 प्रतिशत में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई और 2017-18 में 17 प्रतिशत की कमी दर्शाई गई, जबकि वेतन पर व्यय 2015-16 में 67 से घटकर 2017-18 में 59 प्रतिशत हो गई थी।

निधियों की कम उपयोगिता के लिए (सितंबर 2018 में) नियंत्रक द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंतिम समय में निधियों के अंतरण को जिम्मेदार ठहराया गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्राप्त की गई निधियां वर्ष के अंत में व्यपगत नहीं होती हैं अव्ययित शेषों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अग्रेषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, व्यय के योजना शीर्ष के तहत 2015-2016 से 2017-18 के दौरान बचत 23 से 65 प्रतिशत के बीच थी।

3.1.3 अनुसंधान नीतियाँ और कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुसंधान परिषद⁷ (आरसी) को विश्वविद्यालय में चलाये जा रहे अनुसंधान कार्यों का निरीक्षण करने, अनुसंधान कार्यक्रमों और शुरू की गई परियोजनाओं के संबंध में सिफारिशें करने और किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्मुख अनुसंधान करने के लिए अधिदेशित किया गया है। विस्तारण शिक्षा परिषद (ईसी)⁸ विस्तारण शिक्षा को अनुसंधान के साथ एकीकृत करने के लिए अधिदेशित किया गया है। विश्वविद्यालय परिषद (यूसी)⁹ शीर्ष निकाय होने के नाते विश्वविद्यालय की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करता है और उसके भविष्य की योजनाओं, विकास और प्रसार के संबंध में परामर्श देती है। आंचलिक अनुसंधान एवं विस्तारण एडवाइजरी समिति (जेडआरईएसी)¹⁰ पूर्ण की गई परियोजनाओं की सिफारिशों की स्वीकृति और प्रतिपुष्टि पर चर्चा करने के अतिरिक्त भूमि पर सामने आने वाली समस्याओं के आधार पर अनुसंधान योग्य क्षेत्रों पर विचार विमर्श करती

⁷ इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में उप-कुलपति, कृषि निदेशक, बागवानी निदेशक, भेड़ पालन निदेशक, मत्स्य निदेशक, मुख्य वन संरक्षक, सदस्य सचिव के रूप में अनुसंधान निदेशक सहित विश्वविद्यालय के सभी निदेशक, संकायों के सभी डीन, सभी विभागाध्यक्ष/ क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र और उप कुलपति के द्वारा नामांकित दो प्रख्यात वैज्ञानिक शामिल हैं।

⁸ इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में उप-कुलपति, कृषि निदेशक, बागवानी निदेशक, भेड़ पालन निदेशक, मत्स्य निदेशक, मुख्य वन संरक्षक, सदस्य सचिव के रूप में अनुसंधान निदेशक सहित विश्वविद्यालय के सभी निदेशक, संकायों के सभी डीन, सभी विभागाध्यक्ष/ क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र और उप कुलपति के द्वारा नामांकित दो प्रख्यात वैज्ञानिक शामिल हैं।

⁹ इसमें कुलपति, प्रति-कुलपति, राज्य कृषि मंत्री, संबंधित विश्वविद्यालय के उप-कुलपति, किसी अन्य विश्वविद्यालय के उप-कुलपति इत्यादि शामिल हैं।

¹⁰ इसमें उप-कुलपति, विकास विभागों के निदेशक और प्रतिनिधि, अनुसंधान निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशक, फसल और विषय सामग्री विशेषज्ञ, प्रगतिशील किसान, विभागाध्यक्ष, संकायों के डीन इत्यादि सम्मिलित हैं।

है। परियोजनाओं के चुनाव में एक व्यवस्थित परिणाम **परिशिष्ट 3.1.4** में दिया गया है।

आवश्यकता आधारित और प्रासंगिक परियोजनाओं का आरंभ सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान परिषद ने अपनी बैठकों में (मई 2011, सितम्बर 2013) परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा करने हेतु एक समिति के गठन की सिफारिश की थी। प्रारंभिक सिफारिश की तिथि से सात वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद नवंबर 2018 में समिति की स्थापना की गई थी। संबंधित मुख्य अन्वेषक (पीआई) के द्वारा परियोजना प्रस्ताव सीधे वित्त पोषण एजेंसियों को अग्रेषित किये जा रहे थे और आवश्यकता/ सम्बंधता के निर्धारण हेतु अनुसंधान निदेशालय के माध्यम से नहीं भेजे जा रहे थे। इस प्रकार परियोजनाओं की व्यवहारिकता/ उपयुक्तता का निर्धारण करने हेतु कोई भी तंत्र नहीं था।

इसके अलावा, 2014-18 के दौरान अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली आठ अनिवार्य बैठकों के प्रति केवल तीन बार¹¹ बैठकों का आयोजन किया गया। इसके परिणामस्वरूप अनुसंधान परिषद द्वारा की गई सिफारिशों और विभिन्न लाइन विभागों द्वारा सामने लाए गए अनुसंधान योग्य मामलों पर पर्याप्त रूप से अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई। विश्वविद्यालय, 2011-12 और 2017-18 के बीच अनुसंधान परिषद की विभिन्न बैठकों के दौरान विभिन्न लाइन विभागों¹² के द्वारा निर्दिष्ट 30 मामलों में से 28 को निपटाने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा, ईसी और जेडआरईएसी की विभिन्न बैठकों के दौरान लाइन विभागों द्वारा निर्दिष्ट 67 मामलों में से 33 मामले लंबित बने रहे। लंबित विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ संकर किस्मों का विकास, विभिन्न खाद्य फसलों की जलवायु/ रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास, स्थानीय किस्मों का आनुवांशिक विशेषता, मृदा परीक्षण और खनिज मानचित्रण, चारे के लिए चारगाहों का हास आदि शामिल थे, जैसा **परिशिष्ट-3.1.5** में दर्शाया गया है।

विश्वविद्यालय परिषद ने 14 अनुसंधान योग्य क्षेत्रों (**परिशिष्ट-3.1.6**) की (2012 में) पहचान की जिनमें 7 महत्वपूर्ण मामलों¹³ जैसे (i) जर्मप्लाज्मा बैंक की स्थापना करना और आनुवांशिक रूप से संशोधित/ ट्रांसजेनिक फसलों का विकास करना (ii) जलवायु परिवर्तन और दूरस्थ संवेदी इकाई की स्थापना (iii) भ्रूण स्थानांतरण

¹¹ अनुसंधान परिषद की 15वीं बैठक: नवंबर 2015; अनुसंधान परिषद की 16वीं बैठक: मार्च 2017 और अनुसंधान परिषद की 17वीं बैठक: मार्च 2018

¹² कृषि, बागवानी, पुष्प-कृषि, पशुपालन और पशु-चिकित्सा के विकास कार्यों में शामिल राज्य सरकार के विभाग

¹³ परिशिष्ट 3.1.6 में क्र.स. 1 से 7 में दर्शाये गए विवरण के अनुसार

तकनीक द्वारा भैंस की स्थानीय नस्लों में सुधार (iv) बकरवाली बकरियों के डेटाबेस स्थापित करना (v) वर्तमान में उपयोग की गई कीटनाशकों का विष-विज्ञान संबंधी अध्ययन (vi) रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए और मांस तथा दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पशुओं की जीनोटाइपिंग (vii) भौगोलिक सूचना प्रणाली और दूरस्थ संवेदी तकनीक का उपयोग करते हुए जिला स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सूचना संग्रहण और डिजीटलीकरण, पर कार्य फरवरी 2019 तक आरंभ नहीं किया गया। छः मामलों में परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत नहीं किया गया और 2012-13 और 2014-15 के बीच शुरू की गई परियोजनाओं में से तीन मामलों¹⁴ पर प्रदेय प्राप्त नहीं हुए थे। शेष चार मामलों¹⁵ को कवर करने वाली परियोजनाएं आंशिक रूप से विभिन्न डिवीजनों में परिचालन में थी जिनके परिणामों का संकलन अप्रैल 2019 तक संवीक्षा के अधीन था। इन परियोजनाओं की शुरु नहीं किए जाने/ आंशिक रूप से निष्पादन के कारण, विश्वविद्यालय राज्य के किसानों को पर्याप्त तकनीकी सहायता प्रदान करने और खाद्य फसलों/ पशुधन में आनुवांशिक सुधार के माध्यम से एवं दूसरे तकनीकी हस्तक्षेपों द्वारा कृषि/ पशु चिकित्सा की आधुनिक पद्धतियों के विकास के अनुदेश को पूरा नहीं कर सका।

उत्तर में, समन्वयक, स्कूल ऑफ बायो-टेक्नोलॉजी (एसबीटी) ने (जून 2018 में) विश्वविद्यालय की जैव-सुरक्षा समिति द्वारा (सितम्बर 2017 में) सिफारिश किए गए आवश्यक आधारभूत संरचना की गैर-मौजूदगी और निधियों की अनुपलब्धता को सात परियोजनाओं को आरंभ नहीं करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।

निदेशक वित्त, कृषि उत्पादन विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार ने (फरवरी 2019 में) बताया कि परियोजनाएँ संभावित हैं और निधियों की प्राप्ति होने पर आरंभ की जाएगी। यद्यपि, तथ्य यह है कि समिति के गठन हेतु अनुसंधान परिषद का निर्णय सात वर्षों से अधिक का समय बीत जाने के बाद कार्यान्वित किया गया था। इसी प्रकार जर्मप्लाजमा बैंक की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट इसकी पहचान से पांच वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद कृषि उत्पादन विभाग को (मार्च 2018 में) प्रस्तुत की गई थी।

3.1.4 अनुसंधान कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

अनुसंधान परियोजनाएँ मुख्यतः उच्च पैदावार वाली किस्म और संकर बीजों की किस्म को विकसित करने, बागवानी, पौध संरक्षण, शुष्क भूमि कृषि और कृषि एवं

¹⁴ (1) कीटों और बीमारियों की चेतावनी हेतु डेटाबेस का विकास; (2) कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर वर्षा की कमी के प्रभाव का अध्ययन और (3) पशु रोग नियंत्रण और निगरानी हेतु प्रयोगशाला की स्थापना: जैसे परिशिष्ट 3.1.6 में क्र.स. 8 से 10 में दर्शाया गया है

¹⁵ जैसे परिशिष्ट 3.1.6 में क्र.स. 11 से 14 में दर्शाया गया है

संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी को शुरू करने के लिए किया गया था। मार्च 2018 तक 98 चालू परियोजनाएँ थी जिसमें से 32 लंबी अवधि की परियोजनाएँ और 66 लघु अवधि/ तदर्थ परियोजनाएँ शामिल थी। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कमियों के विषय में चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है:

3.1.4.1 खाद्य फसलों पर अनुसंधान

कृषि उत्पादन और उत्पादक क्षमता में अनवरत प्रमुखता से फसलों की नई और उन्नत किस्मों के विकास और किसानों को बीजों की समय पर आपूर्ति करवाने की एक कुशल प्रणाली पर निर्भर करता है।

जैविक तथा अजैविक आघातों के प्रति अंतर्निहित, प्रतिरोधकता/ सहनशीलता वाली उपयुक्त फसल किस्मों के पोषणीय रूप से उन्नत संकर/ उन्नत उपज किस्मों (एचवाईवी) वाले बीजों को विकसित करने के लिए एसकेयूएसटी जम्मू ने (1995-2012) पाँच खाद्य फसलों¹⁶ हेतु 'अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएँ' आरंभ की थी। विश्वविद्यालय ने 2008-09 से 2017-18 के दौरान ₹16.08 करोड़ (आईसीएआर: ₹13.10 करोड़, राज्य की हिस्सेदारी: ₹2.98 करोड़) परियोजनाओं पर व्यय किए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि फरवरी 2019 तक इन पाँच खाद्य फसलों के संकर बीज (मक्के की एकल संकर प्रजाति¹⁷ को छोड़कर) विकसित नहीं किए जा सके। विश्वविद्यालय ने 1999 और 2017 के बीच सात खाद्य फसलों की कुल मिलाकर 27¹⁸ एचवाईवी विकसित की, जिनमें से केवल छः किस्मों¹⁹ की विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियों में उगाने के लिए राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा 2011 और 2015 के बीच अधिसूचित किया गया, 2005 और 2017 के बीच जारी की गई 19 किस्मों²⁰ की दिसम्बर 2018 तक अधिसूचना लंबित थी और गेहूँ की शेष दो किस्मों के संबंध में बीज/ उत्पत्ति और चयन की पद्धति उपलब्ध नहीं थी। विश्वविद्यालय द्वारा जारी/ विकसित फसलों के एचवाईवी बीजों का, यद्यपि राज्य की कृषि स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि 2005 और 2014 के बीच जारी की गई तिलहन बीजों²¹ की तीन किस्मों और सब्जी²² की एक किस्म के अलावा, राज्य की बीज श्रृंखला में कोई

¹⁶ चावल, गेहूँ, मक्का, राई/ सरसों और चिक-मटर

¹⁷ पीएचएम 12

¹⁸ चावल: 4, गेहूँ: 5, मक्का: 2, तिलहन: 8, दाल: 1, सब्जी: 6 और फल: 1

¹⁹ राज्य द्वारा जारी: 5 किस्म (चावल: 1; मक्का: 1; गेहूँ: 1; तिलहन: 1 और सब्जी: 1) राष्ट्रीय विमोचन: चावल की 1 किस्म

²⁰ तिलहन: 7; चावल: 2; गेहूँ: 2; दाल: 1; मक्का: 1; फल: 1 और सब्जियाँ: 5

²¹ आरएसपीटी 1; तोरिया आरएसपीटी 2; गोभी सरसों आरएसपीएन 25

²² नोल खोल जी40

भी किस्म नहीं थी। ऐसा विश्वविद्यालय द्वारा केंद्रीय पूल में उपलब्ध किस्मों की तुलना में किस्मों को जारी करने को कम वरीयता देने और इन किस्मों के प्रजनक बीजों के अपर्याप्त उत्पादन के कारण किसान समुदाय में नई किस्मों के गैर-संवर्धन/परिचय के कारण हुआ, जैसा कि कृषि विभाग (डीओए) द्वारा (जून 2018 में) पुष्टि की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि मक्का²³ और चिक-मटर²⁴ को जारी किस्मों के प्रजनक बीज बिल्कुल उत्पादित नहीं किये गये, जबकि 2013-14 से 2017-18 के दौरान चावल, गेहूं और तिलहन का क्रमशः कुल 2.70 क्विंटल, 51 क्विंटल और 2 क्विंटल अति अल्प मात्रा में उत्पादन हुआ। अतः, विश्वविद्यालय ने अपने अनुसंधान कार्यक्रमों को राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं किया।

इंगित करने पर, एआईसीआरपी प्रभारी द्वारा यह (जून 2018 में) कहा गया कि कृषि विभाग अन्य राज्यों से राष्ट्रीय स्तर पर जारी की गई किस्मों के बीजों की खरीद से बीजों की मांग को पूरा कर रहा था जिसके परिणामस्वरूप बीज श्रृंखला में विश्वविद्यालय द्वारा उत्पादित किस्मों को शामिल नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त पादप प्रजनन और अनुवांशिकी विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा (जुलाई 2018 में) बताया गया कि जम्मू का अवस्थिति राष्ट्रीय स्तर पर जारी किस्मों की खरीद और राज्य एजेंसियों द्वारा इनके वितरण को आसान बना देता है। नोडल अधिकारी, परियोजना निगरानी और मूल्यांकन (पीएमई) विंग ने आगे (मई 2018 में) कहा कि किसी भी किस्म को जारी करने से पूर्व बीज प्रक्षेपण के माध्यम से प्रचार, किसान समुदाय द्वारा प्रक्षेपित माँगपत्र और परीक्षण मांग पर निर्भर करता है। उत्तर इसकी पुष्टि करता है कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्पादित की गई किस्मों के लिए किसान समुदाय में कम वरीयता दी गई, जैसा कृषि विभाग ने विश्वविद्यालय को (मई 2015 में)²⁵ बताया था।

3.1.4.2 बीज उत्पादन

बीज प्रतिस्थापना दर और उच्च पैदावार वाली नई किस्मों/ संकर किस्मों के तेजी से प्रसार के लिए बीज एजेंसियों के प्रयासों को पूरा करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 10वीं योजना (2005-07) के दौरान, 'कृषि फसलों में बीज उत्पादन और मत्स्य पालन' पर एक मेगा बीज परियोजना की मंजूरी दी गई थी जो 11वीं, 12वीं और 13वीं योजना (2007-20) तक जारी रही। मार्च 2018 तक, विश्वविद्यालय में इसके कार्यान्वयन (अप्रैल 2006) के बाद से परियोजना के तहत बीज उत्पादन पर ₹5.37 करोड़ का व्यय किया गया।

²³ पीएचएम 12

²⁴ एससीएस 3

²⁵ आंचलिक अनुसंधान और विस्तारण एडवाइजरी परिषद खरीफ 2015 की बैठक

वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान मुख्य अनाज चावल और गेहूं के प्रजनक बीजों के उत्पादन की तुलना में लक्ष्यों की प्राप्ति को नीचे सारणीबद्ध किया गया है।

तालिका 3.1.2: प्रजनक बीजों (चावल और गेहूं) के उत्पादन के संबंध में लक्ष्य और प्राप्ति

(आंकड़ें क्विंटल में)

वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति	कमी (प्रतिशत में)
2014-15	87	17	70 (80)
2015-16	119	7	112 (94)
2016-17	93	121	-
2017-18	107	132	-

(स्रोत: मेगा बीज परियोजना की वार्षिक रिपोर्ट)

जैसा देखा जा सकता है कि वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान मुख्य अनाजों चावल एवं गेहूं के प्रजनक बीजों के उत्पादन में 80 प्रतिशत और 94 प्रतिशत की कमी हुई जबकि 2016-17 और 2017-18 के दौरान प्राप्ति लक्ष्यों से अधिक थी।

कृषि विभाग के माँगपत्र के आधार पर विश्वविद्यालय मूल और प्रमाणिक बीजों का उत्पादन भी करता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कृषि विभाग द्वारा मांगे गए बीजों की अपेक्षित मात्रा विश्वविद्यालय ने उत्पादित नहीं की और 2014-18²⁶ की अवधि के दौरान किस्मों के लिए प्रजनक/ मूल बीजों की 2,62,207 क्विंटल की कुल मांग के प्रति इस अवधि के दौरान केवल 5,126.69 क्विंटल (2 प्रतिशत) ही उत्पादित कर सका (परिशिष्ट-3.1.7)। इस प्रकार, एसकेयूएएसटी, जम्मू किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त बीजों को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त बीज श्रृंखला को बनाए नहीं रख सकी। इसके अतिरिक्त 2014-18 की अवधि के दौरान उत्पादित 5,126.69 क्विंटल धान/ गेहूं के बीजों में से राज्य कृषि उत्पादन विभाग द्वारा मांग की गई किस्मों को नहीं उठाने के कारण 1,048.70 क्विंटल बीजों को, खपत योग्य अनाज के रूप में बेचा गया, परिणामस्वरूप ₹21.01 लाख की हानि हुई। विश्वविद्यालय ने कृषि विभाग के साथ किसी समझौता के माध्यम से अपने हितों की सुरक्षा नहीं की ताकि मांगी गई किस्मों को नहीं उठाने के कारण हुई हानियों की क्षतिपूर्ति की जा सके।

लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकारते हुए और एक मजबूत बीज श्रृंखला तंत्र की स्थापना के महत्व को समझते हुए, सहायक निदेशक अनुसंधान ने (मई 2018 में) बीजों की विभिन्न श्रेणियों के उत्पादन में कमी के लिए संबन्धित प्रजनकों से प्रजनक बीजों की अनुपलब्धता को जिम्मेदार ठहराया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा बीजों

²⁶ वर्ष 2017-18 के लिए खरीफ प्रजनक बीजों की मांग को छोड़कर

की मांगी गई मात्रा के पूरा न होने के लिए पर्याप्त मात्रा में भूमि की अनुपलब्धता को (जुलाई 2018 में) जिम्मेदार ठहराया गया था।

इस प्रकार, विश्वविद्यालय पर्याप्त संख्या में प्रजनक बीजों की उपलब्धता संबंधी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। अतः इस मामले की जांच करना और इसे निपटाना अति आवश्यक है ताकि किसानों द्वारा प्रभावी उपयोग के लिए बीजों की मात्रा व गुणवत्ता में बेहतर रूप से वृद्धि की जा सके।

3.1.4.3 शुष्क भूमि कृषि पर अनुसंधान

जम्मू क्षेत्र के वर्षा सिंचित क्षेत्रों की तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विश्वविद्यालय अपने अनुसंधान केन्द्रों²⁷ में से एक पर शुष्क भूमि कृषि पर अनुसंधान कर रहा है। अनुसंधान केंद्र 1972 से एक दीर्घवधि बाह्य वित्तपोषित परियोजना²⁸ पर परिचालित है। 2008-09 से 2017-18 के दौरान परियोजना के तहत ₹6.99 करोड़ का खर्च (आईसीएआर: ₹5.24 करोड़; राज्य की हिस्सेदारी: ₹1.75 करोड़) दर्ज किया गया।

अभिलेख (मई 2018) दर्शाते हैं कि निदेशालय स्तर पर योजना और निगरानी के अभाव में अनुसंधान केंद्र द्वारा न तो सुखा सहिष्णु किस्मों और न ही शुष्क भूमि कृषि के लिए कोई तकनीक विकसित की जा सकी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तकनीकी कार्यक्रम के अनुसार किए गए समापक प्रयोगों पर आधारित सिफारिशों को विस्तारण निदेशक को प्रकाशन एवं किसान समुदाय के मध्य व्यापक प्रसार हेतु (फरवरी 2019 तक) नहीं भेजे गए थे, सिवाय तीन ऑन फार्म ट्रायल (ओएफटी²⁹) परिणाम जो अप्रैल 2018 में विस्तारण विंग को भेजे गये थे। इस प्रकार, अनुसंधान केंद्र अपने आरंभ से ही शुष्क भूमि किसानों के हित के लिए किसी भी तकनीक को स्थांतरित करने में सक्षम नहीं हुआ।

उत्तर में, नोडल अधिकारी, पीएमई विंग द्वारा (मई 2018 में) यह कहा गया कि दाल और चिक-मटर में सुखा प्रतिरोधी किस्मों के विकास का कार्य प्रगति पर था और अगले दो या तीन वर्षों में इसके जारी होने की संभावना थी। वर्षा आधारित तकनीक के विकास के संबंध में यह बताया गया कि यह विविध तकनीकी विकास के विभिन्न चरणों के तहत थी और समेकन और ओएफटी के द्वारा वैधीकरण के बाद उपलब्ध होंगी।

²⁷ राख धियांसर 1974 में स्थापित किया गया (2015 में वर्षा आधारित उन्नत कृषि के लिए विकसित)

²⁸ शुष्क भूमि कृषि पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपीडीए)

²⁹ सरसों एफिड हेतु जैव कीटनाशक प्रबंधन कार्यनितियों का मूल्यांकन, चिक-मटर की विल्ट के लिए एकीकृत प्रबंधन, कार्बनिक और अकार्बनिक पौध पोषण के माध्यम से सरसों एफिड प्रबंधन

तथापि, यह तथ्य यह है कि शुष्क भूमि क्षेत्रों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए पद्धतियों का कोई पैकेज उपलब्ध (फरवरी 2019) नहीं था, लंबे समय से केंद्र के परिचालित होने के बावजूद राज्य के किसानों की तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकी।

3.1.4.4 परित्यक्त परियोजनाएं

परियोजना का कार्यान्वयन और किसी तकनीकी और भौतिकी उपलब्धि के रूप में इसमें प्रगति या तो एक बाह्य विशेषज्ञ द्वारा या फिर कार्यान्वयन के दौरान आई बाधाओं के आधार पर किए गए मध्य कार्यप्रणाली सुधार द्वारा सामयिकी निगरानी पर पूर्ण निर्भर करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गई 43 परियोजनाओं में से 5³⁰ परियोजनाओं में उपकरणों की खरीद के लिए समय पर कार्रवाई न करने, मुख्य अन्वेक्षक (पीआई) का बार-बार बदलना/ सहायक मुख्य अन्वेक्षक को परियोजनाओं का हस्तांतरण नहीं होना, देरी से कार्यान्वयन और उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत न करने के कारण निधियों के जारी न होने इत्यादि के कारण परियोजनाएं रोक दी गई या बीच में छोड़ दी गई थी। 2008 और 2017 के बीच इन परियोजनाओं के लिए ₹166.56 लाख की अनुमानित लागत के प्रति ₹89.29 लाख का व्यय किया गया और एक परियोजना पर ₹22.24 लाख की अव्ययित राशि वित्त पोषित एजेंसियों को वापस की गई। इन मामलों को **परिशिष्ट 3.1.8** में सारणीबद्ध किया गया है।

यदि विश्वविद्यालय ने परियोजनाओं की गहनता से निगरानी की होती और पहचान की गई बाधाओं को दूर करने हेतु मध्यकालिक सुधार किए गए होते तो परियोजनाओं के परित्यक्तता से बचा जा सकता था।

3.1.4.5 मुख्य प्रजनन कार्यक्रमों में अनुसंधान परिणामों का गैर-समाकलन

(I) पादप प्रजनन/ आनुवांशिकी (पीबीएंडजी) और जैव-प्रौद्योगिकी के विभाग को क्रमशः खाद्य फसलों की उन्नत किस्मों को पैदा करना और कृषि से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए उच्च प्रवाह क्षमता वाली तकनीकी हस्तक्षेप प्रदान करना अनिवार्य है। जैव-प्रौद्योगिकी संबंधी हस्तक्षेपों के अनुप्रयोग हेतु जैव-प्रौद्योगिकी वैज्ञानिकों एवं संबंधित फसल प्रजनकों के मध्य घनिष्ठ समन्वय होना चाहिए।

विश्वविद्यालयों ने जैविक, अजैविक और विभिन्न फसलों के गुणवत्ता लक्षणों के लिए जीन की खोज के लिए जैविक हस्तक्षेपों की आठ परियोजनाएँ आरंभ की, जिनमें क्षेत्र की (चावल और राजमा) स्थानीय फसलों की चार परियोजनाएं 2006 और 2016 के

³⁰ बुनियादी अनुसंधान से जुड़ी दो परियोजनाएं और तीन प्रायोगिक प्रकृति की

बीच, ₹64.94 लाख की अनुमानित लागत (परिशिष्ट-3.1.9) के प्रति ₹62.04 लाख की लागत पर पूर्ण की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जैव-प्रौद्योगिकी वैज्ञानिकों व संबंधित फसल प्रजनकों के बीच समन्वय की कमी के कारण उन्नत जीनोटाइप, आशाजनक परिणामों और विशेष जीन समूहों के रूप में इन परियोजनाओं के परिणामों को पीबीएंडजी द्वारा उन्नत गुणों वाली नई किस्मों को विकसित करने वाले केन्द्रीय प्रजनन कार्यक्रमों में एकीकृत नहीं किया गया। फरवरी 2019 तक इन हस्तक्षेपों द्वारा वांछित गुणों को समाविष्ट करते हुए नई किस्मों को विकसित करने के दीर्घकालिक/ अपेक्षित परिणामों को नहीं प्राप्त किया जा सका।

उत्तर में, समन्वयक, स्कूल ऑफ बायो-टेक्नोलॉजी के द्वारा (जून 2018 में) कहा गया कि सूखा प्रतिरोधी जीनोटाइप की प्रतिचित्रण आबादी को विकसित करने हेतु क्रॉसिंग कार्यक्रम का आरंभ किया गया और इसके अतिरिक्त अच्छी गुणवत्ता वाली किस्मों के पंजीकरण की आगे की प्रक्रिया निकट भविष्य में की जाएगी। इसके अलावा यह भी कहा गया कि सशक्त जीनोटाइप को जारी करने और व्यवसायीकरण के लिए उचित जांच की आवश्यकता है और कुछ सशक्त जीनोटाइप की राष्ट्रीय स्तर पर जांच के लिए नामित किया जाएगा।

निदेशक वित्त, कृषि उत्पादन विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार ने (फरवरी 2019 में) बताया कि नई किस्मों को विकसित करना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, जिनके परिणाम शीघ्र प्राप्त नहीं हो सकते, यद्यपि, राजमा की दो किस्में जारी करने की तैयारी की जा रही है।

(II) सायनक्रोनाइजेशन, सुपरओवुलेशन, भ्रूण संग्रह, हिमीकरण, और भ्रूण स्थानांतरण द्वारा एलीट शिशुओं की पैदा करने हेतु प्रोटोकॉल के मानकीकरण के लिए भेड़ में भ्रूण के विगलन की प्रक्रिया की स्थापना के उद्देश्यों के साथ अक्टूबर 2010 में एक सहयोगी परियोजना शुरू की गई। यद्यपि यह परियोजना ₹83.98 लाख की लागत पर (मार्च 2015 में) पूरी की गई, भ्रूण स्थानांतरण की तकनीक का प्रयोग स्थानीय पशुओं के उन्नयन के लिए नहीं किया गया जिसके लिए संबंधित विभाग से लगातार मांग की गई थी ताकि राज्य के बाहर से मांस के आयात पर निर्भरता कम हो जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान 895.17 लाख किलोग्राम थी।

नोडल अधिकारी ने कहा (जुलाई 2018) कि इन विट्रो भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी की दिशा में एक पहल को आगे बढ़ाते हुए, आईवीएफ तकनीक पर एक विस्तृत परियोजना के लिए वित्त पोषण हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। यद्यपि, तथ्य यह है कि संबंधित वैज्ञानिकों द्वारा डीपीआर अभी भी तैयार नहीं किया गया था जैसा निदेशक वित्त, कृषि उत्पादन विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा (फरवरी 2019 में) सूचित किया गया था।

3.1.5 आविष्कारों और खोजों हेतु पेटेंट अधिकार

बौद्धिक संपदा प्रबंधन और तकनीक हस्तांतरण/ व्यवसायीकरण के लिए आईसीएआर के नीति रूपरेखा दस्तावेज के अनुसार, पेटेंट द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) संरक्षण, पादप विवधता संरक्षण और दूसरे स्वरूपों को कृषि अनुसंधान की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु एक प्रभावशाली उपकरण के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

प्रतियोगी कृषि तकनीकी उत्पन्न करने लिए वैज्ञानिकों के बीच प्रतियोगिता के सृजन, पौधों की किस्मों के संरक्षण के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने और तकनीकी के शीघ्र हस्तांतरण के उद्देश्यों के साथ विश्वविद्यालयों द्वारा (मार्च 2016 में) गठित आईपीआर विंग अब तक किसी आईपीआर नीति के साथ आगे नहीं बढ़ी। दिसंबर 2018 तक विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न खाद्य फसलों की किस्मों में से किसी को भी पादप विभिन्नता और किसान अधिकार सुरक्षा (पीपीवीएफआर) अधिनियम 2001 के तहत पादप प्राधिकरणों³¹ द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया। चार आविष्कारों³² के संबंध में (जुलाई 2013 और फरवरी 2014 के बीच) दर्ज किए गए पेटेंट भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय में जुलाई 2018 तक परीक्षण के अधीन थे। ₹36.14 लाख की लागत पर पूर्ण किए गए (दिसंबर 2015/ 2016) दो कृषि-इंजीनियरिंग आधारित परियोजनाओं³³ के संबंध में कोई भी पेटेंट दर्ज नहीं किया जा सका और न ही कृषि संस्थानों एवं विभागों से प्रतिक्रिया में कमी और मूल्यांकन में देरी के कारण विकसित प्राथमिक नमूनों को अंतिम उपयोगकर्तों के बीच प्रचार हेतु लाइन क्षेत्र विभागों को हस्तांतरित किया गया, जिनको व्यवसायिक सहयोगी के द्वारा साहित्य और विवरण पुस्तिका (मार्च 2018 में) वितरण किया गया था। इस प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा विकसित तकनीक/ प्राथमिक नमूनों में से किसी का भी अब तक पेटेंट नहीं किया जा सका है।

इसके उत्तर में, पीआई द्वारा (मार्च 2018 में) बताया गया कि उत्पाद के विकास के दौरान लगभग समान उपकरणों को विकसित कर लिया गया था और परियोजना के संबंध में एक प्रकाशन किया गया था, इसलिए उत्पाद का पेटेंट नहीं कराया जा सका। अन्य परियोजना के संबंध में, (मई 2018 में) यह कहा गया कि पारिणामों का मूल्यांकन किया जाएगा जिसके बाद पेटेंट अधिकार के लिए आवेदन किया जायेगा और लाभार्थियों को तकनीक का हस्तांतरण किया जाएगा। अनुसंधान निदेशक ने

³¹ प्राधिकरण का निर्माण पीपीवीएफआर अधिनियम 2001 की धारा 3(1) के अधीन पादप प्रजातियों के संरक्षण प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा और नई विप्रजातियों के विकास के उद्देश्य के साथ किया गया

³² कम वसा वाले फेस मिश्रण, मिश्रित मांस बिस्किट, मिश्रित मांस स्नैक्स, शैल्फ स्टेबल नमकीन कलाडी

³³ “ट्रेक्टर संचालित भूमि संघनन मापन उपकरण की रूप रेखा और विकास” और “छिड़काव प्रणाली हेतु परिवर्तनशील गति” को स्वचालित समयभावी आधारित उपकरण का विकास

(अक्टूबर 2019 में) बताया कि कृषि इंजीनियरिंग आधारित मशीन को व्यावसायिक स्तर पर प्रचार करने से पूर्व ट्रेक्टरों के सभी मॉडलों के अनुरूप सुधार की आवश्यकता होती है। तथापि, तथ्य यह है कि दिसंबर 2016 में विकसित तकनीक समय के बीतने के साथ अप्रचलित हो जाएगी और पूर्व परियोजना के मामले की तरह अन्य संस्थानों द्वारा समान तकनीक के विकास की पूरी संभावना होगी।

3.1.5.1 प्रयोगशाला से खेतों तक तकनीक का हस्तांतरण

अनुसंधान के परिणामों के लाभदायक उपयोग के लिए यह अनिवार्य है कि किसानों के लाभ के लिए प्रयोगशाला से खेतों तक तकनीक का हस्तांतरण किया जाए। विश्वविद्यालय अधिनियम 1982 की धारा 31 के अनुसार, शिक्षा विस्तारण निदेशालय को ग्रामीण रहन-सहन को अनिवार्य रूप में सुधारने के लिए, उन्नत नित्य प्रयोगों पर अनुसंधान के परिणामों को किसानों को बताने एवं प्रदर्शित करने के लिए इन कृषि विस्तारण गतिविधियों को राज्य में अनिवार्य रूप से आरंभ करने के लिए अनुदेशित किया गया है। अनुसंधान के माध्यम से सृजित तकनीक निदेशालय द्वारा प्रकाशित प्रयोगों का पैकेज में शामिल किया गया है।

पूर्ण परियोजनाओं से संबंधित अनुसंधान के परिणामों का अंतिम उपयोगकर्ताओं में प्रसार के लिए विस्तारण निदेशालय/ लाइन विभाग को हस्तांतरण में देखी गई अपर्याप्ताओं पर नीचे विचार किया गया है:

- 23 नमूनाकृत पूर्ण परियोजनाओं (4 परित्यक्त परियोजनाएं शामिल करके) में से 11 परियोजनाओं के संबंध में अनुसंधान के अंतिम परिणाम/ सिफारिशों को किसानों में प्रसार हेतु विस्तारण निदेशालय को भेजे जाने शेष थे। तथापि, केवल दो परियोजनाओं के संबंध में ही अनुसंधान के अंतिम परिणामों/ सिफारिशों को भेजा गया था।
- विश्वविद्यालय ने पशु-चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगों का कोई भी पैकेज प्रकाशित नहीं किया, यद्यपि 2011-17 के बीच पशु/ पशुजन्य रोग/ स्वदेशी तकनीकी ज्ञान पर अनुसंधान को शामिल करते हुए ₹116.25 लाख के बजट के साथ सात परियोजनाओं (**परिशिष्ट-3.1.10**) को पूर्ण किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित आठ तकनीकों³⁴ में से भेड़ में भ्रूण स्थानांतरण तकनीक संबंधी केवल एक तकनीक को (फरवरी 2019 तक) लाइन विभागों को सौंपा गया।

³⁴ (i) पशुओं के लिए बहू संघनित सैधन टेनिन समृद्ध ब्लॉक (ii) सोया आधारित एक्सटेडर और पशु एवं भैंस के वीर्य के बर्फ संरक्षण हेतु विभिन्न वीर्य योजकों का उपयोग (iii) पशुधन उत्पादन क्षमता की वृद्धि हेतु व्यावहारिक चारा ब्लॉक (iv) डेयरी पशुओं में स्टैन सूजन के प्रबंधन हेतु कम लागत वाली तकनीकों का विकास (v) गोजातीय पशुओं के निदान हेतु शीघ्र निदान मार्करों की स्थापना (vi) टिक्स में रोगनिदान प्रतिरोधकता का पता लगाना (vii) भेड़ में भ्रूण स्थानांतरण तकनीक और (viii) जम्मू क्षेत्र में बकरियों में प्रेजवालस्किआना सायलेनस इन्फेक्शन के कारण आर्थिक हानि का आंकलन और किफ़ायती एकीकृत उपचार का विकास।

- विश्वविद्यालय द्वारा 2014-15 के दौरान पुंछी भेड़/ बकरवाली बकरी की स्थानीय स्वदेशी नस्ल के फेनोटाइपिक/ मॉलिक्यूलर लक्षण वर्णन और इनके संरक्षण हेतु ताकि पशु अनुवांशिक संसाधनों के स्थाई उपयोग को सुनिश्चित करने और इसके महत्व से संबंधित जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित दो नेटवर्क परियोजनाएं शीर्षक “बकरवाली बकरी का लक्षण वर्णन और पुंछी भेड़ का लक्षण वर्णन और संरक्षण” शुरू किया गया। मार्च 2018 तक भेड़ पालन निदेशालय के साथ ₹57.09 लाख की लागत पर पूर्ण की गई (मार्च 2017/ नवंबर 2016) परियोजनाओं में से उत्पन्न इन नस्लों के संरक्षण/ लक्षण वर्णन पर सिफारिशों को साझा नहीं किया गया।

उत्तर में, सहायक निदेशक विस्तारण, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) ने (जून 2018 में) बताया कि कृषि इंजीनियरिंग, पशुधन, मत्स्य क्षेत्र और गृह-विज्ञान विषयों के संबंध में अनुसंधान द्वारा सृजित तकनीक बहुत ही कम थी। निदेशक वित्त, कृषि उत्पादन विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार ने इसके अतिरिक्त (फरवरी 2019 में) कहा कि जब भी इन क्षेत्रों में परिणामों को प्राप्त कर लिया जाएगा, इसकी पुनः वैधता के लिए इसे केवीके को भेज दिया जाएगा।

3.1.5.2 अनुसंधान का प्रभावी मूल्यांकन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रत्यायन बोर्ड ने विश्वविद्यालय के पाँच वर्ष (नवम्बर 2016) की अवधि के लिए प्रत्यायन के दौरान, विश्वविद्यालय को परिमाणात्मक और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में अनुसंधान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए (दिसंबर 2011 में) निर्देशित किया गया।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया (मई 2018) कि शिक्षा विस्तारण निदेशालय द्वारा दो परियोजनाओं³⁵ (अप्रैल 2017) के माध्यम से एकीकृत कीट प्रबंधन के विकास पर प्रभावी मूल्यांकन के अलावा कोई अनुसंधान संबंधी प्रभावी मूल्यांकन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि अप्रैल 2019 तक विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई फसल किस्मों की उपयुक्तता, स्वीकृति और वर्तमान उत्पादकता एवं उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के प्रभाव पर विश्वविद्यालय परिषद³⁶ द्वारा निर्णीत (2014) परिणामों के विश्लेषण करने के लिए किसी भी प्रकोष्ठ का निर्माण नहीं किया गया।

³⁵ 'जम्मू उप-उष्णकटिबंधीय में कीटनाशक के उपयोग पर सब्जी के एकीकृत कीट प्रबंधन का प्रभाव' और 'जम्मू और कश्मीर के उप-उष्णकटिबंधीय में सब्जी फसलों में एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम के प्रभाव मूल्यांकन संकेतक'

³⁶ कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित 12वीं विश्वविद्यालय परिषद की बैठक (2014) में

अनुसंधान परियोजनाओं के गुणात्मक निर्धारण हेतु एक निगरानी एवं मूल्यांकन समिति का गठन (फरवरी 2017) किया गया। हालांकि, इसकी स्थापना से इसकी बैठक केवल एक बार (दिसंबर 2017) हुई और न तो पूर्ण हुई किसी परियोजना का मूल्यांकन किया गया और न ही कोई सिफारिश की गई। इसके परिणामस्वरूप, अनुसंधान के प्रभाव और जिस सीमा तक लक्ष्य व उद्देश्यों को प्राप्त किया गया था, उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

उत्तर में, अनुसंधान निदेशक ने कहा (अक्टूबर 2019) कि निगरानी एवं मूल्यांकन समिति को प्रत्येक वर्ष गठित किया जाता है और मई 2019 के बाद संबंधित पीआई को जारी किए गए निगरानी प्रतिवेदनों की प्रतियाँ भी प्रदान की गईं। तथ्य यह है कि निगरानी का आरंभ केवल लेखापरीक्षा के संज्ञान के बाद किया गया।

3.1.5.3 अनुसंधान संसाधनों का कम उपयोग

संसाधनों का प्रभावशाली उपयोग और प्रबंधन इनके निरर्थक होने से बचाव के लिए अनिवार्य है। परियोजनाओं के उद्देश्यों के प्रोत्साहन हेतु नमूना जांच पूरी की गई तीन परियोजनाओं को प्रयोगशालाएं स्थापित करने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी तीन परियोजनाओं में आधारभूत संरचना/ उपकरण/ अनुसंधान परियोजनाओं से सृजित परिसंपत्तियों का उप-इष्टतम/ कम-उपयोग हुआ, जैसा कि अनुगामी पैराग्राफों में ब्यौरा दिया गया है:

(I) जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु ताकि संश्लिब्द रसायनों पर निर्भरता कम हो सके, जिसके कारण भूमि, जल और वायु प्रदूषण और मनुष्य तथा पशुओं में स्वास्थ्य संबंधि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना “बागवानी के विकास हेतु एकीकृत अभियान” (एमआईडीएच) के तहत ₹90 लाख की लागत से जैव नियंत्रण प्रयोगशाला को (2014) स्थापित किया गया। हालांकि, किसान की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जैव-कारकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं वितरण का आरंभ अपयवृद्धि रूप से निवेश इनपुट रासायनिक अभिकर्मकों श्रमबल की लागत को पूरा करने के लिए बार-बार आने वाली आकस्मिकताओं हेतु अपर्याप्त प्रावधान करने के परिणामस्वरूप ₹18.16 लाख की लागत से खरीदे गए उपकरणों का कम उपयोग हुआ। प्रयोगशाला के संयुक्त निरीक्षण (मार्च 2018) के दौरान जैव-अभिकर्मकों का गैर-उत्पादन और सुविधाओं के उप-इष्टतम उपयोग की पुष्टि की गई।

निदेशक वित्त, कृषि उत्पादन विभाग, जम्मू व कश्मीर सरकार ने कहा (फरवरी 2019) कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई मांग के अनुसार लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं का उत्पादन निश्चित रूप में सामंजस्यता से करना है क्योंकि इन उत्पादों को लंबी अवधि तक भण्डारण करके नहीं रखा जा सकता है। उत्तर बागवानी

निदेशालय के साथ किए गए (दिसंबर 2014) समझौते जापान की भावना के विपरीत हैं, इसमें पादपों की वृद्धि को समृद्ध करने हेतु किसानों और निदेशालय के क्षेत्र-कार्यकर्ताओं को कवक संबंधी और बैक्टीरियल जैव-नियंत्रण अभिकर्मकों के निःशुल्क वितरण के लिए परिकल्पित करता है। इसके अतिरिक्त, पीपीपी के तहत व्यवहार्य नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित अनुसंधान निदेशालय (फरवरी 2019) द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता से प्रयोगशाला के परिचालन व्यापक उत्पादन और निःशुल्क वितरण के प्रयोगशाला के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयोगशाला के व्यवहार्य और संपोषणीय परिचालन के लिए एक दृढ़ निर्णय के अभाव को इंगित करता है।

(II) कृषि औजारों, फार्म मशीनरी और उपकरणों हेतु परीक्षण सुविधाओं को विकसित करने के लिए ₹130 लाख की परियोजना लागत के प्रति ₹73.52 लाख की लागत से एक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना (मार्च 2016) की गई। यद्यपि कृषि उपकरणों का क्षेत्र परीक्षण किया गया था, उपकरणों के प्रबंधन के लिए प्रस्तावित श्रमबल का परिनियोजित न करने के कारण परियोजना के तहत खरीदे गए उपकरणों को उपयोग (फरवरी 2019) नहीं किया जा सका।

निदेशक वित्त, कृषि उत्पादन विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार ने (फरवरी 2019 में) कहा कि अतिरिक्त श्रमबल के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।

(III) रोग जांच कार्यक्रम में सुधार और रोग निगरानी प्रणाली के वैधीकरण के लिए रोग रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए पशु-चिकित्सा विज्ञान प्रभाग द्वारा ₹100 लाख की अनुमानित लागत की एक परियोजना³⁷ (जनवरी 2012) की शुरुआत की गई। कार्य अनुदान हेतु अपर्याप्त वित्त पोषण के कारण क्षेत्रीय स्तर पर पशुधन स्वास्थ्य कवरेज प्रक्रियाओं के लिए कार्यनीति विकसित करने के लिए कम्प्यूटर आधारित पशु रोग के आंकड़ों का सृजन जैसी परियोजनाओं के लम्बी अवधि के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका (फरवरी 2019), यद्यपि ₹19.23 लाख के व्यय पर आंशिक रूप से सुसज्जित सूक्ष्मतम रोग नैदानिक प्रयोगशाला की स्थापना (मार्च 2015) की गई।

इस प्रकार, विभाग द्वारा सृजित परिसंपत्तियों के लाभदायक रूप से उपयोग न करने के परिणामस्वरूप ₹182.75 लाख का न केवल कम उपयोग हुआ अपितु अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए अपेक्षित लाभ नहीं मिल सके।

निदेशक वित्त, कृषि उत्पादन विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार ने कहा (फरवरी 2019) कि वित्त पोषण एजेंसियों द्वारा अपर्याप्त वित्त पोषण के कारण, लम्बी अवधि के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सका। तथापि, परियोजनाओं के परिचालन

³⁷ जम्मू क्षेत्र के पशुधन हेतु पशु रोग मॉनीटरिंग और निगरानी (एडीएमएस) प्रयोगशाला की स्थापना।

करने और खरीदी गई परिसंपत्तियों के लाभदायक उपयोग हेतु विश्वविद्यालय के आंतरिक स्रोतों से किसी भी मामले में आर्थिक रूप से सहायता प्रदान नहीं की गई।

3.1.6 अनुसंधान परियोजना की निगरानी

अनुसंधान परियोजनाओं का कुशल प्रबंधन के लिए एक ठोस निगरानी प्रणाली की आवश्यकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने प्राथमिकता निर्धारण, परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन हेतु अपनी परियोजना निगरानी और मूल्यांकन (पीएमई) नियमावली में परियोजना निगरानी और मूल्यांकन विंग के लिए विस्तृत दिशानिर्देश (2011) प्रलेखित किए हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और प्रकाशनों, बौद्धिक संपत्ति अधिकार, विकसित की गई तकनीक इत्यादि के डाटाबेस का संकलन हेतु बनाई गई (फरवरी 2016) पीएमई विंग द्वारा की गई निगरानी शिथिल थी। वित्त पोषण एजेंसियों को प्रस्तुत की गई परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृत/अस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या के संबंध में विंग को कोई समेकित जानकारी नहीं थी और न ही अनुसंधान और अनुसंधान परियोजनाओं के परिणाम के डाटाबेस की जानकारी थी। इसके अतिरिक्त, निगरानी और प्रभाव आंकलन/ मूल्यांकन के अभाव में, पूरी की गई परियोजनाओं के परिणाम सुनिश्चित करने योग्य नहीं थे। पूरी की गई परियोजनाओं में से, उनकी गुणवत्ता का आकलन करने के लिए प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या के संबंध में पीएमई विंग के पास कोई समेकित जानकारी नहीं थी।

उत्तर में, निदेशक वित्त, कृषि उत्पादन विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार ने कहा (फरवरी 2019) कि प्रस्तुत की गई और अनुमोदित परियोजनाओं की सूची को अब लिखित रूप में तैयार किया जा रहा है और शोध पत्रों को प्रभावी कारकों सहित संकलन करने की प्रक्रिया भी चल रही है। अनुसंधान निदेशक ने कहा (अक्टूबर 2019) कि प्रभावी मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी की प्रकाशन सूची सहित विश्वविद्यालय के पक्ष में परियोजनाओं की सूची को पीएमई विंग के अधिदेश के अनुसार अब तैयार की जा रही है।

3.1.6.1 अनुसंधान परियोजनाओं में से निर्मित परिसंपत्तियों का गैर लेखाकरण

एसकेयूएसटी अधिनियम, 1982 के खंड 28(6) के अनुसार, नियंत्रक को यह देखना था कि भवनों, फर्नीचर/ उपकरण और अन्य वस्तुओं के रजिस्टर को अद्यतन रखा गया है और विश्वविद्यालय के सभी कार्यालयों और समस्त इकाइयों में सभी वस्तुओं के भंडारण की जांच की गई है। यह वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों के अधीन समय-समय पर अर्जित/ खरीदी गई परिसंपत्तियों की निगरानी सुनिश्चित करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फरवरी 2019 तक विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी और अर्ध स्थायी प्रकृति की परिसंपत्तियाँ, जो सरकार/ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/

अन्य वित्त पोषण एजेंसियों से प्राप्त अनुदानों में से अर्जित की गई थी, का रजिस्टर नहीं बनाया गया था। क्या अनुदानों से निर्माण की गई परिसंपत्तियों को अभीष्ट उद्देश्यों हेतु उपयोग किया गया यह अभिनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय ने कोई प्रणाली (फरवरी 2019) विकसित नहीं की थी। किसी भी समेकित संपत्ति के रजिस्टर का रख रखाव न होने के कारण, परियोजना के पूर्ण होने के बाद संबंधित डिवीजन के भंडारण रजिस्टर में तदर्थ परियोजनाओं के तहत निर्मित की गई परिसंपत्तियों का लेखाकरण सुनिश्चित करने हेतु कोई व्यवस्था तंत्र नहीं था। नमूना जांच की गई 10 पूर्ण परियोजनाओं (23 नमूनाकृत पूर्ण परियोजनाओं में से) के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कृषि एवं पशु चिकित्सा संकाय के अधीन 5 डिवीजनों³⁸ में ₹43.05 लाख की लागत पर 61 उपकरणों को परियोजनाओं की संमप्ति के बाद भी संबंधित डिवीजनों के भंडारण रजिस्टर को स्थानांतरित नहीं किया गया। भंडारण रजिस्टर/ केंद्रीय माल सूची में इन परिसम्पत्तियों का लेखाकरण नहीं करना से दुरुप्रयोग/ गबन का जोखिम है, क्योंकि संबंधित पीआई द्वारा पास रखे गए उपकरण भंडारण के प्रत्यक्ष सत्यापन की सीमा क्षेत्र से बाहर बने हुए हैं। किसी केंद्रीयकृत माल सूची के अभाव में, परिसंपत्तियों की खरीद में दोहराव/ अधिव्यापन पर कोई निगरानी नहीं की जा रही थी।

उत्तर में, नोडल अधिकारी, पीएमई विंग द्वारा (जून 2018 में) कहा गया कि परिसंपत्ति रजिस्ट्रों का रखरखाव संबंधित डिवीजनों के अनुदेश के तहत आता है और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामलों पर चूक कर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। अनुसंधान निदेशक ने कहा (अक्टूबर 2019) कि सभी पीआई को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि परियोजनाओं के पूर्ण होने पर संबंधित डिवीजन/ अनुसंधान केन्द्रों को अपने संपत्ति रजिस्ट्रों को प्रस्तुत करे। उत्तर लेखापरीक्षा के इस दावे की पुष्टि करता है कि कोई भी केंद्रीयकृत माल सूची नहीं थी।

3.1.7 निष्कर्ष

विश्वविद्यालय कृषि, पशु-चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान के क्षेत्रों में प्रदेश के किसानों को पर्याप्त रूप से तकनीकी सहायता प्रदान करने के अपने अनुदेश को पूरा नहीं कर सका। राज्य की परियोजनाओं का चयन स्वेच्छाकारी था और राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था। उन्नत किस्मों के विकास, संकर प्रजातियों के सस्ते विकल्प और स्थानीय पशुधन के उन्नयन से संबंधित अनुसंधान योग्य मुद्दों का पता नहीं लगाया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप बाहरी आयातित वस्तुओं पर राज्य

³⁸ पशु-चिकित्सा संकाय (उपकरण: 10, लागत: ₹5.28 लाख), कृषि वानिकी: (उपकरण: 3; लागत ₹0.83 लाख), कृषि इंजीनियरिंग (उपकरण: 34, लागत: ₹6.64 लाख) जैव-प्रौद्योगिकी विद्यालय (उपकरण: 11, लागत: ₹27.04 लाख) और पादप प्रजनन और आनुवांशिकी (उपकरण: 3; लागत: ₹3.26 लाख)

की निर्भरता जारी रही। विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई फसल किस्मों का निष्पादन उत्साहजनक नहीं था और राज्य की बीज श्रृंखला में उनका योगदान नगण्य था। पारियोजनाओं की निगरानी अपर्याप्त थी परिणामस्वरूप संभावित उद्देश्यों को आंशिक रूप में प्राप्त किया गया। अनुसंधान परिणामों के सामान्य प्रदर्शन के कारणों का विश्वविद्यालय द्वारा विश्लेषण नहीं किया गया और अनुसंधान गतिविधियों ने एक उत्साहित करने वाला दृश्य प्रस्तुत नहीं किया।

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को अक्टूबर 2018 में सरकार को सौंपा गया और इसका उत्तर फरवरी 2019 में प्राप्त हुआ जिसे उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

3.2 आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न की खरीद पर परिहार्य व्यय

सितंबर 2014 की बाढ़ से प्रभावित राशनकार्ड रहित परिवारों में वितरण हेतु खाद्यान्न की आवश्यकता से अधिक खरीद होने के कारण ₹6.54 करोड़ का परिहार्य अधिक व्यय हुआ। नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि 11,117.90 क्विंटल का अवितरित भंडार डिपार्टमेंटल स्टोर्स में रखा हुआ था या लगभग तीन वर्षों तक निजी आटा मिलों द्वारा रखा गया था और विभाग को उसकी खरीद लागत से कम दर पर खाद्यान्न की बिक्री द्वारा ₹18.63 लाख की हानि हुई।

जम्मू और कश्मीर सरकार ने उन सभी परिवारों, जो सितंबर 2014 के दौरान बाढ़/भारी वर्षा के कारण जीवन, संपत्ति, पशुधन, फसल आदि की हानि से प्रभावित या पीड़ित थे, को प्रति परिवार 210 किलोग्राम³⁹ खाद्यान्न के मापदंड पर छह महीने तक निःशुल्क राशन प्रदान करने की (सितंबर 2014 में) स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, (एफसीएसएंडसीए) ने दो निदेशकों⁴⁰ को अतिरिक्त बाढ़ पीड़ितों, जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं था और जिन्हें संबंधित उपायुक्तों द्वारा जाँच करने के बाद पीड़ित परिवार⁴¹ घोषित किया गया था, को वितरित करने हेतु खाद्यान्नों की प्राप्ति के लिए ₹86 करोड़ की राज्य आपदा राहत (एसडीआर) निधि (जनवरी 2015 में) जारी की।

³⁹ छह महीनों के लिए प्रति परिवार को 35 किलोग्राम की दर पर (सितंबर 2014 के दौरान 50 किलोग्राम और अनुगामी पाँच महीनों के लिए 32 किलोग्राम)

⁴⁰ निदेशक, एफसीएसएंडसीए जम्मू ; निदेशक, एफसीएसएंडसीए कश्मीर

⁴¹ असामी वार तैयार और प्राधिकृत सूची में

अभिलेखों की (नवंबर 2016 में) संवीक्षा से पता चला कि नवंबर 2014 से अप्रैल 2015 के दौरान जम्मू डिवीजन के दस जिलों⁴² के 1,83,111 बाढ़ पीड़ितों के रूप में पहचाने गए राशन कार्ड रहित परिवारों को निःशुल्क आवश्यक खाद्यान्नों के वितरण हेतु निदेशक, एफसीएसएंडसीए जम्मू द्वारा 3,84,533 क्विंटल⁴³ खाद्यान्न की मांग के प्रति 4,22,919 क्विंटल खाद्यान्न की खरीद की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹6.54 करोड़⁴⁴ की कीमत का 38,386 क्विंटल परिहार्य अधिशेष खाद्यान्न की खरीद की गई। जम्मू के तीन प्रांतीय भंडारों और दो जिलों⁴⁵ के भंडारों की नमूना जांच के बाद ज्ञात हुआ कि बाढ़ प्रभावित राशन कार्ड रहित परिवारों के लिए उपलब्ध कराया गया अप्रयुक्त 11,117.90 क्विंटल खाद्यान्न, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में (4,374.60 क्विंटल) और निजी आटा मिलों (6,743.30 क्विंटल गेहूं⁴⁶) में रखा हुआ था। इसके अतिरिक्त, 3,652.31 क्विंटल को अनियमित रूप से नकद अदायगी पर जनता को बेचा गया और 9,403 क्विंटल को बिना किसी अधिकार के राशन कार्ड धारक परिवारों को वितरित किया गया। आवश्यकता से अधिक खरीदे गए 14,212.79 क्विंटल⁴⁷ शेष भंडार के वितरण/ भंडारण की पूरी विस्तृत जानकारी निदेशक, एफसीएसएंडसीए जम्मू के पास उपलब्ध नहीं थी। यह भी पाया गया कि ₹94.41 लाख की कीमत का 6,743.30 क्विंटल खाद्यान्न निजी आटा मिलों में पड़ा था जिसमें से ₹40.28 लाख की कीमत का 2,877.05 क्विंटल खाद्यान्न पिछले 39 महीनों से भी अधिक समय से एक ही आटा मिल⁴⁸ में पड़ा था। लेखापरीक्षा में नमूना जांच के बाद यह भी ज्ञात हुआ कि किसी विशिष्ट आदेशों के बिना 3,652.31 क्विंटल खाद्यान्न को नकद अदायगी पर बेचा गया, जिसमें से खरीद लागत⁴⁹ से कम कीमत⁵⁰ पर 2,101.72 क्विंटल अनाज बेचा गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹18.63 लाख की हानि हुई।

⁴² जम्मू: 7,709; कठुआ: 2,996; ऊधमपुर: 7,956; रियासी: 25,741; राजौरी: 37,370; पंछ: 30,661; डोडा: 20,096; किश्तवाड: 15,965; रामबन: 34,617 और सांबा: शून्य

⁴³ प्रति परिवार 210 किलोग्राम की दर पर

⁴⁴ ₹1,703.73 प्रति क्विंटल की दर से गणना की गई औसत प्राप्ति (चावल: ₹2,007.46 प्रति क्विंटल; गेहूं: ₹1,400 प्रति क्विंटल)

⁴⁵ रामबन और ऊधमपुर

⁴⁶ पीसने के उद्देश्य हेतु निजी आटा मिलों को जारी

⁴⁷ 38,386 क्विंटल - (11,117.90+3,652.31+9,403) क्विंटल = 14,212.79 क्विंटल

⁴⁸ जनता आटा मिल

⁴⁹ ₹2,007.46 प्रति क्विंटल की दर से चावल और ₹1,400 प्रति क्विंटल की दर से गेहूं

⁵⁰ ₹1,000 प्रति क्विंटल की दर से 1,448.99 क्विंटल चावल; ₹800 प्रति क्विंटल की दर से 610.65 क्विंटल आटा; ₹200 प्रति क्विंटल की दर से 1.95 क्विंटल गेहूं; ₹535 प्रति क्विंटल की दर से 40.13 क्विंटल गेहूं

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, मुख्य लेखा अधिकारी, एफसीएसएंडसीए जम्मू ने (जनवरी 2017 में) कहा कि कुछ राशन कार्ड धारक बाढ़ पीड़ित परिवारों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 38,112 क्विंटल की अतिरिक्त मात्रा का खाद्यान्न खरीदा गया क्योंकि इन परिवारों के लिए सामान्य आबंटन के अधीन कोई राशन उपलब्ध नहीं था। यह भी कहा गया कि भंडारों में खाद्यान्नों की विशाल मात्रा के अवरोधन और बाढ़ पीड़ित परिवारों को उसके वितरण न करने के कारणों का संबंधित अधिकारियों से अवलोकन किया गया। इसके अतिरिक्त (जनवरी 2019 में) यह भी कहा गया कि निदेशक, एफसीएसएंडसीए जम्मू ने प्रभागीय आयुक्त, जम्मू के सामने जम्मू प्रभाग में सीमा पार से होने वाली गोलीबारी क्षेत्र में रहने वाले प्रवासियों हेतु 12,684.20 क्विंटल के खाद्यान्न के वितरण के मामले को उठाया (जून 2018) और अवितरित खाद्यान्न के उपयोग हेतु प्रशासनिक विभाग से दिशा-निर्देशों के लिए (जनवरी 2019 में) अवलोकन किया। उत्तर तर्क संगत नहीं है, क्योंकि अधिक मात्रा में खरीदे गए 38,386 क्विंटल खाद्यान्न सितंबर 2014 से अप्रैल 2015 की अवधि के दौरान बाढ़ प्रभावित राशनकार्ड रहित परिवारों को वितरण हेतु था और तीन साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद अवितरित भंडार की उपयोगिता से संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। तथापि, आवश्यकता से अधिक उपलब्ध कराए गए 14,212.79 क्विंटल के भंडार के प्रयोग का विवरण देने में विभाग निरुत्तर था, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई।

मई 2018 में मामले को सरकार/ विभाग को सौंपा गया; दिसंबर 2018, मई 2019 और सितंबर 2019 में जारी किए गए अनुस्मारकों के बावजूद, उनका उत्तर (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

3.3 अतिरिक्त परिहार्य व्यय और बोलीकर्ता के पक्ष में अनुचित लाभ

संविदा के प्रवर्तन हेतु आमंत्रित निविदा ज्ञापन में निर्धारित खंड को शामिल करने और सफल बोलीकर्ता, जो अनुबंध को कार्यान्वित करने में असफल रहा, से परिनिर्धारित नुकसानों के स्वरूप में हानि की वसूली करने में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹12.74 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ और बोलीकर्ता के पक्ष में अनुचित लाभ दिया गया।

जम्मू-कश्मीर वित्तीय संहिता संस्करण-I का नियम 18-1(क) यह परिकल्पित करता है कि सभी निविदा ज्ञापनों को अन्य विषयों के साथ यह भी प्रदान करना चाहिए कि “ज्योंहि निविदा की स्वीकृति के बारे में निविदाकर्ता को सूचित किया जाता है तो संविदा पूर्ण हो जाएगी और उस पर बाध्यकारी होगी”, यद्यपि, बाद में सफल निविदाकर्ता द्वारा संविदा की शर्तों सहित एक औपचारिक विलेख कार्यान्वयन किया जाएगा। यद्यपि, ऐसा किसी औपचारिक विलेख का कार्यान्वयन करने में असफल

रहने से, सविंदा को उस पर बाध्यकारी होने में नहीं रोका जा सकता और पुनः निविदाओं को आमंत्रित करने के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा उठाये गए नुकसान की वसूली उससे की जाएगी।

42,200 मीट्रिक टन चीनी की अधिप्राप्ति हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने ई-निविदाओं को (सितंबर 2016 में) आमंत्रित किया और राज्य स्तरीय खरीद समिति ने वित्तीय बोली के मूल्यांकन के बाद (14 दिसंबर 2016 में) यह पाया कि सबसे कम बोलीदाता⁵¹ (एल-1) ने 41,399 प्रति मीट्रिक टन का प्रस्ताव रखा, जो कि बातचीत के बाद घटा कर (15 दिसंबर 2016) ₹41,350 प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया। तथापि, एल-1 बोलीदाता औपचारिक सविंदा को कार्यान्वित करने और सप्लाई में असफल रहा जैसा कि निविदा आमंत्रण ज्ञापन (एनआईटी) में स्पष्ट रूप से लिखा गया था। 01 फरवरी 2017 को विलंबित रूप से सविंदा को समाप्त कर दिया गया और ₹2.50 करोड़ की जमा बयाना राशि (ईएमडी) को जब्त कर लिया गया और इसे 20 अप्रैल 2017 को सरकारी खाते में डाल दिया गया। विभाग ने फरवरी 2017 में निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया और ठेके को ₹47,500 प्रति मीट्रिक टन की दर से एक ऐसी फर्म को दे दिया गया, जो 15 दिसंबर 2016 को अंतिम रूप दिए गए सितंबर 2016 के टेंडरों में निम्नतम क्रम में तीसरे स्थान पर थी, जिसमें उसने ₹43,850 प्रति मीट्रिक टन की दर से प्रस्ताव रखा। पुनः निविदाकरण के कारण, जनवरी से मार्च 2017 की अवधि के दौरान 20,886 मीट्रिक टन चीनी की खरीद पर ₹12.74 करोड़⁵² का अतिरिक्त व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जम्मू और कश्मीर वित्तीय संहिता के नियम 18-1(ए) के अंतर्गत सविंदा के प्रवर्तन से संबंधित शर्त, कि सफल बोलीदाता के अनुबंध के कार्यान्वयन में विफलता कि स्थिति में नुकसान की वसूली बोलीदाता से की जाएगी, का वर्णन प्रथम और पुनः निविदाकरण के समय एनआईटी में शामिल नहीं किया गया था। तथापि, एनआईटी ने बताया कि, अनुबंध के कार्यान्वयन को असफलता की स्थिति में बोलीदाता की प्रतिभूति जमा/ बयाना राशि को जब्त कर लिया जाएगा और उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और निर्णित हर्जानों की अदायगी करने के लिए उत्तरदायी होगा। विभाग ने निर्णित हर्जानों की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की, न ही यह ठेके को प्रवर्तित कर सका और पुनः निविदाकरण के परिणामस्वरूप हुए नुकसान की वसूली भी नहीं कर सका। इस प्रकार, ठेके के प्रवर्तन हेतु निर्धारित खंड को एनआईटी में शामिल करने और सफल बोलीदाता से निर्णित हर्जानों से हुई हानि की वसूली करने में, जो अनुबंध को कार्यान्वित करने में असफल रहा, विभाग

⁵¹ मैसर्स पंजाब राईसलैंड प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त

⁵² ₹6,101(₹47,500 मायनस ₹41,399) गुणा 20,886 मीट्रिक टन = ₹12.74 करोड़

की असफलता और बोलीदाता के पक्ष में अनुचित लाभ के परिणामस्वरूप ₹12.74 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, (मार्च 2018) विभाग के वित्त सलाहकार ने कहा कि (अप्रैल 2018) चीनी की आपूर्ति में व्यवधान और मुकद्दमेबाजी से बचने के लिए विभागीय अधिकारियों ने नई निविदाओं के लिए निर्णय लिया। जुलाई 2018 में, मामले को संबंधित विभाग को सौंपे जाने के बाद, यह कहा गया (अक्टूबर 2018) कि खुले बाजार या पुनः निविदा द्वारा चीनी की अधिप्राप्ति में हुई हानि की वसूली सम्बन्धी कार्रवाई को आरंभ किया गया और (विधिक परामर्श हेतु) विधि विभाग से संपर्क किया गया। यह भी कहा गया कि, यदि बोलीदाता ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं या आपूर्ति की है तो नुकसान की वसूली उससे करने के लिए विभाग नियमों द्वारा बाध्य है। तथ्य यह है कि सविंदा के प्रवर्तन हेतु एनआईटी में निर्धारित खंड और सफल बोलीदाता जो सविंदा को कार्यान्वित करने में विफल रहे, उनसे हानि की वसूली करने सहित वित्तीय नियमों में निहित अधिकथित नियमों का पालन विभाग द्वारा नहीं किया गया।

3.4 खाद्यान्नों के बिक्री लाभों से अल्प संग्रहण

गैर-प्राथमिकता परिवार श्रेणी (एनपीएचएच) और मुफ्ती मोहम्मद सईद खाद्य हकदारी योजना (एमएमएसएफ़ईएस) के उपभोक्ताओं को जारी किए गए खाद्यान्नों की बिक्री हेतु निर्धारित दरों को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा लागू करने में असफलता के परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को बिक्री लाभों का अल्प संग्रहण हुआ तथा इसके परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को ₹6.85 करोड़ का वित्तीय घाटा हुआ।

जम्मू और कश्मीर खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग (एफ़सीएसएंडसीए) ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफ़एसए) के उपभोक्ताओं को छोड़कर, सभी श्रेणियों⁵³ को 01 जुलाई 2016 से क्रमशः ₹12, ₹13 और ₹15 प्रति कि.ग्रा. की दर से गेहूँ, आटा और चावल देने का (अप्रैल 2016 में) निर्णय लिया। एनएफ़एसए के संबंध में गेहूँ, आटा और चावल खाद्यान्नों की दर क्रमशः ₹2, ₹3 और ₹3 प्रति कि.ग्रा. थी। इन आदेशों में आंशिक सुधार करने के बाद (जुलाई 2016 में) यह निर्णय लिया गया कि उल्लिखित दरें, 01 जुलाई 2016 की अपेक्षा 01 अक्टूबर 2016⁵⁴ से प्रभावी होंगी।

⁵³ गैर-प्राथमिकता परिवार भूतपूर्व गरीबी रेखा से ऊपर के उपभोक्ता

⁵⁴ इससे पहले, सरकारी आदेश सं. 2011 के 12-सीएपीडी, दिनांक 19.02.2011 के अनुसार गेहूँ, आटा और चावल की दर क्रमशः ₹7.25, 8 और ₹10 प्रति कि.ग्रा. थी।

निदेशक, एफसीएसएंडसीए, कश्मीर और विभाग के चार सहायक निदेशकों⁵⁵ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता लगा कि अक्टूबर/ नवंबर 2016⁵⁶ के दौरान एफसीएसएंडसीए विभाग के 12 सहायक निदेशकों द्वारा गैर-प्राथमिकता परिवार श्रेणी (एनपीएचएच) और मुफ्ती मोहम्मद सईद खाद्य हकदारी योजना (एमएमएसएफईएस) के अंतर्गत उपभोक्ताओं को वितरित किये गये 1,38,117.77 क्विंटल खाद्यान्न⁵⁷ के संबंध में ₹20.31 करोड़ की प्राप्ति के प्रति केवल ₹13.46 करोड़ की राशि सरकार के खाते में प्रेषित की गई जैसा कि **परिशिष्ट-3.4.1** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। संशोधित दरों को लागू न किये जाने के फलस्वरूप बिक्री लाभों का अल्प संग्रहण हुआ और परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को ₹6.85 करोड़ का वित्तीय घाटा हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, मुख्य लेखा अधिकारी, एफसीएसएंडसीए, कश्मीर ने (नवंबर 2017 में) कहा कि सरकारी आदेश विलंबित प्राप्ति के कारण संशोधित दरों को लागू नहीं किया जा सका और मामले को प्रशासनिक विभाग को माफ करने के लिए भेजा गया, जिसके लिए (दिसम्बर 2018 तक) स्वीकृति की प्रतीक्षा थी। उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि दरों के संशोधन से संबन्धित आदेश जो 01 अक्टूबर 2016 से प्रभावी होना था उसे जुलाई 2016 में जारी किया गया था और बाद में विशेष सचिव, एफसीएसएंडसीए द्वारा प्रेषित पत्र निदेशालय कार्यालय में सितंबर 2016 में विधिवत रूप से प्राप्त किया गया था।

जून 2018 में मामले को सरकार/ विभाग को भेजा गया; दिसंबर 2018, मई 2019 और सितंबर 2019 में जारी अनुस्मारकों के बावजूद (सितंबर 2019 तक) उत्तर प्रतीक्षित था।

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग

3.5 निधियों का अवरोधन और स्पाईनल इंजरी सेंटर की स्थापना न करना

स्पाईनल इंजरी सेंटर की स्थापना करने के लिए भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त राशि के उपयोग हेतु समय पर कार्यवाई न करने की विभागीय असफलता के परिणामस्वरूप न केवल ₹3.04 करोड़ की राशि का अवरोधन हुआ, बल्कि इस योजना के लाभों से गरीब मरीज भी वंचित रहे। यह भी एक जोखिम है कि निधि के उपयोग न करने से, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि को भारत सरकार को वापस करना पड़ेगा।

⁵⁵ कठुआ, ऊधमपुर, रियासी और कुलगाम

⁵⁶ एमएमएसएफईएस: 4,057.36 क्विंटल, एनपीएचएच श्रेणी: 1,34,060.41 क्विंटल

⁵⁷ चावल: 1,20,730.40 क्विंटल, गेहूँ: 5,804.63 क्विंटल, और आटा: 11,582.74 क्विंटल

सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार (जीओआई) ने (2014-15 में) 'राज्य स्पाईनल इंजरी सेंटर की स्थापना' योजना की शुरुआत की और जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार को स्पाईनल इंजरी सेंटर (₹2.33 करोड़) और 12 बिस्तरों के वार्ड (₹0.56 करोड़) की स्थापना के लिए ₹2.89 करोड़ तक की गैर-आवर्ती व्यय राशि⁵⁸ प्रदान करनी थी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार को गरीब रोगियों के उपचार के लिए 10 बिस्तरों⁵⁹ के प्रबंधन के लिए वर्ष-प्रतिवर्ष के आधार पर ₹0.36 करोड़ तक के गैर-आवर्ती व्यय की प्रतिपूर्ति भी की गई थी। प्रिंसिपल, गवर्नमेंट मेडीकल कॉलेज (जीएमसी), जम्मू ने अस्पताल में रिपोर्ट करने के औसतन दो से तीन रीढ़ संबंधित चोट के शिकार व्यक्ति को देखते हुए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को ₹2.89 करोड़ की अनुमानित लागत से जम्मू में एक स्पाईनल इंजरी सेंटर की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव (जून 2015 में) प्रस्तुत किया जिसके प्रति भारत सरकार ने ₹दो करोड़ के सहायता-अनुदान (सितम्बर 2016 में) जारी किया। तथापि, परियोजना को पूर्ण किए जाने की लक्षित तिथि को निश्चित नहीं किया गया।

प्रिंसिपल, गवर्नमेंट मेडीकल कॉलेज, जम्मू के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जनवरी 2018) से पता चला कि भारत सरकार से प्राप्त ₹दो करोड़ की राशि को (सितंबर 2016 में) एक बैंक बचत खाते में जमा किया गया और 12 बैड वाले स्पाईनल इंजरी वार्ड को तैयार करने व ऑपरेशन थियेटर के कार्य को आरम्भ नहीं किया गया। जीएमसी, जम्मू में सेन्टर की स्थापना हेतु (मार्च 2017 में) गठित समीति ने वर्तमान आधारभूत संरचना में कुछ सुधार करने के बाद स्पाईनल वार्ड सहित दो थियेटरों और संबंधित आधारभूत संरचना के साथ चोपड़ा नर्सिंग होम के द्वितीय तल पर स्थापना करने का (मई 2017 में) प्रस्ताव रखा। प्रतिवेदन को (जून 2017 में) प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किया गया, तथापि, (मई 2018 तक) स्वीकृति प्रतीक्षित थी। सेन्टर के लिए स्थल का अंतिम रूप से निर्णय अगस्त 2018 में लिया गया परन्तु स्थल के नवीनीकरण हेतु डीपीआर को अभी भी (सितंबर 2018 तक) तैयार किया जाना था। जम्मू और कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड (जेकेएमएससीएल) के माध्यम से सेंटर के लिए मांगी गई अपेक्षित मशीनरी/ उपकरण⁶⁰ भी (दिसंबर 2018 तक) नहीं खरीदे गये। इसी दौरान भारत सरकार ने

⁵⁸ चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा/ शल्य-चिकित्सा उपकरण (ओटी), पुनःस्थापना उपकरण, ओटी और पीटी आर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स, सहायक तकनीक को खरीदने हेतु

⁵⁹ 12 बिस्तरों में से, 10 बिस्तरों के प्रबंधन के लिए केन्द्र सरकार ₹1,000 प्रतिदिन की दर या असल के अनुसार, जो भी कम हो, निर्धन रोगियों के उपचार हेतु प्रतिपूर्ति द्वारा सहायता करेगी।

⁶⁰ हाई एंड वेंटिलेटर, एनेस्थेसिया मशीन, मल्टीपैरा मॉनीटर, सी.आर्म्स, पोर्टेबल एक्स-रे (डिजिटल) इत्यादि को शामिल करके 28 विभिन्न उपकरणों की श्रेणियां

सहायता-अनुदान के उपयोग की स्थिति मांगी और प्राप्त रूंदो करोड़ के अव्ययित अनुदान, जो पिछले दो वर्षों से बैंक खाते में लगातार अवरुद्ध (सितंबर 2018) हैं, को राज्य सरकार को वापस करने का (अक्टूबर 2017 में) निर्देश दिया और अपेक्षित केन्द्र की स्थापना नहीं की जा सकी।

इसी प्रकार, प्रिंसिपल जीएमसी, श्रीनगर ने ₹2.89 करोड़ की अनुमानित लागत से बॉन एंड जॉइंट अस्पताल, श्रीनगर में वर्तमान आधारभूत संरचना के उन्नयन हेतु प्रस्ताव (जून 2015 में) प्रस्तुत किया गया और जिसके प्रति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ₹1.17 करोड़ की राशि (मार्च 2017 में) जारी की गई। ₹13 लाख की अनुमानित लागत से शुरू किया गया स्पाईनल इंजरी वार्ड का नवीनीकरण पूरा किया गया। तथापि, जेकेएमएससीएल के माध्यम से ₹एक करोड़ की लागत से उपलब्ध की जाने वाली मशीनरी और उपकरण की खरीद (जनवरी 2019 तक) नहीं की गई थी और लगभग दो वर्ष तक ₹1.04 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही।

इस प्रकार, स्पाईनल इंजरी सेंटर की स्थापना हेतु भारत सरकार से प्राप्त राशि के उपयोग के लिए समय पर कार्यवाई की विफलता के परिणामस्वरूप न केवल ₹3.04 करोड़ की राशि अवरुद्ध हुई बल्कि रोगियों को इस योजना के लाभों से भी वंचित रहना पड़ा। यह भी एक जोखिम है कि इन निधियों का उपयोग न करने से राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई राशि को भारत सरकार को वापस करना पड़े।

मामले को जुलाई 2018 में सरकार/ विभाग को सौंपा गया; दिसम्बर 2018, मई 2019 और सितंबर 2019 में भेजे गए अनुस्मारकों के बावजूद, उनका उत्तर (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

3.6 स्वाइन फ्लू जांच प्रयोगशाला की स्थापना न होना

वित्तीय वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर निधि को व्ययगत होने से बचाने के लिए प्रिंसिपल गवर्मेंट मेडीकल कॉलेज, जम्मू की ट्रेजरी से निधि आहरण करने की असंगत कार्यवाई और विगत 3½ वर्षों के दौरान इस निधि के उपयोग में विफलता के फलस्वरूप जमा शीर्ष में ₹3.45 करोड़ पड़े रहे, लागत में वृद्धि हुई और स्वाइन फ्लू परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना के अपेक्षित लक्ष्य को भी पूरा नहीं किया जा सका।

अन्य विषयों के साथ, जम्मू और कश्मीर वित्तीय संहिता के नियम 2-16 (बी) (5) और 2-33 प्रावधान करता है कि राजकोष से धन का आहरण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि तत्कालीन वितरण या कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यकता न हो, जिनके पूरा होने में सम्भवतः बहुत लम्बा समय लग सकता है। बजट अनुदान के व्ययगत होने से बचने के विचार के मद्देनजर निधियों को आहरण करना और ऐसे धन को सार्वजनिक खातों या बैंकों में जमा करना निषिद्ध है।

2014-15 के दौरान, स्वाईन फ्लू के प्रकोप के बाद प्रिंसिपल, गवर्मेन्ट मेडीकल कॉलेज (जीएमसी), जम्मू ने ₹6.28 करोड़⁶¹ की अनुमानित लागत पर स्वाईन फ्लू और अन्य महामारियों के सूक्ष्मतम रोग निदान करने हेतु एक आईसोलेशन वार्ड और एक स्वाईन फ्लू एच1एन1 प्रयोगशाला का निर्माण करने का प्रस्ताव, आयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को (फरवरी 2015 में) अग्रोषित किया। सरकार ने प्रस्ताव को (मार्च 2015 में) स्वीकृत किया और राज्य योजना के अंतर्गत सारे नियमों के अंतर्गत अपेक्षित संहिता औपचारिकताओं को पूरा करने और अल्पतम सम्भव समय में प्रयोगशाला की स्थापना करने को सुनिश्चित करने हेतु ₹6.30 करोड़ जारी किए।

प्रिंसिपल जीएमसी, जम्मू ने 2014-15 के दौरान उपयोग हेतु आईसोलेशन वार्ड का निर्माण करने के लिए कार्यकारी अभियंता (ईई), लोक निर्माण विभाग, सड़क व भवन, तवी पुल कम मेडिकल कॉलेज डिवीज़न, जम्मू को ₹एक करोड़ की राशि (मार्च 2015 में) जारी की। तथापि, वित्त वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर निधि को व्यपगत होने से बचाने के लिए राजकोष से ₹5.30 करोड़⁶² की राशि का भी (मार्च 2015 में) आहरण किया गया और सिविल डिपॉजिट (मुख्य शीर्ष-8443) में रखा गया। जमा शीर्ष में रखे गए ₹5.30 करोड़ में से आईसोलेशन वार्ड के निर्माण के लिए ईई को दोबारा ₹दो करोड़ का (जनवरी 2016 में) अग्रिम दिया गया और ₹3.30 करोड़ की शेष राशि को जमा शीर्ष में पिछले तीन वर्षों तक लगातार रखा गया। आइसोलेशन वार्ड के निर्माण पर ₹2.85 करोड़⁶³ का व्यय किया गया जो कि अक्टूबर 2015 में पूरा किया गया जो एच1एन1 इन्फ्लुएंजा के संदिग्ध/ पक्के मामले के इलाज के लिए प्रयोग किया जा रहा था। ₹0.15 करोड़ का अव्ययित शेष ईई के पास भी रखा हुआ था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि प्रयोगशाला की स्थापना करने के लिए चालू की गई निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, क्योंकि हिस्सेदारी लेने वाली तीन फर्मों में से एक फर्म को ही तकनीकी मूल्यांकन (जुलाई 2015) के लिए योग्य ठहराया गया। 23 सितंबर 2015 को आयोजित विभागीय खरीद समीति की अनुशंसाओं के आधार पर, प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू ने प्रयोगशाला की स्थापना और अधिप्राप्ति के मामले को जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइ कारपोरेशन लिमिटेड (जेकेएमएससीएल) को (सितंबर 2015 में) सौंप दिया। तथापि, जेकेएमएससीएल तीन वर्षों से ज्यादा समय की अवधि तक भी परियोजना कार्यों का कार्यान्वयन और

⁶¹ अलग आईसोलेशन वार्ड का निर्माण: ₹2.98 करोड़; स्वाईन फ्लू एच1एन1 प्रयोगशाला का निर्माण: ₹3.30 करोड़

⁶² मशीनरी और उपकरण: ₹3.30 करोड़; सिविल कार्य: ₹दो करोड़

⁶³ आइसोलेशन वार्ड: ₹2.61 करोड़; डीजी सैट: ₹0.21 करोड़ और केबलिंग सिस्टम: ₹0.03 करोड़

निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दे सका, जिसके परिणामस्वरूप निधि (फरवरी 2018 तक) अनुप्रयुक्त रखी रही।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, प्रिंसिपल जीएमसी, जम्मू ने (मई 2018 में) कहा कि प्रशासनिक विभाग से कुछ तकनीकी और प्रशासनिक मामलों से संबन्धित निर्देश (मार्च 2018 में) मांगे गए थे, जो प्रतिक्षित थे। (अगस्त 2018 में) यह भी कहा गया कि लागत में वृद्धि के कारण प्रशासनिक विभाग से ₹1.05 करोड़ के अतिरिक्त निधि की मांग की गई। तथापि, तथ्य यह है कि राजकोष से केवल निधि के व्यपगत होने से बचाव हेतु वित्तीय वर्ष के अंत में अविवेकपूर्ण कार्रवाई से निधि का आहरण करना और पिछले 3½ वर्षों की अवधि के दौरान इस निधि के उपयोग में असफलता के परिणामस्वरूप जमा शीर्ष में ₹3.45 करोड़⁶⁴ की राशि जमा रही, लागत वृद्धि और स्वाइन फ्लू जांच प्रयोगशाला की स्थापना के इच्छित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका। यह भी सूचित किया गया कि जीएमसी जम्मू में 2017-18 के दौरान स्वाइन फ्लू के कारण तीन रोगियों की मृत्यु हो गयी थी।

जुलाई 2018 में मामले को सरकार/ विभाग को सौंपा गया; दिसंबर 2018, मई 2019 और सितंबर 2019 में जारी किए स्मरण-पत्रों के बावजूद उनका उत्तर (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

3.7 ट्रोमा अस्पताल खेल्लानी की स्थापना न करने के कारण निष्फल व्यय

आवश्यक कर्मचारियों को पदस्थापित करके ट्रोमा अस्पताल को चालू करने में स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की असफलता और प्रयोगशाला/ रोग निदान सुविधायें, ऑपरेशन थियेटर, ब्लड बैंक और एम्बुलेंस इत्यादि का प्रबंध करने में असफलता से ₹394.59 लाख का निवेश निष्फल हो गया।

दुर्घटना के शिकार लोगों के शीघ्र चिकित्सा उपचार को सुनिश्चित करने के लिए, ₹399.60 लाख की अनुमानित लागत से बटोत-किश्तवाड़ रोड पर 24 महीनों में पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ खेल्लानी में एक ट्रोमा अस्पताल का निर्माण करने के लिए (मई 2010) एक प्रस्ताव तैयार किया गया। इस परियोजना में आपातकालीन/ आईपीडी/ सूक्ष्म रोग निदान/ ऑपरेशन थियेटर/ वार्ड/ शवग्रह, अप्रोच रोड/ पार्किंग क्षेत्र, विकास निर्माण कार्य/ रास्ते, सुरक्षा चौकी/ गेट, शोर रहित डीजी सेट्स, वोल्टेज स्टेबलाइजरर्स, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी स्रोत से कार्यस्थल तक जल आपूर्ति लाइन प्रदान करना इत्यादि के साथ अस्पताल के भवन का निर्माण करना था।

⁶⁴ ईई के पास ₹0.15 करोड़ की अव्ययित राशि भी शामिल

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), डोडा के अभिलेखों की (नवम्बर 2017 में) संवीक्षा और उसके बाद (अप्रैल 2018 में) सूचना संग्रहण ने दर्शाया की ₹25 लाख के भूमि क्षतिपूर्ति की अदायगी के बाद अस्पताल के लिए भूमि को (जनवरी 2010 में) अधिग्रहित किया गया। इसके अतिरिक्त, 2009-10 से 2016-17 के दौरान, भवन निर्माण के लिए जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (जेकेपीसीसी) को ₹393.71 लाख⁶⁵ की राशि अग्रिम के रूप में दी गई थी। अस्पताल के मुख्य भवन को खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) अस्सर को दिसम्बर 2015 में सौंपा गया। जेकेपीसीसी ने 2009-18 के दौरान ₹360.24 लाख⁶⁶ का व्यय किया, परंतु प्रवेश द्वार और छत के स्तर तक निर्मित शवगृह खंड का कार्य (दिसम्बर 2018 तक) अधूरा था। उपकरणों, फर्नीचर की खरीद और फर्नीशिंग⁶⁷ हेतु 2016-17 के दौरान ₹9.35 लाख का व्यय भी किया गया परन्तु सभी चीजें (दिसम्बर 2018 तक) डिब्बाबंद अवस्था में थी। इसकी पुष्टि साइट की (अक्टूबर 2018 में) प्रत्यक्ष जाँच पड़ताल के दौरान की गई।

	
<p>16.10.2018 तक अपूर्ण शवगृह ब्लाक</p>	<p>16.10.2018 तक डिब्बाबंद उपकरण</p>
	
<p>16.10.2018 तक डिब्बाबंद/ बिना उपयोग किए गए बिस्तर</p>	<p>16.10.2018 तक बिस्तर और ईसीजी मशीन</p>

⁶⁵ 2009-10: ₹100 लाख; 2010-11: ₹50 लाख; 2011-12: ₹50 लाख; 2012-13: ₹25 लाख; 2013-14: शून्य; 2014-15: ₹79 लाख; 2015-16: ₹79 लाख; 2016-17: ₹10.71 लाख और 2017-18: शून्य

⁶⁶ 2009-10: ₹0.07 लाख; 2010-11: ₹35.82 लाख; 2011-12: ₹43.70 लाख; 2012-13: ₹47.04 लाख; 2013-14: ₹69.08 लाख; 2014-15: ₹97.87 लाख; 2015-16: ₹56.61 लाख; 2016-17: ₹1.91 लाख और 2017-18: ₹8.14 लाख

⁶⁷ 41 विभिन्न प्रकार के चिकित्सा उपकरणों में कार्डिक मॉनिटर डिवाइस, एलिस फोरसेप्स इत्यादि शामिल हैं और हॉस्पिटल फर्नीचर में बिस्तर, कुर्सियाँ और मेजें इत्यादि शामिल हैं।

ट्रोमा अस्पताल को क्रियाशील बनाने के लिए, निदेशक, स्वास्थ्य सेवा जम्मू ने सरकार को डाक्टरों/ पैरामेडिकल स्टाफ के 112 पदों को सृजित करने का प्रस्ताव (मई 2016 में) प्रस्तुत किया, जिसकी स्वीकृति (दिसम्बर 2018 तक) नहीं दी गई थी। दिसम्बर 2015 में जेकेपीसीसी से मुख्य भवन को अपने अंतर्गत लेने के बावजूद, पदों को सृजित न करने और प्रयोगशाला/ रोग निदान सुविधाएं, ऑपरेशन थियेटर, ब्लड बैंक और एम्बुलेंस की स्थापना न करने इत्यादि कारणों की वजह से पिछले तीन सालों से ट्रोमा अस्पताल को (दिसम्बर 2018 तक) क्रियाशील नहीं बनाया जा सका। इसके परिणामस्वरूप ₹394.59 लाख⁶⁸ का निवेश निष्फल रहा।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर सीएमओ, डोडा ने (नवंबर 2017/ मार्च 2018 में) कहा की ट्रोमा अस्पताल संचालित नहीं था; तथापि, एक चिकित्सा सहायता केंद्र और पांच⁶⁹ स्वीकृत कर्मचारियों के साथ एक नए प्रकार का जन स्वास्थ्य केंद्र भवन में क्रियाशील था। तथ्य यह है कि जिसे डॉक्टरों/ पैरामेडिकल स्टाफ के 112 पदों की आवश्यकता थी, वहां उपलब्ध कर्मचारी ट्रोमा अस्पताल को क्रियाशील बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों⁷⁰ के दौरान क्षेत्र में 177 दुर्घटनाएँ⁷¹ हुईं जिनमें 286 व्यक्ति घायल हुए और 46 व्यक्ति मारे गए और ऐसे दुर्घटना के शिकार लोगों को शीघ्र चिकित्सा उपचार प्रदान करने में ट्रोमा केंद्र संचालन में असफलता के परिणामस्वरूप ₹394.59 लाख का व्यय निष्फल रहा।

मई 2018 में सरकार/ विभाग को मामला सौंपे जाने के बाद; निदेशक, स्वास्थ्य सेवा जम्मू ने (जुलाई 2018 में) कहा कि मई/ जून 2018 में भेजे गए स्मरण पत्रों के बावजूद पदों की विभिन्न श्रेणियों के सृजन के लिए सरकार की स्वीकृति प्रतीक्षित थी। सरकार का उत्तर (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

3.8 एसएनसीयू/ एसपीवी के गैर-संचालन पर निधियों का अवरोधन/ निष्फल व्यय

दो वर्ष से अधिक समय तक एसएनसीयू सरवाल के लिए चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने में, एसएनसीयू भद्रवाह और गंदोह के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करने में और दो सौर ऊर्जा जेनरेटर्स के संचालन में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹122.18 लाख का निष्फल व्यय और ₹44.82 लाख का अवरोधन हुआ। निधि की उपलब्धता और अतिरिक्त कर्मचारियों के होने के बावजूद नवजातों की देखभाल के लिए परिकल्पित सेवाओं को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

⁶⁸ इमारत: ₹360.24 लाख; भूमि अधिग्रहण: ₹25 लाख; उपकरण/ फर्नीचर: ₹9.35 लाख

⁶⁹ चिकित्सा अधिकारी: एक; महिला बहुदेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता: एक; क्षेत्रीय कार्यकर्ता: एक; अनियत कार्यकर्ता: एक; वरिष्ठ फार्मासिस्ट: एक

⁷⁰ एसएसपी रामबन, डोडा और किशतवाड़ द्वारा प्रदान की गई सूचना

⁷¹ 2015-16: 46; 2016-17: 55; 2017-18: 76

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत जिला अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत विशेष नवजात शिशु देखरेख इकाईयां (एसएनसीयू) उपलब्ध कराई गई। इन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएंडएफडब्ल्यू) भारत सरकार द्वारा जारी नवजात शिशु देखरेख संचालन दिशा निर्देश 2011 के अनुसार योजना और कार्यान्वयन हेतु सुविधा अनुसार स्थापना की जानी थी। इन सुविधा केन्द्रों में जन्म⁷² के समय देखभाल, सामान्य नवजात शिशु⁷³ की देखरेख और अस्वस्थ नवजात शिशु⁷⁴ की देखरेख आदि सेवाओं को प्रदान करना शामिल था।

(I) सरकारी अस्पताल सरवाल, जम्मू में विशेष नवजात शिशु देख-रेख इकाई (एसएनसीयू) की स्थापना हेतु निदेशक मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जम्मू और कश्मीर ने जिला स्वास्थ्य सोसायटी को ₹51 लाख⁷⁵ की राशि को (फरवरी 2014/ नवंबर 2015 में) जारी किया गया। एसएनसीयू की स्थापना हेतु ₹51 लाख की संकेतात्मक लागत में नवीनीकरण/ सिविल कार्य (₹16 लाख), उपकरण/ फर्नीचर (₹25 लाख), उपभोगीय वस्तुएँ (₹3.50 लाख) और रख-रखाव लागत (₹6.50 लाख) शामिल थी। विभाग ने परियोजना के पूर्ण करने के लिए कोई भी लक्षित तिथि निश्चित नहीं की थी। एसएनसीयू के लिए 2014-15 के दौरान एक बाल-चिकित्सक, चार चिकित्सा अधिकारी (एमबीबीएस) और पांच स्टाफ नर्सों की स्वीकृति भी प्रदान की गई। तथापि, केवल एक चिकित्सा अधिकारी और पांच नर्सों की नियुक्ति क्रमशः नवंबर 2014 और अक्टूबर 2016 में की गई। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक (एमएस) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एयर कंडीशनों के लगाने पर (₹0.99 लाख) और एसएनसीयू के वर्तमान वार्ड को सुधारने हेतु सिविल कार्य के कार्यान्वयन (₹5.19 लाख) के लिए ₹6.18 लाख का व्यय (दिसम्बर 2014/ अप्रैल 2015 में) किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन निदेशक, जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड (जेकेएमएससीएल) को 47 विभिन्न प्रकार⁷⁶ के उपकरणों की खरीद हेतु ₹44 लाख की राशि का अग्रिम दिया गया जिसमें से ₹15.50 लाख की राशि मार्च 2018 में वापस लौटाई गई। उपकरण (मार्च 2019 तक) प्राप्त नहीं हुये और एसएनसीयू को (मार्च 2019 तक) संचालित नहीं किया गया। निधि की उपलब्धता और एसएनसीयू के लिए एक चिकित्सा अधिकारी की

⁷² संक्रमण की रोकथाम, वार्मथ व्यवस्था, पुनः होश में लाना, स्तनपान की शीघ्र शुरुआत, नवजात का वजन करना।

⁷³ स्तनपान और स्तनपान सहायता

⁷⁴ अल्पभार नवजात शिशुओं/ अस्वस्थ नवजातों, इकाइयों से मुक्त सभी शिशुओं और उच्च जोखिम युक्त नवजात शिशुओं, प्रतिरोधक सेवाओं, रेफरल सेवाओं से संबन्धित आगे की कार्यवाही का प्रबंध।

⁷⁵ फरवरी 2014: ₹25.50 लाख; नवंबर 2015: ₹25.50 लाख

⁷⁶ अस्पताल उपकरण: 31; प्रयोगशाला उपकरण: 4; सामान्य उपकरण: 7; विसंक्रमण हेतु उपकरण: 5

(नवम्बर 2014 में) नियुक्ति के बावजूद, रोगियों की देखरेख लगातार प्रभावित होती रही और नवजात शिशु रोगियों⁷⁷ को दूसरे अस्पतालों⁷⁸ में भेजना जारी रहा। एसएनसीयू के लिए नियुक्त कर्मचारियों⁷⁹ को प्रसव कक्ष व अस्पताल के स्त्रीरोग वाई में रोस्टर आधार पर नियुक्त किया गया। इस प्रकार, चार वर्षों की अवधि के दौरान चिकित्सा उपकरणों की अधिप्राप्ति और एसएनसीयू को संचालित करने में असफलता के परिणामस्वरूप ₹6.18 लाख का निष्फल व्यय और ₹44.82 लाख⁸⁰ की राशि का अवरोधन हुआ।

लेखापरीक्षा में (जनवरी 2018 में) इंगित किए जाने पर, चिकित्सा अधीक्षक ने (मार्च 2019 में) कहा कि एसएनसीयू को शीघ्रातिशीघ्र उपकरणों की प्राप्ति होने पर संचालित किया जाएगा। तथापि, जेकेएमएससीएल ने चिकित्सा उपकरणों की (मार्च 2019 तक) आपूर्ति नहीं की और निधि की उपलब्धता और अतिरिक्त कर्मचारियों के काम में लगे होने के बावजूद नवजात शिशुओं की देखरेख से संबंधित परिकल्पित सेवाओं को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। यह भी कहा गया (अक्टूबर, 2019) कि जेकेएमएससीएल ने ₹21.61 लाख के मूल्य के मशीनी उपकरणों की आपूर्ति की और एसएनसीयू को 7 सितंबर 2019 से ही संचालित किया गया। तथापि, तथ्य यह है कि लगभग चार वर्षों तक ₹44.82 लाख की राशि अवरुद्ध रही और अग्रिम अदायगी के बावजूद, जेकेएमएससीएल ने ₹6.89 लाख के मूल्यों के उपकरणों की आपूर्ति अब तक नहीं की है।

मामले को जून 2018 में सरकार/ विभाग को सौंपा गया; दिसंबर 2018, मई 2018 और सितंबर 2019 में जारी किए गए अनुस्मारक पत्रों के बावजूद, उनका उत्तर (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

(II) इस प्रकार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), भद्रवाह और सीएचसी गंदोह में एसएनसीयू की स्थापना हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), डोडा ने 13वें वित्त आयोग के अधीन ₹85 लाख की राशि खण्ड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) भद्रवाह (₹42.50 लाख) और गंदोह (₹42.50 लाख) को (अगस्त 2014) प्रदान की। चार चिकित्सा अधिकारियों (एमबीबीएस) को अनुबंध आधार पर लगाया जाना था, दो एएनएम⁸¹ और एक प्रयोगशाला तकनीशियन की नियुक्ति की स्वीकृति भी 2014-15 के दौरान एसएनसीयू के लिए दी गई। (अगस्त 2017/ अक्टूबर 2018

⁷⁷ 2016-17: 6 मामले; 2017-18: 5 मामले; 2018-19 (दिसम्बर 2018 तक): 3 मामले

⁷⁸ श्री महाराजा गुलाब सिंह (एसएमजीएस) अस्पताल, जम्मू

⁷⁹ एक चिकित्सा अधिकारी और पांच स्टाफ नर्स

⁸⁰ इसमें ₹16.32 लाख के अव्ययित अधिशेष, जो सरकारी अस्पताल सरवाल के रोगी कल्याण समिति के बचत खाते में रखा गया और ₹28.50 लाख को जेकेएमएससीएल के पास रखा गया था, शामिल है

⁸¹ सहायक नर्सिंग मिडवाइफ

में) यह पाया गया कि 2014-15 के दौरान मरीजों की देखरेख हेतु वार्ड के सुधार के लिए और एसएनसीयू हेतु मशीनरी/ उपकरण की खरीद के लिए ₹85 लाख का (मार्च 2018 तक) व्यय किया गया। तथापि एसएनसीयू संचालित नहीं थे क्योंकि इकाईयों के लिए संस्वीकृत कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया गया। एसएनसीयूस के संचालित न होने के कारण और उसको एसएनसीयूस को स्थापित करने के लिए ₹85 लाख के व्यय के बावजूद, 2014-15 से 2017-18 के दौरान 80 नवजात⁸² शिशुओं को सरकारी अस्पताल जम्मू/ डोडा भेजा गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह भी पाया गया कि (सितम्बर 2012 में) जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (जेकेईडीए) के माध्यम से ₹36.75 लाख की लागत से खरीदे गये सोलर फोटोवोलैटिक (एसपीवी) पॉवर जैनेरेटर, जो सीएचसी भद्रवाह में (दिसम्बर 2013 में) प्राप्त किया, संचालित नहीं था। जेकेईडीए द्वारा आपूर्ति आदेश अन्य वस्तुओं को मिलाकर जारी किया गया, जिसमें स्थापना करने, आरंभ करने, परीक्षण और पांच वर्षों के लिए एसपीवी पॉवर जैनेरेटर्स का निःशुल्क रख-रखाव शामिल हैं। यद्यपि संयंत्र को केबल से संबंधित समस्याओं के कारण पूर्णतः संस्थापित नहीं किया जा सका और मामले की सूचना (अगस्त 2015 में) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डोडा को दे दी गई थी। एसपीवी जैनेरेटर के गैर-संचालन से संबंधित मामले को दोबारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डोडा के संज्ञान में अगस्त और नवम्बर 2017 के महीनों में लाया गया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी प्रकार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गन्दोह में ₹36.75 लाख की लागत के एसपीवी पॉवर जैनेरेटर को (नवंबर 2014 में) प्राप्त किया गया और (नवम्बर 2014 में) कमीशन किया गया, परंतु पिछले एक वर्ष से वह अक्रियाशील था। 5 वर्ष के निःशुल्क अनुरक्षण सेवा प्रावधान के बावजूद, विभाग ने इसे लागू नहीं किया और दो एसपीवी पॉवर जैनेरेटर (मार्च 2019 तक) अक्रियाशील रहे। इस प्रकार, एसपीवी पॉवर जैनेरेटर को संचालित करने में असफलता के परिणामस्वरूप ₹73.50 लाख का निवेश निष्फल रहा।

इंगित किए जाने पर, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, भद्रवाह ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2017/ मार्च 2018 में) कहा कि कर्मचारियों को नियुक्त करने और एसपीवी पॉवर जैनेरेटर की अक्रियाशीलता के मामले को उच्च अधिकारियों के सामने रखा गया। (अप्रैल 2019 में) यह भी कहा गया कि एसएनसीयू को 1 अप्रैल 2019 को क्रियाशील बनाया गया। यद्यपि, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला बहुदेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एफएमपीएचडब्ल्यू) और दो प्रयोगशाला तकनीशियन नियुक्त थे, पर कोई चिकित्सा अधिकारी/ बाल-चिकित्सक की नियुक्ति नहीं की गई

⁸² सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भद्रवाह: 69; सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गंदोह: 11

और एसएनसीयू (मार्च 2019 तक) अक्रियाशील था। तथ्य यह है कि (मार्च 2019 तक) स्वास्थ्य अधिकारियों के शिथिलतापूर्ण रवैये के कारण एसएनसीयू गन्दोह और दो एसपीवी पॉवर जेनरेटर अक्रियाशील/ गैर-संचालित थे जिसके परिणामस्वरूप ₹1.16 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

मामले को अगस्त 2018 में सरकार/ विभाग को सौंपा गया; दिसंबर 2018, मई 2019 और सितंबर 2019 में जारी किए गए स्मरण पत्रों के बावजूद, उनका उत्तर (सितम्बर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

3.9 निष्फल व्यय और ब्याज देयता

अस्पताल के भवनों के निर्माण से पूर्व भूमि की उपलब्धता की सुनिश्चितता और लागत अनुमानों के अनुसार कार्यों को करना और आठ वर्षों की अवधि के दौरान उनकी पूर्णता को सुनिश्चित करने में विभागीय असफलता के परिणामस्वरूप ₹1.16 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ और ली गई निधि पर ₹44.21 लाख की ब्याज देयता हुई।

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुरोध पर कार्यकारी अभियंता (ईई) लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सड़कें व भवन (आरण्डबी), प्रभाग-III जम्मू और ईई, पीडब्ल्यूडी, आरण्डबी, प्रभाग-II जम्मू ने क्रमशः ₹45.07 लाख⁸³ और ₹54.95 लाख की अनुमानित लागत से नाबार्ड⁸⁴, अधीन ऋण सहायता⁸⁵ के अन्तर्गत जम्मू जिले के अगार मजूर, अखनूर और रबिता में भारतीय चिकित्सा प्रणाली (आईएसएम) केंद्र (यूनानी और आयुर्वेदिक) का निर्माण का (अक्टूबर 2008 तथा जनवरी 2009 में) प्रस्ताव रखा। जनवरी 2009 में आईएसएम केंद्र अगार मजूर के संबंध में अनुमानों में ₹65.15 लाख तक संशोधन किया गया। आईएसएम केंद्र अगार मजूर को तीन वर्षों में पूरा किया जाना था और आईएसएम स्वास्थ्य केंद्र रबिता को एक साल में पूरा किया जाना था। लेखापरीक्षा को प्रशासनिक स्वीकृति की प्रतियां इस आधार पर उपलब्ध नहीं कराई गई कि इन परियोजनाओं से संबंधित अभिलेख 2014 की बाढ़ में डूब जाने से नष्ट हो गए थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितंबर 2016/ मई 2018) में पाया गया कि फरवरी 2010 में आरंभ किया गया रबिता स्वास्थ्य केंद्र का निर्माणकार्य ₹52.89 लाख⁸⁶ के व्यय के बाद रोक दिया गया। वास्तविक डीपीआर⁸⁷ में कवर नहीं किये गये मर्दों पर

⁸³ जनवरी 2009 में ₹65.15 लाख तक संशोधित

⁸⁴ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

⁸⁵ ऋण: 90 प्रतिशत, राज्य हिस्सेदारी: 10 प्रतिशत

⁸⁶ 2009-10: ₹15.71 लाख; 2010-11: ₹12.21 लाख; 2011-12: ₹16.88 लाख; 2012-13: ₹8.09 लाख

⁸⁷ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन

₹17.82 लाख व्यय किया⁸⁸ गया जिसके लिए ₹89.50 लाख हेतु एक संशोधित डीपीआर बनाई गई जिसे (सितंबर 2019 तक) स्वीकृत नहीं किया गया था और निधि की कमी के कारण भवन को पूरा नहीं किया जा सका। इसी प्रकार, आईएसएम केंद्र अगार मजूर का निर्माण फरवरी 2010 में सौंपा गया था और ₹62.71 लाख⁸⁹ की राशि पीडब्ल्यूडी, आरएण्डबी प्रभाग-III, जम्मू को 2009-10 से 2012-13 के दौरान जारी की गई। तथापि, निर्माणकार्य के लिए भूमि को 2012-13 में सौंपा गया और निर्माणकार्य दिसंबर 2013 से शुरू हुआ जो कि (दिसंबर 2018 तक) अधूरा था। ₹1.16 करोड़⁹⁰ का व्यय होने पर भी, आईएसएम केंद्र अगार मजूर और आईएसएम केंद्र रबिता किराए के भवनों में कार्य करते रहे और विभाग को अप्रैल 2011 से सितंबर 2019 के दौरान ₹1.28 लाख किराया अदा करना पड़ा।

इंगित किए जाने पर, निदेशक आईएसएम ने (जून 2017 में) कहा कि उक्त स्वास्थ्य केंद्रों हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए बहुत अधिक समय लगा और वहां पर भवन निर्माण स्थलों में से एक स्थल तक सड़क संपर्क संबंधी कुछ कठिनाईयां थीं। इसके अतिरिक्त (मई, सितंबर और दिसंबर 2018 में) यह भी कहा गया कि कुछ निश्चित कार्यों⁹¹ को अब भी पूरा नहीं किया गया है जिनके लिए पीडब्ल्यूडी ने अतिरिक्त निधि की मांग की है और (दिसंबर 2018 तक) भवनों को विभाग को नहीं सौंपा गया है। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि निधि के जारी होने के बाद अस्पताल भवनों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए बहुत अधिक देर हुई। यह उधार ली गई निधि के खराब-प्रबंधन और गलत योजना को प्रतिबिंबित करता है, जिसके लिए राज्य ब्याज अदायगी हेतु उत्तरदायी था।

अस्पताल भवनों के निर्माण को शुरू करने से पूर्व भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित करने, लागत आंकलन के अनुसार कार्य करने और आठ वर्षों की अवधि में उनके पूरा करने में विभागीय असफलता के परिणामस्वरूप ₹1.16 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ और उधार ली गई निधि पर ₹44.21 लाख⁹² की ब्याज देयता हुई। ये स्वास्थ्य केंद्र आधुनिक सुविधाओं के बिना ही किराए की छोटी इमारतों में चलते रहे।

⁸⁸ कम्पाउंड वॉल, ब्रेस्ट वॉल और भूमि का समतल करना

⁸⁹ 2009-10: ₹18.62 लाख; 2010-11: ₹14.10 लाख; 2011-12: ₹9.35 लाख; 2012-13: ₹20.64 लाख

⁹⁰ आईएसएम केंद्र अगार मजूर: ₹62.71 लाख (राज्य हिस्सेदारी: ₹6.27 लाख और नाबार्ड ऋण: ₹56.44 लाख; आईएसएम स्वास्थ्य केंद्र रबिता : ₹52.89 लाख (राज्य हिस्सेदारी: ₹5.29 लाख और नाबार्ड ऋण: ₹47.60 लाख)

⁹¹ आईएसएम स्वास्थ्य केंद्र अगार मजूर: प्रथम तल के पालिशदार एल्युमीनियम शटर, सेप्टिक टैंक और सॉकेज पिट सहित सैनिटरी फिटिंग्स; आईएसएम स्वास्थ्य केंद्र रबिता : इलैक्ट्रिक फिटिंग्स और चिकित्सा अधिकारियों हेतु रिहायशी आवास

⁹² वर्ष 2009-10 से 2017-18 के दौरान ₹104.04 लाख (आईएसएम केंद्र अगार मजूर: ₹56.44 लाख; आईएसएम स्वास्थ्य केंद्र रबिता : ₹47.60 लाख) के नाबार्ड ऋण सहायता पर 6.5 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज।

जुलाई 2018 में मामले को सरकार/ विभाग को भेजा गया; दिसंबर 2018, मई 2019 और सितंबर 2019 में जारी किए गए अनुस्मारकों के बावजूद, उनका उत्तर (सितम्बर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

गृह विभाग

3.10 अतिरिक्त परिहार्य व्यय और ठेकेदार के पक्ष में अनुचित लाभ

अपेक्षित विशेष विवरणों की सूची के बिना और निम्नतम बोलीकर्ता को अस्वीकार करते हुए, जो तकनीकी मूल्यांकन में विधिवत रूप से योग्य था, पुलिस विभाग द्वारा बोलियों के वित्तीय मूल्यांकन के समय आयातित सामग्री के उपयोग की अनुशंसा के अनियमित कार्रवाई के परिणामस्वरूप ₹2.24 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया गया और ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

जम्मू और कश्मीर पुलिस मुख्यालय, श्रीनगर ने बुलेट प्रुफ वाहनों के विख्यात पंजीकृत और वास्तविक उत्पादकों या निर्माताओं से 100 महिंद्रा बोलेरो वाहनों की बुलेट प्रुफ करने हेतु (6 अगस्त 2014) ई-टेंडर/ निविदाएं आमंत्रित किए। दूसरी बातों के साथ-साथ ई-एनआईटी में प्रावधान था कि बोलीकर्ता को अलग से स्वदेशी और आयातित गोली रोधक (बीआर) इस्पात और गोली रोधक कांच और उनके ब्रांड नाम को भी निर्दिष्ट करना चाहिए। यह भी वांछनीय था कि गोली रोधी इस्पात और गोली रोधी कांच को 10 मीटर की दूरी से एसएलआर 7.62 एमएम और एके-47 राइफल से चलाई गई गोली को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। चार बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई बोलियों का तकनीकी समिति द्वारा 4 अक्टूबर 2014 में मूल्यांकन किया गया और उन सभी को इस कार्य के लिए योग्य घोषित किया गया।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी 2015) ने यह प्रकट किया कि राज्य स्तरीय क्रय समिति (एसएलपीसी) ने (16 अक्टूबर 2014 में) वित्तीय निविदाओं का मूल्यांकन करते हुए महिंद्रा बोलेरो के लिए फ्लोरिंग हेतु आयातित गोली रोधक इस्पात, आयातित गोली रोधक कांच और पोली कार्बोनेट सामग्री⁹³ के उपयोग की सिफारिश की। एसएलपीसी ने मैसेर्स पीईसी लि., केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, जो एल-1 था और जिसने प्रति वाहन⁹⁴ ₹7,68,679 का प्रस्ताव दिया था, इसकी अपेक्षा, उसने एक निम्नतम द्वितीय स्थान के बोलीकर्ता (एल-2) को स्वीकृत किया जिसने ₹11,48,388 प्रति वाहन⁹⁵ का प्रस्ताव दिया था। एसएलपीसी ने इस तर्क पर एल-1 बोलीकर्ता पर विचार नहीं किया कि इसने आयातित गोली रोधक कांच की तुलना में

⁹³ रन फ्लैट सिस्टम के बिना

⁹⁴ यूनिट दर: ₹6,45,000; मूल्य संवर्धित कर: ₹32,250; प्रवेश टैक्स: ₹91,429

⁹⁵ यूनिट दर: ₹8,30,000; मूल्य संवर्धित कर: ₹1,03,750; सेवा कर: ₹1,02,588; प्रवेश कर: ₹1,12,050

एक भारतीय फर्म (मैसेर्स जीत एंड जीत कांच और रसायन प्रा. लि., जयपुर) द्वारा निर्मित स्वदेशी कांच का प्रस्ताव रखा और भारतीय फर्म को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 11 सितंबर 2013 को एक वर्ष की अवधि के लिए काली सूची में डाल दिया गया था। बोलियों का वित्तीय मूल्यांकन करते समय एसएलपीसी द्वारा अपेक्षित विशेषताओं की सूची के बिना आयातित कांच की अनुशंसा करना और समान गुणवत्ता के स्वदेशी कांच को अस्वीकृत करने का निर्णय अनियमित था। एल-1 स्वदेशी और आयातित गोली रोधी कांच दोनों को प्रदान करने के लिए सहमत थी और तकनीकी मूल्यांकन में फर्म योग्य थी। इसके अतिरिक्त, ठेके के पूरा होने में देरी के कारण मध्य प्रदेश सरकार का फर्म को काली सूची में डालने का आदेश⁹⁶ 30 सितंबर 2014 तक मान्य था और 16 अक्टूबर 2014 को एसएलपीसी द्वारा किये गये बोली के वित्तीय मूल्यांकन के समय सक्रिय नहीं था। प्रति वाहन ₹3,79,709⁹⁷ की दर के अधिक अंतर को देखते हुए, आयातित गोली रोधी कांच के उद्धृत भारतीय निर्माता आधार पर केवल एल-1 को अस्वीकृत करने का निर्णय विवेक पूर्ण नहीं था जबकि एसएलपीसी ने आयातित कांच की विशेषताओं को सूचीबद्ध भी नहीं किया। 90 वाहनों की बुलेट प्रुफिंग की आपूर्ति का आदेश एल-2 को 23 अक्टूबर 2014 को जारी किया गया। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 89 वाहनों की बुलेट प्रुफिंग हेतु ठेकेदार को मार्च 2015 से मार्च 2016 के दौरान ₹9.08 करोड़ की अदायगी की गई।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, मुख्य लेखा अधिकारी, पुलिस मुख्यालय ने (दिसंबर 2016/ अगस्त 2018 में) कहा कि स्वदेशी निर्मित गोली रोधी कांच की परत उतारने संबंधी समस्या और दूसरे दोषों के कारण एसएलपीसी ने आयातित कांच के उपयोग की अनुशंसा की। यह भी कहा गया कि एल-1 फर्म पर विचार नहीं किया गया क्योंकि इसने स्वदेशी कांच के लिए कहा था और सामग्री के निर्माता को काली सूची में डाला गया था और इसका कांच आयातित नहीं था यद्यपि फर्म ने बताया कि वे एक जर्मन कंपनी के साथ जुड़ी हुई थी।

उत्तर तर्क संगत नहीं है, क्योंकि अक्टूबर 2014 में एल-1 फर्म की अस्वीकृति के बावजूद, विभाग ने जनवरी 2015 में एक अन्य मामले में इसी फर्म से बुलेट प्रुफ कांच प्रदान करने व लगाने हेतु आपूर्ति आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, एनआईटी ने बताया कि स्वदेशी और आयातित कांच/ इस्पात दोनों में 10 मीटर की दूरी से एसएलआर 7.62 एमएम और एके-47 राइफल से चलाई गई गोली को सहन करने की क्षमता होनी

⁹⁶ सं. प्रथम आपूर्ति/12-13/89/2013-24 (856) दिनांक 11 सितंबर 2013

⁹⁷ एल-2: ₹11,48,388 और एल-1: ₹7,68,679 द्वारा प्रस्तावित दरों में अंतर

चाहिए और अभिलेखों में ऐसा स्पष्ट करने हेतु कुछ भी नहीं था कि एल-1 उपर्युक्त विवरणों के अनुसार असफल हो।

इस प्रकार, अपेक्षित विशेषताओं को सूचीबद्ध किए बिना तथा उस एल-1 बोलीदाता जो कि तकनीकी मूल्यांकन में पूर्ण योग्य था, को स्वीकृत करने के लिए बोलियों के वित्तीय मूल्यांकन के समय आयातित सामग्री के उपयोग की अनुशंसा मूल्य पहले से ही पता थे, विभागीय एसएलपीसी की अनियमित कार्रवाई दो बोली खरीद प्रणाली का पूरी तरह से उल्लंघन था जिसके परिणामस्वरूप ₹2.24 करोड़⁹⁸ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय और एल-2 बोलीदाता को अनुचित लाभ दिया।

मामला अगस्त 2018 में सरकार/ विभाग को भेजा गया; दिसंबर 2018, मई 2019 और सितंबर 2019 में जारी किए गए अनुस्मारकों के बावजूद, उनका उत्तर (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

3.11 वेतन बकाया और अस्वीकार्य भत्तों का अधिक भुगतान

निर्धारित नियमों और स्थायी निर्देशों के अनुपालन में असफलता के परिणामस्वरूप ₹33.10 लाख के वेतन बकायों और ₹12.88 लाख के अस्वीकार्य भत्तों का अधिक भुगतान हुआ।

I. जम्मू और कश्मीर नागरिक सेवा विनियम (सीएसआर) के अनुच्छेद 194 के साथ पठित अनुच्छेद 78 और वित्त विभाग द्वारा (मई 1993 में) जारी किए गए स्पष्टीकरण निर्धारित करते हैं कि भत्तों के बिना असाधारण अवकाश, जो अनुपस्थिति का प्राधिकृत अवकाश है, की न तो पेंशन के लिए और न ही वेतन वृद्धि के लिए गणना की जाएगी सिवाय इसके कि जब सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि अवकाश या तो खराब स्वास्थ्य के कारण या उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन या ऐसे कारणों से जो कि सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर हो, के कारण लिया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), कुलगाम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्रीनगर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (अगस्त 2017/ अक्टूबर 2017) ने दर्शाया कि सात⁹⁹ कर्मचारियों की अनाधिकृत अनुपस्थिति को अवैतनिक अवकाश माना गया और साधारणतया पेंशन या वेतन वृद्धि हेतु इसकी गणना नहीं होनी थी। तथापि, इन कर्मचारियों को ऐसी अवधि के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की गई जिसके परिणामस्वरूप वेतन का गलत विनियमन हुआ और ₹33.10 लाख¹⁰⁰ के

⁹⁸ प्रति वाहन ₹7,68,679 की दर से वाहनों की बजट प्रुफिंग के लिए कुल अदायगी ₹9,08,27,021 में से एल-1 द्वारा प्रस्तावित की गई कीमत (₹6,84,12,431) को कम करके: ₹2,24,14,590

⁹⁹ कुलगाम: 6, और श्रीनगर: 1

¹⁰⁰ कुलगाम: ₹28.93 लाख और श्रीनगर में ₹4.17 लाख

बकाया वेतन का अधिक भुगतान हुआ जैसे **परिशिष्ट-3.11.1** में विस्तृत है। इंगित किए जाने पर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुलगाम ने (अगस्त 2017 में) सूचित किया कि मामलों की संवीक्षा की जा रही थी और अधिक राशि की वसूली की जाएगी। इसके अतिरिक्त (सितंबर 2018 में) यह भी कहा गया कि एक कर्मचारी के वेतन को पुनः निर्धारित किया गया था और कार्यालय से स्थानांतरित शेष पांच कर्मचारियों के संबंध में पुनः निर्धारण वसूली के लिए उनकी नियुक्ति के नए स्थान¹⁰¹ को अनुरोध किया गया था। सात कर्मचारियों से (जुलाई 2019 तक) ₹12.19 लाख की राशि वसूली गई थी।

II. गृह विभाग द्वारा (सितंबर 1993 में) जारी सरकारी निर्देशों के अनुसार, महानिदेशक पुलिस को परामर्श दिया गया कि काउंटर इंटेलेजेंस कश्मीर (सीआईके) के कार्मिकों को, जिस अवधि के दौरान मुफ्त रहने व खाने की सुविधाएं दी गई है, उस दौरान उन्हें राशन मनी अलाउंस (आरएमए) नहीं दिया जाएगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपराधी जांच विभाग (सीआईडी), सीआईके श्रीनगर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अप्रैल 2015) से पता चला कि स्थायी निर्देशों के उल्लंघन में, 140 पुलिस कार्मिक जिन्हें निःशुल्क रहने व खाने¹⁰² की सुविधा प्रदान की गई थी, को राशन मनी अलाउंस का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप सितंबर 2009 से फरवरी 2015 के दौरान ₹12.88 लाख का अस्वीकार्य भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, सीआईके श्रीनगर ने (जनवरी 2016/ अप्रैल 2019 में) कहा कि अस्वीकार्य आरएमए का भुगतान 2015 के बाद रोक दिया गया और (मार्च 2019 तक) ₹8.14 लाख की वसूली की गई।

इस प्रकार, निर्धारित नियमों और स्थायी निर्देशों के पालन में असफलता के परिणामस्वरूप ₹33.10 लाख के बकाया वेतन और ₹12.88 लाख के अस्वीकार्य भत्तों की अधिक अदायगी हुई जिसमें से (जुलाई 2019 तक) ₹20.33 लाख की वसूली की गई है। चूंकि बताया गया कि अधिक भुगतान एक नमूना जांच पर आधारित था अतः विभाग को सभी डीडीओ में स्थिति सुनिश्चित करने और उपयुक्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

मामला जुलाई 2018 में सरकार/ विभाग को भेजा गया; दिसंबर 2018, मई 2019 और सितंबर 2019 में जारी किए गए अनुस्मारकों के बावजूद, उनका उत्तर (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

¹⁰¹ जिला अनंतनाग, बारामूला, अवंतीपुरा और श्रीनगर

¹⁰² होटल इण्टरनेशनल सोनावर, श्रीनगर में

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग

3.12 सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग में अधूरी परियोजनाएं

लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई चालू 274 योजनाओं में से केवल 23 योजनाओं को 2015-18 के दौरान पूरा किया गया और 251 अधूरी योजनाएं जिनमें 209 ऐसी योजनाएं शामिल हैं जिन्हें मार्च 2018 तक पूर्ण किया जाना था। शेष 42 योजनाएं मार्च 2018 के बाद पूर्ण होने के लिए लम्बित थीं। 30 योजनाओं को पूरा करने में पांच वर्षों से ज्यादा की देरी हुई, 137 योजनाओं के पूरा होने में 2 से 5 वर्षों की देरी हुई और 39 योजनाओं में दो वर्षों तक की देरी हुई। लेखापरीक्षा ने ₹39.92 करोड़ के निधि के विपथन/ अवरोधन, व्यर्थ, निष्फल/ अनुत्पादक व्यय के मामले पाए।

3.12.1 प्रस्तावना

मुख्य और मध्यम सिंचाई (एमएमआई) और लघु सिंचाई (एमआई) क्षेत्र के अधीन कार्यों का उत्तरदायित्व लेकर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाकर अधिक सिंचाई संभावना (आईपी) का सृजन करने के लिए विभिन्न सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग उत्तरदायी है। विभाग त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), बार्डर एरिया विकास कार्यक्रम (बीएडीपी), नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्य (आरएमएबीए) और नाबार्ड¹⁰³ ऋण के अधीन संस्वीकृत विभिन्न सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को 2015-16 के दौरान चालू एमएमआई परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के चार घटकों में से एक घटक बनाया गया। एमआई योजनाओं को पीएमकेएसवाई के पृथक घटक - *हर खेत को पानी* का एक भाग बनाया गया। बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के अधीन केंद्रीय प्रायोजित योजना बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) के माध्यम से विभिन्न नदियों और नालों के किनारों पर संरक्षण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए भी विभाग उत्तरदायी है।

विभाग का संगठनात्मक चार्ट **परिशिष्ट-3.12.1** में दिया गया है। अधीक्षक अभियंताओं, मुख्य अभियंता और प्रशासनिक विभागों को उनकी सौंपी गई शक्तियों के अनुसार तकनीकी संस्वीकृति/ प्रशासनिक अनुमोदन देने के लिए प्रस्तुत की गई विभिन्न योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को बनाने के लिए डिवीजनों के कार्यकारी अभियंता उत्तरदायी हैं।

¹⁰³ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

2015-16 से 2017-18 की अवधि को समाविष्ट करने वाली वर्तमान लेखापरीक्षा का आयोजन लागू नियमों/दिशानिर्देशों की अनुपालना और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विभाग की कुशलता और प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए किया गया। लेखापरीक्षा विश्लेषण में तीन मुख्य अभियंताओं¹⁰⁴ से प्राप्त सूचना के आधार पर और राज्य में 22 जिलों में से आठ¹⁰⁵ नमूना चयनित जिलों (36 प्रतिशत) के 25 डिवीजनों¹⁰⁶ में अभिलेखों की संवीक्षा की गई थी। मार्च 2017 तक अधूरी परियोजनाओं की संख्या और उन पर किए गए व्यय के आधार पर जिलों का चयन किया गया। 2015-18 के दौरान क्रियान्वयन के अधीन कुल परियोजनाओं की स्थिति और लेखापरीक्षा विश्लेषण हेतु चयनित नमूना का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

तालिका-3.12.1: 2015-18 के दौरान क्रियान्वयन के लिए शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण और लेखापरीक्षा में उनकी नमूना-जांच

परियोजनाओं/ योजनाओं की कुल संख्या	अप्रैल 2015 तक अधूरी परियोजनाओं की संख्या	अप्रैल 2015 से मार्च 2018 के दौरान शुरू की गई नई परियोजनाएं	कुल	मार्च 2018 के अंत तक पूरी की गई परियोजनाएं		मार्च 2018 तक अधूरी परियोजनाएं		
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
राज्य में	एमएम आई	5	शून्य	5	1	20	4	80
	एमआई	707	80	787	384	49	403	51
	कुल	712	80	792	385	49	407	51
परीक्षण- नमूना जांच किए गए डिवीजनों में	एमएम आई	2	शून्य	2	शून्य	शून्य	2	100
	एमआई	202	70	272	23	8	249	92
	कुल	204	70	274	23	8	251	92

(स्रोत:- नमूना जांच किए गए डिवीजनों के तीन मुख्य अभियंताओं और कार्यकारी अभियंताओं द्वारा प्रदान की गई सूचना)

आठ नमूना चयनित जिलों में क्रियान्वित की गई 274¹⁰⁷ योजनाओं में से 23¹⁰⁸ योजनाओं को 2015-18 के दौरान पूरा किया गया, जिनमें शामिल तीन योजनाओं को

¹⁰⁴ मुख्य अभियंता, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, जम्मू; मुख्य अभियंता, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, कश्मीर; मुख्य अभियंता, रावि तवी सिंचाई भवन (आरटीआईसी), जम्मू

¹⁰⁵ जम्मू, कठुआ, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम और कुपवाडा

¹⁰⁶ सिविल डिवीजन: 17; मैकेनिकल डिवीजन: 4; बाढ़ नियंत्रण डिवीजन: 4

¹⁰⁷ एआईबीपी: 174; पीएमकेएसवाई: 63; नाबार्ड: 15; बीएडीपी: 7; एफएमपी: 14 और आरएमएबीए: 1

¹⁰⁸ एआईबीपी: 19; पीएमकेएसवाई: शून्य; नाबार्ड: 1; बीएडीपी: 1; एफएमपी: 2 और आरएमएबीए: शून्य

समय पर पूरा किया गया और 20 योजनाओं को 2 और 12 वर्षों के बीच की देरी के बाद पूरा किया गया। मार्च 2018 तक 251 अधूरी योजनाओं में से, 209 योजनाएं इन आठ जिलों (जिनमें राज्य में 407 अधूरी परियोजनाओं का 62 प्रतिशत शामिल थी) में 2015-18 के दौरान पूरा करने के लिए बाकी थी और मार्च 2018 के बाद 42 योजनाएं पूरा होने के लिए बाकी थीं। लेखापरीक्षा के परिणाम पर नीचे चर्चा की गई है:

3.12.2 नियोजन

क्षेत्र के निवासियों के साथ-साथ जन प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर विभाग द्वारा क्रियान्वयन के लिए योजनाओं को चुना गया था और तदनुसार वार्षिक प्लान में प्रस्तावित किया गया था।

3.12.2.1 उच्च विकास लागत वाली योजनाओं का चयन

उच्च विकास लागत वाली योजनाओं का चयन एआईबीपी के दिशानिर्देशों (दिसंबर 2006) का पैरा (ए) (2) यह परिकल्पित करता है कि राज्य तकनीकी परामर्श समिति द्वारा अनुमोदित सतही एमआई योजनाएं कार्यक्रम के अधीन वित्तपोषण के योग्य हैं, बशर्ते कि प्रति हैक्टेयर विकास की लागत ₹ एक लाख से कम हो। उत्तरवर्ती योजनाओं के लिए आर्थिक सीमा को (अक्टूबर 2013 में) संशोधित कर ₹2.50 लाख कर दिया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 28 योजनाएं जिनकी विकास लागत को, जैसा कि **परिशिष्ट-3.12.2** में विवरण दिया गया है, वर्ष 2013-14 से पहले संस्वीकृत किया गया था और जो 2010-16 की अवधि के दौरान पूरी की जानी थी, वे ₹ एक लाख की स्वीकार्य लागत सीमा से अधिक थी तथा ₹1 व ₹3.01 लाख प्रति हैक्टेयर के बीच में थी। मार्च 2018 के अंत तक इन योजनाओं पर ₹74.73 करोड़ का व्यय किया गया था।

उत्तर में (फरवरी, अप्रैल और जून/ 2018 में) यह कहा गया था कि इन योजनाओं को तकनीकी परामर्श समिति द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित किया गया और उसके बाद निर्माण कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए निधियों को जारी किया गया। उत्तर तर्क संगत नहीं है और इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि एआईबीपी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अयोग्य योजनाओं को चयनित और अनुमोदित किया गया था।

3.12.2.2 असंगत सर्वेक्षण के कारण योजनाओं का पूरा न होना

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा (जुलाई 2012 में) नियत किए गए मानकों की धारा 1 के पैरा 2 में एआईबीपी के अधीन सतही लघु सिंचाई योजनाओं

की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डीपीआर) को तैयार करने हेतु स्पष्ट रूप से बताया है कि हेड वर्क और कमांड के कार्यों के लिए विस्तृत रूप से सर्वेक्षण और अन्वेषण किया जाना चाहिए। जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा (2010 में) जारी किए गए सिंचाई एवं बहुउद्देशीय योजनाओं की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डीपीआर) को तैयार करने हेतु दिशानिर्देशों की धारा XI (पैरा 41 से 44) में भूमि अधिग्रहण और बेदखल हुए लोगों को फिर से बसाने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से बताया गया है।

दो¹⁰⁹ डिवीजनों (25 में से) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹45.91 करोड़ की अनुमानित लागत वाली तीन¹¹⁰ (274 में से) योजनाओं (काहमोह स्टोरेज टैंक, कांगरूसा स्टोरेज जलाशय और लिफ्ट सिंचाई योजना¹¹¹ (एलआईएस) कोंगमदरा-अहमदपुरा) का उचित सर्वेक्षण और बाधा मुक्त भूमि/ स्रोत की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना, 2013-14 के दौरान एआईबीपी के तहत क्रियान्वयन किया गया था, इन योजनाओं को 2014-15 और 2015-16 के दौरान पूरा किया जाना था, मार्च 2019 के अंत तक ₹1.09 करोड़¹¹² का व्यय किए जाने के बाद भी ये योजनाएं अधूरी रहीं और उनकी भौतिक प्रगति¹¹³ 01-16 प्रतिशत के मध्य थी। काहमोह स्टोरेज टैंक के लिए प्रस्तावित स्थल स्टोरेज टैंक के निर्माण के लिए व्यवहार्य नहीं था क्योंकि क्षेत्र ऊंचाई पर था और प्रायः भू-संकलन होता था। नीचे की तरफ सारी आबादी लगातार जोखिम में थी। इसके अतिरिक्त, कांगरूसा स्टोरेज जलाशय के लिए कोई भी कार्य क्रियान्वित नहीं हो (मार्च 2019) सका क्योंकि योजना की स्वीकृति से पहले ही प्रस्तावित स्थल पर एक दो-मंजिला भवन था और टैंक के निर्माण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध (मार्च 2019) नहीं था। इसके अतिरिक्त; एलआईएस कोंगमदरा-अहमदपुरा के स्रोत पर विवाद था जिसकी जानकारी विभाग को 2013-14 के कार्य के आरंभ होने के बाद हुई और मामले का (मार्च 2019) निपटान नहीं हुआ।

इंगित किए जाने पर, मुख्य अभियंता (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण) कश्मीर ने (अक्टूबर 2018/ अप्रैल 2019 में) कहा कि इनमें से दो योजनाओं पर ₹0.12 करोड़ का व्यय किया गया था जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के समूह से

¹⁰⁹ आई एवं एफसी डिवीजन बरामूला ; सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, सोपोर

¹¹⁰ (i) काहमोह स्टोरेज टैंक (अनुमानित व्यय: ₹18.42 करोड़; व्यय: ₹0.05 करोड़) (ii) कांगरूसा स्टोरेज जलाशय (अनुमानित व्यय ₹21.36 करोड़; व्यय: ₹0.07 करोड़) (iii) एलआईएस कोंगमदरा-अहमदपुरा (अनुमानित व्यय: ₹6.13 करोड़; व्यय: ₹0.97 करोड़)

¹¹¹ लिफ्ट सिंचाई, सिंचाई की वह विधि है जिसमें जल का स्थानांतरण प्राकृतिक बहाव (गुरुत्वाकर्षण) से नहीं किया जाता बल्कि उसे पम्पों की सहायता से उठाया जाता है

¹¹² केन्द्रीय हिस्सेदारी: ₹1.00 करोड़; राज्य हिस्सेदारी: ₹0.09 करोड़

¹¹³ (i) काहमोह स्टोरेज टैंक (1 प्रतिशत); (ii) कांगरूसा स्टोरेज जलाशय (1 प्रतिशत); (iii) एलआईएस कोंगमदरा-अहमदपुरा (16 प्रतिशत)

हटाए जाने की सिफारिश की थी और एलआईएस कॉगमदरा-अहमदपुरा के संबंध में विवाद को सुलझाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा दिए गए उत्तर ने लेखापरीक्षा के तर्क को बल दिया कि (डीपीआर) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करते समय पर्याप्त रूप से सर्वेक्षण नहीं किया गया, जिसके कारण क्षेत्र के निवासियों को परिकल्पित सिंचाई सुविधाओं से वंचित रखा गया। यह भी कहा गया (अक्टूबर 2019) कि भारत सरकार द्वारा दो योजनाओं को हटा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि 2011-12 से 2014-15 के दौरान सिंचाई विभाग, उधमपुर में 'चैक डैम के निर्माण और 'हंस खुल' से संबंधित कार्यों के लिए ₹2.03 करोड़ का व्यय सामग्री¹¹⁴ की अधिप्राप्ति हेतु किया गया। तथापि, सामग्री को अन्य एआईबीपी/जिला प्लान¹¹⁵ के लिए विपथित किया गया और भूमि विवाद के कारण मूल योजना का आरंभ नहीं किया गया और ₹2.03 करोड़ में से, केवल ₹0.37 करोड़ की राशि की ही प्रतिपूर्ति की गई थी। शेष ₹1.66 करोड़ की राशि की (मार्च 2019) तक प्रतिपूर्ति नहीं की गई।

कार्यकारी अभियंता, सिंचाई विभाग उधमपुर ने (फरवरी 2018 में) कहा कि सामग्री के रूप में निधियों को जिला विकास बोर्ड की बैठक में एक स्थानीय विधायक¹¹⁶ द्वारा उठाई गई मांग को देखते हुए दूसरी योजनाओं हेतु विपथित किया गया। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि ₹1.66 करोड़ की लागत की सामग्री की अभी तक प्रतिपूर्ति नहीं की गई और मूल अनुमोदित योजना को (मार्च 2019 तक) आरंभ नहीं किया गया है।

3.12.3 वित्तीय प्रबंधन

2015-18 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य अभियंताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों और किए गए व्यय की स्थिति का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

¹¹⁴ सीमेंट: 63,158 बैग; इस्पात: 4 मीट्रिक टन

¹¹⁵ (i) तवी नदी का गैर-अपरदन का निर्माण, चेनानी से डिब्बर तक और इसकी सहायिकाएं
(ii) खंड चेनानी, टिकरी, पंचारी में संरक्षण कार्यों का निर्माण

¹¹⁶ विधान सभा सदस्य

तालिका-3.12.2: निधियों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम का नाम	केन्द/राज्य की हिस्सेदारी	आदि शेष (भारत सरकार)	अप्रैल 2015 से मार्च 2018 के दौरान जारी निधियां		कुल उपलब्धता	अप्रैल 2015 से मार्च 2018 के दौरान किया गया व्यय			उपलब्धता की प्रतिशतता के आधार पर कुल व्यय	अव्ययित शेष (भारत सरकार)
			भारत सरकार	राज्य सरकार		भारत सरकार	राज्य हिस्सेदारी	कुल		
एआईबीपी	90:10	46.47	159.26	32.59	238.32	175.17	32.58	207.75	87	30.56
पीएमकेएसवाई	90:10	शून्य	21.19	4.36	25.55	17.78	4.01	21.79	85	3.41
एफएमपी	70:30 ¹¹⁷	5.15	126.68	123.80	255.63	130.23	123.79	254.02	99	1.60
आरएमएबीए	100:00	1.82	2.99	शून्य	4.81	4.81	शून्य	4.81	100	शून्य
कुल		53.44	310.12	160.75	524.31	327.99	160.38	488.37	93	35.57
बीएडीपी	100:00	उपलब्ध	15.10		15.10	12.39		12.39	82	उपलब्ध
एनएबीएआरडी (ऋण)	95:50	नहीं	30.60		30.60	28.38		28.38	93	नहीं
कुल			45.70		45.70	40.77		40.77	89	
कुल योग					570.01			529.14	93	

(स्रोत: तीन सीई द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

जैसा कि उपर्युक्त विवरणों से देखा जा सकता है, कि 2015-18 के दौरान ₹570.01 करोड़¹¹⁸ की कुल निधि उपलब्धता के प्रति, ₹529.14 करोड़ (93 प्रतिशत) का व्यय किया गया।

3.12.3.1 निधियों का विपथन

विभिन्न योजनाओं के तहत जारी निधियों को इस शर्त पर जारी किया जाता है कि इनका उपयोग अनुमोदित घटकों/ निर्माण कार्यों में ही होना चाहिए और कोई विपथन नहीं किया जाएगा। 25 चयनित डिवीजनों में से 13 डिवीजनों¹¹⁹ में अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि ₹2.22 करोड़ का ऐसी मदों/ गतिविधियों¹²⁰ पर व्यय किया गया था जो कि अनुमोदित योजनाओं/ कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं थी।

¹¹⁷ जुलाई 2013 तक 90:10 और उसके बाद 70:30 की दर पर

¹¹⁸ बीएडीपी और नाबार्ड के संबंध में आदि शेष शामिल नहीं है

¹¹⁹ बाढ़ नियंत्रण विभाग, अखनूर: ₹0.02 करोड़; सिंचाई विभाग, कठुआ: ₹0.23 करोड़; सिंचाई विभाग, अखनूर: ₹0.06 करोड़; सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, नौशेरा: ₹0.07 करोड़; सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, कुपवाड़ा: ₹0.28 करोड़; सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, हंदवाड़ा: ₹0.37 करोड़, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, बारामूला: ₹0.06 करोड़, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, सोपोर: ₹0.28 करोड़; सिंचाई विभाग, बड़गाम: ₹0.18 करोड़, जलदाब परिमंडल, उरी: ₹0.17 करोड़; फिरोजपुर द्रोणी सिंचाई (एफबीआई) प्रभाग, टंगमार्ग: ₹0.06 करोड़; सिंचाई विभाग, अनंतनाग: ₹0.16 करोड़; बाढ़ नियंत्रण विभाग, अनंतनाग: ₹0.28 करोड़

¹²⁰ किराया, मजदूरी अदायगी, पीओएल की खरीद आदि

सात डिवीजनों के कार्यकारी अभियंताओं ने (फरवरी/ अप्रैल/ मई 2018 में) कहा कि मजदूरियों, ओई, पीओएल इत्यादि के संबंध में अलग अनुदान उपलब्ध न होने के कारण दूसरी निधियों में से व्यय किया गया। छह कार्यकारी अभियंताओं¹²¹ ने उत्तर नहीं दिया।

3.12.4 योजनाओं के पूर्ण होने में देरी

मार्च 2018 तक नमूना जांच किए गए डिवीजनों में 251 अधूरी परियोजनाओं में से, 209 योजनाओं जिन पर ₹872.87 करोड़¹²² का व्यय किया गया था वे 2015-18 के दौरान पूर्ण होने के लिए बाकी थी और उनके पूरा होने में हुई देरी का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है। इन 209 योजनाओं में 199 ऐसी योजनाएं शामिल हैं जिनके लिए पूरा करने की लक्षित समयावधि 1 से 3 वर्षों के बीच थी और 10 योजनाओं के लिए पूरा करने की लक्षित समयावधि 4 से 8 वर्ष थी।

तालिका-3.12.3: प्रगति रिपोर्ट के संदर्भ में योजनाओं को पूरा होने में हुई देरी को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

देरी की अवधि	भौतिक प्रगति							
	25 प्रतिशत तक		26-50 प्रतिशत		51-99 प्रतिशत		100 प्रतिशत	
	योजनाओं की संख्या	किया गया व्यय						
2 वर्षों तक	32	79.00	02	9.02	05	103.04	0	0
2 से 5 वर्ष	49	54.11	21	40.04	67	190.82	2	2.74
5 वर्ष से ज्यादा	02	4.17	02	18.12	26	351.99	1	19.82
योग	83	137.28	25	67.18	98	645.85	3	22.56

(स्रोत: नमूना जांच किए गए डिवीजनों के ईई द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना)

2015-18 के दौरान पूरा करने के लिए बाकी 209 योजनाओं में से, मार्च 2018 तक केवल तीन योजनाओं को भौतिक रूप से पूरा हुआ दर्शाया गया यद्यपि ये आर्थिक रूप से पूर्ण नहीं थी। अधूरी योजनाओं में, वे 108 योजनाएं (152 प्रतिशत) शामिल हैं जिनकी भौतिक प्रगति 50 प्रतिशत से भी कम थी। ₹374.28 करोड़ के व्यय के बावजूद, 30 योजनाओं में 5 वर्षों से अधिक की अत्यधिक देरी हुई। 4 योजनाओं में,

¹²¹ सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, कुपवाड़ा; सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, बारामूला; सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग सोपोर, जलदाब प्रभाग उरी, फिरोजपुर द्रोणी सिंचाई विभाग, टंगमार्ग और सिंचाई विभाग अनंतनाग।

¹²² तीन योजनाओं के संबंध में ₹22.56 करोड़ शामिल जिन्हें भौतिक रूप से पूर्ण दर्शाया गया यद्यपि आर्थिक रूप से पूरा नहीं किया गया।

5 वर्षों की देरी के बावजूद, ₹22.29 करोड़ के व्यय के बाद भी 50 प्रतिशत से भी कम की भौतिक प्रगति हुई थी।

मुख्य रूप से देरी का कारण अपर्याप्त निधि (166 योजनाएं), भूमि/ स्थानीय विवाद (16 योजनाएं) और कम उन्मोचन, रेखाचित्रों/ डिजाइनों को अंतिम रूप न दे पाना, चैक डैमों का रिसाव (24 योजनाएं) आदि सहित अन्य कारण शामिल थे जैसा कि नीचे बताया गया है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने बताया कि 2007-17 के दौरान 166 योजनाओं (अनुमानित लागत: ₹1,176 करोड़) का आरंभ किया गया और 2009-18 के दौरान पूर्ण करने के लिए नियत किया गया, निधियों के अपर्याप्त रूप से निर्मोचन के कारण मार्च 2018 तक ₹444.03 करोड़ के व्यय के बाद भी ये योजनाएं अधूरी रहीं। ₹731.97 करोड़ की बकाया लागत इन योजनाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित अनुमानित लागत का 62 प्रतिशत था, जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका-3.12.4: अपर्याप्त निधि के कारण योजनाओं को पूरा करने में हुई देरी को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

आरंभ करने का वर्ष	पूर्ण करने का निर्धारित वर्ष	मार्च 2018 के अंत तक अपूर्ण योजनाएँ			
		संख्या	अनुमानित लागत	मार्च 2018 के अंत तक व्यय	1 अप्रैल 2018 को आवश्यक शेष लागत
2007-08	2009-10	05	30.08	27.25	2.83
2008-09	2009-11	07	75.18	64.72	10.46
2009-10	2011-12	02	11.42	7.05	4.37
2010-11	2013-14	01	39.30	21.91	17.39
2011-12	2013-16	53	333.33	196.61	136.72
2012-13	2014-15	01	11.70	11.60	0.10
2013-14	2014-18	63	421.69	72.29	349.40
2014-15	2015-17	04	25.89	14.31	11.58
2015-16	2017-18	29	31.70	6.60	25.10
2016-17	2017-18	01	195.71	21.69	174.02
कुल		166	1,176.00	444.03	731.97

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

इसी प्रकार से, 2007-13 के दौरान 16 योजनाओं (अनुमानित लागत : ₹ 216.06 करोड़) को आरंभ किया गया जिन्हें 2009-18 के दौरान पूरा करने के लिए नियत किया गया, जो भूमि/ स्थानीय विवादों के कारण मार्च 2018 तक ₹157.45 करोड़ के व्यय के बाद भी अधूरी रहीं जैसा कि नीचे विवरण में दर्शाया गया है। इन योजनाओं का आरंभ उचित सर्वेक्षण और बाधामुक्त भूमि/ स्रोत की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना किया गया।

तालिका-3.12.5: भूमि/ स्थानीय विवादों के कारण योजनाओं को पूरा करने में देरी को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

आरंभ करने का वर्ष	पूर्ण करने का निर्धारित वर्ष	मार्च 2018 के अंत तक अपूर्ण योजनाएँ		
		संख्या	अनुमानित लागत	मार्च 2018 के अंत तक व्यय
2007-08	2009-10	03	27.33	24.22
2008-09	2009-11	03	42.93	33.19
2009-10	2012-18	02	71.00	59.47
2011-12	2012-15	07	14.99	11.09
2012-13	2017-18	01	59.81	29.48
कुल		16	216.06	157.45

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

इसके अतिरिक्त, 24 योजनाओं (अनुमानित लागत: ₹412.38 करोड़) को 2005-18 के दौरान पूरा करने के लिए नियत किया गया जो कि विभिन्न कारणों जैसे, कम जारी करना, बैंक डैम में रिसाव, रेखाचित्रों/ डिजाइनों को अंतिम रूप न देना, योजनाओं का समागम, पंप हाऊस के स्थल में बदलाव आदि के कारण मार्च 2018 तक पूरी नहीं की जा सकी और ₹248.84 करोड़ के व्यय के बावजूद भी अधूरी रही जैसा कि विस्तृत रूप से नीचे दर्शाया गया है।

तालिका-3.12.6: अन्य कारणों से योजनाओं को पूरा करने में देरी दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	पूर्ण न होने का कारण	पूर्ण करने का निर्धारित वर्ष	योजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	मार्च 2018 के अंत तक किया गया व्यय
1	अपर्याप्त बहाव	2005-06	1	1.99	0.45
2	कोई खास कारण नहीं	2008-16	10	249.13	212.64
3	बैंक डैम लीकिंग	2009-10	1	0.72	0.67
4	ड्राइंग्स को अंतिम रूप न दिया जाना	2010-11	1	4.44	3.72
5	जेकेपीडीसी द्वारा बैंक डैम के प्रस्तावित निर्माण के कारण योजनाओं का जलमग्न होना	2013-18	4	16.86	7.72
6	कार्य का त्याग	2011-12	1	17.50	17.84
7	बाढ़ के कारण गंभीर नुकसान	2013-14	1	0.89	0.89
8	पंप हाऊस की साइट का परिवर्तन	2013-14	1	1.80	0.71
9	काम अभी शुरू किया जाना है	2013-14	1	53.99	2.20
10	स्लाइडिंग ज़ोन	2014-15	1	18.42	0.05
11	भूमि की अनुपलब्धता	2015-16	1	21.36	0.07
12	उचित/ अनुमोदित डिजाइन की अनुपलब्धता	2015-16	1	25.28	1.88
	कुल		24	412.38	248.84

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

इन योजनाओं के पूरा न करने के कारण, संबंधित क्षेत्रों के निवासियों को परिकल्पित सिंचाई सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकी।



आरडी - 1900 एम में पोंडा खूल का क्षतिग्रस्त हिस्सा

सिफारिश: सरकार/ विभाग समयबद्ध तरीके से अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु प्राथमिकता देने पर विचार करे। इसके अतिरिक्त, योजनाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

3.12.4.1 निधियों का अवरोधन

विभिन्न लिफ्ट सिंचाई योजनाओं (एलआईएस) के संबंध में विद्युत यांत्रिकीय निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु, विभिन्न सिविल सिंचाई डिवीजनों द्वारा, कार्यकारी अभियंता (ईई), यांत्रिक सिंचाई निर्माण डिवीजन (एमआईसीडी), जम्मू के पास निधियां रखी गई थीं। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि विद्युत यांत्रिकीय निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु मार्च, 2009 से मार्च 2016 के दौरान तीन प्रभागों¹²³ द्वारा एमआईसीडी, जम्मू के पास 13 एलआईएस से संबंधित ₹27.44 करोड़ की राशि रखी गई थी। इसमें से, ₹9.04 करोड़ (33 प्रतिशत) की राशि मार्च, 2018 की समाप्ति पर, सिविल निर्माण के गैर-क्रियान्वयन, भूमि विवाद, अपर्याप्त निधि जारी करने के परिणामस्वरूप 2 से 9 वर्षों के बीच की अवधि हेतु निधियों के अवरोधन के कारण, अप्रयुक्त रहीं और 8443 के तहत जमा रखी थी। इन 13 योजनाओं को वर्ष 2009-10 से 2015-16 के दौरान पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था। इन योजनाओं के विद्युत यांत्रिकीय निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2018-19 के दौरान ₹5.49 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी जारी की गई थी। यद्यपि, केवल दो योजनाओं¹²⁴ के संबंध में विद्युत यांत्रिकीय निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सका तथा शेष

¹²³ आईडी कठुआ, आईएण्डएफसीडी नौशेरा तथा आईडी अखनूर

¹²⁴ एलआईएस कलसियान तथा एलआईएस नग्गर गोसैन

11 योजनाएं¹²⁵ उनके समापन की लक्षित तिथि से 2 से 9 वर्षों के बीत जाने के बावजूद भी (मार्च 2019 तक) अपूर्ण/ जारी थीं। मार्च 2019 तक जमा शीर्ष में अव्ययित शेष ₹14.53 करोड़ था। इन योजनाओं के पूर्ण न होने के कारण 9,362 हैक्टेयर को यूआईपी काम में नहीं लाया जा सका।

3.12.5 सिंचाई संभाव्यता का सृजन और उपयोग

आठ नमूना चयनित जिलों के 17¹²⁶ (25¹²⁷ में से) डिवीजनों में लेखापरीक्षा संवीक्षा, जैसा **परिशिष्ट-3.12.3** में दिए गए विवरणानुसार से पता चला कि मार्च 2018 तक 1,89,371 हैक्टेयर की मूल सिंचाई संभाव्यता¹²⁸ (यूआईपी) के प्रति, सृजित सिंचाई संभाव्यता¹²⁹ (आईपीसी) 1,09,658 हैक्टेयर (58 प्रतिशत) थी तथा उपयोगिता सिंचाई संभाव्यता¹³⁰ (आईपीयू) 96,247 हैक्टेयर (88 प्रतिशत) थी। यूआईपी के संदर्भ में सिंचाई संभाव्यता के सृजन में 42 प्रतिशत और आईपीसी के प्रति, सिंचाई संभाव्यता की उपयोगिता में 12 प्रतिशत की कमी थी। इसके परिणामस्वरूप, वांछित क्षेत्रों में परिकल्पित सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा सकीं। सिंचाई संभाव्यता के सृजन में कमी मुख्यतः सिंचाई योजनाओं के समापन में हुई देरी के कारण थी।

नमूना चयनित 17 डिवीजनों में 177 सिंचाई योजनाओं¹³¹ (जारी: 158, पूर्ण: 19) में उपयोगिता सिंचाई संभाव्यता (आईपीयू) (96,247 हैक्टेयर) तथा सृजित सिंचाई संभाव्यता (आईपीसी) (1,09,658 हैक्टेयर) के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि:

¹²⁵ (i) एलआईएस मंडला (ii) एलआईएस लोअर राजवाल्टा (iii) एलआईएस तलैन नाला (iv) चैक डैम भीनी नदी (v) एलआईएस लंगर (vi) एलआईएस बेरी पट्टन (vii) एलआईएस चौकी चौरा (viii) एलआईएस कोट-2 (ix) एलआईएस सिधा धाना (x) एलआईएस अंबारन-2 (xi) एलआईएस समू चपरियल

¹²⁶ 17 डिवीजन: आईडी राजौरा, आईडी अखनूर, आईएंडएफसीडी नौशेरा, आईडी कठुआ, आईडी ऊधमपुर, आईडी-1 जम्मू, आईडी-2 जम्मू, आरटीआईसी जम्मू, ट्यूववैल इरिगेशन डिवीजन जम्मू, आईडी अनंतनाग, आईएंडएफसीडी कुपवाड़ा, आईएंडएफसीडी बारामूला, आईएंडएफसीडी सोपोर, फिरोजपुर बेसिन इरिगेशन डिवीजन, तंगमर्ग, हाइड्रोलिक डिवीजन, उड़ी, आईडी बडगाम और आईएंडएफसीडी हंदवाड़ा। शेष आठ डिवीजन या तो विद्युत यांत्रिक कार्यों को निष्पादित कर रहे हैं या बाढ़ नियंत्रण कार्य कर रहे हैं

¹²⁷ चार बाढ़ नियंत्रण प्रभाग (जम्मू, अखनूर, कठुआ, अनंतनाग) जो बाढ़ नियंत्रण का कार्य कर रहे हैं और चार एमआईडी/ एमआईसीडी डिवीजनों (जम्मू, अखनूर, नौशेरा, श्रीनगर) विद्युत यांत्रिक कार्यों को क्रियान्वित करने वाले शामिल हैं।

¹²⁸ मूल सिंचाई संभाव्यता वह सकल क्षेत्र है जिसे डिजाइन कृषि वर्ष (1 जुलाई से 30 जून) में एक योजना से सिंचित किया जा सकता है।


¹²⁹ सृजित सिंचाई संभाव्यता वह कुल क्षेत्र होता है जो इसके पूर्ण उपयोगिता पर एक योजना से सिंचित किया जा सकता है।

¹³⁰ सिंचाई संभाव्यता उपयोगी कृषि वर्ष के दौरान एक योजना द्वारा सिंचित वास्तविक कुल सकल क्षेत्र होता है।

¹³¹ एआईपीपी योजनाएं: 172; नाबार्ड: 4; बीएडीपी: 1

- 19¹³² पूर्ण योजनाओं में से, 6 योजनाओं के संबंध में जहाँ ₹18.84 करोड़ का व्यय किया था, आईपीसी 80 प्रतिशत से कम था। 13 योजनाएं जहाँ ₹15 करोड़ का व्यय किया गया था, आईपीसी 80 से 100 प्रतिशत के बीच थी, तथा इन योजनाओं में 4 योजनाएं सम्मिलित थी जिनमें लक्षित आईपीसी पूर्ण रूपेण प्राप्त कर लिया गया था। चार पूर्ण परियोजनाओं में, आईपीयू शून्य था क्योंकि इन्हें केवल 2017-18 में ही पूर्ण कर लिया गया तथा पाँच पूर्ण परियोजनाओं में, आईपीयू उनके आईपीसी के 80 प्रतिशत से कम था। 10 पूर्ण परियोजनाओं में, आईपीयू 80 एवं 100 प्रतिशत के बीच रहा।

चार्ट - 3.12.1: 19 पूर्ण योजनाओं के संबंध में आईपीयू तथा आईपीसी




सिंचाई संभाव्यता सृजित/ उपयोगिता की सीमा

- मार्च 2018 की समाप्ति पर, 158 जारी सिंचाई योजनाओं¹³³ में से, 55 योजनाओं में आईपीसी, ₹151.13 करोड़ के व्यय के बाद भी शून्य था। इन 55 योजनाओं (35 प्रतिशत) के संबंध में 41,553 हैक्टेयर की परिकल्पित आईपीसी की अनुमानित लागत ₹475.74 करोड़ के प्रति, 32 प्रतिशत का व्यय करने के बावजूद भी सृजन नहीं किया जा सका।

¹³² नाबार्ड, एफएमपी और बीएडीपी के तहत चार बाढ़ नियंत्रण/ अनुरक्षण योजनाओं को शामिल नहीं किया है।

¹³³ केवल 158 सिंचाई योजनाओं के संबंध में टिप्पणी है क्योंकि 251 अपूर्ण योजनाओं में से, 42 योजनाएं समापन हेतु देय नहीं थीं; 17 योजनाएं बाढ़ क्षेत्र से संबंधित थीं, 3 सिंचाई योजनाओं से संबंधित आँकड़े उपलब्ध नहीं थे तथा 1 सिंचाई योजना जन-सुविधाओं के स्थानांतरण से संबंधित थी और शेष पीएमकेएसवाई के अधीन 30 योजनाएं, जो वर्ष 2017-18 के समापन में पूर्ण होनी थी उन पर अलग से टिप्पणी की गई है।

चार्ट - 3.12.2: 151¹³⁴ जारी योजनाओं के संबंध में आईपीसी व आईपीयू



उपयोगिता/ सृजित सिंचाई संभाव्यता का विस्तार

- 10 जारी योजनाओं में, ₹42.17 करोड़ की अनुमानित लागत के प्रति, मार्च 2018 तक ₹19.49 करोड़ के व्यय करने के बाद भी आईपीसी, आईपी लक्ष्य के 25 प्रतिशत तक थी। इसी प्रकार, 21 जारी योजनाओं में, आईपीसी मार्च, 2018 की समाप्ति पर ₹97.57 करोड़ की अनुमानित लागत के प्रति, ₹62.71 करोड़ का व्यय करने के बाद लक्ष्य के 26 से 50 प्रतिशत के बीच तक ही रहा। तीन जारी योजनाओं में आईपीसी (व्यय ₹4.20 करोड़) पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया था तथा 62 जारी योजनाओं में (व्यय ₹439.80 करोड़), यह 53 से 99 प्रतिशत के बीच रहा।
- 79 जारी योजनाओं में (50 प्रतिशत), आईपीयू शून्य था तथा आठ जारी परियोजनाओं में, यह केवल 25 प्रतिशत तक था। 13 जारी परियोजनाओं में, आईपीयू 26 से 50 प्रतिशत के बीच रहा और 51 जारी परियोजनाओं में, आईपीयू 50 प्रतिशत से अधिक था।
- आईडी अनंतनाग की 7 योजनाओं के संबंध में आईपीयू व आईपीसी का कोई आँकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया था।
- आईडी कठुआ में, वर्ष 2015-16 के दौरान पीएमकेएसवाई के तहत ₹32.74 करोड़ की अनुमानित लागत पर 30 योजनाएँ क्रियान्वयन हेतु ली गई थीं। यद्यपि, 2,865 हैक्टेयर के लक्षित आईपीसी के प्रति, मार्च 2018 की समाप्ति पर ₹6.60 करोड़ (20 प्रतिशत) के व्यय के पश्चात् केवल छह प्रतिशत आईपी ही सृजित की गई थी।

¹³⁴ 07 योजनाओं के संबंध में आईपीयू और आईपीसी संबंधी सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

सिफारिश: सरकार/ विभाग पहले से ही सृजित सिंचाई संभाव्यता के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करने पर विचार करे।

3.12.6 पूर्ण लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की गैर सुपुर्दगी/ कार्य ग्रहण

एक लिफ्ट सिंचाई योजना (एलआईएस) के निर्माण में सिविल कार्य, सिविल सिंचाई डिवीजन द्वारा और विद्युत यांत्रिकी कार्य, यांत्रिकी सिंचाई निर्माण डिवीजन (एमआईसीडी) द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। सिविल और विद्युत यांत्रिकीय निर्माण कार्यों के समापन के बाद पूर्ण एलआईएस को एमआईसीडी द्वारा यांत्रिक सिंचाई डिवीजनों (एमआईडी) को पश्च प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु सुपुर्द करना होता है।

आईडी, अखनूर एवं एमआईसीडी, जम्मू में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सिविल निर्माण के क्रियान्वयन के लिए आईडी, अखनूर द्वारा क्रियान्वयन के लिए 12 लिफ्ट सिंचाई योजना (एलआईएस) शुरू की और ₹9.08 करोड़ की अनुमानित लागत पर 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान एलआईएस के विद्युत यांत्रिकीय निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु एमआईसीडी, जम्मू द्वारा ₹9.06 करोड़ के व्यय के उपरांत मई 2011 से अप्रैल 2017 के बीच पूर्ण (2010-11 से 2016-17), शुरू और सफलतापूर्वक जांची गई। इन योजनाओं को योजनाओं के परीक्षण की तिथि से अंतिम एक से सात वर्षों की अवधि के दौरान प्रकार्यात्मक नहीं किया गया था क्योंकि एमआईसीडी, जम्मू में पश्च समापन, प्रचालन व अनुरक्षण के हेतु एमआईडी, अखनूर/ नौशेरा के साथ उनके सुपुर्द करने संबंधी मामले को देरी से उठाया (फरवरी 2016)। इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं को ग्रहण करने में एमआईडी, अखनूर/ नौशेरा की ओर से देरी हुई थी जिन्होंने (फरवरी 2018 में) कहा कि ये योजनाएं उनके संतोषजनक निष्पादन के आंकलन और अवसंरचना के गहन निरीक्षण के संचालन के बाद ग्रहण की जाएंगी। विभाग का योजनाओं को उनके परीक्षण तथा कमिशनिंग के तुरंत बाद प्रकार्यात्मक बनाने में असफल होने का परिणाम 713 हैक्टेयर के कल्चरेबल कमांड एरिया (सीसीए) पर सिंचाई सुविधाओं के खंडन के रूप में हुआ, इसके अलावा, 13 गांवों के 3,587 लोगों को ₹11.54 करोड़ के अवधारित कृषि उत्पाद मूल्यों के आर्थिक लाभ का गैर-प्रोद्घवन हुआ, जैसा कि डीपीआर में प्रस्तावित किया गया।

ईई, एमआईडी अखनूर/ नौशेरा ने (मई/ अक्टूबर 2018 में) कहा कि 12 योजनाओं में से सात¹³⁵ का कार्यभार एमआईडी, अखनूर/ नौशेरा द्वारा अप्रैल, 2018 में लिया गया था तथा शेष योजनाओं का कार्यभार उनकी मशीनरी और उपकरण के उचित सत्यापन और परीक्षण के बाद हाथ में ले लिया जाएगा। तथ्य यह है कि सात योजनाओं को अप्रैल, 2018 में उनकी कमिशनिंग से एक से छह वर्षों के बीच की अवधि के बाद ही

¹³⁵ लिफ्ट सिंचाई योजनाएं: फुंदवाल, बनारा, काह, मीनी, बाल, सरोह तथा एजल मलाल

ले लिया गया था तथा पाँच योजनाओं को (मार्च 2019 तक) संबंधित डिवीजन द्वारा अभी लिया जाना शेष है। आगे यह कहा गया था (अप्रैल 2019) कि हाथ में ली गई सात योजनाओं में से छह योजनाएँ उचित रीति से कार्यशील थीं, तथापि, एलआईएस फुंदवाल में पम्पिंग रोक दी गई है क्योंकि भवन क्षतिग्रस्त हो रहा था। इन योजनाओं के संबंध में सिंचाई संभाव्यता के सृजन/ उपयोग के संबंध में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि सात पूर्ण योजनाओं के संबंध में 102 हैक्टेयर सिंचाई संभाव्यता के सृजन के प्रति, केवल 13.25 हैक्टेयर (13 प्रतिशत) की सिंचाई संभाव्यता का उपयोग ही किया जा सका (मार्च 2019)।

3.12.7 परिकल्पित खुल¹³⁶ लंबाई के समापन के बिना योजनाओं को पूर्ण दिखाया

आईएण्डएफसी डिवीजन, उधमपुर में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि डिवीजन के वित्तीय/ भौतिक प्रगति प्रतिवेदनों के अनुसार ₹3.81 करोड़ की अनुमानित लागत की आठ एआईबीपी योजनाएं¹³⁷ ₹3.81 करोड़ के व्यय के बाद 2014-15 के दौरान पूर्ण हुई दिखाई गई थी। तथापि, इन योजनाओं के माध्यम से 10,660 मीटर की लंबाई के खुल निर्माण करने के लक्ष्य के प्रति, केवल 7,685 मीटर (72 प्रतिशत) लंबाई के खुल ही (मार्च 2018 तक) पूर्ण किए गए थे। परिकल्पित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्राप्त नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, कम खुल लंबाई के सृजन के कारण इन योजनाओं के संबंध में सृजित 145 हैक्टेयर की सिंचाई संभाव्यता के प्रति, केवल 43 हैक्टेयर (30 प्रतिशत) की सिंचाई संभाव्यता का ही उपयोग किया गया था (सितंबर, 2019) क्योंकि डिवीजन अनुमानित लागत में लक्षित खुल लंबाई को पूरा करने में असफल रहा।

यह भी देखा गया कि देओली खुल तथा पट्टनगढ खुल के संबंध में सृजित 44 हैक्टेयर की सिंचाई संभाव्यता का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था। पट्टनगढ खुल (उधमपुर जिला) के संयुक्त निरीक्षण के माध्यम से (अगस्त 2017) लेखापरीक्षा निष्कर्ष की पुष्टि की गई थी, जहाँ 1,500 मीटर की परिकल्पित खुल लंबाई के प्रति, केवल 510 मीटर (34 प्रतिशत) खुल लंबाई का ही निर्माण किया गया था जिसे स्रोत से नहीं जोड़ा जा सका।

¹³⁶ वाटर चैनल

¹³⁷ मथान खुल, मंग खुल, दमक खुल, पट्टनगढ खुल, नाला गारडियन खुल, सरूरी खुल, देओली खुल तथा खुबान स्ले खुल



सिंचाई डिवीजन उधमपुर के ईई ने (फरवरी 2018 में) कहा कि आबंटित निधियों का पूर्णरूपेण उपयोग किया गया था तथा योजनाओं पर श्रम/ सामग्री की लागत में वृद्धि और पट्टनगढ खुल के संबंध में भूमि विवाद के कारण, शेष कार्य नहीं किए जा सके। तथापि, खुलों के शेष भाग को पूर्ण करने हेतु सितंबर 2019 तक कोई अतिरिक्त निधियाँ मांगी/ आबंटित नहीं गई थीं। खुलों के पूर्ण न होने के परिणामस्वरूप, सृजित सिंचाई संभाव्यता के केवल 30 प्रतिशत का ही उपयोग किया जा सका तथा परिकल्पित परिणाम (सितंबर 2019 तक) प्राप्त नहीं किए जा सके।

3.12.8 अनुत्पादक तथा निष्क्रिय निवेश

3.12.8.1 रिसीविंग/ सब-स्टेशनों के सृजन पर अनुत्पादक निवेश

दो सिंचाई डिवीजन¹³⁸ में लेखापरीक्षा संवीक्षा (25 चयनित नमूना डिवीजनों में से) से पता चला कि दो लिफ्ट सिंचाई योजनाएं (एलआईएस) अंबारन-2 एवं बेरीपट्टन क्रमशः 2007-08 और 2011-12 के दौरान क्रियान्वयन हेतु ली गई थीं जिन्हें दो और चार वर्षों में पूरा किया जाना था, वे (मार्च 2018 तक) कहीं भी समापन के करीब नहीं थीं। इन योजनाओं के संबंध में कार्य के भिन्न-भिन्न मदों की प्रत्यक्ष स्थिति **परिशिष्ट-3.12.4** में इंगित की गई है। इन योजनाओं से संबंधित दो रिसीविंग/ सब-स्टेशनों के सृजन हेतु एमआईसीडी जम्मू ने विद्युत विकास विभाग के दो कार्यकारी डिवीजनों¹³⁹ को फरवरी 2012 तथा अक्टूबर 2013 के दौरान ₹5.88 करोड़ की अग्रिम राशि प्रदान की गई जिसके प्रति, मार्च 2018 तक ₹5.80 करोड़¹⁴⁰ के खर्च का व्यय किया गया था। बेरी पट्टन और अंबारन-II के संबंध में रिसीविंग/ सब-स्टेशन्स अगस्त 2015 तथा मई 2014 में पूर्ण किए गए थे;

¹³⁸ आईडीएण्डएफडी नौशेरा; आईडी अखनूर

¹³⁹ सब-ट्रांसमिशन डिवीजन कालाकोट: ₹4.90 करोड़; सब-ट्रांसमिशन डिवीजन-I जम्मू: ₹0.98 करोड़

¹⁴⁰ एलआईएस बेरी पट्टन: ₹4.82 करोड़; एलआईएस अंबारन-II ₹0.98 करोड़

तथापि, मार्च 2019 तक इन योजनाओं के संबंध में सिविल एवं यांत्रिक निर्माण कार्यों को पूर्ण नहीं किया गया था। इस प्रकार, सिविल एवं यांत्रिक निर्माण कार्यों के समापन को सुनिश्चित किए बिना विद्युत रिसीविंग/ सब-स्टेशनों के सृजन में 6 से 10 वर्षों के बीच की अवधि से अधिक लगे समय के परिणामस्वरूप ₹5.80 करोड़ का अनुत्पादक निवेश हुआ।

	
<p>दिनांक 29.07.2017 को बेरीपट्टन पर रिसीविंग स्टेशन</p>	<p>दिनांक 28.02.2018 को इलैक्ट्रिक सब स्टेशन अंबारन-II</p>

आईएण्डएफसी डिवीजन नौशेरा तथा आईडी अखनूर के ईई ने (अप्रैल 2018 और फरवरी 2018 में) कहा कि पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता के कारण परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी हुई थी। जवाब तर्क संगत नहीं है, क्योंकि निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन में समन्वय का अभाव था। विद्युत निर्माण कार्यों को सिविल व यांत्रिक निर्माण कार्यों से अलग क्रियान्वित किया गया था, जो लगातार अपूर्ण रहे। एलआईएस बेरीपट्टन के सभी निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन के लिए ₹51.08 करोड़ की अनुमानित लागत की तुलना में, केवल ₹17.71 करोड़ जारी किए गए एवं सितंबर 2019 तक खर्च किए गए थे। इसके अतिरिक्त, एलआईएस अंबारन-II के विद्युत यांत्रिकीय निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ₹5.85 करोड़ की अनुमानित लागत के प्रति, डीपीआर में मात्र ₹2.20 करोड़ ही प्रस्तावित किए गए थे और योजना, निधियों की अनुपलब्धता के कारण पूरी नहीं की जा सकी।

3.12.8.2 पम्पिंग मशीनरी तथा संबद्ध सामग्री की खरीद पर व्यर्थ निवेश

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रदर्शित किया कि 42¹⁴¹ लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के विद्युत यांत्रिकीय निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु, ₹11.05 करोड़ (अक्टूबर 2003 से

¹⁴¹ 8 नमूना चयनित डिवीजनों में (आईडी अखनूर, आईएण्डएफसीडी राजौरी, आईएण्डएफसीडी नौशेरा, आईडी कठुआ, आईएण्डएफसीडी सोपोर, आईएण्डएफसीडी बारामूला, आईएण्डएफसीडी हंदवाडा, हार्डड्रॉलिक डिवीजन उडी) क्रियान्वित 19 योजनाएं शामिल हैं।

मई 2017) के मूल्य को अधिप्राप्त की गई पम्पिंग मशीनरी और अन्य संबद्ध सामग्री के 1 से 14 वर्षों के बीच की औसत अवधि हेतु चार¹⁴² डिवीजनल स्टोरों में अनुपयोगित/ अप्रयुक्त (मार्च 2018) पड़ी रहने के परिणामरूप, ₹11.05 करोड़ का निवेश व्यर्थ हुआ। **परिशिष्ट-3.12.5** में दिए गए विवरणानुसार, 19 एलआईएस¹⁴³ से संबंधित खरीदी गई ₹6.70 करोड़ के मूल्य वाली सामग्री में व्यर्थ मशीनरी तथा उपकरण सम्मिलित थे जिनको 2009-10 से 2015-16 के दौरान पूर्ण किया जाना निर्धारित था, और जिनमें से केवल एक एलआईएस को 2016-17 के दौरान पूर्ण किया गया था तथा शेष 18 योजनाएं उनके समापन की देय तिथियों से दो से आठ वर्षों के बीत जाने के बावजूद भी अपूर्ण थीं।

	
<p>दिनांक 13.04.2018 को एमआईसीडी, जम्मू के डिवीजनल स्टोर में पड़ी हुई सामग्री जो जारी नहीं की गई</p>	<p>दिनांक 06.07.2018 को एमआईडी स्टोर, बारामूला में पड़ी हुई सामग्री जो जारी नहीं की गई</p>

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, ईई, एमआईसीडी, जम्मू ने (जनवरी 2018 में) कहा कि अधिप्राप्त सामग्री को सिविल निर्माण के पूर्ण न होने, कार्य क्षेत्र के डिजाइन में परिवर्तन, न्यायालयी प्रकरणों इत्यादि के कारण स्थापित नहीं किया जा सका, तथ्य यह है कि कार्य के पूर्ण न होने के कारण, मशीनरी की स्थापना समय पर नहीं की जा सकी, परिणामतः न केवल 40 योजनाओं के लिए अधिप्राप्त सामग्री के संबंध में उपलब्ध 18 महीनों की वारंटी अवधि समाप्त हो गई थी बल्कि भण्डारित स्टॉक की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर गुणहास का जोखिम भी था।

सिफारिश: सरकार/ विभाग बहुविध कार्यकारी अभिकरणों को अपेक्षित और सामग्री के खरीद को सम्मिलित करते हुए विभिन्न निर्माण कार्यों के तुल्यकालन हेतु एक तंत्र को तैयार करने पर विचार कर सकता है।

¹⁴² एमआईसीडी जम्मू, एमआईडी अनंतनाग, एमआईडी बारामूला तथा एमआईडी श्रीनगर

¹⁴³ शेष 23 एलआईएस के समापन की अनुसूची संबंधी विवरण, जिनके लिए ₹4.35 करोड़ की सामग्री क्रय की गई थी, संबंधित यांत्रिकीय डिवीजनों में उपलब्ध नहीं थी।

3.12.9 आंतरिक नियंत्रण और निगरानी की कमी के कारण भंडार की कमी

जम्मू व कश्मीर वित्तीय संहिता खण्ड-1 का नियम 8.13 अन्य बातों के साथ-साथ भण्डारों के संबंध में उपयुक्त लेखा तथा मालसूची का अनुरक्षण और सही विवरणियों की तैयारी करने के लिए उपबंधित करता है ताकि बुक बकायों सहित वास्तविक बकायों की जाँच के साथ-साथ हानियों को भी रोका जा सके। नियम 8.28 उपबंधित करता है कि कम से कम वर्ष में एक बार एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी द्वारा सभी भण्डारों का प्रत्यक्ष सत्यापन अवश्य ही किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने आठ जिलों के 25 नमूना चयनित डिवीजनों में प्रत्यक्ष सत्यापन प्रतिवेदनों का विश्लेषण किया। सिंचाई डिवीजन, अखनूर में यह देखा गया कि यद्यपि अधिकारियों को क्रमशः अप्रैल, 2013 तथा अप्रैल, 2014 में नामांकित किया गया था, फिर भी वर्ष 2012-13 हेतु प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया। वर्ष 2013-14 हेतु केवल बाहरी डिवीजनल स्टोर का आंशिक रूप से प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था जबकि भण्डारों के अंदर इसका संचालन नहीं किया गया। इस प्रकार, कमियाँ/आधिक्य यदि कोई था, तो अनदेखा रह गया तथा वहाँ भण्डारों के दुर्विनियोजन एवं चोरी का जोखिम भी था। अप्रैल, 2015 में नामांकित प्रत्यक्ष सत्यापन अधिकारी ने भण्डारों में कमियाँ पाईं एवं जनवरी, 2016 में ईई, सिंचाई डिवीजन-1, जम्मू की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय समिति द्वारा ₹1.51 करोड़ की कमियाँ पाईं गईं। इस प्रकार, सम्यक् तत्परता के साथ भण्डारों के प्रत्यक्ष सत्यापन का संचालन करवाने और उचित आंतरिक नियंत्रण करने में प्रभागीय प्राधिकारियों की असफलता ने कमियों के पता नहीं लगने का मार्ग प्रशस्त किया।

ईई, आईडी अखनूर ने (अक्टूबर 2018 में) कहा कि मामला राज्य सतर्कता संगठन, जम्मू व कश्मीर को (फरवरी 2016 में) सौंपा गया था। तथापि, अंतिम परिणाम, (दिसंबर 2018 तक) प्रतीक्षित है।

3.12.10 निगरानी

एआईबीपी योजना दिशा-निर्देशों (2013) के पैरा 5 में कार्यक्रम के तहत ली गई योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु कुछ प्रावधान निहित हैं जिनमें भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), मानचित्रों का उपयोग, प्रत्येक योजना हेतु विशिष्ट पहचान कोड (यूआईसी) का आबंटन, राज्य स्तर/ परियोजना स्तर पर निगरानी समितियों का गठन और निर्माण अभिकरणों के स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से निगरानी को सम्मिलित किया गया। तथापि, जीआईएस मैपिंग का उपयोग नहीं किया गया तथा निगरानी समितियों का भी गठन नहीं किया गया (मई/ जून 2018) था। इस प्रकार, योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी, निर्माण अभिकरणों के स्वतंत्र अभिकरणों द्वारा नहीं कि गई। इसके अलावा, एआईबीपी योजनाओं के निष्पादन

मूल्यांकन का कोई भी संचालन कार्यक्रम दिशानिर्देश-2013 के अनुसार नहीं किया गया और पश्च निर्माण अनुरक्षण हेतु वाटर यूजर्स एसोसिएशनस का भी गठन नहीं किया गया था। एफएमपी परियोजनाओं के समवर्ती मूल्यांकन का संचालन भी नहीं किया गया है।

3.12.11 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में नमूना जाँच की गई 274 चल रही योजनाओं में से, केवल 23 योजनाओं को पूरा किया जा सका जिनमें समय पर पूरी की गई तीन योजनाएं और 2 से 12 वर्षों के बीच की देरी के बाद 20 योजनाओं का पूरा किया जाना सम्मिलित है। शेष 251 अपूर्ण योजनाओं में, 209 योजनाएं जिनको मार्च 2018 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया था तथा 42 योजनाएं जो मार्च 2018 के बाद समापन हेतु बाकी थी, सम्मिलित है। 30 योजनाओं के समापन में पाँच वर्षों से अधिक की देरी हुई थी और 137 योजनाएं ऐसी थीं जिनमें देरी 2 से 5 वर्षों के बीच हुई। अधिकतम सिंचाई संभाव्यता के संदर्भ में सिंचाई संभाव्यता के सृजन में 42 प्रतिशत की कमी थी। सृजित सिंचाई संभाव्यता की उपयोगिता में 12 प्रतिशत की कमी थी। लेखापरीक्षा को ₹39.92 करोड़ निधियों के विचलन/ अवरोधन, व्यर्थ, निष्फल तथा अनुत्पादन व्यय के उदाहरण मिले।

मामला सरकार/ विभाग को अगस्त 2018 में भेजा गया; दिसंबर 2018, मई 2019 तथा सितंबर 2019 में अनुस्मारक जारी करने के बावजूद, उनका जवाब (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित है।

3.13 झज्जर कोटली में बांध का निर्माण न करने के कारण निधियों का अवरोधन

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के संरेखण में आने वाले प्रस्तावित स्थान झज्जर कोटली में झज्जर नाले के ऊपर बांध के निर्माण हेतु योजना का प्रकाशन और आपत्तियों/ स्पष्टीकरणों की मांग से पूर्व, जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन को अग्रिम निधियाँ प्रदान करने की अनुचित योजना के परिणामस्वरूप, छह से सात वर्षों से अधिक के लिए ₹1.80 करोड़ का अवरोधन हुआ।

जम्मू और कश्मीर सिंचाई अधिनियम, 1978 की धारा 13 एवं 14 में उपबंध किया गया है कि सिंचाई योजनाओं को तैयार करते समय, अनुमानित लागत, किसी जल मार्ग या विद्यमान जल मार्ग का पुनः संरेखण, मुहाने का स्थान, लाभ लेने वाले मालिकों/ अधिवासियों/ हितधारकों और अन्य व्यक्ति, जो प्रभावित हो सकते हैं, को योजना में निर्दिष्ट किया जाना है। इसके अलावा, प्रत्येक सिंचाई योजना को इसकी तैयारी के पश्चात् प्रकाशित किया जाना है जिससे 30 दिनों के अंदर आपत्तियों एवं

सुझावों को आमंत्रित किया जा सके। ऐसी आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार-विमर्श के बाद, योजना को या तो उसी रूप में अनुमोदित किया जाएगा जैसे कि यह मूल रूप से प्रकाशित हुई थी या उपयुक्त समझे गए आशोधित रूप में प्रकाशित किया जाएगा। कार्यपालक अभियंता सिंचाई डिवीजन-I, जम्मू के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अक्टूबर 2017) से पता चला कि झज्जर कोटली, जम्मू में बांध/ दिक्परिवर्ती बांध के निर्माण हेतु एक परियोजना मुख्य अभियंता, सिंचाई और बाढ नियंत्रण विभाग (आईएण्डएफसी), जम्मू द्वारा प्रबंध निदेशक, जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन (जेकेपीसीसी) को ₹7.62 करोड़ की अनुमानित लागत पर इसके कार्यान्वयन हेतु (मार्च 2011 में) सुपुर्द की गई थी। अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत आपत्तियों/ सुझावों को मांगने के लिए योजना को प्रकाशित किए बिना, जेकेपीसीसी को मार्च 2011 (₹ एक करोड़) तथा मार्च 2012 (₹80 लाख) में ₹1.80 करोड़ की अग्रिम राशि प्रदान की गई थी। तथापि, जेकेपीसीसी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा (मई 2012 में) उठाई गई आपत्तियों के कारण कार्य को आरंभ नहीं कर सका, क्योंकि प्रस्तावित स्थान झज्जर कोटली में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के संरेखण में आ गया। बांध के लिए एक नए स्थान की पहचान की गई और जेकेपीसीसी ने कुछ तकनीकी मानदंडों¹⁴⁴ में परिवर्तन के कारण ₹24.73 करोड़ की बढ़ी हुई परियोजना लागत के साथ संशोधित प्रस्ताव (जनवरी 2015 में) प्रस्तुत किया। तथापि, संशोधित प्रस्ताव संभव नहीं पाया गया तथा परियोजना स्थगित कर दी गई और जेकेपीसीसी से (मई 2015 में) ₹1.80 करोड़ के अव्ययित शेष के प्रतिदाय हेतु कहा गया। मई 2015 में परियोजना को स्थगित करने के बाद भी, इस परियोजना के लिए कार्यपालक अभियंता सिंचाई डिवीजन-I, जम्मू को ₹0.88 लाख की अतिरिक्त निधियाँ अक्टूबर 2015 (₹0.75 लाख) और जुलाई 2016 में (₹0.13 लाख) जारी की गई थीं, जिन्हें वापस किया जाना था। यद्यपि, जेकेपीसीसी को ₹1.80 करोड़ के अव्ययित शेष के प्रतिदाय के लिए पुनः (फरवरी 2017 में) स्मरण कराया गया था, फिर भी इसने बिना किसी कारण के उक्त राशि को (दिसंबर 2018 तक) प्रतिधारित करना जारी रखा। अतः सिंचाई और बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के संरेखण में आने वाले प्रस्तावित स्थान पर बांध के निर्माण हेतु योजना का प्रकाशन और आपत्तियों/ स्पष्टीकरणों की मांग से पूर्व जेकेपीसीसी को अग्रिम निधियाँ प्रदान करने की अनुचित योजना के परिणामस्वरूप छह से सात वर्षों से अधिक के लिए ₹1.80 करोड़ का अवरोधन हुआ।

¹⁴⁴ बांध की चौड़ाई 26 मीटर से 42 मीटर तथा दरवाजों की संख्या तीन से चार तक बढ़ गई।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, कार्यपालक अभियंता सिंचाई डिवीजन-I जम्मू ने (अक्टूबर 2017 तथा जुलाई/ अक्टूबर 2018 में) कहा कि कोई कारण दर्ज नहीं थे कि योजना को प्रकाशित क्यों नहीं किया गया जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है।

मामला सरकार/विभाग को मई 2018 में भेजा गया था। जवाब में, मुख्य अभियंता, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग, जम्मू ने (सितंबर 2018 में) कहा कि प्रशासन विभाग से राशि के प्रतिदाय हेतु मामला जेकेपीसीसी के साथ उठाने के लिए अनुरोध किया गया था। तथापि, तथ्य यह है कि इस संबंध में कोई आगे प्रगति नहीं की जा सकी तथा राशि जेकेपीसीसी के पास रही। सरकार का उत्तर (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित है।

विधि, न्याय तथा संसदीय मामले विभाग

3.14 एडीआर केन्द्र उधमपुर के लिए नियत निधियों का अवरोधन और विपथन

वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) केंद्र भवन के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना कार्यान्वयन डिवीजन को अग्रिम निधियां प्रदान करने की विभाग की अविवेकपूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरूप जमा शीर्षों में ₹0.89 करोड़ का अवरोधन तथा ₹0.44 करोड़ की सामग्री का विपथन हुआ।

वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) न्यायालय से बाहर दो या दो से अधिक पार्टियों के मध्य विवादों के समाधान का मार्ग है तथा इसमें शीघ्र तटस्थ मूल्यांकन, वार्ता, विवेचन और मध्यस्थता सम्मिलित हैं। राज्य में 22 प्रशासनिक जिलों में से, आठ जिलों¹⁴⁵ में एडीआर केंद्र प्रकार्यात्मक हैं जबकि शेष 14¹⁴⁶ जिलों में, ये केंद्र मार्च 2019 को प्रकार्यात्मक नहीं थे। कार्यपालक अभियंता (ईई) लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सड़क एवं भवन (आरएण्डबी) डिवीजन, उधमपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चला कि उच्च न्यायालय जम्मू और कश्मीर, पंजीयक नियमावली (समन्वयक) के प्राधिकार पर, जिला न्यायालय कॉम्प्लैक्स उधमपुर में विवेचन केंद्र/ वैकल्पिक विवाद समाधान भवन के ₹0.96 करोड़ अनुमानित लागत पर निर्माण हेतु एक तकनीकी प्रतिवेदन (फरवरी 2011 में) तैयार किया गया था जिसे तत्पश्चात् ₹1.33 करोड़ हेतु (अक्टूबर 2011 में) संशोधित किया गया। परियोजना को

¹⁴⁵ अनंतनाग, बारामूला, शोपियां, श्रीनगर, पुलवामा, लेह, जम्मू, कठुआ

¹⁴⁶ एडीआर केन्द्र भवन चार जिलों में पूरा हो गया था परंतु उद्घाटन नहीं हुआ (बांदीपोरा, कुपवाड़ा, बडगाम, पुंछ); दो जिलों में एडीआर केन्द्र निर्माणाधीन था (कुलगाम, सांबा); एडीआर केन्द्र की निविदाओं को एक जिले (डोडा में भद्रवाह) में अंतिम रूप दिया गया था; छः जिलों (गांदरबल, राजौरी, रामबन, रियासी, किश्तवाड़, कारगिल) में एडीआर के लिए भूमि निर्धारित नहीं थी; एक जिले (उधमपुर) में निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं थी।

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत वित्त पोषित किया गया था तथा निधियों के प्रथम मोचन के पश्चात् इसे दो वर्षों में पूरा किया जाना था। तथापि परियोजना हेतु प्रशासनिक अनुमोदन (जनवरी 2019 तक) प्रतीक्षित था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि ईई, पीडब्ल्यूडी (आरएण्डबी) डिवीजन, उधमपुर ने ₹0.92 करोड़ की लागत पर एक संविदाकार¹⁴⁷ को (सितंबर 2012 में) कार्य आबंटित किया, जिसे जुलाई 2013 के अंत तक पूर्ण किया जाना था। तथापि संविदाकार कार्य को आरंभ नहीं कर सका क्योंकि भूमि का एक भाग वकीलों के लिए सेंटर हाउसड शेड्स हेतु निर्धारित था। विभाग ने निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि की उपलब्धता मान ली थी (अक्टूबर 2011), यद्यपि वकील शेड्स को रिक्त करने के इच्छुक नहीं थे (जनवरी 2018)। चूंकि कार्य आरंभ नहीं किया जा सका, वर्ष 2012-13 के दौरान कार्य हेतु प्राप्त ₹0.44 करोड़ की राशि को सामग्री¹⁴⁸ की अधिप्राप्ति पर व्यय किया गया तथा अन्य कार्यों¹⁴⁹ हेतु विपथित किया गया। वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान डिवीजन को ₹0.89 करोड़¹⁵⁰ की राशि जारी की गई जो उपयोग नहीं की जा सकी तथा उसे सिविल जमा में हस्तांतरित करना पड़ा। विभाग की कार्रवाई जम्मू और कश्मीर वित्तीय संहिता के नियम 2-33 का उल्लंघन है, जो इस प्रकार के धन को सिविल जमा में रखने तथा बजट अनुदान के व्ययगत से बचने की दृष्टि से निधियों के आहरण की प्रथा को अनुमति नहीं देता है। अतः कार्यान्वयन डिवीजन को केंद्र के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना अग्रिम निधियां प्रदान करने की विभाग की अविवेकपूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरूप ₹0.44 करोड़ की सामग्री का विपथन तथा पांच वर्षों से अधिक की अवधि हेतु जमा शीर्षों में ₹0.89 करोड़ का अवरोधन हुआ।

इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2016), ईई, पीडब्ल्यूडी (आरएण्डबी) डिवीजन, उधमपुर ने (अक्टूबर 2016 में) कहा कि कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका क्योंकि विभाग द्वारा केंद्र के निर्माण के लिए स्थल उपलब्ध नहीं करवाया गया। प्रधान व जिला सत्र न्यायाधीश, उधमपुर ने एडीआर केंद्र की प्रास्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए स्थल की अनुपलब्धता की पुष्टि की (जनवरी 2018)। तथापि, अवर सचिव, जम्मू और कश्मीर, राज्य विधिक सेवायें प्राधिकरण ने (अप्रैल 2019 में) कहा कि एडीआर केंद्र के निर्माण हेतु भूमि रिक्त कर दी गई है तथा ड्राइंग जेएण्डके के उच्च न्यायालय की माननीय विवेचन एवं सुलह समिति को अनुमोदन प्रदान करने के लिए अग्रेषित किया गया। तथापि, तथ्य यह रहा कि प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण की तिथि से आठ वर्षों से अधिक

¹⁴⁷ मैसर्स ओपन सर्वे वर्ल्ड प्रोवाइडर-

¹⁴⁸ सीमेंट: 8,534 बैग और टार स्टील: 10.213 मीट्रिक टन

¹⁴⁹ स्वास्थ्य और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजनाओं सहित विभिन्न योजनाएं

¹⁵⁰ 2014-15: ₹0.45 करोड़; 2015-16: ₹0.44 करोड़

का समय बीत जाने के बावजूद भी एडीआर केंद्र भवन का निर्माण नहीं हो सका और लोग समय पर और लागत प्रभावी तरीके से विवाद समाधान के लाभों को नहीं उठा सके। ₹0.44 करोड़ की अधिप्राप्त सामग्री का विपथन कर दिया गया था और ₹0.89 करोड़ जमा शीर्ष में अवरूद्ध रहे।

मामला जून, 2018 में सरकार/ विभाग को भेजा गया; दिसंबर 2018, मई 2019 और सितम्बर 2019 में जारी किए गए अनुस्मारकों के बावजूद भी, उनका उत्तर (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

बिजली विकास विभाग

3.15 पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली न होना

कार्यपालक अभियंता, सब ट्रांसमिशन डिवीजन, डोडा का डीपीआर में सही तरीके से पर्यवेक्षण प्रभारों की राशि का प्रक्षेपण करने तथा वर्तमान नियमावली के अनुसार वसूली करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹49.51 लाख के पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली नहीं हुई। लेखापरीक्षा द्वारा निर्दिष्ट किए जाने पर ₹17.47 लाख की वसूली की गई थी तथा शेष ₹32.04 लाख अभी तक वसूल किए जाने हैं।

जम्मू और कश्मीर लोक निर्माण लेखा संहिता (जेकेपीडब्ल्यूएसी) के परिशिष्ट-3 के नियम 4 और 5 में अनुबंधित है कि किसी भी एजेंसी की ओर से निष्पादित निर्माण कार्य हेतु प्रभारों, जिनको राज्य की समेकित निधि से वित्त पोषित नहीं किया है, वे उनमें विहित दरों¹⁵¹ पर पर्यवेक्षण प्रभारों को प्रभारित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अतिरिक्त, जेकेपीडब्ल्यूएसी के पैरा 406 में अनुबंधित है कि दायी प्रतिशतताओं को प्रत्येक महीने समायोजित किया जाना चाहिए जैसे ही निर्माण कार्य व्यय किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता (ईई), सब ट्रांसमिशन डिवीजन, डोडा के अभिलेखों की (मार्च 2017 में और फरवरी 2018 में) संवीक्षा से पता चला कि डिवीजन ने मार्च 2012 से मार्च 2015 के दौरान ₹5.38 करोड़ के निर्गमन के प्रति दो निजी फर्मों की ओर से पांच निर्माण कार्य किए थे, जैसा कि **परिशिष्ट-3.15.1** में निर्दिष्ट किया गया है। डिवीजन ने इन कार्यों के निष्पादन पर उक्त अवधि के दौरान ₹5.21 करोड़ का व्यय किया परंतु अगस्त 2018 तक ₹49.51 लाख के पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली नहीं की गई।

लेखापरीक्षा में निर्दिष्ट किए जाने पर, ईई ने (मार्च 2017/ फरवरी 2018 में) कहा कि फर्मों से पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली संबंधी मामला उच्च प्राधिकारियों के साथ

¹⁵¹ ₹पांच लाख और ऊपर की लागत वाले निर्माण-कार्यों के लिए 9.5 प्रतिशत की दर पर

(सितंबर 2017 में) उठाया गया। तथापि, तथ्य यह रहता है कि वर्तमान नियमावली के अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप ₹49.51 लाख के पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली नहीं हुई और पांच निर्माण कार्यों में से चार पहले ही पूर्ण किए जा चुके हैं।

मामला जुलाई 2018 में सरकार/ विभाग को भेजा गया और प्रत्युत्तर में निदेशक, वित्त बिजली विकास विभाग ने (सितंबर 2018 में) सूचित किया कि पर्यवेक्षण प्रभार त्रुटिवश निर्माण कार्यों के डीपीआर में दर्शाए नहीं गए थे तथा अब फर्मों की उपलब्ध जमाओं से ₹17.47 लाख की राशि की वसूली कर ली गई थी। इसके अलावा, निर्माण कार्यों के पूर्व डीपीआर पर्यवेक्षण प्रभारों को निगमित करते हुए परिशोधित कर लिए गए हैं तथा शेष राशि की वसूली हेतु संशोधित डीपीआर के अनुसार वित्त पोषक एजेंसी, जम्मू और कश्मीर बिजली विकास विभाग (जेकेपीडीसी) से शेष राशि जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है। तथापि, तथ्य यह है कि कार्यपालक अभियंता, सब ट्रांसमिशन डिवीजन, डोडा की डीपीआर में सही तरीके से पर्यवेक्षण प्रभारों की राशि का प्रक्षेपण करने तथा वर्तमान नियमावली के अनुसार वसूली करने की असफलता के परिणामस्वरूप पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली नहीं की जा सकी और अब तक ₹32.04 लाख की राशि वसूल नहीं की जा सकी।

जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

3.16 भू-जल विनियमन तथा प्रबंधन

राज्य में भू-जल प्रबंधन, भू-जल के निष्कर्षण और दोहन में शामिल औद्योगिक/ अवसंरचना परियोजनाओं को पंजीकरण प्रमाण-पत्र (आरसी) जारी करने तक सीमित था। राज्य को अभी तक (मार्च 2018) हानि को न्यूनतम करते हुए तथा प्रतिधारण को अधिकतम करते हुए भू-जल को रिचार्ज करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपायों के कार्यान्वयन हेतु एक कार्य योजना का प्रतिपादन करना था, जैसा कि "राज्य जल नीति" में अवधारित था। औद्योगिक/ अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 46 आरसी की अनियमित स्वीकृति तथा 92 बोर/ट्यूबवैलों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के किसी आरसी के बिना 78 उपयोगकर्ताओं द्वारा भू-जल के अप्राधिकृत निष्कर्षण के कारण ₹128.80 लाख के शुल्क की वसूली नहीं हुई। 32 उपयोगकर्ताओं के जल उपयोग प्रभारों का निर्धारण न करने के परिणामस्वरूप ₹12.92 करोड़ की न्यूनतम मांग सृजित नहीं हुई। यद्यपि, 11 उपयोगकर्ताओं के संबंध में ₹47.08 लाख के जल उपयोग प्रभारों का निर्धारण किया गया था, परंतु उक्त की उगाही (मार्च 2018 तक) नहीं की गई थी।

3.16.1 प्रस्तावना

जम्मू और कश्मीर राज्य के पास 3,32,559.23 मिलियन हैक्टेयर्स मीटर प्रति वर्ष के उपलब्ध भू-जल संसाधन हैं, जिनमें से अभी तक केवल 22 प्रतिशत ही विकसित हुए हैं। भू-जल के कम निष्कर्षण के कारण, राज्य सुरक्षित जोन में है तथा कोई भी जिला संकटपूर्ण/ अतिदोहित श्रेणी में नहीं है। विवेकपूर्ण, निष्पक्ष और संधारणीय प्रबंधन, जल संसाधनों की उपयोगिता एवं आबंटन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने जम्मू और कश्मीर जल संसाधन विनियमन एवं प्रबंधन (जेकेडब्ल्यूआरआरएम) अधिनियम, 2010 बनाया जो 25 अक्टूबर 2010 से लागू हुआ। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 139 के अनुसार, अधिनियम के अंतर्गत समुनिदेशित कार्यों के संपादन हेतु राज्य सरकार ने राज्य जल संसाधन विनियामक प्राधिकरण (एसडब्ल्यूआरआरए) की स्थापना (15 अक्टूबर 2012 में) की।

भू-जल के प्रबंधन के निरीक्षण हेतु न तो राज्य में पृथक विभाग है, और न ही विभाग में कोई पृथक प्रकोष्ठ है, जिसकी अनुपस्थिति में, उक्त कार्य लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) विभाग द्वारा किया जा रहा है। पीएचई विभाग का संगठनात्मक संचित्र **परिशिष्ट- 3.16.1** में दर्शाया गया है। राज्य में भू-जल प्रबंधन, दोहन और निष्कर्षण में शामिल औद्योगिक/ अवसंरचना परियोजनाओं हेतु पंजीकरण प्रमाण-पत्र (आरसी) जारी करने तक सीमित है और इन कार्यों को पीएचई विभाग के मुख्य अभियंताओं (सीई) अधीक्षक अभियंताओं (एसई), कार्यपालक अभियंताओं (ईई) और सहायक कार्यपालक अभियंताओं (एईई) द्वारा उनके संबंधित अधिकारिक क्षेत्रों में किया जाता है।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए राज्य में भू-जल प्रबंधन एवं विनियमन की लेखापरीक्षा वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान विभाग से एनओसी प्राप्त करने वाली कुल 47 औद्योगिक/ अवसंरचना परियोजनाओं के प्रादेशिक अधिकारिता वाली दो¹⁵² (आठ में से¹⁵³) पीएचई डिवीजनों के अभिलेखों तथा निदेशक उद्योग जम्मू और कश्मीर, उप आयुक्त डिस्टीलरीज (उत्पाद शुल्क विभाग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दो मुख्य अभियंताओं (सीई) पीएचई जम्मू और कश्मीर से प्राप्त सूचना की नमूना जांच, अप्रैल से सितंबर 2018 की अवधि के दौरान की गई

¹⁵² औद्योगिक इकाइयों के अधिकतम केंद्रीकरण वाले डिवीजन (i) कार्यपालक अभियंता पीएचई, साम्बा (ii) कार्यपालक अभियंता भू-जल ट्रिलिंग डिवीजन, जम्मू

¹⁵³ कार्यपालक अभियंता: (i) पीएचई सिटी-I डिवीजन जम्मू, (ii) पीएचई सिटी-II डिवीजन जम्मू, (iii) पीएचई डिवीजन सांबा, (iv) पीएचई डिवीजन उधमपुर, (v) पीएचई ग्रामीण डिवीजन जम्मू, (vi) भू-जल ट्रिलिंग डिवीजन जम्मू, (vii) भू-जल ट्रिलिंग डिवीजन कश्मीर और (viii) पीएचई डिवीजन बिजबेहरा, जिसकी 47 औद्योगिक/ अवसंरचना परियोजनाएं, जिन्होंने भू-जल के निष्कर्षण हेतु विभाग से एनओसी प्राप्त किया था, पर प्रादेशिक अधिकारिता है।

थी। लेखापरीक्षा में आरसी/ एनओसी में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक नमूनाचयन आधार पर चुने गए, 25 आरसी (जारी किए गए 47 आरसी में से¹⁵⁴) को धारण करने वाली 16¹⁵⁵ औद्योगिक/ अवसंरचना परियोजनाओं के कार्य स्थल के दौरे भी किए गए थे। चूंकि घरेलू उद्देश्य हेतु कोई आरसी/ एनओसी जारी नहीं किया गया था, अतः लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र भू-जल के वाणिज्यिक निष्कर्षण तक सीमित था।

3.16.2 योजना

जेकेडब्ल्यूआरआरएम अधिनियम, 2010 की धारा 122 के अनुसार, एसडब्ल्यूआरआरएम को वर्षा जल एकत्रीकरण के माध्यम से भू-जल की पुनःपूर्ति हेतु उपायों के बारे में सरकार को सलाह देनी थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने (25 अक्टूबर 2017 में) 'राज्य जल नीति और योजना' को अंगीकार किया जिसमें हानि को न्यूनतम करते हुए एवं प्रतिधारण को अधिकतम करने के द्वारा भू-जल रिचार्जिंग हेतु उपायों की पहचान अवधारित थी। उद्देश्य की प्राप्ति हेतु चिन्हित उपाय थे: गहन मृदा संरक्षण कार्यक्रम को सम्मिलित करते हुए इंटिग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, आवाह क्षेत्र उपचार, आर्द्र भूमियों और वन का संरक्षण, वन आच्छादन को बढ़ाना, चैक डैमों का निर्माण एवं अन्य भू-जल रिचार्ज उपाय। नीति में यह भी परिकल्पना की गई कि भू-जल के कृत्रिम रिचार्ज जैसे गैर-पारंपरिक उपायों और वर्षा जल संरक्षण जैसी पारंपरिक जल संरक्षण प्रथाओं सहित छत के जल संरक्षण को बढ़ाने को सक्रियता से बढ़ाया जाएगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि राज्य ने अभी तक (दिसंबर 2018) 'राज्य जल नीति' में अवधारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पहचाने गए उपायों के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना का प्रतिपादन नहीं किया था। 'राज्य जल नीति एवं योजना में निर्धारित उपायों का कार्यान्वयन न करने के परिणामस्वरूप भू-जल स्तरों में कमी के रूप में हो सकता है तथा राज्य के भू-जल संचय सुरक्षित¹⁵⁶ से अर्द्ध-संकटपूर्ण¹⁵⁷/ संकटपूर्ण¹⁵⁸

¹⁵⁴ औद्योगिक परियोजनाएं: 18 आरसीज रखने वाली 9; अवसंरचना परियोजनाएं: 7 आरसीज रखने वाली 7

¹⁵⁵ मार्च 2018 तक विभाग द्वारा जारी की गई आरसी

¹⁵⁶ जब भू-जल विकास का स्तर ≤ 90 प्रतिशत हो तथा पूर्व-मॉनसून व उत्तर-मॉनसून के दौरान कोई महत्वपूर्ण दीर्घकालीन जल स्तर अवनति होने की प्रवृत्ति नहीं है।

¹⁵⁷ जब भू-जल विकास का स्तर > 70 प्रतिशत और ≤ 100 प्रतिशत हो तथा पूर्व-मॉनसून व उत्तर मॉनसून के दौरान महत्वपूर्ण दीर्घकालीन जल स्तर अवनति होने की प्रवृत्ति है।

¹⁵⁸ जब भू-जल विकास स्तर > 90 प्रतिशत और ≤ 100 प्रतिशत हो तथा पूर्व-मॉनसून व उत्तर-मॉनसून के दौरान महत्वपूर्ण दीर्घकालीन जल स्तर अवनति होने की प्रवृत्ति होती है।

अतिदोहित¹⁵⁹ श्रेणी तक गिर सकते हैं तथा ऐसी स्थिति में वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु भू-जल के उपयोग पर प्रतिबंधों का राज्य में उद्योग/ अवसंरचना क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव होगा। लेखापरीक्षा ने वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए औद्योगिक इकाइयों द्वारा बिना किसी पुनः पूर्ति के भू-जल के अप्राधिकृत और बेहिसाब निष्कर्षण को पाया, जैसा कि इस प्रतिवेदन के उप-पैरा 3.16.5 में रेखांकित किया गया।

3.16.3 उत्तर-मॉनसून/ उत्तर-शीतकाल भू-जल स्तरों में उतार-चढ़ाव

हाइड्रोकेमिस्ट्री के साथ-साथ भू-जल स्तरों (जीडब्ल्यूएल) के व्यवहार का अध्ययन केंद्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के उद्देश्यों¹⁶⁰ में से एक है। इस प्रयोजन के लिए, जम्मू और कश्मीर में सीजीडब्ल्यूबी राज्य में विभिन्न स्थानों पर अवस्थित पूर्व निर्धारित अनुवीक्षण कुओं से एक वर्ष में चार बार भू-जल स्तरों के आंकड़ों को एकत्रित करता है। सीजीडब्ल्यूबी रासायनिक विश्लेषण के प्रयोजन हेतु वर्ष में एक बार (पूर्व-मॉनसून) भू-जल नमूनों को भी एकत्रित करता है। सीजीडब्ल्यूबी 'भू-जल वार्षिक पुस्तक' के रूप में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें हित धारकों के मध्य प्रसार हेतु रासायनिक विश्लेषण पर रिपोर्ट और भू-जल स्तरों के संबंध में संकलित आंकड़ें सम्मिलित होते हैं। सीजीडब्ल्यूबी के रासायनिक विश्लेषण पर आधारित भू-जल की गुणवत्ता इस प्रतिवेदन के उप-पैरा 3.16.11 में दर्शाई गई है।

जम्मू डिवीजन में, भू-जल स्तर में उत्तर-मॉनसून वृद्धि की और जबकि कश्मीर डिवीजन में, भू-जल स्तर में उत्तर-शीतकाल वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। दो डिवीजनों (जम्मू/ कश्मीर) के कुओं में उत्तर मॉनसून और उत्तर शीतकाल में भू-जल स्तरों के उतार-चढ़ाव तथा वर्ष 2013 से 2016¹⁶¹ की अवधि के दौरान राज्य में मौसमी एवं वार्षिक वर्षा **परिशिष्ट-3.16.2** में दिए गए विवरणानुसार संक्षिप्त रूप में इंगित की गई है:

¹⁵⁹ जब भू-जल विकास स्तर >100 प्रतिशत होता है तथा पूर्व-मॉनसून या उत्तर मॉनसून के दौरान या दोनों पूर्व-मॉनसून और उत्तर मॉनसून के दौरान महत्वपूर्ण दीर्घकालीन जल स्तर अवनति होने की प्रवृत्ति होती है।

¹⁶⁰ स्रोत: केंद्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा जारी जम्मू और कश्मीर की वार्षिक पुस्तक (2013-14)

¹⁶¹ सीजीडब्ल्यूबी द्वारा वर्ष 2017 और 2018 हेतु आंकड़ें सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

तालिका-3.16.1: उत्तर मॉनसून व उत्तर-शीतकाल में कुओं के भू-जल स्तरों (जीडब्ल्यूएल) में उतार-चढ़ाव

डिवीजन	2013			2014			2015			2016		
	निम्नलिखित दर्शाते कुओं की संख्या											
	जीडब्ल्यूएल में वृद्धि	जीडब्ल्यूएल में कमी	कुल	जीडब्ल्यूएल में वृद्धि	जीडब्ल्यूएल में कमी	कुल	जीडब्ल्यूएल में वृद्धि	जीडब्ल्यूएल में कमी	कुल	जीडब्ल्यूएल में वृद्धि	जीडब्ल्यूएल में कमी	कुल
जम्मू (उत्तर-मानसून)	187	10	197	171	32	203	131	79	210	189	34	223
कश्मीर (उत्तर-शीतकाल)	23	04	27	28	0	28	18	04	22	11	10	21

(वर्ष के दौरान अनुवीक्षित कुल इंगित कुओं की संख्या)

जम्मू डिवीजन में जल स्तरों के मौसमी उतार-चढ़ाव पर आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2013, 2014 और 2015 हेतु मॉनसून के दौरान सामान्य वर्षा में 22 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, और 15 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद भी इन वर्षों में भू-जल स्तरों में 5 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 38 प्रतिशत की उत्तर-मॉनसून गिरावट थी। इसी प्रकार कश्मीर डिवीजन में, वर्ष 2013 और 2015 हेतु शीतकाल के दौरान सामान्य वर्षा में 21 प्रतिशत और एक प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद इन वर्षों को भू-जल स्तरों में 15 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की उत्तर-शीतकाल गिरावट थी। भू-जल स्तरों में गिरावट ने इंगित किया कि वर्षा जल एकत्रीकरण की पद्धतियों को अंगीकार नहीं किया गया है और वर्षा जल को बह जाने दिया।

वर्ष 2016 में, मॉनसून और शीत ऋतुओं के दौरान सामान्य वर्षा में 10 प्रतिशत एवं 63 प्रतिशत की कमी हुई थी जिसका संभवतया भू-जल स्तरों पर प्रभाव पड़ा था क्योंकि जम्मू और कश्मीर डिवीजनों के कुओं में भू-जल स्तरों में क्रमशः 15 प्रतिशत और 48 प्रतिशत की गिरावट थी।

इस संबंध में, सुधारात्मक उपायों की शुरुआत करना और उत्तर-मॉनसून भू-जल स्तरों में गिरावट के कारणों को अभिनिश्चित करने के लिए इन रिपोर्टों का संज्ञान लेने हेतु भू-जल के प्रबंधन का निरीक्षण करना राज्य सरकार के संबंधित विभाग/ प्राधिकरण का उत्तरदायित्व था। तथापि, इस संबंध में (दिसम्बर 2018 तक) कोई कार्रवाई नहीं की गई।

3.16.4 पंजीकरण प्रमाण-पत्रों (आरसी) की अनियमित स्वीकृति

जेकेडब्ल्यूआरआरएम अधिनियम 2010 की धारा 96, अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पित किया गया है कि कोई व्यक्ति तब तक भू-जल का समन्वेषण या दोहन नहीं करेगा, जब तक उसे अधिनियम की धारा 97 के तहत जारी लाइसेंस द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त, जेकेडब्ल्यूआरआरएम

नियमावली, 2011 का नियम 47 परिकल्पित करता है कि लाइसेंस देने हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ एक विद्युत उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु रूपांच लाख और जल के उपयोग की आवश्यकता वाली अन्य इकाइयों हेतु रूएक लाख का शुल्क देना होगा। अधिनियम की धारा 98 के अनुसार लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी, धारा 97 के अंतर्गत लाइसेंस जारी करते समय, समन्वेषण तथा दोहन हेतु लाइसेंसधारकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भू-जल की मात्रा को विनिर्दिष्ट करेगा।

मुख्य अभियंता, पीएचई जम्मू के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 46 औद्योगिक इकाइयों/ अवसंरचना परियोजनाओं को जनवरी, 2014 से मार्च, 2018 तक वाणिज्यिक श्रेणी के अंतर्गत भू-जल के निष्कर्षण हेतु बोरवैल के संबंध में आरसी प्रदान की गई थी। इन सभी उपयोगकर्ताओं को जेकेडब्ल्यूआरआरएम अधिनियम 2010 की धारा 96, जो कि वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु भू-जल निष्कर्षित करने के लिए आरसी जारी हेतु सुसंगत धारा थी, के बजाय जेकेडब्ल्यूआरआरएम अधिनियम, 2010 की धारा 114 के साथ पठित जेकेडब्ल्यूआरआरएम नियमावली, 2011 के नियम 60 जो अधिसूचित क्षेत्रों¹⁶² में विद्यमान उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण से संबंधित है, के अधीन आरसी दिए गए थे। चूंकि, राज्य के क्षेत्रों में से किसी को भी जेकेडब्ल्यूआरआरएम अधिनियम, 2010 की धारा 111 के अधीन अधिसूचित घोषित नहीं किया गया था, अतः इन 46 औद्योगिक इकाइयों और अवसंरचना परियोजनाओं को अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत दिए गए आरसी अनियमित थे।

इसके अतिरिक्त, जेकेडब्ल्यूआरआरएम नियमावली, 2011 के नियम 47 के अंतर्गत अवधारित आरसी देने हेतु रूएक लाख के आवेदन शुल्क के प्रति, 46 आवेदकों, जिन्होंने वाणिज्यिक उपयोग के लिए भू-जल के निष्कर्षण हेतु आरसी के लिए आवेदन किया था, नियम 58 के साथ पठित अधिनियम की धारा 114 के अंतर्गत केवल रू0.20 लाख का शुल्क प्राप्त किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप रू36.80 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई। लेखापरीक्षा में यह भी अवलोकित किया गया था कि दो¹⁶³ इकाइयों को लाइसेंस जारी करते हुए (जनवरी/ अप्रैल 2014), जम्मू डिवीजन में लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 98 के अनुसार निष्कर्षण हेतु भू-जल की मात्रा विनिर्दिष्ट नहीं की थी।

इंगित किए जाने पर, मुख्य अभियंता पीएचई जम्मू ने (मई 2018 में) कहा कि अधिनियम गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में विद्यमान बोरवैलों के पंजीकरण पर मौन है तथा इस प्रकार, धारा 114 लागू की गई थी। विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब

¹⁶² वह क्षेत्र जिसे सरकार द्वारा किसी भी रूप में भू-जल के निष्कर्षण या उपयोग को नियंत्रित करने या विनियमित करने के लिए अधिसूचित किया जाता है।

¹⁶³ (i) एसीआर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, कमर्शियल साइट संख्या 10-11, सेक्टर संख्या-2 छन्नी हिम्मत कॉलोनी, जम्मू (ii) आत्मन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्रेटर कैलाश मार्बल मार्केट जम्मू के सामने

मान्य नहीं है क्योंकि इन औद्योगिक/ अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित बोरवैलों के पंजीकरण हेतु अधिनियम की सुसंगत धाराओं का उपयोग न करना अनियमित था तथा इसके कारण ₹36.80 लाख शुल्क की कम वसूली हुई।

3.16.4.1 आरसी की स्वीकृति में विलंब

चार¹⁶⁴ औद्योगिक इकाइयों ने जनवरी से मार्च 2013 के दौरान उनके यहाँ विद्यमान बोरवैलों से संबंधित भू-जल के निष्कर्षण एवं दोहन हेतु आरसी के लिए आवेदन किया था तथा प्रत्येक मामले में लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा जेकेडब्ल्यूआरआरएम नियमावली 2011 के नियम 47 के अंतर्गत उपबंधित ₹एक लाख के बजाय ₹0.20 लाख के आवेदन शुल्क की मांग के अनुसार शुल्क जमा करवाया गया। तथापि, पांच वर्षों से अधिक के बीत जाने के बावजूद भी आरसी नहीं दी गई थी और इन इकाइयों ने अप्राधिकृत रूप से भू-जल निष्कर्षण को जारी रखा होगा जिसके परिणामस्वरूप उपयोग प्रभारों की वसूली नहीं हुई। लेखापरीक्षा में (मई 2018 में) इंगित किए जाने पर सीई, पीएचई जम्मू ने (अगस्त 2018/ अक्टूबर 2019 में) कहा कि पंजीकरण हेतु वांछित दस्तावेज अपूर्ण थे तथा इस संबंध में औपचारिकताओं को पूरी करने के लिए संबंधित एसई/ ईई को अनुदेश दिए गए (मई/ जून 2018) हैं, परंतु उसका निपटान (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित था। यह भी कहा गया था कि गैर-पंजीकृत बोरवैलों से संबंधित उपयोग प्रभारों को उनके संस्थापन की तिथि से फ्लैट रेट्स के अनुसार वसूल किया जाएगा। तथापि, तथ्य यह है कि आवेदकों को पांच वर्षों से अधिक समय से कमियों के बारे में सूचित नहीं किया गया था (दिसम्बर 2018) तथा विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा निर्दिष्ट किए जाने के उपरांत कार्रवाई आरंभ की।

3.16.5 औद्योगिक इकाइयों द्वारा भू-जल का अवैध निष्कर्षण/ दोहन

जेएण्डके जल संसाधन (विनियमन एवं प्रबंधन) अधिनियम, 2010 की धारा 110 के अनुसार, लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकारी या इनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पास किसी भी अप्राधिकृत संयंत्र, उपकरण, मशीनरी या कार्य को हटाने सहित जल के विपथन या बरबादी, अत्यधिक, अवैध या अनुचित उपयोग को रोकने के लिए सभी उपायों को करने और सभी प्रकार की आवश्यक कार्रवाईयां करने की शक्तियाँ होगी। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की किसी भी छानबीन या जब्ती हेतु दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान भी लागू होंगे।

¹⁶⁴ (i) होटल एशिया जम्मू के सामने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (13 मार्च 2013); (ii) बनयान इंटरनेशनल स्कूल बबलियाना जम्मू (18 फरवरी 2013), (iii) पहलवान दी हटी, वर्कशॉप, 155/1 संजय नगर जम्मू (29 जनवरी 2013); (iv) संतीश जैन पुत्र श्री चमन शाह जैन, मकान संख्या 579 जम्मू एयर पोर्ट के सामने (26 मार्च 2013)

राज्य उत्पाद शुल्क और उद्योग विभागों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार 78¹⁶⁵ औद्योगिक इकाइयों ने 92 बोर/ ट्यूबवैलों का संस्थापन किया था और वे जेकेडब्ल्यूआरआरएम अधिनियम, 2010 के अधीन यथा अपेक्षित, संबंधित लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारियों से बिना आरसी प्राप्त किए ही विनिर्माण और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों में उपयोग के लिए भू-जल का निष्कर्षण कर रहे थे। पीएचई विभाग ने अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन एवं भू-जल के अवैध निष्कर्षण में शामिल वाणिज्यिक अधिष्ठानों को पहचानने के लिए किसी प्रकार की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की। विभाग की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप न केवल निरंतर भू-जल का अवैध निष्कर्षण हुआ अपितु इन मामलों में ₹92 लाख¹⁶⁶ के लाइसेंस शुल्क की वसूली भी नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, इन इकाइयों से संबंधित देय जल उपयोग प्रभारों की वसूली भी नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा में (जुलाई 2018 में) इंगित किए जाने पर सीई, पीएचई, कश्मीर ने (जुलाई 2018 में) कहा कि संबंधित ईई को इन इकाइयों द्वारा किए जा रहे भू-जल के निष्कर्षण को नियमित करने और बकाया के साथ-साथ उपयोग प्रभारों के निर्धारण/ वसूली करने के लिए निदेश दिए गए हैं। तथापि, तथ्य यह है कि लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकारियों या प्राधिकृत प्राधिकारियों ने वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु अवैध/ अप्राधिकृत भू-जल के निष्कर्षण में सम्मिलित औद्योगिक और अवसंरचना इकाइयों के प्रति अधिनियम के अंतर्गत निहित शक्तियों एवं कार्यों के अनुसार (दिसम्बर 2018 तक) कार्रवाई नहीं की।

लेखापरीक्षा और उत्पाद शुल्क विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा नौ औद्योगिक इकाइयों (मद्य निर्माणशालायें/ लिकर बोटलिंग संयंत्र) से संबंधित संयुक्त सत्यापन (सितम्बर 2018) से पुष्टि हुई कि आठ इकाइयों द्वारा दस बोर/ ट्यूबवैलों के माध्यम से लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आरसी जारी किए बगैर (नीचे छायाचित्रों में प्रदर्शित) भू-जल का निष्कर्षण किया जा रहा था, जबकि एक औद्योगिक इकाई ने प्रचालन बंद कर दिया गया था।



¹⁶⁵ जम्मू: 47; कश्मीर: 31

¹⁶⁶ ₹एक लाख प्रत्येक की दर पर 92 बोरवैल/ ट्यूबवैल

		
19.09.2018 को त्रिकुटा बॉटलर्स	19.09.2018 को दीवान मॉडर्न ब्रुअरीज	19.09.2018 को दीवान मॉडर्न ब्रुअरीज
		
19.09.2018 को दीवान मॉडर्न ब्रुअरीज	19.09.2018 को बसंतर ब्रुअरीज	19.09.2018 को सरगाम बॉटलर्स



3.16.6 आरसी की शर्तों का गैर-अनुपालन

25 आरसी धारकों में से 23¹⁶⁷ से संबंधित लेखापरीक्षा और पीएचई विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा किए गए संयुक्त सत्यापन से पीएचई विभाग द्वारा जारी किए गए आरसी में विनिर्दिष्ट शर्तों के गैर-अनुपालन का पता चला जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

¹⁶⁷ एक औद्योगिक इकाई (आईएफसीए बोटलिंग कंपनी लिमिटेड) जिसने दो ट्यूबवैलों हेतु दो आरसी प्राप्त किए थे, प्रचालन में नहीं थी।

3.16.6.1 जल मीटरों का गैर-संस्थापन

जेकेडब्ल्यूआरआरएम अधिनियम, 2010 की धारा 124 के अंतर्गत, निर्धारित प्राधिकरण जलापूर्ति के उपयोगकर्ताओं के परिसर के भीतर या प्रत्येक उपयोगकर्ता या लाइसेंस धारक के स्थान पर या इस प्रकार के अन्य स्थान पर, जहां निर्धारित प्राधिकरण ऐसे उपयोगकर्ताओं, लाइसेंस धारकों को जलापूर्ति के मापन के उद्देश्य हेतु उचित समझे, प्रवाह मीटरों को संस्थापित करेगा या संस्थापित कराएगा। डिवीजनल प्रमुख (कार्यपालक अभियंता) पानी के मीटरों की संस्थापना और आरसी में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी थे। विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, लाइसेंस धारकों से निष्कर्षित भू-जल की मात्रा पर जांच के अनुरक्षण हेतु पानी के मीटरों का संस्थापन अपेक्षित था। दौरा किए गए 23 स्थलों में, यह देखा गया कि 11¹⁶⁸ लाइसेंस धारकों ने पानी के मीटरों का संस्थापन नहीं किया था। परिणामस्वरूप, इन लाइसेंस धारकों द्वारा निष्कर्षित भू-जल की मात्रा की कोई जांच नहीं की गई तथा अधिकृत मात्रा से अधिक भू-जल के संभावित निष्कर्षण और इसके परिणामी दुरुपयोग को खारिज नहीं किया जा सकता। यह देखा गया कि विभाग द्वारा आरसी में निष्कर्षित किए जाने हेतु अधिकृत जल की मात्रा के आधार पर इन तीन¹⁶⁹ (11 में से) लाइसेंस धारकों के जल उपयोग प्रभारों का निर्धारण किया गया था। तथापि, शेष 8 लाइसेंस धारकों के संबंध में न तो जल उपयोग प्रभारों को निर्धारित किया गया और न ही कोई मांग उठाई गई।

चार नमूना मामलों में जल के मीटरों रहित ट्यूबवैल	
	
(i) 04.05.2018 को किसान फ्लोर मिलज़ जम्मू	(ii) 18.05.2018 को कंधारी बेवरेजज़ सांबा

¹⁶⁸ जिला जम्मू: (i) राजेश अग्रवाल, (ii) नीलम शर्मा, (iii) अमरजीत सिंह, (iv) किसान फ्लोर मिल्स, (v) उत्सव बैंकवेट हॉल, (vi) कार्यपालक अभियंता चिनाव घाटी बिजली परियोजना, (vii) बाल कृष्ण जैन, (viii) देवान मॉडर्न ब्रवरीज; जिला साम्बा, (ix) कांधारी बेवरेजिज प्रा.लि. (दो कुओं के संबंध में); जिला अनंतनाग: (x) अज़हान बेवरेजज़।

¹⁶⁹ (i) राजेश अग्रवाल, (ii) नीलम शर्मा, (iii) बाल कृष्ण जैन

	
<p>(iii) 24.09.2018 को दीवान मॉडर्न ब्रुअरीज लि. जम्मू</p>	<p>(iv) 20.09.2018 को बाल कृष्ण जैन बरनाई</p>

जवाब में, मुख्य अभियंता पीएचई विभाग जम्मू ने (अगस्त 2018 में) कहा कि अधीक्षक अभियंता हाइड्रोलिक सर्किल जम्मू/ मैकेनिकल अर्बन सर्किल जम्मू से संबंधित कार्यपालक अभियंता को तुरंत अनुपालन हेतु निदेश देने के लिए कहा गया है।

3.16.6.2 लॉग बुक का गैर-अनुरक्षण

जेकेडब्ल्यूआरआरएम अधिनियम, 2010 की उप-धारा 110(सी) के अनुसार, लाइसेंसिंग प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त व आवंटित जल की मात्रा को ध्यान में रखना होगा कि जल का उपयोग अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस, अनुमति या किसी अन्य अधिकारपत्र में आवंटित या अनुमत मात्रा के अनुसार किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने हेतु कि आरसी के अनुसार प्राधिकृत मात्रा के अनुसार ही जल की मात्रा निष्कर्षित की जाती है, लाइसेंस धारकों को दैनिक आधार पर निष्कर्षित भू-जल की लॉग्स का अनुरक्षण करना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 12 लाइसेंस धारकों¹⁷⁰ जिन्होंने पानी के मीटर संस्थापित किए थे, में से तीन¹⁷¹ लाइसेंस धारकों ने प्राधिकृत मात्राओं के प्रति भू-जल के निष्कर्षण की निगरानी करने के लिए किसी भी लॉग बुक का अनुरक्षण नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, दो लाइसेंस धारकों¹⁷² द्वारा संस्थापित पानी के मीटर काम करने की हालत में नहीं थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि एक लाइसेंस धारक¹⁷³ जिसे 26 सितंबर, 2014 को आरसी की स्वीकृति प्रदान की गई थी, ने 1 जनवरी 2018 से लॉग बुक का अनुरक्षण प्रारंभ किया। लॉग बुक के गैर-अनुरक्षण के कारण,

¹⁷⁰ संयुक्त सत्यापन हेतु चयनित 23 आरसी के चुने हुए नमूनों से

¹⁷¹ जिला जम्मू: (i) कोकुयो कैमलिन लिमिटेड, (ii) मैसर्स ट्रांस एशिया होटल्स प्राइवेट लिमिटेड (iii) दीवान मॉडर्न ब्रुअरीज लिमिटेड

¹⁷² जिला जम्मू: (i) मैसर्स ट्रांस एशिया होटल्स प्राइवेट लिमिटेड (ii) दीवान मॉडर्न ब्रुअरीज लिमिटेड

¹⁷³ जिला जम्मू: (i) मैसर्स बेस्ट प्राइस मॉडर्न होल सेल (वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)

लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या इन इकाइयों द्वारा निष्कर्षित भू-जल की मात्रा उनकी आरसी में प्राधिकृत मात्रा के अनुरूप थी।

मुख्य अभियंता पीएचई विभाग जम्मू ने (अगस्त 2018 में) प्रत्युत्तर में कहा कि अधीक्षक अभियंता हाइड्रॉलिक सर्किल जम्मू/ मैकेनिकल अर्बन सर्किल जम्मू से संबंधित कार्यपालक अभियंता को तुरंत अनुपालन हेतु निदेश देने के लिए कहा गया है।

3.16.7 भू-जल निष्कर्षण पर दिशा-निर्देशों का गैर-अनुपालन

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों पर केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा 16 नवंबर 2015 से प्रभावी भू-जल निष्कर्षण हेतु प्रस्तावों/ आवेदनों के मूल्यांकन के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों/ मानदंडों (नवंबर 2015) को जारी किया गया था। दिशा-निर्देशों का उद्देश्य मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों के अनुसार भू-जल की संधारणीयता को सुनिश्चित करते हुए भू-जल प्रबंधन के एक विशिष्ट भाग पर ध्यान केंद्रित करना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि विभाग द्वारा इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए थे। राज्य विनियामक प्राधिकरण ने इस संबंध में (मार्च 2018 तक) कोई दिशा-निर्देश/ मानदंड जारी नहीं किए थे। अप्रैल से सितंबर 2018 के दौरान पीएचई विभाग के प्रतिनिधि के साथ लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त सत्यापन से दिशा-निर्देशों के गैर-अनुपालन का पता चला जिसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

3.16.7.1 भू-जल का पुनः चक्रण/ पुनः उपयोग

(I) सीजीडब्ल्यूए के दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1.1 के अनुसार, मुख्य¹⁷⁴ एवं मध्यम¹⁷⁵ उद्योगों में भू-जल निष्कर्षण हेतु आरसी पर, भू-जल के कृत्रिम रिचार्ज के अंगीकरण और अपशिष्ट जल के कम से कम 40 प्रतिशत के पुनः चक्रण तथा पुनः उपयोग के अध्यधीन विचार किया जाना था।

संयुक्त स्थल दौर हेतु चयनित 25 आरसी धारक 16 औद्योगिक/ अवसंरचना इकाइयों में से, केवल 4 मुख्य और मध्यम स्तर इकाइयों की श्रेणी में आती हैं। स्थल

¹⁷⁴ विनिर्माण क्षेत्र में मुख्य उद्यम ₹10 करोड़ से अधिक के संयंत्र और मशीनरी पर निवेश करने वाले उद्यम होते हैं।

¹⁷⁵ विनिर्माण क्षेत्र में मध्यम उद्यम ₹5 करोड़ से अधिक परंतु ₹10 करोड़ से कम के संयंत्र एवं मशीनरी पर निवेश करने वाले उद्यम होते हैं।

निरीक्षण हेतु चयनित चार¹⁷⁶ बड़े स्तर की/ मुख्य औद्योगिक इकाइयों में से, दो¹⁷⁷ में बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र (ईटीपी) तक संस्थापित नहीं किया गया था; परिणामस्वरूप, इन औद्योगिक इकाइयों में अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और पुनः चक्रण हेतु प्रणाली मौजूद (जुलाई 2018) नहीं थी।

(II) दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1.1 (बी) के अनुसार, सुरक्षित श्रेणी क्षेत्रों में जल गहन उद्योगों हेतु भू-जल निष्कर्षण के लिए इकाई द्वारा रिचार्ज किए गए भू-जल को 200 प्रतिशत तक सीमित रखना होगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि 9¹⁷⁸ जल गहन उद्योग इकाइयों (आठ नमूना चयनित इकाइयों सहित) के 18 बोर/ट्यूबवैलों हेतु भू-जल निष्कर्षण की मात्रा को प्राधिकृत करते समय, लाइसेंसिंग प्राधिकरणों ने जून 2016 से दिसंबर 2017 के दौरान जारी किए गए उनके आरसी में भू-जल रिचार्ज के 200 प्रतिशत तक भू-जल की मात्रा को सीमित करने के लिए मानदंड पर ध्यान नहीं दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि दो औद्योगिक इकाइयों¹⁷⁹ जिन्होंने अपने परिसर में पानी के मीटर संस्थापित किए थे और जिन्होंने लॉग बुक्स का भी अनुरक्षण किया था, वे अपनी आरसी में निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत भू-जल प्राप्त कर रही थी। तथापि, आरसी में किसी प्रावधान के अभाव में रिचार्ज किए गए भू-जल की मात्रा को सत्यापित नहीं किया जा सका।

(III) दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1.2 के अनुसार, अवसंरचना परियोजनाओं के मामले में, संपूर्ण परियोजना क्षेत्र से बह जाने वाले जल¹⁸⁰ का उपयोग भू-जल के कृत्रिम रिचार्ज हेतु या उपयोग हेतु भण्डारण के लिए या दोनों के लिए किया जाना है जब तक क्षेत्र में जल भराव या संदूषण का खतरा न हो। परियोजनाओं संबंधी सात¹⁸¹

176 (i) हिन्दुस्तान कोका कोला प्रा. लि., 47-50 ए, इंडस्ट्रियल एरिया इक्सटेंशन गंगयाल जम्मू (ii) जय बेवरिजिज़ प्रा. लि. फेज-1, सिडको इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स बारी ब्रहमना साम्बा (iii) कोकुयो कैमलिन, फेज-II, इण्डस्ट्रियल एरिया गंगयाल (iv) कांधारी बेवरिजिज़ प्रा. लि., फेज-III, आईजीसी जिला साम्बा

177 (i) कोकुयो कैमलिन (26 दिसंबर 2014 को पंजीकृत); (ii) कांधारी बेवरिजिज़ (15 दिसंबर 2017 को पंजीकृत)

178 (i) कश्मीर वैली वाटर प्राइवेट लिमिटेड सुकेतर धनसाल जम्मू: 1; (ii) जय बेवरिजिज़ प्राइवेट लिमिटेड फेज-1, सिडको इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बारी ब्राहमना सांबा: 5; (iii) हिंदुस्तान कोका कोला बेवरिजिज़ लिमिटेड 47-50 ए, इंडस्ट्रियल एरिया एक्सटेंशन गंगयाल जम्मू: 3; (iv) बाल कृष्ण जैन प्लॉट नं-1, टावर लेन बरनाई जम्मू: 1; (v) कृष्ण बेवरिजिज़ रख बरूल बारी ब्राहमना: 1; (vi) कांधारी बेवरिजिज़ प्राइवेट लिमिटेड फेज-III, आईजीसी जिला सांबा: 2; (vii) दीवान मॉडर्न ब्रवरीज़ बोहरी तालाब टिल्लो जम्मू: 2; (viii) आईएफसीए बॉटलिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड न्यू एक्सटेंशन एरिया गंगयाल जम्मू: 2; (ix) अज़हान बेवरिजिज़ प्राइवेट लिमिटेड सागम कोकरनाग अनंतनाग: 1

179 आठ आरसी के आधिपत्य वाली

180 जल चक्र का वह भाग जो वाष्प बनने या भू-जल में सोख लिए जाने के बजाय सतही जल के रूप में भूमि के ऊपर बहता है।

181 स्थल दौरे और आरसी में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन अभिनिश्चित करने के लिए जारी किए गए चयनित 25 आरसी नमूनों में 9 औद्योगिक इकाइयों के पक्ष में स्वीकृत 18 आरसी तथा 7 अवसंरचना परियोजनाओं के पक्ष में स्वीकृत 7 आरसी (राजेश अग्रवाल, नीलम शर्मा, बेस्ट प्राइस, अमरजीत सिंह, उत्सव वैन्क्वेट, कार्यपालक अभियंता चिनाब वैली पॉवर प्राजेक्ट, ट्रांस एशिया होटल्स प्राइवेट लिमिटेड) शामिल थे।

अवसंरचना के संयुक्त सत्यापन¹⁸² से प्रकट हुआ कि केवल एक¹⁸³ लाइसेंस धारक (परियोजना) ने अपने परिसर में जल एकत्रीकरण संयंत्र स्थापित किया था तथा शेष छह ने (जुलाई 2018 तक) इस प्रकार के कोई उपाय नहीं किए थे।

3.16.7.2 दाबमापी यंत्र का संस्थापन

सीजीडब्ल्यू दिशा-निर्देशों के पैरा-6 (ओ) के अनुसार, दाबमापी यंत्र¹⁸⁴ पंपिंग कुए से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी पर स्थापित की जानी थी तथा लाइसेंस धारक से मासिक आधार पर भूमिगत जल स्तरों के अभिलेख को अनुरक्षित करना अपेक्षित था। 16¹⁸⁵ औद्योगिक/ अवसंरचना परियोजनाओं के चयनित नमूनों में से 15¹⁸⁶ औद्योगिक/ अवसंरचना परियोजनाओं के संबंध में लेखापरीक्षा और पीएचई विभाग के कार्मिकों द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण से पता चला कि केवल एक¹⁸⁷ औद्योगिक इकाई ने संयंत्र परिसर के अंदर दाबमापी यंत्र संस्थापित किया था। शेष 14 औद्योगिक/ अवसंरचना परियोजनाओं द्वारा दाबमापी यंत्र का संस्थापन न करने से पता चला कि लाइसेंस धारकों द्वारा (जुलाई 2018) भू-जल स्तर की निगरानी नहीं की जा रही थी।

182 मार्च से सितम्बर 2018 के दौरान पीएचई विभाग के प्रतिनिधियों और लेखापरीक्षा द्वारा

183 बेस्ट प्राइस मॉडर्न होल सेल (वॉलमार्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड)

184 दाबमापी यंत्र, टैप/ साउंडर को केवल नीचे करते हुए जल स्तर मापन हेतु प्रयुक्त एक बोरवैल/ ट्यूबवैल या स्वचालित जल स्तर मापन उपस्कर है। इसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर जल गुणवत्ता जांच के लिए पानी का नमूना लेने के लिए भी किया जाता है।

185 दो आरसी रखने वाली एक औद्योगिक इकाई (मैसर्स आईएफसीए बोटलिंग कंपनी प्रा.लि., न्यू इक्सटेन्शन एरिया गंग्याल, जम्मू) प्रचालनात्मक नहीं थी तथा परिणामस्वरूप संयुक्त निरीक्षण का संचालन नहीं किया जा सका।

186 (i) राजेश अग्रवाल, एफ-3 शक्तिनगर (ii) नीलम शर्मा, जेएमसी-6 डब्ल्यू संख्या 41 फ्रेंड्स कॉलोनी पत्ता प्लोरा, जम्मू (iii) बेस्ट प्राइस, तोप शेरखानियां अखनूर रोड़, जम्मू (iv) अमरजीत सिंह, प्लॉट नं. 74, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू (v) उत्सव बैंक्वेट, ग्रेटर कैलाश के सामने बाई पास, जम्मू (vi) मुख्य अभियंता चिनाव घाटी बिजली परियोजना, रेल हैड कॉम्प्लेक्स, जम्मू (vii) ट्रांस एशिया होटल्स प्रा. लि., नेहरू मार्केट, जम्मू (viii) हिन्दुस्तान कोका कोला, 47-50 ए इण्डस्ट्रीयल एरिया एक्सटेन्शन गंग्याल, जम्मू (ix) जय बेवरिजिज़ प्रा. लि., फेज़-I सिडको इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स बरी ब्राहमना सांबा (x) कांधारी बेवरिजिज़ प्रा. लि. फेज़-III आईजीसी जिला साम्बा (xi) किसान फ्लोर मिल्स, बाई पास डिली, जम्मू (xii) अजहान बेवरिजिज़ प्रा. लि., सागम कोकरनाग, अनंतनाग (xiii) दीवान मॉडर्न ब्रवरीज़ प्रा. लि. बोहरी तालाब टिल्लो जम्मू (xiv) बाल कृष्ण जैन, प्लॉट नं.-1 टावर लेन बरी बरनाई, जम्मू (xv) कोकुयो कैमलिन लि. फेज़-II इण्डस्ट्रीयल एरिया गंग्याल

187 हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरिजिज़ प्रा. लि. 47- 50 ए, इण्डस्ट्रीयल एरिया इक्सटेन्शन गंग्याल, जम्मू



24.05.2018 को हिन्दुस्तान कोका कोला लि. द्वारा फैक्ट्री परिसर में संस्थापित दाबमापी यंत्र

3.16.8 पंजीकृत उपभोक्ताओं से उपयोग प्रभारों की गैर-वसूली

जेकेडब्ल्यूआरआरएम अधिनियम, 2010 की धारा 130 में अवधारित है कि निर्धारित प्राधिकरण प्रत्येक उपयोगकर्ता या लाइसेंस धारक, जिसमें भू-जल के अन्वेषण में सम्मिलित उपयोगकर्ता भी हैं, से प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई दरों के अनुसार जल उपयोग प्रभारों की वसूली करेगा। जेकेडब्ल्यूआरआरएम अधिनियम 2010 की धारा 132 उपबंधित करता है कि यदि कोई उपयोगकर्ता या लाइसेंस धारक उसके द्वारा देय जल उपयोग प्रभारों का भुगतान करने में असफल हो जाता है तो सहायक कार्यपालक अभियंता, इन बकाया की वसूली के लिए ऐसे उपयोगकर्ता या लाइसेंस धारकों को लिखित में 15 दिनों के स्पष्ट नोटिस के उपरांत ऐसे प्रभारों की वसूली हेतु पूर्वाग्रह के बिना इस प्रकार के लाइसेंस धारक या उपयोगकर्ता की आपूर्ति बंद कर देगा जब तक कि वे आपूर्ति बंद करने और फिर से चालू करने पर हुए व्यय सहित इन प्रभारों का भुगतान नहीं कर देता।

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि राज्य में 47 पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में से 34 के संबंध में जल उपयोग प्रभारों का मूल्यांकन नहीं किया गया था। जल उपयोग प्रभारों के मूल्यांकन न होने के कारण, 32 उपयोगकर्ताओं के प्रति ₹12.92 करोड़ की न्यूनतम मांग¹⁸⁸ नहीं की गई थी। दो उपयोगकर्ताओं से संबंधित जल उपयोग प्रभारों की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि उनके आरसी में भू-जल प्राधिकार की मात्रा वर्णित नहीं थी। यह भी देखा गया कि 11 पंजीकृत उपभोक्ताओं के संबंध में निर्धारित ₹47.08 लाख के जल उपयोग प्रभारों, जिनकी गणना की गई थी, की वसूली नहीं की गई (मार्च, 2018)। लेखापरीक्षा ने पाया कि 25 नमूना आरसी धारकों में से, चयनित 22 लाइसेंस धारकों से संबंधित लेखापरीक्षा द्वारा ₹12.37 करोड़ की न्यूनतम मांग नहीं की गई थी तथा तीन लाइसेंस धारकों के प्रति यद्यपि ₹0.22 करोड़

¹⁸⁸ विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों पर आरसी में प्राधिकृत भू-जल निष्कर्षण की मात्रा के आधार पर संगणित

की मांग की गई थी फिर भी यह (मार्च 2018 तक) बकाया थी। उपयोग प्रभारों की गैर-वसूली संबंधी स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका-3.16.2: पंजीकृत उपभोक्ताओं से उपयोग प्रभारों की गैर-वसूली

(राशि ₹ में)

पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या	जल उपयोग प्रभारों की मांग			जल उपयोग प्रभारों की वसूली की गई	उपयोगकर्ताओं की संख्या जिनके प्रति बकाया है	मार्च 2018 की समाप्ति पर बकाया जल उपयोग प्रभार	
	की गई	नहीं की गई	कुल				
मूल्यांकित	13	51,45,705 ¹⁸⁹	लागू नहीं	51,45,705	4,37,634	11	47,08,071
मूल्यांकन नहीं किया गया	34	लागू नहीं	12,92,38,830 ¹⁹⁰	12,92,38,830	शून्य	32	12,92,38,830
कुल	47			13,43,84,535	4,37,634	43	13,39,46,901

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

जैसा कि उपर्युक्त विवरणों से देखा जा सकता है कि विभाग केवल ₹4.37 लाख के जल उपयोग प्रभारों की वसूली करने में समर्थ था जो कुल वसूली योग्य राशि ₹1,343.85 लाख का 0.33 प्रतिशत था।

चूंकि विभाग ने 34 लाइसेंस धारकों के संबंध में जल उपयोग प्रभारों का आंकलन भी नहीं किया है, अतः जेकेडब्ल्यूआरआरएम अधिनियम, 2010 की धारा 132 के अधीन लगे दण्ड प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, 11 लाइसेंस धारकों के मामले में, जिन्होंने आंकलन के निर्धारण/ उठाई गई मांग को पूरा करने के बाद भी जल उपयोग प्रभारों का भुगतान नहीं किया है, जेकेडब्ल्यूआरआरएम अधिनियम, 2010 की धारा 132 के अधीन की गई दण्डात्मक कार्रवाई यदि कोई की गई थी, तो इसे लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, सीई, कश्मीर ने (जुलाई 2018 में) कहा कि विभाग को वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु निष्कर्षित भू-जल से संबंधित उपयोग प्रभारों की वसूली के विषय में संज्ञान नहीं था। यह भी कहा गया कि संबंधित ईई को उपयोग प्रभारों की वसूली हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

3.16.9 जलदायी स्तर प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना के अधीन जलदायी स्तर मानचित्रण

12वीं योजना अवधि (2012-2017) के दौरान 'भू-जल प्रबंधन एवं विनियमन' पर योजना को उचित मूल्यांकन के समग्र उद्देश्य तथा भू-जल संसाधनों के प्रबंधन के

¹⁸⁹ विभाग द्वारा संगणित

¹⁹⁰ 32 उपयोगकर्ताओं के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा संगणित। दो उपयोगकर्ताओं से संबंधित जल उपयोग प्रभारों का आंकलन नहीं किया जा सका क्योंकि उनके आरसी में निष्कर्षण हेतु प्राधिकृत भू-जल की मात्रा वर्णित नहीं थी।

साथ जलदायी स्तर प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना (एनएक्यूयूआईएम) हेतु डिजाइन किया गया था ताकि उनकी संधारणीयता सुनिश्चित की जा सके।

9506 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र को कवर करते हुए राज्य के 12 जिलों¹⁹¹ से संबंधित जलदायी स्तर मानचित्र और भू-जल प्रबंधन योजनाओं की तैयारी तथा प्रतिपादन सीजीडब्ल्यूबी द्वारा किया गया था (अगस्त 2017)। तथापि, इन रिपोर्टों को राज्य स्तर पर राष्ट्रीय जलदायी स्तर मानचित्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी राज्य स्तर भू-जल समन्वयन समिति (एसजीडब्ल्यूसीसी) के साथ साझा नहीं किया गया था (मार्च 2019)। रिपोर्टों को साझा करने के लिए दिनांक 25/ 27 अप्रैल 2018 की निर्धारित बैठक तिथियां रद्द कर दी गई थी तथा तब से किसी बैठक का आयोजन नहीं किया गया। उसके परिणामस्वरूप, प्रतिपादित जलदायी स्तर प्रबंधन योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका (सितंबर 2019)।

3.16.10 भू-जल निष्कर्षण हेतु एनओसी के बिना प्रचालन की सहमति

जम्मू व कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेकेएसपीसीबी) के साथ वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान पंजीकृत 22,474 औद्योगिक इकाइयों में से, 75 इकाइयां गहन जल वाली थी। तथापि, जेकेएसपीसीबी ने इन इकाइयों को 'प्रचालन की सहमति' देते समय भू-जल के निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) संबंधी किसी शर्त को नहीं लगाया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन 75 गहन जल इकाइयों में से 73 ने सक्षम प्राधिकारी से आरसी/ एनओसी प्राप्त नहीं की थी और ये किसी भी प्राधिकार के बिना भू-जल का निष्कर्षण कर रही थी।

इंगित किए जाने पर, सदस्य सचिव जेकेएसपीसीबी ने (जुलाई 2018 में) कहा कि बोर्ड, संबंधित प्राधिकारियों के साथ भू-जल के निष्कर्षण में शामिल औद्योगिक इकाइयों के विवरण साझा करने के अलावा संबंधित प्राधिकारियों से एनओसी प्राप्त करने के लिए 'प्रचालन की सहमति' में एक शर्त निगमित करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ करेगा।

3.16.11 भू-जल की गुणवत्ता

वर्ष 2013-14 से 2016-17¹⁹² हेतु सीजीडब्ल्यूबी की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार भू-जल नमूनों जिनमें भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) नई दिल्ली द्वारा निर्धारित स्वीकार्य सीमाओं से अधिक रासायनिक/धातु स्तरों की उपस्थिति पाई गई थी, का विवरण निम्नानुसार था:

¹⁹¹ कश्मीर डिवीजन के छह जिले (अनंतनाग, श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, पुलवामा, कुपवाडा): 5,200 वर्ग कि.मी.; जम्मू डिवीजन के छह जिले (जम्मू, साम्बा, कठुआ, किश्तवाड, राजौरी, उधमपुर): 4,306 वर्ग कि.मी.

¹⁹² सीजीडब्ल्यूबी द्वारा अभी तक वर्ष 2017-18 हेतु सूचना संकलित नहीं की गई।

तालिका-3.16.3: सीजीडब्ल्यूबी रिपोर्ट के अनुसार जम्मू व कश्मीर राज्य में जल के नमूनों में विभिन्न रासायन/धातु स्तरों की उपस्थिति

	स्वीकार्य स्तर मिलीग्राम प्रति लीटर (मिग्रा/ली) में	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	कुल
नमूनों की जांच की गई		228	228	232	247	935
		नमूनों की संख्या जिसमें रासायनिक/ धातु के स्तर की उपस्थिति स्वीकार्य सीमा से परे थी				
क्लोराइड	250 मिग्रा/ली	01	01	00	00	02
फ्लोराइड	1.0 मिग्रा/ली	01	01	03	00	05
नाइट्रेट	45 मिग्रा/ली	30	30	22	24	106
आइरन	0.3 मिग्रा/ली	23	23	47	46	139

(स्रोत: सीजीडब्ल्यूबी की वार्षिक रिपोर्ट)

निर्धारित सीमाओं से अधिक नाइट्रेट और आयरन संकेन्द्रण सीजीडब्ल्यूबी द्वारा वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान जांच किए गए 935 नमूनों में से क्रमशः 106 (11 प्रतिशत) एवं 139 (15 प्रतिशत) नमूनों में पाया गया।

स्वीकार्य सीमाओं से अधिक भू-जल में नाइट्रेट की उपस्थिति की रेंज जम्मू डिवीजन में वर्ष 2013 और 2014 के दौरान 46 मि.ग्रा./ली. (कोठेसैनी) व 216 मि.ग्रा./ली. (हमीरपुर), वर्ष 2015 के दौरान 49 मि.ग्रा./ली. (चट्टा) व 287 मि.ग्रा./ली. (घोरकवालान), संबंध में 47.5 मि.ग्रा./ली. (जौरियन) और 205 मि.ग्रा./ली. (गंगू चक) तथा कश्मीर डिवीजन में वर्ष 2013 और 2014 के दौरान 57 मि.ग्रा./ली. (डोलीपुरा) एवं 188 मि.ग्रा./ली. (अरीपाठन) के बीच थी।

स्वीकार्य सीमाओं से अधिक भू-जल में आयरन के संकेन्द्रण की रेंज जम्मू डिवीजन के संबंध में वर्ष 2013 और 2014 के दौरान 1.0 मि.ग्रा./ली. (बनपरी) एवं 8.05 मि.ग्रा./ली. (अरनिया-1), वर्ष 2015 के दौरान 1.01 मि.ग्रा./ली. (सलाबरा) व 10.62 मि.ग्रा./ली. (मुठी), वर्ष 2016 के दौरान 1.05 मि.ग्रा./ली. (चट्टा) व 7.65 मि.ग्रा./ली. (बाराडो) के बीच थी तथा कश्मीर डिवीजन के संबंध में वर्ष 2013 व 2014 के दौरान 2.22 मि.ग्रा./ली. (गांधारी बाथ) एवं 14.00 मि.ग्रा./ली. (पंपोर सिल्क सेंटर) के बीच थी।

इन कुओं से जल की आपूर्ति/ उपयोग संबंधी किसी भी आंकड़े की अनुपस्थिति में, ये जोखिम है कि स्वीकार्य सीमाओं से अधिक रासायनों की उपस्थिति वाला जल मानव/ पशुधन उपभोग हेतु भी प्रयुक्त हो सकता है जो स्वास्थ्य जोखिम¹⁹³ पैदा कर सकता

¹⁹³ अधिक नाइट्रेट शिशुओं या युवा पशुधन को हानिकारक हो सकता है तथा अधिक लौह से रक्तवर्णकता हो सकता है जो यकृत, हृदय और अग्नाशय को नुकसान पहुंचा सकता है।

है। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, सीई, पीएचई जम्मू ने (सितंबर 2018 में) कहा कि सीजीडब्ल्यूबी से विवरण प्राप्त किए जाएंगे और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह भी कहा गया था कि सीजीडब्ल्यूबी से मांगी गई स्रोत संबंधित सूचना, जो विवादस्पन्द पाए गए थे, (दिसंबर 2018 तक) प्रतीक्षित थी।

3.16.12 निगरानी

भू-जल के निष्कर्षण एवं दोहन में शामिल इकाइयों/ परियोजनाओं का निरीक्षण, निगरानी का एक महत्वपूर्ण भाग है। लाइसेंसिंग प्राधिकरण और प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों और कार्यों को जेकेडब्ल्यूआरआरएम अधिनियम, 2010 की धारा 110 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। आवधिक निरीक्षण आरसी में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन और प्राधिकृत सीमाओं के अंदर उपभोक्ताओं द्वारा भू-जल के उपयोग की सीमा को सुनिश्चित करेगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान न तो निरीक्षण दलों की स्थापना की गई थी, और न ही सीई/ईई स्तर पर कोई निरीक्षण किया गया था।

इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूए (नवंबर, 2015) दिशा-निर्देशों के पैरा-6 (सी) के अनुसार, राज्य भू-जल प्राधिकरणों को भू-जल व्यवस्थाओं का प्रबंधन व नियंत्रण करने के लिए सीजीडब्ल्यूए को तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा में अवलोकन किया गया कि राज्य भू-जल प्राधिकरण ने दिशा-निर्देशों को लागू करने के बाद भी सीजीडब्ल्यूए को एक भी तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी (मार्च, 2018)।

3.16.13 निष्कर्ष

संरक्षित क्षेत्र में होने से राज्य का कोई भी जिला संकटपूर्ण/ अतिदोहित श्रेणी में नहीं था। राज्य में भू-जल प्रबंधन, भू-जल के निष्कर्षण एवं दोहन में शामिल औद्योगिक/ अवसंरचना परियोजनाओं के लिए आरसी के जारी करने तक सीमित था। राज्य को अभी तक (मार्च, 2018) अवधारण को अधिकतम तथा हानि को न्यूनतम करते हुए भू-जल रिचार्जिंग के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपायों के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना का प्रतिपादन करना था जैसा कि 'राज्य जल नीति' में अवधारित था। औद्योगिक/ अवसंरचना परियोजनाओं के लिए आरसी को अनियमित रूप से देने तथा किसी भी आरसी के बिना उपयोगकर्ता द्वारा भू-जल के अप्राधिकृत निष्कर्षण से शुल्क की वसूली नहीं हुई। आरसी के जारी करने में विलंब, जल उपयोग प्रभारों का निर्धारण न होने तथा वसूली न होने के मामले थे। लेखापरीक्षा को आरसी में विनिर्दिष्ट शर्तों के गैर-अनुपालन के मामले भी मिले जिसमें पानी के मीटरों का संस्थापन न होना/ कार्यात्मक न होना, जल निष्कर्षण की कार्य पुस्तिकाओं का गैर-अनुरक्षण, आरसी में प्राधिकृत मात्राओं के संदर्भ में निष्कर्षित जल की निगरानी

न होना, भू-जल के पुनःचक्रण/ पुनःउपयोग के माध्यम से भू-जल निष्कर्षण हेतु संशोधित दिशा-निर्देशों का गैर-अनुपालन, दाबमापी यंत्र का गैर-संस्थापन इत्यादि सम्मिलित थे। निगरानी का अभाव था, क्योंकि न तो कोई निरीक्षण दल स्थापित किया था और न ही निरीक्षण किया गया था। राज्य भू-जल प्राधिकरण ने सीजीडब्ल्यूए को तिमाही प्रगति रिपोर्टें भी प्रस्तुत नहीं की थीं (मार्च 2018)।

मामला अक्टूबर, 2018 में सरकार/ विभाग के पास भेजा गया; दिसंबर 2018, मई 2019 और सितंबर 2019 में जारी किए गए अनुस्मारकों के बावजूद भी उनका उत्तर (सितम्बर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

3.17 स्टाफ के संयोजन के कारण अनुत्पादक व्यय

किसी सौंपे गए कार्य के बिना जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) डिवीजन-1, जम्मू में स्टाफ के संयोजन के परिणामस्वरूप उनके वेतन के भुगतान पर ₹3.68 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ।

जम्मू एवं कश्मीर सरकार, सार्वजनिक प्रशासन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को सभी संयोजित कर्मचारियों को वियोजित करने तथा उन्हें उनके संबंधित विभागों/ संगठनों को वापस भेजने के लिए (जुलाई/ अक्टूबर 2008 में) निर्देश दिया। कुछ विभागों में स्टाफ के निरंतर संयोजन को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक प्रशासन विभाग ने निर्देशों को जुलाई/ अक्टूबर 2016 में दोहराया।

कार्यकारी अभियंता (ईई), लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) डिवीजन-1, जम्मू के अभिलेखों की (अप्रैल 2017 में) लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चला कि कार्यकारी अभियंताओं, सहायक कार्यकारी अभियंताओं, सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं और प्रचालकों के 40 पदों की संस्वीकृत संख्या के प्रति, जनवरी 2016 तक 75 व्यक्ति¹⁹⁴ कार्यरत थे तथा 35 व्यक्ति¹⁹⁵ संस्वीकृत संख्या से अधिक थे। अभिलेखों की संवीक्षा से यह भी पता चला कि स्टाफ के तुरंत वियोजन हेतु सार्वजनिक प्रशासन विभाग के (जुलाई/ अक्टूबर 2016 में) निर्देशों के उल्लंघन में, 20 कर्मचारी¹⁹⁶ एक माह से बाईस महीनों¹⁹⁷ के बीच की अवधि के लिए जुलाई 2016 के बाद भी कार्यों के बिना ही डिवीजन के साथ संयोजित रहे तथा **परिशिष्ट-3.17.1** में दिए गए विवरणानुसार, अगस्त 2016 से मई 2018 तक की अवधि के दौरान उन्हें ₹3.68 करोड़ का भुगतान किया गया था। यह भी देखा गया

¹⁹⁴ डिवीजन के साथ संयोजित नौ व्यक्ति (दो कार्यकारी अभियंता, एक सहायक कार्यकारी अभियंता, पांच सहायक अभियंता और एक कनिष्ठ अभियंता) शामिल थे।

¹⁹⁵ दो कार्यकारी अभियंता, पांच सहायक कार्यकारी अभियंता, दो सहायक अभियंता, 23 कनिष्ठ अभियंता, एक ड्राफ्ट्समैन और दो ऑपरेटर

¹⁹⁶ कार्यकारी अभियंता: दो; सहायक कार्यकारी अभियंता: 14 और सहायक अभियंता: चार

¹⁹⁷ मई 2018 तक

कि जुलाई/ अक्टूबर 2016 में जारी किए गए निर्देशों के बावजूद भी 12 कर्मचारियों के संयोजन हेतु तत्पश्चात आदेश सितंबर 2016 से अगस्त 2017 के दौरान जारी किए गए तथा सात कर्मचारियों का मई 2018 तक डिवीजन के साथ संयोजित रहना जारी रहा। आदेशों में विनिर्दिष्ट किया गया कि इन कर्मचारियों का संयोजन केवल वेतन प्रयोजनों के लिए था, जिसने यह दर्शाया कि उन्हें कोई कार्य प्रदान नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में (अप्रैल 2017 में) इंगित किए जाने पर, ईई, पीएचई डिवीजन-1, जम्मू ने (अप्रैल 2017 में) कहा कि स्टाफ को वेतन आहरण प्रयोजनों के लिए उच्च प्राधिकारियों के अनुदेशों पर संयोजित किया गया था तथा उन्हें कोई कार्य प्रदान नहीं किया गया था। मुख्य अभियंता ने (अगस्त 2018 में) कहा कि समय-समय पर प्रशासनिक विभाग द्वारा संयोजन आदेश दिए गए थे एवं उनके वियोजन (जुलाई 2018) हेतु सरकार के निर्देशों के अनुपालन में संयोजित स्टाफ के विवरण आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रशासनिक विभाग को अग्रेषित कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त (दिसंबर 2018 में) यह भी कहा गया कि संयोजित अधिकारियों ने शिकायत प्रकोष्ठ संबंधित कार्य किए और उन्हें 24 दिसंबर 2018 को कार्यभार से मुक्त किया गया था। तथ्य यह है कि शिकायत प्रकोष्ठ जून 2018 में ही स्थापित किया गया था, जिससे यह पुष्टि होती है कि संयोजित स्टाफ को मई 2018 तक कोई काम नहीं दिया गया था। अतः स्टाफ के सतत संयोजन एवं कोई भी कार्य प्रदान किए बिना वेतन के भुगतान से अगस्त 2016 से मई 2018 की अवधि के दौरान ₹3.68 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ। इसके अलावा, दो कर्मचारियों का मार्च 2019 तक डिवीजनों के साथ संयोजन जारी रहा।

मामला मई 2018 में सरकार/ विभाग को भेजा गया; दिसंबर 2018, मई 2019 और सितंबर 2019 में जारी किए गए अनुस्मारकों के बावजूद, उनका उत्तर (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

लोक निर्माण (सड़क एवं भवन) विभाग

3.18 निधियों का अवरोधन और विपथन

सात वर्षों की अवधि में फुट सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण हेतु उचित स्थल का चयन करने में कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण (सड़क एवं भवन) डिवीजन, किशतवाड़ की असफलता के परिणामस्वरूप ₹1.57 करोड़ का अवरोधन एवं ₹0.04 करोड़ का विपथन हुआ।

कार्यकारी अभियंता (ईई), लोक निर्माण (सड़क एवं भवन) विभाग (पीडब्ल्यूडी), डिवीजन किशतवाड़ ने 90:10 के अनुपात में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

(नाबार्ड) ऋण तथा राज्य के शेयर से निर्मित निधीयन से कोकनद्रान पाडर में भूत नाले पर 73 मीटर पाट के फुट सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाई (जुलाई 2009)। ₹1.64 करोड़ की अनुमानित लागत की परियोजना को, आबंटन की तिथि से दो वर्षों में पूरा किया जाना था। तथापि, प्रस्ताव हेतु प्रशासनिक अनुमोदन (जनवरी 2019 तक) प्रतीक्षित था।

लेखापरीक्षा में नमूना जांच से पता चला कि परियोजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान जारी ₹1.61 करोड़¹⁹⁸ की निर्माण सामग्री की अधिप्राप्ति हेतु विभिन्न एजेंसियों¹⁹⁹ के प्रोफॉर्मा बिलों पर कोषागार से आहरित²⁰⁰ किए गए थे। तथापि, केवल ₹0.04 करोड़²⁰¹ इन एजेंसियों को जारी किए गए थे और ₹1.57 करोड़²⁰² सिविल डिपॉजिट में जमा किए गए थे। जम्मू और कश्मीर वित्तीय संहिता के नियम 2-16 (बी)(5) और 2-33 के अनुसार, बजट अनुदान के व्यपगत होने से बचने के लिए निधियों के आहरण की पद्धति और बैंक में या लोक लेखा में जमा किए ऐसे धन को रखना निषिद्ध है। डीपीआर में भूमि की उपलब्धता की पुष्टि के बावजूद, एक ठेकेदार को (फरवरी 2011) आबंटित निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया जा सका क्योंकि कुकन-द्रण गांव के लोगों ने पुल हेतु चुने गए स्थल को अस्वीकृत कर दिया, जो गांव से दूर था। गांव के नजदीक वैकल्पिक स्थल की पहचान नहीं की जा सकी इसीलिए कार्य स्थल को सन्यास में स्थानांतरित किया गया और सन्यास के लोगों के लाभ हेतु उसी नाले पर एक 60 मीटर पाट वाले पुल का निर्माण प्रस्तावित किया गया (दिसम्बर 2015)। तथापि, स्थल को स्थानांतरित करने का परिशोधित प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया (मार्च 2018) और धनराशि का जमा शीर्षों में अवरूद्ध रहना जारी रहा (सितंबर 2018)। ₹0.04 करोड़ की अधिप्राप्त सामग्री को डिवीजन के अन्य चालू कार्यों हेतु विपथित किया गया। अतः सात वर्षों की अवधि से अधिक समय तक फुट सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण हेतु एक उचित स्थल का चयन करने में विभागीय असफलता के परिणामस्वरूप ₹1.57 करोड़ का अवरोधन और ₹0.04 करोड़ का विपथन हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, ईई ने (सितंबर 2016 में) उत्तर दिया कि निधियां उस सामग्री के क्रय हेतु आहरित की गई थी जो अधिप्राप्त नहीं की जा सकी

¹⁹⁸ नाबार्ड: ₹147.69 लाख एवं राज्य का शेयर: ₹13 लाख

¹⁹⁹ स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज डिवेलपमेन्ट कॉर्पोरेशन: ₹65,31,900; स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड: ₹19,80,100; प्रॉक्योरमेंट डिपार्टमेंट: ₹75,12,000; हिंदुस्तान पेन्ट्स/पेट्रोल पम्प: ₹45,000

²⁰⁰ अगस्त, 2010: ₹20,000; अक्टूबर, 2010: ₹11,45,775; मार्च, 2011: ₹16,66,225; मार्च, 2012: ₹57,00,000; मार्च, 2014: ₹66,37,000; मार्च, 2015: ₹9,00,000

²⁰¹ ईंधन की अधिप्राप्ति हेतु: ₹25,000; एएल-20 लेवल का क्रय: ₹20,000; सीमेंट की लागत: ₹3,28,680

²⁰² अक्टूबर, 2010: ₹11,45,775; मार्च, 2011: ₹16,66,225; मार्च, 2012: ₹57,00,000; मार्च, 2014: ₹62,83,320; मार्च, 2015: ₹9,00,000

अतः जमा शीर्ष में रखी गई थी। यह भी कहा गया (मार्च 2018) कि स्थल विवाद के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका और उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत की गई परियोजना के डी-सेक्शन हेतु प्रस्ताव (मार्च 2019 तक) अनुमोदित नहीं किया गया था। तथापि, तथ्य यह है कि पुल के निर्माण हेतु स्थल सात वर्षों की अवधि से अधिक समय तक निर्धारित नहीं किया जा सका और कोषागार से अनियमित रूप से आहरित नाबार्ड से उधार ली गई निधियां बिना किसी हितकर परिणामों के जमा शीर्ष में रखी गईं।

मामला जून 2018 में सरकार/ विभाग को भेजा गया, दिसंबर 2018, मई 2019 तथा सितंबर 2019 में जारी किए गए अनुस्मारकों के बावजूद उनका उत्तर (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

3.19 निधियों का विपथन एवं अनियमित व्यय

सड़क परियोजना में वन भूमि के उपयोग हेतु पूर्व निर्बाधता प्राप्त करने तथा केवल निधियों के व्यय होने से बचने के लिए किसी तत्काल उपयोग के बिना सामग्री की अधिप्राप्ति पर व्यय करने के लिए कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण (सड़क एवं भवन) डिवीजन, उधमपुर की असफलता के परिणामस्वरूप ₹299.89 लाख का विपथन हुआ। तीन वर्षों में पूरे किए जाने वाले प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य पांच वर्षों से अधिक बीत जाने के बावजूद भी आरंभ नहीं किए गए थे। ₹5.66 लाख का एक अनियमित व्यय भी उन मदों पर किया गया था जो परियोजना निर्माण कार्यों से संबंधित नहीं था।

जम्मू और कश्मीर वन संरक्षण (जेकेएफसी) अधिनियम, 1997 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित करते हैं कि बॉर्डर/ आरएण्डबी/ सिंचाई सड़कें जब सीमांकित या असीमांकित वन भूमि के मध्य से गुजरते हैं तो उनके निर्माण हेतु उक्त अधिनियम के तहत गठित सलाहकार समिति की अनुशंसाओं पर प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् प्रशासनिक विभाग (वन) अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकरण होगा। शारदा माता मंदिर फेज-1 से होते हुए जखानी उधमपुर से गांव लोअर बाली तक 2.5 कि.मी. सड़क के निर्माण हेतु कार्यकारी अभियंता (ईई), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सड़क एवं भवन (आरएण्डबी), डिवीजन, उधमपुर द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाई गई (मार्च 2012) जिसे वर्ष 2012-13 के दौरान ₹339.50 लाख की लागत पर संस्वीकृति प्रदान की गई थी (जून, 2012)। परियोजना का वित्त पोषण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के ₹305.55 लाख के ऋण और राज्य शेर के ₹33.95 लाख के मध्य 90:10 के अनुपात में किया जाना

था और उसे तीन वर्षों की अवधि के अंदर पूरा किया जाना प्रस्तावित था। तथापि, परियोजना को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया (जनवरी 2019)। डीपीआर बनाते समय, ईई, पीडब्ल्यूडी, आरएण्डबी डिवीजन, उधमपुर ने प्रमाणित किया (मार्च 2012) कि भूमि के अधिग्रहण में कोई समस्या नहीं होगी।

प्राप्त की गई अतिरिक्त सूचना (मार्च 2018) सहित ईई, पीडब्ल्यूडी, आरएण्डबी डिवीजन, उधमपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्टूबर 2016) से यह पता चला कि पांच वर्षों से अधिक बीत जाने के बावजूद भी ठेकेदार को आबंटित निर्माण कार्य (जनवरी 2013) आरंभ नहीं किया जा सका। इसमें वन भूमि सम्मिलित थी जिसके लिए वन विभाग की पूर्व-निर्बाधता प्राप्त नहीं की गई थी। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2012-14 के दौरान जारी ₹305.55 लाख²⁰³ की राशि के प्रति, ₹299.89 लाख का व्यय, 51,776 सीमेंट के थैले और 147.267 मीट्रिक टन डामर की अधिप्राप्ति पर किया गया था (नवंबर 2012 से मार्च 2014) ताकि योजना के अधीन निधियों के व्यपगत होने से बचा जा सके। अधिप्राप्त सामग्री अन्य कार्यों²⁰⁴ के लिए विपथित की गई थी। डिवीजन ने उन मदों²⁰⁵ पर ₹5.66 लाख का अनियमित व्यय भी किया था जो परियोजना निर्माण कार्यों से संबंधित नहीं थी। सड़क के निर्माण में वन भूमि के उपयोग हेतु मांगपत्र ठेकेदार को कार्य के आबंटन की तिथि से चार माह के अंतराल के उपरांत वन विभाग को दिया गया (मई 2013); तथापि, पूर्व बकाया देयताओं²⁰⁶ की निर्बाधता न होने के कारण वन सलाहकार समिति द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया था (सितंबर 2013)। इसके अतिरिक्त, वन भूमि के मुआवजे के रूप में ₹16.66 लाख की राशि का अग्रिम प्रदान किया गया था (अगस्त 2014), परंतु वन विभाग द्वारा उक्त राशि लौटा दी गई थी (दिसंबर 2015), क्योंकि जेके वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत संस्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी।

ईई, पीडब्ल्यूडी, आरएण्डबी डिवीजन, उधमपुर ने (अक्टूबर 2016, नवंबर 2017 तथा मार्च/ मई 2018 में) तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा कि वन विभाग से निर्बाधता, जिसे दिसंबर 2018 तक प्रदान नहीं किया गया था, की प्राप्ति के उपरांत निर्माण कार्य तत्काल आरंभ कर दिया जाएगा।

²⁰³ 2012-13: ₹91.67 लाख; 2013-14: ₹213.88 लाख

²⁰⁴ जिला/ राज्य प्लान योजनाएं, शिक्षा/स्वास्थ्य विभागों के निर्माण कार्य एवं नाबार्ड/एसडीआरएफ इत्यादि के अधीन कार्यान्वित निर्माण कार्य

²⁰⁵ पीओएल प्रभार, दुलाई, फोटोप्रतियों की वार्षिक अनुरक्षण संविदा: ₹4.59 लाख; थलोरा से पिंगल रोड के निर्माण संबंधी कार्य: ₹1.07 लाख

²⁰⁶ 2007 से पूर्व के मामलों पर ₹7.85 करोड़ का

अतः वन भूमि के उपयोग हेतु पूर्व निर्बाधता प्राप्त करने तथा केवल निधियों के व्यपगत होने से बचने के लिए, किसी तत्काल उपयोग के बिना सामग्री की अधिप्राप्ति पर व्यय करने में विभागीय असफलता के परिणामस्वरूप ₹299.89 लाख का विपथन हुआ। इसके अलावा, डीपीआर बनाते समय भूमि की उपलब्धता संबंधी गलत स्थिति सूचित की गई थी जिसके कारण तीन वर्षों में पूर्ण किए जाने वाले परियोजना निर्माण कार्यों को पांच वर्षों से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी आरंभ नहीं किया गया। ₹5.66 लाख का अनियमित व्यय भी उन मदों पर किया गया जो परियोजना निर्माण कार्य से संबंधित नहीं थी।

मामला जून 2018 में सरकार/ विभाग को भेजा गया; दिसंबर 2018, मई 2019 और सितंबर 2019 में जारी किए गए अनुस्मारकों के बावजूद भी, उनका उत्तर (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

3.20 निष्फल व्यय, निधियों का विपथन और अवरोधन

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर केवल निधियों के व्यपगत होने से बचने के लिए कोषागार से निधियों का आहरण करने हेतु कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी (आरण्डबी) डिवीजन किशतवाड की अविवेकपूर्ण कार्रवाई तथा एक सड़क परियोजना में वन भूमि के उपयोग हेतु पूर्व निर्बाधता प्राप्त करने की असफलता के परिणामस्वरूप ₹9.43 लाख का निष्फल व्यय, ₹8.63 लाख का विपथन तथा नाबार्ड से उधार लिए गए ₹161.75 लाख का अवरोधन हुआ।

जम्मू और कश्मीर वन संरक्षण (जेकेएफसी) अधिनियम, 1997 और उसके अधीन बनाए गए नियम अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित करते हैं कि बॉर्डर/आरण्ड बी/सिंचाई सड़कें जब सीमांकित या असीमांकित वन भूमि के मध्य से गुजरती हैं; तो उनके निर्माण हेतु उक्त अधिनियम के तहत गठित सलाहकार समिति की अनुशंसाओं पर प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् प्रशासनिक विभाग (वन) अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकरण होगा। इसके अतिरिक्त, जम्मू व कश्मीर वित्तीय संहिता का नियम 2-16 (बी) (5) और 2-33, अन्य बातों के साथ यह अनुबंधित करता है कि कोषागार से कोई भी धन तब तक आहरित नहीं किया जाना है जब तक यह तत्काल संवितरण हेतु अपेक्षित नहीं होता। बजट अनुदान के व्यपगत होने से बचने के लिए निधियों के आहरण की पद्धति तथा लोक लेखा या बैंक के जमा में इस प्रकार के धन को रखना निषिद्ध है।

कार्यकारी अभियंता (ईई) लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सड़क एवं भवन (आरण्डबी) डिवीजन किशतवाड ने नाबार्ड²⁰⁷ सहायता के अधीन ₹433.82 लाख²⁰⁸

²⁰⁷ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

²⁰⁸ राज्य शेयर: ₹43.38 लाख; नाबार्ड ऋण: ₹390.44 लाख

की लागत पर गांव वानी त्रिगाम से होते हुए थमलान से पाडल तक 4 कि.मी.²⁰⁹ के फेज़-1 का निर्माण आरंभ किया (2012-13)। परियोजना तीन वर्षों के भीतर पूरी की जानी थी। तथापि, सक्षम प्राधिकारी से परियोजना का प्रशासनिक अनुमोदन अभी तक प्रतीक्षित था (जनवरी 2019)।

ईई, पीडब्ल्यूडी (आरण्डबी) डिवीजन, किशतवाड के अभिलेखों की (सितंबर 2016 में) लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वन विभाग से पूर्व निर्बाधता प्राप्त किए बिना सड़क का निर्माण (सितंबर 2013 में) आरंभ कर दिया गया था। परियोजना के लिए भूमि की अनुपलब्धता के बावजूद, डामर की अधिप्राप्ति हेतु वर्ष 2013-14 से 2014-15 के दौरान कोषागार से ₹179.81 लाख²¹⁰ का आहरण किया गया जिसे तत्पश्चात् जमा शीर्ष²¹¹ में क्रेडिट कर दिया गया। कार्य के आरंभ होने की तिथि से पांच माह के अंतराल के पश्चात्, वन विभाग का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु मांगपत्र फरवरी, 2014 में प्रस्तुत किया गया था और वन विभाग से अनुमोदन अभी तक प्रतीक्षित था (जनवरी 2019)। सड़क कार्य²¹² का एक भाग ₹7.17 लाख की लागत पर एक ठेकेदार को आबंटित किया गया था (मार्च 2013) तथा 0.70 कि.मी. सड़क पर अर्थवर्क के निष्पादन हेतु ₹9.43 लाख का व्यय किया गया था (मई, 2018)। इसके अलावा, डिवीजन में पीओएल की अधिप्राप्ति पर ₹8.63 लाख का विपथन किया गया था (मई 2018) जो परियोजना निर्माण कार्य का भाग नहीं था। शेष ₹161.75 लाख की राशि का पिछले चार वर्षों से जमा शीर्ष में रहना जारी रहा।

इंगित किए जाने पर, ईई, पीडब्ल्यूडी, आरण्डबी डिवीजन, किशतवाड ने (मई 2018 में) कहा कि मामला वन विभाग के साथ, उनकी निर्बाधता प्राप्त करने के लिए उठाया गया। तथ्य यह है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर केवल निधियों के व्यपगत होने से बचने के लिए कोषागार से निधियों का आहरण करने के लिए ईई, पीडब्ल्यूडी (आरण्डबी) किशतवाड की अविवेकपूर्ण कार्रवाई तथा वन भूमि के उपयोग हेतु पूर्व निर्बाधता प्राप्त करने की असफलता के परिणामस्वरूप ₹9.43 लाख (अर्थवर्क के क्रियान्वयन पर) का निष्फल व्यय, ₹161.75 लाख का अवरोधन तथा ₹8.63 लाख (पीओएल की अधिप्राप्ति) का विपथन हुआ।

मामला जुलाई 2018 में सरकार/ विभाग को भेजा गया था; दिसंबर 2018, मई 2019 और सितंबर 2019 में जारी किए गए अनुस्मारकों के बावजूद, उनका उत्तर (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

209 8 किमी की कुल लंबाई में से

210 राज्य शेर: शून्य; नाबार्ड ऋण: ₹179.81 लाख

211 मुख्य शीर्ष: 8443

212 थमलान से वाज़डोरा (त्रिगाम)

3.21 गांव त्राशी की अपूर्ण सड़क पर निधियों का निष्फल व्यय/ अवरोधन

सड़क कार्य का क्रियान्वयन आरंभ करने से पहले भूमि अधिग्रहण नहीं करने की कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सड़क एवं भवन, डिवीजन, छात्र की अविवेकपूर्ण कार्रवाई और आठ वर्षों से अधिक की अवधि तक परियोजना को पूर्ण करने में असफलता के परिणामस्वरूप ₹2.77 करोड़ का निष्फल व्यय तथा ₹0.69 करोड़ का अवरोधन हुआ।

छात्र-सिंहपुरा सड़क से गांव त्राशी तक प्रस्थान बिन्दु (दूसरे किमी से) से, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)-XVI के अधीन ₹3.95 करोड़ की लागत पर, चार किलोमीटर (किमी) की संपर्क सड़क के निर्माण एवं अपग्रेड को संस्वीकृति (अक्टूबर, 2010) प्रदान की गई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की सहायता (₹3.55 करोड़) तथा राज्य शेयर (₹0.40 करोड़) से वित्तपोषित की जानी वाली परियोजना को तीन वर्षों के अंदर पूरा किया जाना था। परियोजना हेतु प्रशासनिक अनुमोदन (जनवरी 2019 तक) प्रतीक्षित था।

कार्यकारी अभियंता (ईई), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सड़क एवं भवन (आरण्डबी) डिवीजन, छात्र के अभिलेखों की (अक्टूबर 2016 में) लेखापरीक्षा संवीक्षा तथा बाद में प्राप्त सूचना (जून, 2018) से पता चला कि इस परियोजना के लिए जारी ₹3.55 करोड़ की नाबार्ड की सहायता में से, स्टोर की अधिप्राप्ति हेतु अग्रिम के रूप में प्रदान की गई ₹68.65 लाख की राशि को सम्मिलित करते हुए, वर्ष 2010-18 के दौरान ₹3.46 करोड़²¹³ का व्यय किया गया था। ₹68.65 लाख के अग्रिम में से, डिवीजन में प्राप्त ₹52.45 लाख की सामग्री का परियोजना कार्य हेतु उपयोग नहीं किया जा सका और सामग्री की अधिप्राप्ति हेतु प्रदान किया गया ₹16.20 लाख का अग्रिम²¹⁴ प्राप्त नहीं हुआ था (मई, 2018)। राज्य सरकार ने मार्च, 2019 तक उसके ₹0.40 करोड़ का मैचिंग शेयर जारी नहीं किया। 4 कि.मी. की कुल सड़क लंबाई के प्रति 2.20 कि.मी. पर अर्थवर्क²¹⁵, 0.80 किमी पर मेटलिंग²¹⁶, 0.20 किमी पर शिंगलिंग²¹⁷ कार्य किया गया था तथा ब्लैक टॉपिंग का कार्य (जनवरी 2019 तक) नहीं किया गया था। विभाग ने अनुरोध किए जाने के बावजूद भी संविदा/ करार की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराईं। यद्यपि ब्लैक टॉपिंग डीपीआर का भाग था परंतु उक्त की संविदा (जनवरी 2019 तक) आबंटित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, भूमि/

²¹³ 2010-11: ₹68.26 लाख; 2011-12: ₹53.18 लाख; 2012-13: ₹45 लाख; 2013-14: ₹25 लाख; 2015-16: ₹140 लाख; 2017-18: ₹14.84 लाख

²¹⁴ स्टोर अधिप्राप्ति विभाग को

²¹⁵ फुटपाथ के बिना कच्चा रोड़

²¹⁶ 53-22.40 मिमी आकार के पत्थर का उपयोग करना

²¹⁷ 63 से 45 मिमी आकार के पत्थर का उपयोग करना

मकान मुआवजा हेतु भूमि विवाद और निधियों की अनुपलब्धता के कारण कार्य (जनवरी 2019 तक) नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, ईई, पीडब्ल्यूडी, आरएण्डबी डिवीजन, छात्रू ने भूमि मुआवजा हेतु निधियों की अनुपलब्धता को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया और तीसरे किमी पर सड़क का एक भाग वर्ष 2014 में बह गया था जिसके कारण वर्ष 2014 से कार्य को रोक दिया गया। यह भी कहा गया (सितंबर, 2018) कि वर्तमान वर्ष के दौरान, विशेष मरम्मतों के अंतर्गत पुनः स्थापन कार्य आरंभ किया गया था और इसका 50 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त, हानि से बचने के लिए योजना हेतु खरीदी गई ₹52.45 लाख के मूल्य की सामग्री का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया गया था जिसमें से ₹28 लाख की प्रतिपूर्ति (अप्रैल 2019 तक) कर ली गई थी तथा इन्हें जमा शीर्ष (8443) में रखा गया। यह भी कहा गया (अप्रैल 2019) कि ₹5 लाख की राशि का अग्रिम भूमि अधिग्रहण हेतु दिया गया है और तीसरे किमी से आगे कार्य को आरंभ करने हेतु संविदाकारों को नोटिस जारी किए गए। तथापि, तथ्य यह है कि सड़क कार्य का क्रियान्वयन आरंभ करने से पहले भूमि अधिग्रहण न करने की ईई, पीडब्ल्यूडी, आरएण्डबी डिवीजन, छात्रू की अविवेकपूर्ण कार्रवाई तथा आठ वर्षों से अधिक समय तक परियोजना पूर्ण करने की विफलता के परिणामस्वरूप ₹2.77 करोड़ का निष्फल व्यय और ₹0.69 करोड़ का अवरोधन हुआ। त्राशी गांव को छात्रू तहसील के मुख्य मार्ग से जोड़ने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि ग्रामवासी अभी तक उस सीमा से आगे उनके स्वयं के टेढ़े-मेढ़े मार्ग का उपयोग कर रहे थे, जिस तक सड़क पूरी की जा चुकी है।

मामला जुलाई 2018 में सरकार/ विभाग को भेजा गया; दिसंबर 2018, मई 2019 और सितंबर 2019 में जारी किए गए अनुस्मारकों के बावजूद भी, उनका उत्तर (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

3.22 कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटों पर निष्फल व्यय

टोल पोस्ट नगरी परोल पर स्थापित किए गए पांच कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटों को चालू करने और उनको उत्पाद शुल्क विभाग को सुपुर्द करने में लोक निर्माण (सड़क एवं भवन) विभाग तथा मैकेनिकल अभियांत्रिकी विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप, ₹1.25 करोड़ का निष्फल व्यय और सात वर्षों से अधिक की अवधि तक ₹0.03 करोड़ का अवरोधन हुआ।

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण, सड़क एवं भवन (आरएण्डबी) विभाग, जम्मू ने मुख्य अभियंता, मैकेनिकल अभियांत्रिकी विभाग (एमईडी) जम्मू को टोल प्लाजा नगरी परोल, कठुआ पर पांच धर्मकांटों को उपलब्ध करवाने एवं उनके संस्थापन का कार्य

आरंभ करने हेतु (मार्च 2010 में) अनुरोध अग्रेषित किया था। इन धर्मकांटों का उपयोग उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा किया जाना था। कार्यकारी अभियंता, आरण्डबी डिवीजन, कठुआ ने कार्य के क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी अभियंता, एमईडी डिवीजन, जम्मू को ₹1.28 करोड़²¹⁸ की राशि जारी की।

कार्यकारी अभियंता, एमईडी डिवीजन, जम्मू के अभिलेखों की (अप्रैल 2017 में) लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि पाँच पिट टाइप धर्मकांटों के डिजाइन, संविरचन, आपूर्ति (₹95.62 लाख), संस्थापन, परीक्षण और चालू करने (₹32.38 लाख) हेतु संविदा 4 नवंबर 2010 को समापन की तिथि, जिसे आगे 31 जनवरी, 2011 तक विस्तारित किया गया, सहित एक ठेकेदार को सितंबर 2010 में आबंटित की गई थी। ठेकेदार को ₹1.25 करोड़²¹⁹ की राशि का भुगतान किया गया था तथा ₹0.03 करोड़ की शेष राशि कार्यकारी अभियंता, एमईडी जम्मू के पास रखी रही। मुख्य अभियंता एमईडी जम्मू ने उत्पाद शुल्क आयुक्त से (मई 2011 में) अनुरोध किया कि धर्मकांटे सभी प्रकार से पूर्ण थे तथा उन्हें उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा लिया जा सकता है। इसके अलावा, कार्यकारी अभियंता (आरण्डबी) कठुआ और मुख्य अभियंता (आरण्डबी) जम्मू से भी इन धर्मकांटों को लेने के लिए सम्पर्क किया गया। सात वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, धर्मकांटों को (सितंबर 2018 तक) चालू नहीं किया गया था और न तो उन्हें लोक निर्माण (आरण्डबी) विभाग और न ही उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा लिया गया। आपूर्ति आदेश के अनुसार, आपूर्ति किए गए/संस्थापित उपकरण के चालू होने की तिथि से 12 महीनों की अवधि के लिए सफलतापूर्वक और संतोषजनक कार्य करने की प्रत्याभूति थी। धर्मकांटों और विद्युतीय प्रणाली के कार्यात्मक होने के लिए आपूर्ति की गई बैटरियों की अवधि समाप्त हो चुकी थी। अतः पांच कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटों को चालू करने और उनको उत्पाद शुल्क विभाग को सुपुर्द करने में मैकेनिकल अभियांत्रिकी विभाग एवं लोक निर्माण (आरण्डबी) विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप पांच पिट टाइप धर्मकांटों पर ₹1.25 करोड़ का निष्फल व्यय और सात वर्षों से अधिक की अवधि तक ₹0.03 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, उप उत्पाद शुल्क आयुक्त, टोल पोस्ट लखनपुर ने (फरवरी 2018 में) कहा कि मुख्य अभियंता एमईडी जम्मू तथा कार्यकारी अभियंता आरण्डबी कठुआ को सभी संदर्भों में तथा कार्यात्मक स्थिति में पूर्ण धर्मकांटों को विभाग को (अक्टूबर 2017 में) सुपुर्द करने के लिए कहा गया था। कार्यकारी अभियंता एमईडी डिवीजन जम्मू ने (जुलाई 2018 में) कहा कि मुख्य अभियंता

²¹⁸ मई, 2010: ₹75 लाख; नवम्बर, 2012: ₹53 लाख

²¹⁹ फरवरी 2011: ₹76 लाख; फरवरी 2013: ₹49.15 लाख

पीडब्ल्यूडी (आरएण्डबी) तथा उत्पाद शुल्क विभाग को संस्थापित/ पूर्ण धर्मकांटों को लेने का अनुरोध किया गया था, परंतु वह पिछले सात वर्षों में दोनों विभागों से कोई ठोस प्रतिक्रिया प्राप्त करने में असफल रहा। तथापि, उत्पाद शुल्क आयुक्त ने (जनवरी 2019 में) कहा कि सुपुर्दगी में देरी मुख्य रूप से लंबित सिविल कार्यों और उपकरणों के चालू न होने के कारण हुई।

मई 2018 में सरकार/ विभाग को मामला भेजने के बाद, उत्पाद शुल्क आयुक्त ने कहा (जनवरी 2019) कि लंबित सिविल निर्माण कार्य अब पूरे कर लिए गए हैं और पाँच धर्मकांटों को उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा दिनांक 24 दिसंबर 2018 को ले लिया गया है। तथापि, तथ्य यह है कि कार्यकारी विभागों के मध्य समन्वयन की कमी तथा मामलों को हल करने की विफलता के कारण, धर्मकांटों को सात वर्षों से अधिक की अवधि तक चालू नहीं किया जा सका। इसके अलावा, यातायात के भारी प्रवाह के पूर्वानुमान में टोल प्लाजा नागरी पैरोल पर विद्यमान तीन धर्मकांटों के अतिरिक्त पांच धर्मकांटों को चालू करने का निर्णय अविवेकपूर्ण था, क्योंकि आवागमन तथा राजस्व संग्रहण²²⁰ में घटती प्रवृत्ति थी, जिसको उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा वाहन मालिकों के दूसरे टोल पोस्ट लखनपुर, जिसमें बेहतर सुविधाएं तथा क्लियरेंस के लिए कम समय लगता है, की वरीयता को उत्तरदायी ठहराया। सरकार का उत्तर (सितम्बर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

3.23 स्टाफ के संयोजन के कारण अनुत्पादक व्यय

मुख्य अभियंता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, जम्मू में बिना किसी कार्य के स्टाफ के संयोजन के परिणामस्वरूप उनके वेतन के भुगतान पर ₹14.64 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ

जम्मू व कश्मीर सरकार, सार्वजनिक प्रशासन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों एवं विभागों के प्रमुखों को सभी संयोजित कर्मचारियों को वियोजित करने और उन्हें उनके मूल तैनातियों के स्थान जहां से वे इस प्रकार के संयोजन से पहले प्रत्याहारित किए गए थे, को वापस भेजने का निर्देश दिया (जुलाई/ अक्टूबर 2008)। कुछ विभागों में स्टाफ का संयोजन जारी रहने के संदर्भ में, सार्वजनिक प्रशासन विभाग ने निर्देशों को जुलाई/ अक्टूबर 2016 में पुनः दोहराया।

मुख्य अभियंता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सड़क एवं भवन (आरएण्डबी), जम्मू के अभिलेखों की (जुलाई 2016/ मई 2018 में) संवीक्षा से यह पता चला कि 49 पदों की संस्वीकृत संख्या के प्रति 1 जनवरी, 2018 तक 68 पदों

²²⁰ 2010-11: ₹5.96 करोड़; 2011-12: ₹7.20 करोड़; 2012-13: ₹8.00 करोड़; 2013-14: ₹3.97 करोड़; 2014-15: ₹2.50 करोड़; 2015-16: ₹3.01 करोड़; 2016-17: ₹3.44 करोड़; 2017-18: ₹2.58 करोड़

पर स्टाफ कार्यरत था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्टाफ के तत्काल वियोजन हेतु सार्वजनिक प्रशासन विभाग के निर्देशों के उल्लंघन में, 173 तकनीकी स्टाफ कार्मिक²²¹ को एक माह से बावन महीनों की भिन्न अवधियों के लिए, मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी (आरण्डबी) जम्मू के कार्यालय में संयोजित किया गया। विभाग ने इन कार्मिकों को अगस्त 2012 से फरवरी 2018 तक उनके संयोजन की अवधि के दौरान कोई कार्य नहीं दिया था (फरवरी 2018) तथा उनके वेतन के भुगतान पर किया गया ₹14.64 करोड़ का व्यय अनुत्पादक रहा।

इंगित किए जाने पर, मुख्य लेखा अधिकारी नए (जुलाई 2016 में) कहा कि अधिकारियों को केवल²²² वेतन प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक विभाग के आदेशों द्वारा संयोजित किया गया था। आगे यह भी कहा गया (जून 2018) कि उस कार्यालय में इन अधिकारियों को कोई कार्य नहीं दिया जा सका क्योंकि वहां संयोजन की कोई निश्चित अवधि नहीं थी। यह भी कहा गया (सितंबर/ दिसम्बर 2018) कि प्रशासनिक विभाग से प्राप्त उनके आदेशों में अधिकारियों/ कर्मचारियों के संयोजन का उद्देश्य वर्णित नहीं था। तथ्य यह है कि संयोजन की अवधि को भी 52 महीनों तक विस्तारित किया गया था और दिए गए किसी कार्य के बिना ही वेतन के भुगतान के परिणामस्वरूप फरवरी 2018 तक ₹14.64 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ था। इसके अलावा, तीन कर्मचारियों का पिछले एक वर्ष हेतु संयोजित (मार्च 2019 तक) रहना जारी रहा।

मामला अगस्त 2018 में सरकार/ विभाग को भेजा गया था; दिसंबर 2018, मई 2019 और सितंबर 2019 में जारी किए गए अनुस्मारकों के बावजूद भी, उनका उत्तर (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

राजस्व विभाग

3.24 वेतन और भत्तों का अधिक भुगतान

सरकार द्वारा जारी किए गए निर्धारित नियमों/ अनुदेशों के अनुसार निर्धारित वेतन मोड पर नियुक्त कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को नियमित करने की विभागीय विफलता के परिणामस्वरूप जुलाई, 2014 से मार्च, 2018 के दौरान अस्वीकार्य वेतन, भत्तों और नई पेंशन योजना (एनपीएस) अंशदान के कारण ₹64.21 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

जम्मू व कश्मीर सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2009 का नियम 10 अनुबंधित करता है कि प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि

²²¹ दो मुख्य अभियंता, 10 अधीक्षक अभियंता, 69 कार्यकारी अभियंता, 52 सहायक कार्यकारी अभियंता, 27 सहायक अभियंता, आठ कनिष्ठ अभियंता, तीन प्रधान ड्राफ्टमैन, दो ड्राफ्टमैन

²²² स्टाफ को कोई कार्य दिए बिना ही वेतनों का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है।

होगी और संशोधित वेतन संरचना में 1 जुलाई तक छह माह और इससे अधिक की अवधि पूरी करने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि स्वीकृत किए जाने हेतु योग्य थे। जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने निर्धारित वेतन मोड पर कुछ अराजपत्रित श्रेणियों के पदों की भर्ती की कार्यरिती जारी की थी (अक्टूबर 2011) जिनके द्वारा भर्ती किए गए व्यक्तियों को उनकी सेवा के प्रारंभिक पांच वर्षों की अवधि हेतु निर्धारित मासिक वेतन का भुगतान किया जाना था। इन कर्मचारियों को सेवा के पांच वर्षों के समापन के पश्चात् ही वार्षिक वेतन-वृद्धि, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकार भत्ता देना आरंभ किया जाना था। भर्ती के निर्धारित वेतन मोड हेतु ये कार्यरिती 21 मई, 2014 से वापस ले ली गई थी।

राजस्व विभाग के पांच आहरण और संवितरण अधिकारियों²²³ (डीडीओ) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जनवरी 2018, मार्च 2018, मई 2018 और जून 2018) से पता चला कि ₹4,100 के निर्धारित मासिक वेतन पर भर्ती के निर्धारित वेतन मोड के अंतर्गत नियुक्त 181 पटवारियों²²⁴ की वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2015 के बजाय 1 जुलाई 2014 से नियमित की गई थी। सरकार द्वारा निर्धारित नियमों/ जारी अनुदेशों के अनुसार इन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को नियमित करने की विभागीय विफलता के परिणामस्वरूप **परिशिष्ट 3.24.1** में दर्शाए अनुसार, जुलाई 2014 से मार्च 2018 तक की अवधि के दौरान अस्वीकार्य वेतन, भत्तों और एनपीएस²²⁵ अंशदान के कारण ₹64.21 लाख²²⁶ का अधिक भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, सभी डीडीओ ने कहा (अप्रैल/ मई 2019) कि अतिरिक्त वेतन एवं भत्तों की वसूली आरंभ कर दी गई थी और ₹47.95 लाख की वसूली की गई। यद्यपि एक डीडीओ²²⁷ ने एक इसी प्रकार के कर्मचारी, जिसने लेखापरीक्षा के पश्चात् इस कार्यालय में सेवाभार ग्रहण किया था, से अधिक भुगतान किए गए वेतन व भत्तों की वसूली की; तथापि, दूसरे डीडीओ²²⁸ द्वारा तीन कर्मचारियों, जिन्होंने या तो कार्य छोड़ दिया था या जो अन्य कार्यालयों में स्थानांतरित हो गए थे, से कोई वसूली नहीं की थी। चूंकि इंगित किया गया अधिक

223 सर्वेक्षण और भूमि अभिलेखों के तीन क्षेत्रीय निदेशक (आरडीएसएलआर): मराज अनंतनाग, कामराज बारामूला और श्रीनगर; दो तहसीलदार: अनंतनाग और कुलगाम

224 आरडीएसएलआर मराज अनंतनाग: 38; आरडीएसएलआर कामराज बारामूला: 70; आरडीएसएलआर श्रीनगर: 43; तहसीलदार अनंतनाग: 7 और तहसीलदार कुलगाम: 23

225 नई पेन्शन योजना

226 आरडीएसएलआर मराज अनंतनाग: ₹12.82 लाख; आरडीएसएलआर बारामूला: ₹24.93 लाख; आरडीएसएलआर श्रीनगर: ₹15.70 लाख; तहसीलदार अनंतनाग: ₹2.36 लाख और तहसीलदार कुलगाम: ₹8.40 लाख

227 तहसीलदार अनंतनाग

228 क्षेत्रीय निदेशक, सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख बारामूला

भुगतान केवल पांच डीडीओ में नमूना जांच पर आधारित था, अतः विभाग को शेष डीडीओ की स्थिति सुनिश्चित करने और उपयुक्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

मामला जुलाई, 2018 में सरकार/ विभाग को भेजा गया; दिसंबर 2018, मई 2019 और सितंबर 2019 में जारी किए गए अनुस्मारकों के बावजूद भी उनका उत्तर (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

श्रीनगर/जम्मू
दिनांक: 28 जनवरी 2020


(सुशील कुमार ठाकुर)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
जम्मू व कश्मीर और लद्दाख

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 7 फरवरी 2020


(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 1.4; पृष्ठ: 3)

वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य बजट से बाहर कार्यक्रमों/ योजनाओं के तहत विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्रम सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्माचन
			2017-18
1.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस)	जिला उपायुक्त	4,500.00
2.	बौद्ध और तिब्बती संस्थान और स्मारक	बौद्ध अध्ययन संस्थान	2,315.58
3.	आईएचएमएस/ एफसीआईएस/ आईआईटीएम/ एनआईडब्ल्यूएस आदि की सहायता।	संस्थान और होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी	358.30
4.	सौर ऊर्जा-ऑफ ग्रिड	लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	90.33
5.	शराब और पदार्थ (ड्रग्स) दुरुपयोग की रोकथाम के लिए योजना।	विधवाओं, अनाथों, विकलांगों और वृद्ध व्यक्तियों (आतंकवाद के शिकार) (आरसीएमवी) के पुनर्वास के लिए परिषद	300.00
6.	सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	संस्थान और होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी श्रीनगर/ फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट (सोसायटी) जम्मू	188.40
7.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को समर्थन	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग	13,090.00
8.	अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजनाएं	मैसर्स नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग (एनआईटीटी) -(एनआईआईटीजेके)/ ह्यूमन वेल्फेयर ऑर्गनाइजेशन/ हिलाल इंस्टीट्यूट/ सिटीजन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोपोर/ अस्सेंट ग्रुप	105.64
9.	अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों और दिव्यांग छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग	बांदीपोरा सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	106.27
10.	ई-कोर्ट फेज-2	महा पंजीयक, जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट	17,679.54
11.	युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान	85.95
12.	दिव्यांगों के लिए योजना	बांदीपोरा कॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंपोजिट रीजनल सेंटर, श्रीनगर/ कश्मीर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड सोलर टेक्नोलॉजी	208.08
13.	जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास	एसकेयूएसटी जम्मू/ कश्मीर, एसकेआईएमएस/ इस्लामिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1,147.65
14.	विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम	भारतीय समवेत औषध संस्थान, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, एसकेयूएसटी जम्मू/ कश्मीर, कश्मीर विश्वविद्यालय।	79.52
15.	ईएमआर सहित स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रबंधन	राजकीय मेडिकल कॉलेज, जम्मू	140.00

क्रम सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्माचन
			2017-18
16.	डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय योजना	जम्मू एवं कश्मीर राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	100.00
17.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण आजीविका सोसायटी (जेकेआरएलएस)	659.74
18.	वन स्टॉप सेंटर	उपायुक्त/ ओएससी, जिला कार्यक्रम अधिकारी	87.52
19.	अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण और आउटरीच	कश्मीर विश्वविद्यालय, कश्मीर पर्यावरण और सामाजिक संगठन।	50.50
20.	सीखो और कमाओ-कौशल विकास पहल	मैसर्स नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग (एनआईटीटी) (एनआईआईटीजेके)/ सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग/ टेंड्रल इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/ सोफटेक इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/ ह्यूमन वेल्फेयर ऑर्गनाइजेशन/ एवरग्रीन इंस्टिट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन	1,324.22
21.	संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस)	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	357.12
22.	जेएंडके पीएमडीपी अनुदान के तहत पकुल दुल एचईपी के लिए चिनाब वैली पावर को केंद्रीय सहायता।	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड	20,000.00
23.	औद्योगिक बुनियादी ढांचा उन्नयन योजना (आईआईयूएस)	राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडको), जम्मू एवं कश्मीर	820.50
24.	बुनियादी ढांचा विकास और क्षमता निर्माण	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडको)	491.12
25.	नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जेएंडके (एसकेयूएसटी-जेएंडके), कश्मीर विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी व्यापार उद्भवन केन्द्र	361.89
26.	कला संस्कृति विकास योजना	जम्मू एवं कश्मीर में विभिन्न सांस्कृतिक और कल्याण समितियां	434.61
27.	खेलों के विकास के लिए खेलो इंडिया राष्ट्रीय कार्यक्रम	इस्लामिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आईयूएसटी), अवंतिपोरा, पुलवामा, कश्मीर और निदेशक युवा सेवाएं और खेल जम्मू एवं कश्मीर	531.34
28.	भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	जम्मू एवं कश्मीर भू-अभिलेख प्रबंधन अभिकरण (जेकेएलआरएमए)	477.00
29.	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता और जिला योजना प्रक्रिया को मजबूत करना	इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईएमपीए)/ रीजनल एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर बडगाम।	100.40

क्रम सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्माचन
			2017-18
30.	नई मंजिल- एकीकृत शिक्षा और आजीविका पहल	कॉमटेक प्रौद्योगिकी संस्थान / नेशनल एजुकेशन सोसायटी एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन/ सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग/ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग	479.85
31.	राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	जम्मू एवं कश्मीर राज्य एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण सोसायटी-[जेकेएसएपीसीएस]	777.04
32.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, हरिओम पश्मीना हैंडलूम इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसायटी, जन कल्याण हैंडलूम बुनाई इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, एस्क्वायर रैफल्स पश्मीना हैंडलूम डब्ल्यूआईसीएस लिमिटेड, मैसर्स बादाम पश्मीना और रैफल हैंडलूम डब्ल्यूआईसीएस लिमिटेड, मैसर्स झेलम वैली बेसहारा बुनकर इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, मैसर्स शोकिन पश्मीना रैफल और कॉटन हैंडलूम डब्ल्यूआईसीएस लिमिटेड	295.90
33.	खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन	इंडो कश्मीर/ कचरू इंडीग्रेटेड कोल्ड चेन/ केसर मसाले और फूड्स/ वाजान फूड्स, सुरक्षित और ताज़ा फूड्स/ शफात ऑयल मिल्स एंड स्पाइस/ मीर एगो इंडस्ट्रीज आदि।	20.29
34.	तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (पीआरएसएडी)	जम्मू एवं कश्मीर स्टेट केबल कार निगम लिमिटेड।	1,152.11
35.	स्मॉल हाइड्रो पावर-ग्रिड इंटरएक्टिव	अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी कारगिल/ जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड	1,433.35
36.	नए आईआईएम की स्थापना	भारतीय प्रबंधन संस्थान, जम्मू।	1,645.00
37.	पारंपरिक उद्योगों के उत्थान हेतु निधि के लिए योजना (एसएफयूआरटीआई)	जम्मू एवं कश्मीर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	430.50
38.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण	कश्मीर विश्वविद्यालय/ श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय/ भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान/ शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू एवं कश्मीर	1,517.28
39.	अनुसंधान प्रशिक्षण और अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं	परिवहन आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	349.25
40.	अनुसंधान और विकास	जम्मू एवं कश्मीर का शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी एनवायरमेंट एंड रिमोट सेंसिंग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर।	119.42
41.	विशिष्ट विषयों के आसपास पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास (स्वदेश दर्शन)	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड/ जम्मू एवं कश्मीर स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड	11,550.08

क्रम सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्माण
			2017-18
42.	विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (यूएसटीडीएडी)	बांदीपोरा सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	82.20
43.	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	समाज कल्याण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर	2,900.45
44.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	जम्मू एवं कश्मीर राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	196.75
45.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	उप आयुक्त बीबीबी सांबा, पुलवामा, जिला विकास आयुक्त शोपियां, जिला मजिस्ट्रेट जम्मू, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग आदि।	262.91
46.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी सब्सिडी	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बौद्ध अध्ययन	1,681.64
47.	कृषि यंत्रिकरण पर उप-मिशन	जम्मू एवं कश्मीर का शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी / जम्मू एवं कश्मीर स्टेट एगो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड।	521.20
48.	नए आईआईटी की स्थापना	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू	13,928.00
49.	स्थापना व्यय-आयुष	जम्मू विश्वविद्यालय, स्कुआस कश्मीर, भद्रवाह विकास प्राधिकरण, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोवा-रिग्पा	136.65
50.	परिवार कल्याण योजनाएं	कश्मीर विश्वविद्यालय	84.92
51.	मतदाता शिक्षा	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जम्मू एवं कश्मीर	328.75
52.	रोड विंग्स के अंतर्गत निर्माण कार्य	विभिन्न व्यक्तियों और निजी निर्माण कंपनियों	2,681.19
53.	पवन उर्जा- ऑफ ग्रिड	लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	85.72
54.	सीआरएफ से राज्य ईएंडआई को अनुदान	एमजी कान्ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड	763.66
55.	अन्य योजनाएं	अन्य योजनाएं	875.80
	कुल		1,10,491.13

(स्रोत: वित्त लेखे 2017-18)

परिशिष्ट-2.1.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.1.8.4; पृष्ठ: 34)

पिछले दो वर्षों के दौरान जिन अधूरे कार्यों के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की गई, उनको दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्रम सं.	जलापूर्ति योजनाओं का नाम	डिविजन का नाम	प्रारंभ का वर्ष	अनुमानित लागत		खर्च किये		विभाग द्वारा प्रदान किए गए उत्तर का सार
				मूल	संशोधित	वर्ष	राशि	
1.	कन्हेरी	अखनूर	2013-14	40.00	40.00	2014-15	28.75	परित्याग के कारणों की जानकारी मांगी जाएगी और सूचित किया जाएगा।
2.	ट्रिच	अवंतिपोरा	2007-08	184.00	184.00	2012-13	161.10	फंड जारी न करना
3.	बाथन जंट्रग		2003-04	219.00	219.00	2015-16	114.22	स्रोत की कमी
4.	शाह मोहल्ला चोपन बस्ती		2011-12	149.00	149.00	2015-16	86.97	स्रोत से नहीं छोड़ा गया
5.	मारवाल		2007-08	191.00	330.00	2013-14	204.70	पीने योगी नहीं
6.	अमीराबाद चंद्रीगाम		1999-2000	125.00	263.05	2012-13	125.27	बढ़ी हुई लागत
7.	बांडीपोरा बोमाई		सोपोर	2011-12	59.97	59.97	2014-15	10.19
8.	दरदूरा जलूरा	2010-11	61.13	61.13	2013-14	3.28		
9.	हरितार	2008-09	38.00	38.00	2015-16	5.67		
10.	आईआर शर्कवारा	2010-11	200.00	200.00	2015-16	6.55		
11.	फत्तिपोरा चन्देरगिर	2009-10	358.83	358.83	2014-15	344.60		
12.	रख शिल्वत	2010-11	35.95	35.95	2013-14	17.29		
13.	ओडिना में कुआ	2010-11	21.50	21.50	2015-16	47.00		
14.	बोहरिपोरा	2012-13	8.65	8.65	2014-15	2.00		

क्रम सं.	जलापूर्ति योजनाओं का नाम	डिविजन का नाम	प्रारंभ का वर्ष	अनुमानित लागत		खर्च किये		विभाग द्वारा प्रदान किए गए उत्तर का सार
				मूल	संशोधित	वर्ष	राशि	
15.	मोहदफल (जीबी)	बिजबिहारा	2013-14	29.29	29.29	2015-16	22.79	निधि जारी नहीं की गयी
16.	चाकुरा में बांध सह स्पिल वे		2013-14	84.00	84.00	2014-15	96.00	निधि जारी नहीं की गयी
17.	लेस्सू ब्रेन-नाई में आईआर		2010-11	265.00	265.00	2013-14	18.22	निधि जारी नहीं की गयी
18.	अरिगोहाल		2010-11	91.20	91.20	2014-15	60.14	निधि जारी नहीं की गयी
19.	गलबुघ	पुलवामा	2007-08	266.78	366.76	2015-16	263.40	बढ़ी हुई लागत
20.	मिरबघ डौगाम		2009-10	200.00	320.00	2015-16	153.04	बढ़ी हुई लागत
	कुल			2,628.30	3,125.33		1,771.18	

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट-2.1.2

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.1.8.5; पृष्ठ: 35)

सैंपल डिवीजनों में डीपीआर के बिना क्रियान्वित कार्य

(₹ लाख में)

क्रम सं.	जल आपूर्ति योजना का नाम	डिवीजन का नाम	अनुमानित लागत	मार्च 2013 के अंत तक संचयी व्यय	मार्च 2018 के अंत तक संचयी व्यय	मार्च 2018 के अंत तक वास्तविक स्थिति
1.	कन्हेरी	अखनूर	40.00	0.00	28.75	प्रगति में
2.	श्रोनी जोथल		758.50	0.00	88.91	प्रगति में
3.	बालसरू		71.50	64.50	71.50	पूर्ण
4.	राह/ हरदू मलारा		142.50	1.00	78.36	प्रगति में
5.	पालनवाला (छंब) नलकूप की खुदाई		69.00	41.00	69.00	पूर्ण
6.	रंगपुर चाम्ब नलकूप की खुदाई		77.00	45.00	77.00	पूर्ण
7.	भूम कुलीयन		197.50	105.00	165.75	प्रगति में
8.	जट्टा-दे-कोठे		120.50	2.00	81.79	प्रगति में
9.	जोगवन बरदो		162.00	2.00	44.38	प्रगति में
10.	कोट मकोटे		98.19	95.19	98.19	पूर्ण
11.	देवक	नौशेरा	553.00	8.67	86.87	जारी
12.	चौकी नरियन		305.00	6.90	33.40	जारी
13.	कराल	ग्रामीण जम्मू	93.00	81.88	93.00	पूर्ण
14.	चरंगल		87.00	75.60	87.00	पूर्ण
15.	कहालती		65.40	32.00	65.40	पूर्ण
16.	सिधरा (पुराना)		69.98	34.29	38.29	पूर्ण
17.	मट्टीन		68.31	39.21	68.31	पूर्ण
18.	खदता		69.70	35.90	69.70	पूर्ण
19.	चाकरोज चरण-II		109.52	9.00	88.06	जारी
20.	शुवाड़ा		121.00	33.00	117.50	पूर्ण
21.	डेलनी कसाना		180.00	10.00	119.49	जारी

क्रम सं.	जल आपूर्ति योजना का नाम	डिवीजन का नाम	अनुमानित लागत	मार्च 2013 के अंत तक संचयी व्यय	मार्च 2018 के अंत तक संचयी व्यय	मार्च 2018 के अंत तक वास्तविक स्थिति
22.	वद्वेराबाद	पीएचई बारामूला	225.00	0.00	7.50	जारी
23.	गतियार		224.48	12.89	42.30	जारी
24.	ख्वाजा गुंडी कासिम		366.00	0.00	31.50	जारी
25.	चेक्की सुल्तानपोरा		288.73	225.73	275.60	जारी
26.	रेंज		50.00	0.00	2.00	जारी
27.	फूट पार्क कॉलोनी गुलिगम (सोपोर)		210.00	0.00	5.14	जारी
28.	खोई		756.96	120.54	295.35	जारी
29.	सय्यद कॉलोनी चिनाड		30.00	2.00	30.00	जारी
30.	दन्दूसा डोलिगुंड		92.00	0.00	22.90	जारी
31.	ग्रामीण बारामूला के लिए संयंत्र		75.27	29.97	51.87	जारी
32.	सहकूल गोशुघ		38.00	25.98	26.36	जारी
33.	मलगनिपोरा		144.00	1.81	19.02	जारी
34.	आईआरपी वाटेरगम		48.00	41.12	43.18	जारी
35.	सय्यद कॉलोनी वाबूग		पीएचई सोपोर	24.81	0.00	0.58
36.	रंगी	50.00		0.00	4.59	जारी
37.	शलपोरा तुजार शरीफ	462.00		0.00	29.47	जारी
38.	राखी हयगम हरितार	195.02		0.00	26.90	जारी
39.	फूट पार्क कॉलोनी	210.00		0.00	15.49	जारी
40.	आईआर शर्कवारा	पीएचई सोपोर	200.00	6.25	6.55	जारी
41.	अधल चेर्वाड	पीएचई बिजबिहारा	15.57	4.50	15.57	पूर्ण
42.	नागपथरी चंकितर	पीएचई अवन्तिपोरा	299.13	0.00	31.90	जारी
43.	नेहामा		454.28	0.00	40.62	जारी
	कुल		7,917.85	1,192.93	2,695.04	

क्रम सं.	जल आपूर्ति योजना का नाम	डिवीजन का नाम	अनुमानित लागत	मार्च 2013 के अंत तक संचयी व्यय	मार्च 2018 के अंत तक संचयी व्यय	मार्च 2018 के अंत तक वास्तविक स्थिति
उन योजनाओं का विवरण जहां डीपीआर को ऑडिट करने के लिए नहीं दिखाया गया था						
1	रफता नीमू	लेह	32.10	20.00	32.10	पूर्ण
2	यौलखम		60.30	40.54	60.30	पूर्ण
3	खलसर		40.80	15.00	40.80	पूर्ण
4	उदमरू		43.35	15.00	43.35	पूर्ण
5	साती		52.56	15.00	52.56	पूर्ण
6	बरमा		60.18	46.70	60.18	पूर्ण
7	उरसी डोक		26.80	19.31	26.80	पूर्ण
8	चेग्से डकनक लामायुरु.		33.95	23.00	33.95	पूर्ण
9	जासा बास्गो		249.60	65.00	181.39	प्रगति में
10	कोंचू कोबेट		32.99	0.00	32.99	प्रगति में
11	अगलिंग स्पीतुक		650.80	0.00	65.95	प्रगति में
	कुल		1,283.43	259.55	630.37	

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट-2.1.3

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.1.8.10; पृष्ठ: 42)

भूमि अधिग्रहण/ स्रोत विकास आदि के बिना आरंभ की गई जलापूर्ति योजनाओं का विवरण

(₹ लाख में)

क्रम सं.	जल आपूर्ति योजना का नाम	डिवीजन का नाम	प्रारम्भ करने की तिथि	पूर्ण होने की परिकल्पित तिथि	अनुमानित लागत	वास्तविक व्यय	जिस वर्ष तक व्यय हुआ	निष्फल व्यय के कारण	अनंतिम स्थिति	डिवीजनों द्वारा प्रस्तुत उत्तर का सार
1.	दत्रीयाल	ग्रामीण जम्मू	2012-13	2014-15	275.90	83.99	2017-18	भूमि के गैर-अधिग्रहण के कारण वितरण ओएचटी के बिना पूरा हुआ	जारी	ट्यूबवेल तथा ओएचटी के लिए चयनित भूमि न्यायाधीन थी।
2.	बेरमीनी		2011-12	2013-14	401.65	199.16	2017-18	ट्यूबवेल से पानी का अपर्याप्त प्रवाह	जारी	पर्याप्त निधि की अनुपलब्धता
3.	जमोतियान कोगरखू	अखनूर जम्मू	2010-11	2011-12	149.78	106.34	2017-18	स्रोत विकास के बिना वितरण पूरा हुआ।	जारी	सीजीडब्ल्यूबी ने डब्ल्यूएसएस के लिए अलग-अलग स्रोत रखे हैं
4.	मावा चेरियन		2010-11	2012-13	126.38	67.97	2017-18	स्रोत विकास के बिना वितरण पूरा हुआ।	जारी	ट्यूबवेल की विफलता के बाद, सीजीडब्ल्यूबी ने कुआं खोदने के लिए सलाह दी है
5.	बस्ती जोगियाँ मोहल्ला	शहर-II जम्मू	2011-12	2013-14	190.00	163.26	2017-18	भूस्वामियों के बीच स्रोत विवाद	जारी	भूस्वामियों के बीच विवाद
6.	संत रोचा सिंह		2012-13	2014-15	229.61	49.62	2016-17	भूस्वामियों के बीच स्रोत विवाद	जारी	भूस्वामियों के बीच विवाद

क्रम सं.	जल आपूर्ति योजना का नाम	डिवीजन का नाम	प्रारम्भ करने की तिथि	पूर्ण होने की परिकल्पित तिथि	अनुमानित लागत	वास्तविक व्यय	जिस वर्ष तक व्यय हुआ	निष्फल व्यय के कारण	अंतिम स्थिति	डिवीजनों द्वारा प्रस्तुत उत्तर का सार
7.	कठुआ औद्योगिक इस्टेट	पीएचई डिवीजन कठुआ	2006-07	2008-09	161.25	119.79	2017-18	ओएचटी के बिना वितरण पूर्ण हुआ	जारी	धन की अनुपलब्धता के कारण डबल्यूएसएस पूरा नहीं हुआ
8.	बारी दरहल	पीएचई डिवीजन राजौरी	2008-09	2011-12	374.70	138.26	2017-18	11 वर्ष बीत जाने के बाद भी एलएफ/ डीएस पूरा नहीं हुआ	जारी	पर्याप्त निधि की अनुपलब्धता
9.	टोपा डोडज		2007-08	2010-11	399.00	154.20	2017-18	इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन और पंप मशीनरी	जारी	पर्याप्त निधि की अनुपलब्धता
10.	जुंगरियाल	पीएचई नौशेरा	2011-12	2014-15	271.30	100.60	2017-18	स्रोत विकास, पंपिंग स्टेशन जैसे यांत्रिक भाग को पूरा नहीं किया गया था	जारी	अल्प धन के कारण स्रोत पूरा नहीं हो सका
11.	बेरी पट्टन		2010-11	2013-14	179.48	153.13	2017-18	योजना का स्रोत और निस्पंदन संयंत्र पूरा नहीं हुआ	जारी	धन की अल्पता के कारण योजना पूर्ण नहीं हो सकी।
12.	नीमू	पीएचई लेह	2012-13	2014-15	399.00	282.58	2017-18	पम्पिंग मशीनरी की गैर-स्थापना	जारी	धन की अनुपलब्धता के कारण पूर्ण नहीं हो सका
13.	जहामा	पीएचई बारामूला	2007-08	2010-11	354.00	284.47	2017-18	वितरण नेटवर्क के न बिछाने और फिटिंग तथा अतिरिक्त कच्चे पानी के सह-पंप हाउस का निर्माण नहीं करना	जारी	योजना को चालू वर्ष में पूरा किया जाएगा जोकि उच्च अधिकारियों से प्राप्त धन के अधीन है

क्रम सं.	जल आपूर्ति योजना का नाम	डिवीजन का नाम	प्रारम्भ करने की तिथि	पूर्ण होने की परिकल्पित तिथि	अनुमानित लागत	वास्तविक व्यय	जिस वर्ष तक व्यय हुआ	निष्फल व्यय के कारण	अंतिम स्थिति	डिवीजनों द्वारा प्रस्तुत उत्तर का सार
14.	भट मोहल्ला सांगी गुजरपटी	पीएचई सोपोर	2012-13	2015-16	348.25	217.17	2017-18	स्रोत विवाद	जारी	स्रोत विवाद
15.	खुशालपोरा सय्यद कॉलोनी संग्रामा		2012-13	2015-16	690.82	164.32	2017-18	स्रोत साइट के गलत चयन का परिणाम दूषित पानी निकलना।	कार्य रोका गया	पानी पीने योगी नहीं
16.	शाह मोहल्ला पंजीनारा		2012-13	2015-16	402.14	158.40	2017-18	स्रोत विवाद	कार्य रोका गया	स्रोत विवाद
17.	शिवा-जैनागीर		2012-13	2015-16	309.00	347.68	2017-18	स्रोत विवाद मामले के न्यायाधीन होने के कारण 150 मिमी व्यास फीडिंग मेन की बिछाने और फिटिंग को क्रियान्वित नहीं किया जा सका	कार्य रोका गया	स्रोत विवाद
18.	सईदापोरा-दंगरपोरा		2011-12	2013-14	816.00	367.07	2017-18	भूमि विवाद मामला न्यायाधीन	विवाद के कारण कार्य रोका गया	न्यायाधीन
19.	निगली घाट		2013-14	2015-16	294.43	112.57	2015-16	वन विभाग से एनओसी प्राप्त नहीं करना	अवरुद्ध कार्य एनओसी प्राप्त करने के पश्चात शुरू किया जाएगा	एनओसी जारी करने हेतु मामला वन विभाग के साथ उठाया गया है

क्रम सं.	जल आपूर्ति योजना का नाम	डिवीजन का नाम	प्रारम्भ करने की तिथि	पूर्ण होने की परिकल्पित तिथि	अनुमानित लागत	वास्तविक व्यय	जिस वर्ष तक व्यय हुआ	निष्फल व्यय के कारण	अंतिम स्थिति	डिवीजनों द्वारा प्रस्तुत उत्तर का सार
20.	अशाम बोनपोरा जूनीपोरा		2011-12	2013-14	234.37	195.00	2017-18	डीपीआर में डीआई पाइप 200 मिमी व्यास राइसिंग मेन बिछाने और फिटिंग का गैर-निगमन	जारी	मूल डीपीआर के तहत गैर-निगमन घटक
21.	अलसफ़ा कॉलोनी	पीएचई यांत्रिक (उत्तर) सोपोर	2011-12	2013-14	195.00	167.24	2016-17	डबल्यूएसएस के सफल कमीशन के लिए आवश्यक उपकरणों/वर्क्स को मूल डीपीआर के दायरे में शामिल नहीं किया गया था	जारी	कुछ कार्य मूल अनुमानों के अंतर्गत नहीं हैं जोकि सफल कमीशन के लिए आवश्यक हैं
22.	शेखपोरा अनन्वान		2012-13	2014-15	32.50	20.75	2017-18	भूमि विवाद के कारण सिविल कार्य अपूर्ण	जारी	भूमि विवाद
23.	बुमहमा		2011-12	2014-15	109.00	69.31	2017-18	भूस्वामियों के साथ विवाद	जारी	भूमि विवाद
24.	दडचेक में आईआर संयंत्र		2012-13	2014-15	84.00	37.00	2017-18	भूमि विवाद	कार्य रोका गया	भूमि विवाद
25.	राइटेंगीरी	पीएचई बिज्बिहेड़ा	2012-13	2014-15	115.00	115.00	2017-18	निस्पंदन प्लांट के पूरा न होने के कारण योजना पूर्ण हैं परंतु क्रियाशील नहीं है	पूर्ण परंतु क्रियाशील नहीं	इसे क्रियाशील बनाने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है
26.	मस्खुड	पीएचई काजीगुंड	2008-09	2010-11	159.41	154.97	उपलब्ध नहीं	वितरण नेटवर्क के लिए पाइप के न बिछाने और फिटिंग न होने के कारण स्रोत कम हो गया -	जारी	स्रोत कम हो गया

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक (गैर-सा.क्षे.उ.) क्षेत्र

क्रम सं.	जल आपूर्ति योजना का नाम	डिवीजन का नाम	प्रारम्भ करने की तिथि	पूर्ण होने की परिकल्पित तिथि	अनुमानित लागत	वास्तविक व्यय	जिस वर्ष तक व्यय हुआ	निष्फल व्यय के कारण	अंतिम स्थिति	डिवीजनों द्वारा प्रस्तुत उत्तर का सार
27.	अतिरिक्त ओएचटी गस्सीपोरा का निर्माण		2013-14	2015-16	69.75	64.22	उपलब्ध नहीं	पानी की गुणवत्ता की समस्या के कारण योजना को चालू नहीं किया जा सका क्योंकि डीपीआर में निस्पंदन संयंत्र निर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया था	जारी	जल गुणवत्ता समस्या
28.	गल्लेण्डर	पीएचई अवन्तिपोरा	2007-08	2010-11	195.50	250.80	2017-18	लागत अधिक होने के कारण न तो योजना पूरी नहीं हो सकी और न चालू हो सकी	बढ़ी हुई लागत	बढ़ी हुई लागत
	कुल				7,567.22	4,344.87				


(स्रोत : नमूनित डिवीजनों में डब्ल्यूएसएस की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट-2.2.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.2 एवं 2.2.4; पृष्ठ: 54 और 57)

संगठनात्मक ढांचा और लेखापरीक्षा के मापदंड

जम्मू एवं कश्मीर राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी



(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना)

लेखापरीक्षा के मापदंड

1. जिला ग्रामीण पथ योजना (डीआरआरपी), कोर नेटवर्क, सीएनसीपीएल और सीयूपीएल;
2. पीएमजीएसवाई की संचालन नियमावली और मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के उपबंध;
3. जम्मू और कश्मीर लोक कार्य संहिता और समय-समय पर निर्गत आदेश; और
4. गुणवत्ता नियंत्रण और अनुश्रवण प्रणाली।

परिशिष्ट-2.2.2

(संदर्भ पैराग्राफ:2.2.4; पृष्ठ: 56)

सड़क परियोजनाओं की स्थिति

(सड़क परियोजनाएं/ बस्तियां संख्या में, लंबाई कि.मी. में तथा लागत ₹ करोड़ में)

विवरण		वर्ष वार ब्योरा					कुल
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2013-18
लंबाई और बस्तियां सहित संस्वीकृत सड़क परियोजनाएं जो कि वर्ष की शुरुआत में जुड़े हुए नहीं थे	सड़क परियोजनाएं	1,227	1,022	845	681	1,126	-
	लंबाई	5,863.13	4,971.34	4,036.68	3,548.57	6,639.91	-
	बस्तियां	749	560	428	343	851	-
	लागत	3,289.30	2,755.13	2,332.40	2,074.01	4,619.77	-
वर्ष के दौरान लंबाई तथा बस्तियां सहित संस्वीकृत सड़क परियोजनाएं	सड़क परियोजनाएं	0	0	0	542	0	542
	लंबाई	0	0	0	3,519.94	0	3,519.94
	बस्तियां	0	0	0	595	0	595
	संस्वीकृत लागत	0	0	0	2,842.32	0	2,842.32
जोड़ने हेतु लंबाई तथा बस्तियां सहित कुल सड़क परियोजनाएं	सड़क परियोजनाएँ	1,227	1,022	845	1,223	1,126	-
	लंबाई	5,863.13	4,971.34	4,036.68	7,068.51	6,639.91	-
	बस्तियां	749	560	428	938	851	-
	लागत	3,289.30	2,755.13	2,332.40	4,916.33	4,619.77	-
लंबाई तथा बस्तियां की सहित जोड़ी गई कुल सड़क परियोजनाएं	सड़क परियोजनाएं	205	177	164	97	167	810
	लंबाई	891.79	934.66	488.11	428.60	1,429.34	4,172.50
	बस्तियां	189	132	85	87	226	
	लागत	534.17	422.73	258.39	296.56	709.44	
पूर्ण की गई सड़क परियोजनाएं (प्रतिशत में)		17	17	19	8	15	
वर्ष के अंत में लंबाई तथा बस्तियां सहित बिना जुड़ी हुई सड़क परियोजनाएँ	सड़क परियोजनाएं	1,022	845	681	1,126	959	
	लंबाई	4,971.34	4,036.68	3,548.57	6,639.91	5,210.57	
	बस्तियां	560	428	343	851	625	
	लागत	2,755.13	2,332.40	2,074.01	4,619.77	3,910.33	

(स्रोत: जेकेएसआरआरडीए के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.2.3

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.4; पृष्ठ: 57)

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु नमूना-चयन

जिले का नाम	कुल पैकेज					चयनित पैकेज				
	सड़क परियोजनाओं की संख्या	निष्पादन लेखापरीक्षा से पूर्व जारी सड़क निर्माण कार्य	निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान संस्वीकृत सड़क निर्माण कार्य	पूर्ण किए गए सड़क निर्माण कार्य	जारी सड़क निर्माण कार्य	सड़क परियोजनाओं की संख्या	निष्पादन लेखापरीक्षा से पूर्व जारी सड़क निर्माण कार्य	निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान संस्वीकृत सड़क निर्माण कार्य	पूर्ण किए गए सड़क निर्माण कार्य	जारी सड़क निर्माण कार्य
नए संबद्ध निर्माण कार्य										
रामबन	77	65	12	22	55	20	17	3	5	15
राजौरी	166	105	61	74	92	42	26	16	18	24
उधमपुर	280	237	43	91	189	70	57	13	26	44
जम्मू	53	34	19	31	22	14	9	5	7	7
बारामूला	75	49	26	22	53	19	15	4	5	14
गांदरबल	67	55	12	23	44	17	16	1	6	11
कुपवाड़ा	69	60	9	46	23	18	17	1	15	3
अनंतनाग	110	87	23	59	51	28	20	8	16	12
लेह	10	10	0	6	4	5	5	0	3	2
कुल	907	702	205	374	533	233	182	51	101	132
उन्नयन निर्माण कार्य										
रामबन	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
राजौरी	10	4	6	4	6	5	4	1	4	1

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक (गैर-सा.क्षे.उ.) क्षेत्र

जिले का नाम	कुल पैकेज					चयनित पैकेज				
	सड़क परियोजनाओं की संख्या	निष्पादन लेखापरीक्षा से पूर्व जारी सड़क निर्माण कार्य	निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान संस्वीकृत सड़क निर्माण कार्य	पूर्ण किए गए सड़क निर्माण कार्य	जारी सड़क निर्माण कार्य	सड़क परियोजनाओं की संख्या	निष्पादन लेखापरीक्षा से पूर्व जारी सड़क निर्माण कार्य	निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान संस्वीकृत सड़क निर्माण कार्य	पूर्ण किए गए सड़क निर्माण कार्य	जारी सड़क निर्माण कार्य
उधमपुर	5	0	5	0	5	5	0	5	0	5
जम्मू	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4
बारामूला	12	0	12	0	12	5	0	5	0	5
गांदरबल	4	2	2	2	2	4	2	2	2	2
कुपवाड़ा	24	12	12	11	13	6	4	2	4	2
अनंतनाग	8	2	6	3	5	5	2	3	3	2
लेह	4	1	3	0	4	4	1	3	0	4
कुल	72	21	51	20	52	39	13	26	13	26
कुल योग	979	723	256	394	585	272*	195	77	114	158

(*272 नमूनित सड़क परियोजनाओं में से, 18 सड़क परियोजनाएं सैंपलिंग के समय निविदा/ गैर-आबंटन के अधीन थीं तथा, इस प्रकार विस्तृत संवीक्षा हेतु विचार नहीं किया गया)

परिशिष्ट-2.2.4

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.6.2 (ख); पृष्ठ: 73)

विभागीय प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से प्रत्यक्ष निरीक्षित की गई सड़कों की सूची

क्रम सं.	जिला	कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई	चरण-I				चरण-II	
			पैकेज संख्या/ फेज	सड़क का नाम	पूर्ण होने की तिथि	व्यय	पैकेज संख्या/ फेज	स्थिति
1	उधमपुर	उधमपुर	जेके14- 153/ VII	मौड़ से पट्टियान से ऊपरी मौड़	दिसंबर 2012	266.81	316/ VIII	एनए (आबंटित नहीं)
2	उधमपुर	उधमपुर	जेके14- 411/X	मानसर से सौराप	नवंबर 2017	278.98		एनए
3	उधमपुर	रामनगर	जेके14-21/ V	प्लासीयन से पिंगर	मई 2017	280.84	242/ VIII	एनए
4	उधमपुर	रामनगर	जेके14-158/ VII	सुनेटर खास से धनवाल्ड	जून 2013	490.69	351/ VIII	एनए
5	उधमपुर	रामनगर	जेके14-149/ VII	डूडु से गुरातास	मार्च 2017	252.82	344/ VIII	एनए
6	उधमपुर	रामनगर	जेके14-154/ VII	जखेड़ से गुरशलला	मई 2017	93.10	324/ VIII	एनए
7	रामबन	रामबन	जेके14-54/ VI	मावेयल कोटे सुंददा ठेठारका	सितंबर 2016	215.43	367/ VIII	एनए
8	रामबन	रामबन	जेके14-42/ VI	पर्यमुल्ला तुंगीयन जब्बर	अक्टूबर 2013	190.56	368/ VIII	एनए
9	रामबन	बनिहाल	जेके04-68/ VI	बीबी रामसू अदमार्ग से माहो	पूर्ण	445.05	452/ XI	एनए
10	राजौरी	राजौरी	जेके12-16/ V	राजधानी से पंजगैन	मई 2013	422.89	221/ X	निविदा के अधीन (यूटी)
11	राजौरी	राजौरी	जेके12-42/ VI	डूंगी से नाम्बलन	दिसंबर 2013	146.13	208/ X	यूटी
12	लेह	लेह	जेके09-03	हुंडर से हुंडर डोंक	दिसंबर 2013	195.16	एनए	एनए

(स्रोत: पीआईड्यू के वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट-2.2.5

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.8; पृष्ठ: 81)

विभिन्न कारणों से राज्य में रुकी हुई सड़क परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं.	पीआईयू का नाम	सड़क परियोजना का नाम	पैकेज संख्या	चरण	फेज	लंबाई कि.मी. में	संस्वीकृत लागत (₹ लाख में)	जनवरी 2018 तक व्यय (₹ लाख में)	संबद्ध होने वाली बस्तियों की संख्या	अभ्युक्तियाँ
जम्मू प्रांत										
1	माहोर	भाल्ल से शिब्रास्त	जेके14-43	I	VI	9.06	712.14	391.14	1	5वें कि.मी. में पुल के ऊपर सीडी/ संरक्षण कार्य रुके हुए हैं क्योंकि पुल स्वीकृत पैकेज में शामिल नहीं है।
2	बिलावर	नान-गल्ला से ट्राप्पर	जेके07-25	I	VI	1.58	74.78	21.13	3	माननीय उच्च न्यायालय के स्टे के कारण निर्माण कार्य अक्टूबर 2012 से रुका हुआ है।
3	बनिहाल	हेवागन से धंमस्ता	जेके04-99	I	VI	9.20	628.06	255.11	1	टेक ऑफ पॉइंट बदला गया, एनआरआरडीए को अनुमोदन हेतु संशोधित प्रस्ताव भेजा गया था।
4	माहोर	चिताबस से सिलधार	जेके14-136	I	VII	6.00	353.20	248.24	1	ठेकेदार द्वारा कार्य रोका गया, प्रिंट मीडिया द्वारा अंतिम नोटिस भेजा गया।
5	डोडा	खेल्लानी द्रांगा हुड से सरस	जेके04-114	I	VII	11.82	698.58	135.92	4	नई संयुक्त जांच संचालित की गई, मामला सीसीएफ को भेजा गया, कार्य अवरुद्ध है।
6	रामबन	बटोत से चकवाह तक सड़क	जेके04-133	I	VII	10.00	829.26	149.04	6	वन निर्बाधन प्रतीक्षित
7	उधमपुर	सिरा से घरी	जेके14-155	I	VII	5.02	261.83	218.74	1	योजना वन्य जीवन भाग में 1 आरडी-500-1000 में रुकी हुई है।
8	माहोर	लेंचा हरीवाला	जेके14-140	I	VII	10.00	721.97	346.32	2	वन संस्वीकृति प्रतीक्षित
9	रामबन	ढाड़नों से पप्रयाह	जेके04-131	I	VII	6.00	352.70	0.34	1	वन संस्वीकृति प्रतीक्षित
10	उधमपुर	चौकी से खुरकल	जेके14-112	I	VII	9.05	374.84	290.24	2	माननीय उच्च न्यायालय के स्टे के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ है

क्रम सं	पीआईयू का नाम	सड़क परियोजना का नाम	पैकेज संख्या	चरण	फेज	लंबाई कि.मी. में	संस्वीकृत लागत (₹ लाख में)	जनवरी 2018 तक व्यय (₹ लाख में)	संबद्ध होने वाली बस्तियों की संख्या	अभ्युक्तियाँ
11	माहोर	अरनस से चीलड़	जेके14-139	I	VII	11.00	684.76	145.70	1	संस्वीकृत लंबाई 11 कि.मी. में से अर्धवर्क 3.900 किमी तक पूर्ण हुआ। मामला माननीय अधीनस्थ न्यायालय, रेयासी में ट्राइल के अधीन है।
12	माहोर	चकलस्स से धारियन	जेके14-188	I	VII	5.50	383.66	103.78	1	संरचना प्रतीकर लंबित
13	रामबन	खूंगा से कोठी जागीर	जेके04-135	I	VIII	9.20	384.30	258.74	2	5 वे कि.मी. से आगे वन मंजूरी न मिलने के कारण रुका हुआ
14	ठाठरी	ठलोरम से समी	जेके04-150	I	VIII	6.37	435.20	314.42	1	मामला वन विभाग को भेजा गया तथा सीसीएफ के पास एफएसी को आगे भेजने हेतु पड़ा है।
15	रामनगर	चाराल से नप्पाह	जेके14-166	I	VIII	9.90	522.11	245.60	1	वन मंजूरी न मिलने के कारण योजना को 7.2 किमी से परे 9.2 किमी के आगे रोका जाना।
16	जम्मू	कहपोता से अप्पर स्ले	जेके05-99	II	VIII	2.23	66.19	20.07	0	भूमि अधिग्रहण तथा टेक ऑफ प्लांट में निजी संरचना के कारण कार्य रोका गया।
17	बुधल	एल025 से नरला	जेके12-164	I एवं II	IX	12.00	1,261.01	171.29	2	वन संस्वीकृति प्राप्त की गई, कार्य शुरू किया जाना है
कश्मीर प्रांत										
18	अनंतनाग	रीन चौगुंड से कूट गुज्जर बस्ती	जेके01-122	I	VII	3.0	116.55	0	1	वन मंजूरी लंबित
19	अनंतनाग	रीन चौगुंड से कूट गुज्जर बस्ती	जेके01-251	II	VIII	3.0	162.51	0	0	वन मंजूरी लंबित
20	अनंतनाग	एल032 से मसवाई	जेके01-267	I	X	2.3	168.77	20.47	1	वन मंजूरी लंबित
21	अनंतनाग	विलू से बोंकाह	जेके01-291	I	X	1.5	112.45	0	1	संरक्षण विवाद
22	अनंतनाग	देस्सू से गोगनाई	जेके01-112	I	VII	3.0	175.62	91.76	1	भूमि विवाद
23	अनंतनाग	देस्सू से गोगनाई	जेके01-244	II	VIII	3.00	119.40	0	0	भूमि विवाद
24	बांदीपोरा	नेरू से सिकंदर	जेके03-72	I	VII	6.7	470.90	392.10	2	वन मंजूरी लंबित
25	बांदीपोरा	एल02 से सफाड़ आब	जेके03-160	I	X	3.5	274.70	0	1	वन मंजूरी लंबित
26	बांदीपोरा	पुराना टेलीहाल से दांगीठाल	जेके03-161	I	X	2.0	172.26	39.11	2	वन मंजूरी लंबित

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक (गैर-सा.क्षे.उ.) क्षेत्र

क्रम सं	पीआईयू का नाम	सड़क परियोजना का नाम	पैकेज संख्या	चरण	फेज	लंबाई कि.मी. में	संस्वीकृत लागत (₹ लाख में)	जनवरी 2018 तक व्यय (₹ लाख में)	संबद्ध होने वाली बस्तियों की संख्या	अभ्युक्तियाँ
27	बांदीपोरा	डावर टेलीहाल रोड काशपोत से रेफूजी	जेके03-162	I	X	11.0	939.79	0	4	वन मंजूरी लंबित
28	बांदीपोरा	गुजरां से अब्दुल्लियाँ	जेके03-163	I	X	3.5	328.39	0	1	संरक्षण का स्थानांतरण
29	बांदीपोरा	पीर बूथो से चंदाजी	जेके03-155	I	X	6.0	689.90	0	1	वन मंजूरी लंबित
30	बांदीपोरा	अठवाटू वेवन से लबकचेल	जेके03-164	I	X	14.0	975.06	0	3	वन मंजूरी लंबित
31	उरी	डाकेन से गनी मोहल्ला	जेके03-168	I	X	4.0	331.96	0	1	संरक्षण/ भूमि विवाद
32	उरी	सुल्तान ढाकी से धानीमार	जेके03-170	I	X	3.4	300.25	0	1	संरक्षण विवाद
33	उरी	चंदनवाड़ी से चंदनवाड़ी बाला	जेके03-176	I	X	3.0	273.28	82.11	1	वन मंजूरी लंबित
34	गांदरबल	एनएचडबल्यू- गगनजीमर्ड	जेके13-50	I	VII	2.0	126.78	0	3	बस्तियाँ संबद्ध
35	गांदरबल	थुने से बढी पथरी	जेके13-49	I	VII	8.0	573.74	0	2	न्यायालय का स्टे/ वन मंजूरी लंबित
36	गांदरबल	एनएचडबल्यू से गुजरपट्टी द्वितीय	जेके13-106	I	X	1.5	100.71	0.35	1	भूमि अधिग्रहण लंबित
37	गांदरबल	एल042 से शेखपोरा	जेके13-109	I	X	1.9	112.75	0.44	1	भूमि विवाद
38	गांदरबल	एनएचडबल्यू से गिचखुद	जेके13-111	I	X	5.6	435.02	1.23	1	भूमि अधिग्रहण लंबित
39	गांदरबल	सुमबलबल से छेकिगुंड	जेके13-115	I	X	3.0	250.04	32.45	1	भूमि समस्या
40	गांदरबल	एलएसबी सुमबलबल से छेकिगुंड	जेके13-119	एल एसबी	X		323.61	14.26	0	भूमि समस्या
41	श्रीनगर	एल034 से न्यूठीड मुल्हर	जेके13-108	I	X	3.2	78.28	0	1	भूमि विवाद
42	कुलगाम	रेडवानी से रामपोरा	जेके01-301	I	X	1.76	111.43	0	1	भूमि प्रतिकर
43	कुलगाम	एचपी तवल्ला से राखी हसनपोरा	जेके01-302	I	X	1.75	92.43	0	1	भूमि प्रतिकर
44	बडगाम	एल040 डुडरू से नौगाम	जेके02-85	I	X	1.87	254.38	0	1	वन मंजूरी लंबित
45	कारगिल	एल/ आर शकर सफी	जेके06-16	I एवं II	VI	3.0	49.52	2.52	1	भूमि विवाद
46	पुलवामा	नाइरा से चेक नाइरा	जेके10-152	I	X	1.5	103.24	0	1	भूमि विवाद
	कुल						16,968.31	3,992.62	66	

(स्रोत: पीएमजीएसवाई जम्मू/ श्रीनगर, मुख्य अभियंता की प्रगति रिपोर्ट)

परिशिष्ट-2.2.6

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.8.5; पृष्ठ: 86)

लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई अन्य प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ

क्रम सं.	अनियमितता की प्रकृति	दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यकता	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	विभाग का उत्तर
1.	प्रशासनिक अनुमोदन/ तकनीकी संस्वीकृति का न मिलना	एमओआरडी, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावों की मंजूरी का मिलना यह संकेत नहीं देता है कि प्रशासनिक प्रस्ताव (एए) या तकनीकी स्वीकृति (टीएस) मिल गई है बल्कि इस संबंध में राज्य सरकार को भी ऐसी प्रक्रिया अपनानी होती है। (कार्यक्रम दिशा निर्देश का पैरा 10.2)	नौ नमूना जिलों में 254 सड़क परियोजनाएँ, ₹1,031.35 करोड़ की लागत से संस्वीकृत की गई थी, जिस पर ₹514.62 करोड़ का व्यय किया गया था, जो प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी संस्वीकृति के बिना ₹935.96 करोड़ की लागत पर आवंटित की गई थी।	ईई ने (मार्च से जून 2018 में) कहा कि सड़क परियोजनाएं एसटीए, एसएलएससी और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं और अलग-अलग एए/ टीएस की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, निर्देशों को अनुपालन हेतु नोट किया गया है
2.	निविदाएँ आमंत्रित करने में अनियमितताएँ	मंत्रालय द्वारा प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। (पीएमजीएसवाई के ओएम का पैरा 7.11)	लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई 272 सड़क परियोजनाओं में से 77 सड़क परियोजनाओं ¹ के लिए निविदाएं मंत्रालय द्वारा अनुमोदन की तारीख से 3 दिन से 5 वर्ष और 11 महीनों ² के बीच विलंब से आमंत्रित की गई।	मुख्य अभियंता पीएमजीएसवाई कश्मीर ने (जुलाई 2018 में) कहा कि भारत सरकार द्वारा योजनाओं को मंजूरी दिए जाने के बाद निविदाओं को तुरंत आमंत्रित किया गया था। हालांकि, चरण-I के तहत स्वीकृत सड़क परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण, चरण-II कार्यों के लिए निविदाओं के आमंत्रण में देरी हुई। इसके अतिरिक्त, अदालती मामलें, भूमि विवाद, वन मंजूरी आदि जैसे बाधाओं को देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।

¹ जम्मू: 59; कश्मीर: 18

² बलहामा से ब्रामण तक पैकेज संख्या जेके 03-08 के तहत सड़क को एनआरआरडीए द्वारा जून 2004 में संस्वीकृति दी गई थी, जबकि एनआईटी को पीआईयू बरामूला द्वारा अप्रैल 2010 में आमंत्रित किया गया था

क्रम सं.	अनियमितता की प्रकृति	दिशा निदेशों के अनुसार आवश्यकता	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	विभाग का उत्तर
3.	कार्य आबंटन/प्रदान करने में देरी	पीएमजीएसवाई दिशानिर्देश (पैरा 13.2) में निर्दिष्ट है कि औसत निविदा समय 75 दिन है अर्थात् इसी समय सीमा के भीतर एनआरआरडीए द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन की तारीख से ही कार्यों को प्रदान किया जाना है। टेंडर को अंतिम रूप देने और काम को प्रदान किए जाने को 71 दिनों (पुनः निविदा के मामले में 120 दिन) के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। (ओएम का पैरा 8.1.2)	जम्मू प्रांत में, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चरण-II के तहत 76 सड़क परियोजनाओं ³ में से, ₹121.02 करोड़ की संस्वीकृत लागत के साथ 30 सड़क परियोजनाओं को निविदा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। चूंकि इन सड़क परियोजनाओं का चरण-I अभी भी अपूर्ण था और शेष ₹154.31 करोड़ की संस्वीकृत लागत वाली 46 सड़क परियोजनाएं निविदाओं की प्रतिक्रिया में अभाव के कारण प्रदान नहीं की जा सकीं। इन सड़क परियोजनाओं के चरण-II के लिए एमओआरडी से मंजूरी प्राप्त करने से पहले चरण-I को पूरा किया जाना सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता और मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद भी 60 से 65 महीने तक इन सड़क परियोजनाओं को प्रदान नहीं किया जाना एक खराब योजना का संकेत था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 148 सड़कों की परियोजनाओं (जम्मू: 96; कश्मीर: 52) की बोली प्रक्रिया को पूरा करने में 3 दिन से 2 साल और 8 महीने के बीच देरी हुई थी और नौ मामलों में, निविदाओं की पहली कॉल का विवरण अभिलेखों में नहीं था (फरवरी 2018)।	
4.	बीमा कवर का प्रावधान न किया जाना	ठेकेदार अपनी लागत से दोष देयता अवधि शुरू होने की तारीख से लेकर अंत तक उपकरणों, संपत्ति और व्यक्तिगत चोट या ठेकेदारों के जोखिम के कारण होने वाली क्षति के नुकसान के लिए इंश्योरेंस कवर प्रदान करेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी और सर्टिफिकेट ठेकेदार द्वारा प्रारम्भ होने की तिथि से पहले अनुमोदन के लिए संबंधित अभियंता को भेजे जाएंगे। (ओएम के पैरा 9.3.1 और अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 13)	नौ नमूना जिलों में 254 सड़क परियोजनाएं, ₹1,031.35 करोड़ की लागत से स्वीकृत की गई थी, जिस पर वर्ष 2013-18 के दौरान ₹514.62 करोड़ का व्यय किया गया था, ठेकेदारों से कोई भी बीमा पॉलिसी और प्रमाण पत्र लिए बिना उन्हें ₹935.96 करोड़ की लागत से ठेका दे दिया गया था।	ईई ने (मार्च से जून 2018 में) कहा कि बीमा कवर से संबन्धित मामलों को ठेकेदारों के साथ कार्य शुरू होने से पहले उठाया जाएगा।

³ जुलाई 2012 में चरण-VIII: 59; दिसंबर 2012 में चरण-IX: 17

क्रम सं.	अनियमितता की प्रकृति	दिशा निदेशों के अनुसार आवश्यकता	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	विभाग का उत्तर
5.	मोबिलाइजेशन और उपकरण अग्रिम की वसूली न होना	कार्य आदेश जारी होने की तारीख के पश्चात 10 दिनों के भीतर ठेकेदार द्वारा श्रमिक, सामग्री और मशीनरी को जुटाना आवश्यक है। (ओएम का पैरा 9.4) इसके अलावा, अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 45 में यह प्रावधान है कि नियोक्ता ठेकेदार को ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन एडवांस (अनुबंध लागत का पांच प्रतिशत) और उपकरण अग्रिम (लागत का 90 प्रतिशत तक) देगा। इन अग्रिमों को ठेकेदार को देय भुगतान से आनुपातिक मात्रा में कटौती करके वापस लिया जाएगा।	नौ नमूना जिलों में से छह में, आठ सड़क परियोजनाओं के संबंध में (फरवरी 2009 से दिसंबर 2017 में) स्वीकृत ₹133.89 लाख में से, ₹46.52 लाख ⁴ का मोबिलाइजेशन/ मशीनरी अग्रिम, उन ठेकेदारों से (मार्च 2018 तक) वसूल नहीं किया गया था जिनको आवंटित की गई परियोजनाएं या जिनके अनुबंध जून 2014 से जून 2017 के दौरान समाप्त/ बंद किए गए थे।	ईई ने (मार्च से जून 2018) कहा कि डिवीजन ने ठेकेदारों के चालू बिलों से मोबिलाइजेशन/ मशीनरी अग्रिम में कटौती कर दी है और बकाया राशि पीआईयू के पास पड़े ठेकेदारों की सिक्योरिटी डिपॉजिट/ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से काट ली जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध के बंद होने/ पूरा होने के पश्चात ठेकेदारों को अग्रिमों को पास रखने की अनुमति दी गई थी।
6.	बैंक गारंटियों का सत्यापन/ नवीनीकरण न किया जाना	पीएमजीएसवाई लेखा नियमावली के पैरा 13.2 में निर्धारित है कि बैंक गारंटी को स्वीकार करने वाले अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के सीधे बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक से बैंक गारंटी की प्रामाणिकता की पुष्टि करे। इसके अलावा, मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के खंड 32 में परिकल्पना की गई है कि स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को सफल बोलीदाता द्वारा नियोक्ता के नाम से किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बिना शर्त बैंक गारंटी या फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद के रूप में दिया जाएगा। बैंक गारंटी निर्माण अवधि तथा काम पूरा होने के बाद पांच साल के लिए वैध होनी चाहिए।	<ul style="list-style-type: none"> लेखापरीक्षा ने पाया कि बैंक-गारंटियों की पुष्टि किसी भी मामलों की जांच-परीक्षण में संलग्न नहीं पाई गई। 254 सड़क निर्माण कार्यों के अभिलेखों/ अलोटमेंट फाइलों कि संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि चार मामलों में निर्माण अवधि के दौरान ₹46.02 लाख की बैंक गारंटी की वैधता समाप्त हो चुकी थी या फिर उनको पुनः वैध नहीं किया गया था। 	

⁴ जम्मू: ₹2.12 लाख; रामबन: ₹9.63 लाख; गांदरबल: ₹11.26 लाख; अनंतनाग: ₹0.80 लाख; बारामूला: ₹2.17 लाख और कुपवाड़ा: ₹20.54 लाख

क्रम सं.	अनियमितता की प्रकृति	दिशा निदेशों के अनुसार आवश्यकता	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	विभाग का उत्तर
7.	अनुमोदित तकनीकी विशिष्टताओं से विचलन	तकनीकी संस्वीकृति के पश्चात, उसी रूप में कार्य हेतु निविदा जारी की जाएगी तथा एनआरआरडीए के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। (ओएम का पैरा 8.2)	नौ नमूना जिलों की 57 सड़क परियोजनाओं में, एनआरआरडीए का अनुमोदन प्राप्त किए बिना विभिन्न मर्दों का क्रियान्वयन हेतु ₹23.51 करोड़ खर्च किये गए जो अनुमोदित मात्रा से 11 से 8121 प्रतिशत ⁵ अधिक रहा।	ईई ने (मार्च से जून 2018 में) कहा कि कार्यों का क्रियान्वयन साइट की स्थिति और अनुमोदित डीपीआर के अनुसार किया गया। जनता की मांगों को पूरा करने के लिए, परियोजना के कुछ घटकों को डीपीआर में दर्ज मात्रा की तुलना में अधिक मात्रा में क्रियान्वित करना पड़ा, परंतु आवंटित लागत के अंदर ही पूर्ण किया गया था। उत्तर को इस तथ्य के साथ देखा जाना चाहिए कि कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुमोदित मात्रा से अधिक मर्दों को क्रियान्वित करने से पहले एनआरआरडीए की अनुमति मांगा जाना आवश्यक है।
8.	साइनबोर्ड की स्थापना न करना	पीएमजीएसवाई के प्रतिकचिन्ह के साइनबोर्ड को कार्य आदेश की तारीख के 15 दिनों के भीतर लगाया जाना है। (ओएम का पैरा 8.14)	54 जांच-परीक्षण किए गए मामलों में ऐसे किसी भी साइनबोर्ड को नहीं लगाया गया।	
9.	परिसमापित क्षतियों (एलडी) का न लगाया जाना	ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर काम पूरा करने में विफल होने की स्थिति में प्रति सप्ताह प्रारंभिक अनुबंध मूल्य के एक प्रतिशत की दर से परिसमापित क्षतियों (एलडी) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो कि प्रारंभिक अनुबंध मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत है। (ओएम का पैरा 9.10)	आठ नमूना जिलों ⁶ में 48 सड़क परियोजनाओं को ₹176.44 करोड़ की लागत पर प्रदान किया गया। ठेकेदारों ने दो महीने से छह साल और दो महीने के बीच की देरी से काम पूरा किया। इस देरी के लिए ठेकेदारों पर ₹17.64 करोड़ की राशि एलडी का आरोपण नहीं किया गया।	मुख्य अभियंता, पीएमजीएसवाई ने (अप्रैल 2019 में) कहा कि विभाग ने निर्धारित तिथि से परे काम पूरा करने में देरी के लिए ठेकेदारों पर एलडी आरोपण की प्रक्रिया शुरू की थी।

5 झाड़ंग और तकनीकी विनिर्देश के अनुसार खुदाई की गई भूमि की खाइयों को भरने के लिए 49 घन मीटर के काम के प्रति, 4028.22 घन मीटर की मात्रा रोन् से सुदगर तक सड़क निर्माण में पीआईयू उधमपुर द्वारा वास्तव में क्रियान्वित की गई थी

6 जम्मू: 2; उधमपुर: 3; रामबन: 3; गांदरबल: 6; अनंतनाग: 12; बारामूला: 4; कुपवाड़ा: 15 तथा लेह: 3

क्रम सं.	अनियमितता की प्रकृति	दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यकता	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	विभाग का उत्तर
10.	प्रतिभूति जमा और निष्पादन प्रतिभूति को समय पूर्व जारी करना	मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) का खण्ड 43.2 में निर्माण कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने पर प्रतिभूति जमा ⁷ और निष्पादन प्रतिभूति ⁸ मुक्त करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित है जोकि इस शर्त के अधीन है कि अभियंता ने प्रमाणित किया है कि अभियंता द्वारा ठेकेदार को अधिसूचित किए गए सभी दोषों को ठेकेदार द्वारा पुनर्भुगतान के लिए निर्धारित अवधि से पहले ठीक कर दिया गया है।	नौ नमूना जिलों में से, आठ जिलों ⁹ में 43 सड़क परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, ₹6 करोड़ की प्रतिभूति जमा और ₹0.68 करोड़ की निष्पादन प्रतिभूति, एक महीने से चार साल की अवधि के लिए नियत तारीखों से पहले जारी की गई थी, इस प्रकार ठेकेदार को दोष देयता अवधि से पहले सिक्योरिटी को मुक्त करके अनुचित लाभ दिया गया।	ईई ने (मार्च जून 2018 में) कहा कि निर्देशों को अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

(स्रोत: पीआईयू नमूनों के अभिलेख)

- 7 निर्माण कार्य के संतोषजनक रूप से पूरे होने पर प्रतिभूति जमा के रूप में रखी गई कुल राशि का आधा हिस्सा चुकाना होता है, 2 वर्ष के अंत में कुल राशि का एक चौथाई और शेष राशि तीसरे वर्ष के पूरा होने के बाद चुकानी होती है अथवा दोष देयता अवधि पूरी होने के पश्चात चरण-I के मामले में तीन साल और स्टेज-II के मामले में पांच साल (एसबीडी के खंड 43.4)
- 8 निष्पादन प्रतिभूति को दोष देयता अवधि के समापन के पश्चात मुक्त किया जाता है।
- 9 उधमपुर: 11; रामबन: 3; राजौरी: 2; गांदरबल: 6; अनंतनाग: 7; बारामूला: 4; कुपवाड़ा: 8 तथा लेह: 2

परिशिष्ट-2.2.7

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.9.4; पृष्ठ: 92)

नमूना जिलों में परीक्षण-जाँच कार्यों के एसक्यूएम के निरीक्षण को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	जिला	पीआईयू	सड़क परियोजनाओं की संख्या	एसक्यूएम द्वारा की गई जांच का विवरण				
				शून्य	एक	दो	तीन	तीन से अधिक
1.	जम्मू	जम्मू	07	-	02	-	02	03
2.	उधमपुर	उधमपुर	11	01	02	04	04	0
		रामनगर	14	-	03	03	04	04
3.	रामबन	रामबन	06	-	-	-	04	02
		बनिहाल	02	-	01	01	0	0
4.	राजौरी	राजौरी	11	01	01	01	05	03
		बुढ़ल	10	01	02	06	01	0
5.	गांदरबल	गांदरबल	11	-	-	02	05	04
6.	अनंतनाग	अनंतनाग	18	-	05	08	01	04
7.	बारामूला	बारामूला	01	-	-	-	0	01
		उरी	04	-	-	-	01	03
8.	कुपवाड़ा	कुपवाड़ा	19	-	03	06	03	07
		हंदवाड़ा	03	-	-	-	0	03
9.	लेह	लेह	03	-	01	-	01	01
		कुल	120	03	20	31	31	35

(स्रोत: नमूना पीआईयू के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.2.8

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.10; पृष्ठ: 96)

ओएमएमएस सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल

क्रम सं.	मॉड्यूल का नाम	मॉड्यूल का विवरण
I	मास्टर डाटा मॉड्यूल	जिलों, निर्वाचकों, खंडों, गाँव, प्रवास क्षेत्रों, पंचायतों, सड़कों तथा ठेकेदारों इत्यादि से संबन्धित मास्टर डाटा
II	कोर नेटवर्क (ग्रामीण सड़क योजना)	जिला ग्रामीण सड़क योजना (डीआरआरपी) सड़क डेटा (राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)/ राज्य राजमार्ग (एसएच)/ प्रमुख जिला सड़कें (एमडीआर)/ ग्रामीण सड़क/ लिंक मार्ग/ सीधे मार्गों का वर्गीकरण) से संबंधित डेटा
III	प्रस्ताव मॉड्यूल	कोर नेटवर्क से सड़क लिंक के चयन के आधार पर प्रस्ताव
IV	टेंडरिंग मॉड्यूल	टेंडरिंग डाटा, ठेकेदार को प्रदान किए गए का विवरण
V	क्रियान्वयन मॉड्यूल	कार्यों की प्रगति (वास्तविक/ वित्तीय)
VI	ऑनलाइन फंड प्रोसेसिंग	एसआरआरडीए से मंत्रालय को धन के लिए प्रसंस्करण अनुरोध को राज्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तथा सभी आवश्यक और प्रासंगिक जानकारी जमा करके एमओआरडी से अनुरोध किया जाता है। मंत्रालय के परियोजना और वित्त विभागों से दोहरी मंजूरी के पश्चात, राज्य को स्वीकृत राशि और जारी की गई राशि को निर्दिष्ट करते हुए स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है।
VII	गुणवत्ता निगरानी मॉड्यूल	राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर्स (एनक्यूएम) द्वारा किए गए गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसी) निरीक्षण के संबंध में डेटा
VIII	प्राप्ति तथा भुगतान मॉड्यूल	प्रत्येक सड़क कार्य के प्रति वर्गीकृत व्यय से संबन्धित वित्तीय डाटा
IX	रख रखाव मॉड्यूल	पाँच वर्षों का वास्तविक तथा वित्तीय डाटा
X	सुरक्षा तथा प्रशासन मॉड्यूल	उपयोगकर्ताओं की रचना, भूमिकाओं के निर्माण, उपयोगकर्ताओं को भूमिकाओं के काम तथा भूमिका के मेन्यू की मैपिंग में मदद करता है
XI	ग्रामीण सड़कों के लिए दरों का विश्लेषण (एआरआरआर)	ग्रामीण सड़कों के लिए दरों का विश्लेषण (एआरआरआर) मॉड्यूल विभिन्न मदों के लिए शेड्यूल ऑफ रेट्स को बनाए रखने के लिए विकसित किया गया है। शेड्यूल ऑफ रेट्स (एसओआर) भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा प्रकाशित "ग्रामीण सड़कों के लिए विनिर्देश" से प्राप्त कार्य की विभिन्न मदों के विश्लेषण पर आधारित थी।

क्रम सं.	मॉड्यूल का नाम	मॉड्यूल का विवरण
XII	प्राप्ति तथा भुगतान बैंक मॉड्यूल	बैंक मॉड्यूल का उपयोग बैंक कर्मियों द्वारा किया जाता है, जहां पर पीएमजीएसवाई कार्यों से संबंधित एसआरआरडीए का खाता हो। उस राज्य के डीपीआईयू द्वारा ठेकेदारों को जारी किए गए चेक या डीपीआईयू द्वारा उत्पन्न ई-भुगतान निर्देश यहाँ सूचीबद्ध हैं। जब बैंक किसी वाउचर से संबंधित चेक/ ई-भुगतान को मंजूरी देता है, तो बैंक प्राधिकरण लॉगिन करता है और उसका मिलान करता है और यह डीपीआईयू और एसआरआरडीए रिपोर्ट में प्रतिबिम्बित होता है।
XIII	डाटा अंतराल	प्रतिवेदन अनुभाग के तहत प्रस्तावों की प्रविष्टि में डेटा अंतराल को देखने का प्रावधान है।
XIV	उपयोगकर्ता मैनुअल का अद्यतन	उपयोगकर्ता पुस्तिका अद्यतित है और लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध है। उपयोगकर्ता मैनुअल में ओएमएमएस में नवीनतम संवर्द्धन संलग्नक के रूप में प्रदान किए गए हैं।

(स्रोत: ओएमएमएस मॉड्यूल)

परिशिष्ट-2.2.9

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.10; पृष्ठ: 97)

तुलन पत्रों में दर्शाये गए व्यय तथा अपलोड किए गए व्यय में अंतर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूर्ण नई सड़कों पर व्यय		प्रगतिशील नई सड़कों पर व्यय		पूर्ण नई सड़कों के उन्नयन पर व्यय		प्रगतिशील सड़कों के उन्नयन पर व्यय	
	सीए बी/एस	ओएमएमएस	सीए बी/एस	ओएमएमएस	सीए बी/एस	ओएमएमएस	सीए बी/एस	ओएमएमएस
2013-14	सीवाई- 998.07	सीवाई- 333.37	सीवाई- 1,124.87	सीवाई- 1,792.61	सीवाई- 93.24	सीवाई- 59.99	सीवाई- 237.64	सीवाई- 253.87
	पीवाई- 390.29	पीवाई- 215.37	पीवाई- 1,288.66	पीवाई- 1,445.59	पीवाई- 35.58	पीवाई- 46.75	पीवाई- 237.69	पीवाई- 218.93
2014-15	सीवाई- 1,245.02	सीवाई- 449.23	सीवाई- 1,294.77	सीवाई- 2,085.64	सीवाई- 163.84	सीवाई- 75.08	सीवाई- 191.01	सीवाई- 255.91
	पीवाई- 998.07	पीवाई- 333.37	पीवाई- 1,124.87	पीवाई- 1,792.61	पीवाई- 93.24	पीवाई- 59.99	पीवाई- 237.64	पीवाई- 253.87
2015-16	सीवाई- 1,517.82	सीवाई- 564.95	सीवाई- 1,213.08	सीवाई- 2,223.32	सीवाई- 233.60	सीवाई- 105.34	सीवाई- 173.23	सीवाई- 233.34
	पीवाई- 1,245.02	पीवाई- 449.23	पीवाई- 1,294.77	पीवाई- 2,085.64	पीवाई- 613.84	पीवाई- 75.08	पीवाई- 191.01	पीवाई- 255.91
2016-17	सीवाई- 1,895.40	सीवाई- 1,495.58	सीवाई- 1,229.00	सीवाई- 1,593.64	सीवाई- 290.95	सीवाई- 238.03	सीवाई- 145.36	सीवाई- 114.50
	पीवाई- 1,517.82	पीवाई- 564.95	पीवाई- 1,213.08	पीवाई- 2,223.32	पीवाई- 233.60	पीवाई- 105.34	पीवाई- 173.23	पीवाई- 233.34

(सीए बी/एस- सनदी लेखाकार तुलन पत्र, सीवाई- वर्तमान वर्ष, पीवाई- पिछला वर्ष)

(स्रोत: ओएमएमएस/ सनदी लेखाकार तुलन पत्र)

परिशिष्ट-3.1.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.1; पृष्ठ: 102)

एसकेयूएसटी-जम्मू के अंतर्गत अनुसंधान स्टेशनों/ केन्द्रों की सूची

(₹ लाख में)

क्रम सं	अनुसंधान स्टेशन का नाम	केंद्र में क्रियाशील परियोजना का नाम	फंडिंग एजेंसी/ योजना	प्रारम्भ होने की तिथि	पूर्ण होने की अपेक्षित तिथि	बजट	नवम्बर 2018 तक व्यय
1.	एडवांस सेंटर फॉर रेनफेड एग्रीकल्चर (एसीआरए), ढींसर	नए जीन पूल का संश्लेषण के अनुगामी बीमारी के अंतःक्षेपण और द्वितीयक (फासीयोलस एक्वूटिफोलियस एल) जीन पूल से विकसित फासीयोलस वल्गेरिस में शुष्कता टोलरेंस।	विज्ञान तथा अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070	मार्च 2017	जारी	40.00	20.95
		शुष्क भूमि कृषि पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी)	शुष्क भूमि कृषि पर अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपीडी) शुष्क भूमि कृषि हेतु केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर, हैदराबाद	1972	जारी	122.14	84.16
		जलवायु परिवर्तन कृषि पर राष्ट्रीय पहल (एनआईसीआरए)	सीआरआईडीए, आईसीएआर, हैदराबाद	2011	जारी	आवश्यकता के अनुसार वार्षिक बदलाव	65.57
		जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी)	पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ), कृषि निदेशालय जम्मू (डीएजे) के माध्यम से भारत सरकार	फरवरी 2017	मार्च 2018 में बंद	10.00	10.00

क्रम सं.	अनुसंधान स्टेशन का नाम	केंद्र में क्रियाशील परियोजना का नाम	फंडिंग एजेंसी/ योजना	प्रारम्भ होने की तिथि	पूर्ण होने की अपेक्षित तिथि	बजट	नवम्बर 2018 तक व्यय
2.	रेनफेड हॉर्टिकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, राया	वर्तमान में रेनफेड हॉर्टिकल्चरल रिसर्च सब-स्टेशन, राया में कोई बाह्य वित्त पोषित परियोजना नहीं है। हालांकि, केंद्र के पास सूखा सहिष्णु फलों पर व्यवस्थित अनुसंधान करने और वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त खेती करने, मिट्टी की नमी के संरक्षण आदि के लिए एक विशिष्ट अधिदेश है और यह कार्यशील है।					
3.	क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान स्टेशन, राजौरी	एग्रो-मेट्रोलाॅजिकल फील्ड यूनिट (एएमएफयू), ग्रामीण कृषि मौसम सेवा	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	2007	जारी	9.14	4.62
4.	रिजनल हॉर्टिकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, भदरवाह	तापक्रमी फल की फसलों के लिए पारिस्थितिकी के आउटरीच पर नेटवर्किंग परियोजना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)	2009	जारी	वार्षिक लगभग 5.00 लाख	26.30
		जलवायु परिवर्तन कृषि (एनआईसीआरए) में राष्ट्रीय नवाचार - सामरिक अनुसंधान	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)	सितंबर 2017	जारी	1.60	1.33
5.	दलहन अनुसंधान उप-स्टेशन, सांबा	चिक्कपी अनुसंधान सांबा पर एआईसीआरपी	अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी)	1995	जारी	39.22	29.89
6.	मक्का अनुसंधान केंद्र, उधमपुर*	मक्का पर एआईसीआरपी	एआईसीआरपी	2006	मार्च 2018 में बंद	47.76	37.61

क्रम सं.	अनुसंधान स्टेशन का नाम	केंद्र में क्रियाशील परियोजना का नाम	फंडिंग एजेंसी/ योजना	प्रारम्भ होने की तिथि	पूर्ण होने की अपेक्षित तिथि	बजट	नवम्बर 2018 तक व्यय
7.	एडवांस सेंटर फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च, उधायवाला	बागवानी के लिए उत्कृष्ट केंद्र (फल)	बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच)	2015	जारी	78.00	78.00
		स्ट्रॉबेरी और कार्नेशन प्लांटलेट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए टिशू कल्चर लैब की स्थापना	एमआईडीएच	2015	जारी	121.70	120.17
		कृषि समुदाय के भोजन और आजीविका सुरक्षा के लिए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण को बढ़ावा देना	एमआईडीएच	जनवरी 2016	जारी	6.51	4.30
8.	मक्का प्रजनन अनुसंधान उप-स्टेशन, पुंछ	मक्का सुधार कार्यक्रम	(आईसीएआर)	2012	जारी	0.60	0.14

(*स्टेशन मार्च 2018 में बंद किया गया)

(स्रोत: अनुसंधान निदेशालय के अभिलेख)

परिशिष्ट-3.1.2

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.1; पृष्ठ: 102)

विश्वविद्यालय द्वारा आरंभ की गई परियोजनाओं (दीर्घावधि/ तदर्थ) का ब्योरा दर्शाता विवरण

क्रम सं.	फंडिंग एजेंसी का नाम	1 अप्रैल 2014 तक चालू परियोजनाएं	2014-18 के दौरान ली गई परियोजनाएं	कुल	2014-18 के दौरान पूर्ण की गई परियोजनाएं	छोड़ी गई परियोजनाएं	31 मार्च 2018 तक चालू परियोजनाएं	परियोजनाओं की प्रकृति		लघु अवधि परियोजनाएं	दीर्घ अवधि परियोजनाएं
								प्रयोगिक	मौलिक		
1.	अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना (आईसीएआर: 75 प्रतिशत; राज्य का हिस्सा: 25 प्रतिशत)	22	10	32	6	0	26	26	0	0	26
2.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (आईसीएआर: 100 प्रतिशत)	8	14	22	8	2	12	5	7	12	0
3.	विज्ञान तथा तकनीकी विभाग (आईसीएआर: 100 प्रतिशत)	10	18	28	10	1	17	10	7	17	0
4.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर: 100 प्रतिशत)	7	12	19	5	0	14	13	1	8	6
5.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आईसीएआर: 100 प्रतिशत)	1	17	18	6	0	12	12	0	12	0

क्रम सं.	फंडिंग एजेंसी का नाम	1 अप्रैल 2014 तक चालू परियोजनाएं	2014-18 के दौरान ली गई परियोजनाएं	कुल	2014-18 के दौरान पूर्ण की गई परियोजनाएं	छोड़ी गई परियोजनाएं	31 मार्च 2018 तक चालू परियोजनाएं	परियोजनाओं की प्रकृति		लघु अवधि परियोजनाएं	दीर्घ अवधि परियोजनाएं
								प्रयोगिक	मौलिक		
6.	कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (आईसीएआर: 100 प्रतिशत)	1	9	10	5	0	5	5	0	5	0
7.	बागवानी तकनीकी मिशन मोड / बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (आईसीएआर: 100 प्रतिशत)	5	12	17	15	0	2	2	0	2	0
8.	अन्य	8	14	22	11	1	10	7	3	10	0
	कुल	62	106	168	66	4	98¹⁰	80	18	66	32


(स्रोत: अनुसंधान निदेशालय के अभिलेख)

¹⁰ कृषि: 81; पशु चिकित्सा: 13; बागवानी: 4

परिशिष्ट-3.1.3

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.1; पृष्ठ: 102)

एसकेयूएसटी जम्मू का संगठनात्मक ढांचा



(स्रोत: प्रभाव आकलन रिपोर्ट)


¹¹ एफओए: कृषि का संकाय

¹² एफवीएस तथा एएच: पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन का संकाय

परिशिष्ट-3.1.4

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.3; पृष्ठ: 105)

परियोजनाओं के चयन हेतु फ्लो चार्ट



- जेडआरईएसी: जोनल रिसर्च एंड एक्सटेंशन एडवाइजरी कमेटी
 - पीआई: मुख्य अन्वेषक
- (स्रोत: विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रतिवेदन)

परिशिष्ट-3.1.5

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.3; पृष्ठ: 105)

2011-12 और 2017-18 के बीच लाइन विभागों द्वारा उजागर किए मुद्दों का ब्यौरा दिखाता विवरण

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
रोग/ कीट प्रबंधन डिवीजन				
1.	गेहूं में पीले जंग के प्रकोप से रोकथाम में महत्वपूर्ण तकनीकी खोज	दिनांक 20-21 मई 2011, की 12वीं आरसीएम, दिनांक नवंबर 2015 की 15वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
2.	गेहूं की पाला प्रतिरोधी प्रजातियां	दिनांक नवंबर 2015 की 15वीं आरसीएम 2015 की कार्यवाही	लंबित	कृषि
3.	पीले जंग का शमन करने के लिए अधिक रसायन का समावेशन जो कि पौधा सुरक्षा रसायन की एकमात्र विशेषता है, पीले जंग (प्रोपिकोनाज़ोल) का प्रतिरोध बढ़ रहा है जैसा कि किसानों ने रिपोर्ट किया है	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	लंबित	कृषि
4.	कांडी बेल्ट के सामान्य बुवाई वाले अनुपजाऊ क्षेत्रों के लिए पीले जंग प्रतिरोधी गेहूं की प्रजातियों का विकास तथा जीन परिनियोजन सम्मिलित द्वारा पूर्णतावादी प्रबंधन योजना का विकास, पैथोजेन प्रजातियों की पहचान इत्यादि	रबी 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 15 दिसंबर 2016 की बैठक तथा 17वीं अनुसंधान परिषद की दिनांक 20 मार्च 2018 की बैठक की कार्यवाही	लंबित	कृषि
5.	पोड़ बोरर हमले तथा मुरझाने की प्रतिरोधात्मक क्षमता वाले चने की प्रजातियों का विकास	रबी 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 15 दिसंबर 2016 की बैठक की कार्यवाही	लंबित	कृषि

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
6.	किसानों की मदद तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु रोग प्रबंधन के लिए आकस्मिक योजना का विकास	दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
7.	उपयोग की गई दवाइयों के प्रति प्रतिरोधन का विकास जोकि पशुओं के प्रजनन को प्रभावित करता है तथा किसानों के घाटे का कारण होता है	17वीं आरसीएम दिनांक 20 मार्च 2018 को आयोजित की गई।	लंबित	पशु पालन
8.	क्षेत्रीय परिस्थितियों में चिचड़ी पर्याक्रमणों तथा दवाई प्रतिरोधन की समस्या पर ज़ोर देना। हिस्सेदारों के बीच आर्थिक घाटे को कम करने के लिए चिचड़ी पर्याक्रमणों के नियंत्रण हेतु नई दवाइयों के सुझाव	17वीं आरसीएम दिनांक 20 मार्च 2018 को आयोजित की गई।	लंबित	पशु पालन
9.	डेयरी पशुओं में "एक्टोपैरासाइट्स" का प्रबंधन	7वीं विस्तार शिक्षा परिषद की दिनांक 18 मई 2015 की बैठक की कार्यवाही	लंबित	पशु पालन
10.	मादा बांझपान की समस्या से निपटना जिससे की ब्यांत अवधि कम की जा सके और डेयरी पशुपालन एक मुनाफे वाला उपक्रम बन सके।	दिनांक 21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम	लंबित	पशु पालन
11.	आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों की समस्या का निदान	दिनांक 21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम	लंबित	पशु पालन
12.	ब्रूसेल्लोस, लिस्टरिओसिस, ट्यूबरकुलोसिस, फूट रोट, एफएमडी इत्यादि रोगों का नियंत्रण तथा उन्मूलन	दिनांक 21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम	लंबित	पशु पालन
13.	एसीएचडी रामबन में जून-जुलाई के महीने में कीवी की नश्वरता को कम करने हेतु योजना।	रबी 2017 के लिए जेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक	लंबित	बागवानी
14.	आलू क्षेत्रों में नीमटोड समस्या का प्रभावी नियंत्रण तथा जैव बासमती का सार्वजनिकीकरण	20 मार्च 2019 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही	निदान किया गया	कृषि

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
15.	कठुआ जिले में किशतवाड़ और बानी में अखरोट घुन हेतु प्रबंधन अभ्यास	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
नई प्रजातियों के विकास/ प्रस्तुतीकरण डिवीजन				
1.	तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पंजाब के पैटर्न पर हयोला जैसे सफ़ेद सरसों तथा सरसों हाइब्रिड का प्रस्तुतीकरण	रबी 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 15 दिसंबर 2016 की बैठक की कार्यवाही	लंबित	कृषि
2.	विश्वविद्यालय द्वारा मक्का की उन्नत मिश्र किस्में/ हाइब्रिड का विकास जोकि निजी बहुराष्ट्रीय हाइब्रिड से सस्ती हों।	खरीफ 2015 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 11 मई 2015 की बैठक की कार्यवाही	लंबित	कृषि
3.	बासमती की प्रकाशसुग्राही किस्म का विकास	दिनांक नवंबर 2015 की 15वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
4.	तिलहन तथा दालों की नई किस्मों का विकास	दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
5.	जम्मू डिवीजन के विभिन्न एगो-क्लाइमैटिक ज़ोन में कीवी का प्रस्तुतीकरण	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	लंबित	बागवानी
6.	सफल पौधरोपण की सिफ़ारिश तथा लीची पौधरोपण की उत्तरजीविता	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
7.	हानिकारक बंदरों के ख़तरे से किसानों की रक्षा के लिए नकदी फसल के विकल्प के रूप में अदरक तथा हल्दी की ग्रीष्म बुवाई के स्थानीय चयन का विकास	रबी 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की 15 दिसंबर 2016 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
8.	जम्मू डिवीजन के कांडी क्षेत्र में बेर की उन्नत किस्मों का प्रस्तुतीकरण	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
9.	मिड हिल्स में विभिन्न फल फसलों जैसे अनारदाना, फालसा इत्यादि का प्रस्तुतीकरण	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
10.	जम्मू रीजन के लिए उपयुक्त क्षेत्र विशेष मुख्य उन्नत फल फसल किस्मों की सूची प्रदान करना	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
बीज/ पौधरोपण सामग्री की उपलब्धता				
1	विभाग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हाइब्रिड बीजों की किस्मों का उपयुक्त मात्रा में बहुलीकरण	20 मार्च 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
2	गुणवत्ता वाली पौधरोपण सामग्री की निश्चित उपलब्धता तथा पॉली बैग में उगाये गए बागवानी पौधे	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	लंबित	बागवानी
3	पहाड़ी क्षेत्रों जैसे गिज़ा और के-448 के लिए पारंपरिक धान की किस्मों के बीज की उपलब्धता	खरीफ 2015 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 11 मई 2015 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	कृषि
4	ऊतक संवर्धित केसरी बीज कॉर्न का उत्पादन	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
5	बिक्री केंद्रों पर गुणवत्ता वाले फलों के पौधों का प्रावधान	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
6	उप उष्णकटिबंधी तथा समशीतोष्ण फलों जैसे आड़ू, बेर, सेब, आम तथा अमरूद की उच्च घनत्व तथा कम ठंडी किस्मों की उपलब्धता	रबी 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की 15 दिसंबर 2016 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
7	जम्मू डिवीजन की समशीतोष्ण ज़ोन नर्सरियों के लिए सेब के क्लोनल रूटस्टोक की आपूर्ति तथा बहुलीकरण के लिए तकनीकी ज्ञान	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
तकनीकी/ आधारभूत संरचना/ संभार तंत्र सहयोग डिवीजन				
1	वातावरण प्रतिरोधकक्षमतापूर्ण कृषि विशेषतः यथावत आर्द्रता संरक्षण का विकास, परिरक्षित चारा निर्माण, चारे के स्रोतों तथा कृषि विभाग के साथ नजदीकी समन्वयन में एकीकृत कृषि प्रणाली का निर्माण	खरीफ 2015 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 11 मई 2015 की कार्यवाही	लंबित	कृषि
2	वातावरण प्रतिरोधकक्षमतापूर्ण किस्मों का विकास	20 मार्च 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
3	जम्मू प्रांत के अंतर्गत जुताई के लिए बासमती चावल की किस्मों की जैविक रूप द्वारा नाइट्रोजन की आवश्यकता का मानकीकरण और सिफारिश	20 मार्च 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
4	प्रविष्टियों की नकल किए जाने के बिना चावल के जीन पूल का संरक्षण	दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
5	बासमती क्लस्टर में जैविक चावल उत्पादन में सहयोग प्रदान करना तथा उपयुक्त कदमों को अपनाना	खरीफ 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 25 मई 2016 की बैठक की कार्यवाही	लंबित	कृषि
6	आर.एस.पुरा बासमती की आनुवांशिक पहचान, शुद्धता (नमूने विभाग द्वारा प्रदान किए जाने थे) तथा रखरखाव की डीएनए जांच	खरीफ 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 25 मई 2016 की 12वीं आरसीएम, 20-21 मई 2011 की बैठक की कार्यवाही	लंबित	कृषि

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
7	भूमि प्रजाति तथा स्थानीय जननद्रव जैसे कि भदरवाह रज्मश तथा आर.एस.पुरा बासमती सहित पौधों की किस्मों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।	20 मार्च 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
8	बासमती चावल में सुगंध की पहचान तथा सुगंध हेतु उत्तरदायी जीन की पहचान के लिए अनुसंधान कार्य	दिनांक 12 सितंबर 2013 की 14वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
9	भदरवाही रज्मश का डीएनए फिंगर प्रिंटर	दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
10	रज्मश का आणविक वर्णन	खरीफ 2015 के लिए ज़ेडआरईएसी दिनांक 11 मई 2015 की कार्यवाही	लंबित	कृषि
11	विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर बताई गई जीआईएस आधारित मृदा उर्वरता मानचित्र की उपलब्धता विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की जानी है।	दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
12	शुष्क भूमि कृषि तथा आधुनिक जलसंभर के लिए परिवर्ती फसल प्रणाली का विकास	दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
13	पहाड़ी तथा चट्टान संबंधी कृषि मशीनों की डिज़ाइनिंग/ आयात नमूने	20 मार्च 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	कृषि
14	उपयुक्त बुवाई कलेंडर तथा आकस्मिक फसल योजना को कारगर बनाने के प्रभावी यंत्र के रूप में एसकेयूएसटी-जे की कृषि मौसम विज्ञान शाखा द्वारा सभी जिलों के लिए खंड वार मौसम पूर्वानुमान	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	लंबित	कृषि

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
15	मुर्गीपालन के मौसमी रोगों हेतु तकनीकी सहयोग तथा विश्वविद्यालय से उनके रोग निरोधी उपाय	8वीं शिक्षा विस्तार परिषद की 29 मार्च 2017 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	लंबित	पशु पालन
16	एआई नेटवर्क पर डालने हेतु प्रजनन सांडो की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रजनन यंत्रों का प्रयोग	दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम	लंबित	पशु पालन
17	चारा संपन्नीकरण व पशु तथा मुर्गीपालन चारे में उपलब्ध स्थानीय चारा घटकों पर अनुसंधान ताकि किसानों को सस्ती दरों पर चारा तथा खनिज सम्पन्न चारा ब्लॉक उपलब्ध कराए जा सके।	दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम	लंबित	पशु पालन
18	जम्मू डिवीजन में अत्यंत-उच्च घनत्व के सेब के पौधरोपण की साध्यता और अनुकूलनशीलता तथा रूट स्टॉक सामग्री की सिफ़ारिश	9वीं शिक्षा विस्तार परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	लंबित	बागवानी
19	मानकीकृत ऊतक समूह अभ्यास के साथ स्ट्रॉबेरी फल में गुणवत्ता सुधार	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	लंबित	बागवानी
20	जम्मू डिवीजन के विशिष्ट रीज़नों के लिए ड्रैगन फ़ूट/ खजूर जैसी फल प्रजातियों की उन्नत किस्मों का विकास	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	लंबित	बागवानी
21	अखरोट गिरी के मूल्य वर्धित उत्पाद	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	लंबित	बागवानी
22	सूखा और अधिक वर्षा के लिए उचित आकस्मिक योजना	9वीं शिक्षा विस्तार परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	लंबित	बागवानी

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
23	कांडी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त उर्वरता तकनीकों की सिफारिश की जानी चाहिए	20 मार्च 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	बागवानी
24	भेड़ में क्लेस्ट्रीडियल रोग के प्रबंधन हेतु क्लोस्ट्रीडियम टीके को तैयार करना	6वीं विस्तार परिषद की दिनांक 16 सितंबर 2013 बैठक एवं दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	भेड़ पालन
25	खनिजों की पर्याप्त मात्रा सहित पशुधन की पूर्ति हेतु पोषक तत्वों का खनिज मानचित्रण	6वीं विस्तार परिषद की दिनांक 16 सितंबर 2013 की बैठक एवं दिनांक मार्च 2018 की 17वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	भेड़ पालन
26	प्रत्येक जिले में विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में मिट्टी और पशुधन का खनिज प्रोफाइल व पशुधन के लिए खनिजों की पूर्ति, जिनकी उस विशिष्ट क्षेत्र में कमी है।	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	लंबित	भेड़ पालन
27	निदान और रोग प्रतिरोध के लिए मार्कर आधारित तकनीक का विकास	20 मार्च, 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम	लंबित	भेड़ पालन
28	स्थानीय नस्लों, लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे बकरवाल बकरी के आनुवंशिक लक्षण के वर्णन और संरक्षण, ईटीटी में सुधार, क्लोनिंग तकनीक आदि।	20 मार्च, 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	भेड़ पालन
29	शीघ्र पहचान और उचित उपचार के लिए रोगों की शीघ्र, सटीक और सस्ते निदान / रिपोर्टिंग के लिए नैदानिक सुविधाओं का अद्यतन	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की दिनांक 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	लंबित	भेड़ पालन
30	जम्मू रीजन में ऊन और मटन उत्पादन में सुधार हेतु प्रजनन उद्देश्य के लिए अच्छे भेड़ स्टॉक आयात करने का प्रयास	दिनांक 9 मार्च 2017 को अनुसंधान परिषद की 16वीं बैठक की कार्यवाही	लंबित	भेड़ पालन

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
31	भेड़ पालन विभाग और एसकेयूएसटी-जे द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भेड़ और बकरी की नियमित रखवाली, निगरानी और उनके रोगों का पता लगाने की आवश्यकता है।	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	लंबित	भेड़ पालन
32	गेंदा फसल में मूल्यवर्धन	रबी 2016 के लिए जेडआरईएसी की दिनांक 15 दिसंबर 2016 की कार्यवाही	लंबित	पुष्पकृषि
33	वाणिज्यिक बागवानी फसलों की खेती में सूक्ष्म सिंचाई तकनीक	रबी 2016 के लिए जेडआरईएसी की दिनांक 15 दिसंबर 2016 की कार्यवाही	लंबित	पुष्पकृषि
34	गेंदे में मूल्यवर्धन की विधियाँ	दिनांक 29 मार्च, 2017 को 8वीं विस्तार शिक्षा परिषद की कार्यवाही	लंबित	पुष्पकृषि
35	सूखे पौधे की अवधारणा का परिचय	8वीं विस्तार शिक्षा परिषद की दिनांक 29 मार्च, 2017 की कार्यवाही	लंबित	पुष्पकृषि
36	फसलोत्तर तकनीक का परिचय	8वीं विस्तार शिक्षा परिषद की दिनांक 29 मार्च, 2017 की कार्यवाही	लंबित	पुष्पकृषि
37	गेंदे की संरक्षित खेती का परिचय	8वीं विस्तार शिक्षा परिषद की दिनांक 29 मार्च, 2017 की कार्यवाही	लंबित	पुष्पकृषि
38	मिल्की मशरूम, बटन मशरूम और ढींगरी मशरूम हेतु लाइन विभागों की स्पॉनिंग तकनीक के मानकीकरण के संबंध में प्रौद्योगिकी	खरीफ 2015 के लिए जेडआरईएसी की दिनांक 11 मई 2015 की कार्यवाही	निदान किया गया	कृषि
39	जिला सांबा के लिए 0.2 हेक्टेयर, 0.5 हेक्टेयर और 1.0 हेक्टेयर के लिए एकीकृत खेती मॉडल (सिंचित / वर्षा आधारित खेती के लिए)	रबी 2017 के लिए जेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	कृषि

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
40	जम्मू डिवीजन में ग्रीष्मकालीन सेब की खेती के लिए मूल्यांकन और सिफारिशें	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
41	उच्च घनत्व वाले आम के बागों की लागत की मितव्ययता का अनुमान और अनुशंसित किस्में	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
42	राजौरी जिले में 3-4 वर्षों के बाद खट्टे फलों के आकार में कमी की समस्या	रबी 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की 15 दिसंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
43	जम्मू डिवीजन के मृदा उर्वरता नक्शे का मानकीकरण और नए फल की फसल के रोपण से संबंधित सिफारिशें	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
44	अनार/ पपीता/ केले की प्रजातियों की तैयारी के लिए आगामी टिशू कल्चर लैब बहुलीकरण का विकास	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
45	केला, पपीता और अनार के फल की फसलों के व्यापक बहुलीकरण के लिए उत्कृष्ट केंद्र में टिशू कल्चर लैब का विविधीकरण	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
46	जिला स्तर पर संरक्षित संरचना और नर्सरी प्रौद्योगिकी के संबंध में तकनीकी सहायता प्रदान करना	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
47	मिट्टी की उर्वरता उत्पादन और फल की फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्षेत्र विशेष में जैविक खेती पद्धति का अभ्यास	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
48	फलों की फसलों में बागवानी के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
49	फल फसलों जैसे बेर, करौंदा, गलगल, जामुन, अनार, हरड़, फलसा, आदि के लिए जम्मू के कंडी क्षेत्रों के लिए विशिष्ट शुष्क भूमि बागवानी का गठन	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
50	जैव नियंत्रण एजेंटों का विकास/ मानकीकरण और बागवानी फसलों के लिए आईएनएम/आईपीएम के लिए सिफारिश	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
51	प्रमुख फसलों दालों, तिलहन, सब्जियों और बागवानी, फूलों की खेती, डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन, मशरूम, कृषि, वर्मीकम्पोस्ट से संबंधित विभिन्न उद्यम/ अर्थव्यवस्था से 2022 तक कृषि समुदाय की आय को दुगुना करने हेतु ऐसे मॉडल अपनाने के लिए के लिए प्रेरित करने हेतु विभिन्न फसलों के लिए वित्तीय प्रतिलाभ की तैयारी	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
52	जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में फलों की फसलों के संबंध में अनुकूलन रणनीतियां और बेहतर किस्में	9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
53	कंडी क्षेत्रों में विभिन्न सुगंधित फसलों की अर्थव्यवस्था	रबी 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की 15 दिसंबर 2016 की कार्यवाही	निदान किया गया	पुष्पकृषि
54	वाणिज्यिक बागवानी फसलों की नई जारी किस्मों की सिफारिश यथा जम्मू रीज़न के विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में जेरबेरा, लिलियम और गेंदा	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की कार्यवाही	निदान किया गया	पुष्पकृषि

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
55	छोटे गेंदे वाले किसानों के लिए पॉली हाउस की सिफारिश	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की कार्यवाही	निदान किया गया	पुष्पकृषि
56	पॉली हाउस में स्वचालन/सापेक्ष आर्द्रता की सिफारिश	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की कार्यवाही	निदान किया गया	पुष्पकृषि
57	जरबेरा के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट की सिफारिश	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की कार्यवाही	निदान किया गया	पुष्पकृषि
तकनीक का प्रदर्शन/अनुशांसा/संवर्धन/स्थानांतरण				
1	यूरिया मोलासेस मल्टी न्यूट्रिएंट ब्लॉक्स (यूएमएमबी) के संबंध में राजौरी, डोडा, रियासी, कठुआ और जम्मू जिलों में डेयरी पशु के लिए क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण से समृद्ध तकनीक का प्रसार	8वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 29 मार्च, 2017 को आयोजित बैठक की कार्यवाही	लंबित	पशु पालन
2	आधारभूत संरचनात्मक आंकड़ों के प्रसार के विषय में बताया गया कि किसानों के बीच बकरवाली बकरी की कीमती और अद्वितीय नस्ल के संबंध में आंकड़ें विश्वविद्यालय द्वारा एकत्रित किए जाने हैं।	20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	भेड़ पालन
3	कर्तित फूलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों और गेंदे की विभिन्न किस्मों की ग्रीष्मकालीन खेती को जम्मू प्रांत के तहत वाणिज्यिक खेती को अनुशांसित करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय को नियंत्रित परिस्थितियों में संरक्षित खेती के लिए पर्यावरण अनुकूल तकनीक प्रदान करनी चाहिए ताकि किसानों की आय में वृद्धि के लिए एकीकृत मॉडल का विकास हो सके।	20 मार्च, 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही	लंबित	पुष्पकृषि

क्रम सं	विशेष रूप से दर्शाए मामले	ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ	निदान किए गए/ लंबित मामले	शाखा
4	विभिन्न फसलों के लिए क्षेत्र विशिष्ट सिफारिशों की उपलब्धता	8वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 29 मार्च, 2017 की कार्यवाही	लंबित	पुष्पकृषि
5	जम्मू क्षेत्र के समशीतोष्ण क्षेत्रों में उच्च घनत्व वाली सेब के पैकेज की पद्धति का विकास	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
6	अखरोट/ पेकान के अलावा अखरोट की फसलों को बढ़ावा देना	रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
7	जम्मू रीजन में अप्रयुक्त पड़े भूमि के बड़े हिस्से के लिए उपयुक्त फलदार पौधों की किस्मों की सिफारिश	20 मार्च, 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही	निदान किया गया	बागवानी
8	जम्मू रीजन में दामस्क गुलाब खेती को बढ़ावा देना	रबी 2016 ज़ेडआरईएसी की दिनांक 15 दिसंबर 2016 की कार्यवाही	निदान किया गया	पुष्पकृषि

(स्रोत: अनुसंधान परिषद और ज़ोनल अनुसंधान विस्तार और सलाहकार समिति की बैठकों का कार्यवृत्त)

मंच	कुल मामलें	लंबित मामलें	निदान किए गए मामलें
आरसीएम	30	28	2
ज़ेडआरईएसी	42	16	26
ईसी	25	17	8
कुल योग	97	61	36

परिशिष्ट-3.1.6

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.3; पृष्ठ: 105)

2012 में पहचाने गए अनुसंधान योग्य क्षेत्रों की उपेक्षा दर्शाता विवरण

क्र.सं.	पहचाने गए क्षेत्र	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	अभ्युक्तियाँ
1	जर्मप्लाज्म बैंक की स्थापना और आनुवंशिक रूप से संशोधित / ट्रांसजेनिक फसलों का विकास	इसकी पहचान से 5 वर्ष से अधिक अवधि समाप्त होने के बाद राज्य कृषि उत्पादन विभाग को ₹4 करोड़ की लागत से अनुमानित जीन बैंक की स्थापना की परियोजना का प्रस्ताव (मार्च 2018) प्रस्तुत किया गया था।	आरंभ किया जाना है।
2	जलवायु परिवर्तन अनुसंधान और सुदूर संवेदन इकाई की स्थापना	चट्टा में प्रस्तावित परियोजना आरंभ करने हेतु धन की प्रतीक्षा थी। हालांकि, निदेशक कृषि, जम्मू को प्रस्तुत (अप्रैल, 2013) ₹94.20 करोड़ (12वीं योजना) की लागत की डीपीआर पर आगे की कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी।	आरंभ किया जाना है।
3	भ्रूण हस्तांतरण तकनीक के माध्यम से भैंस की स्थानीय नस्लों में सुधार	कार्यकलाप आरंभ न करने के लिए धन की प्राप्ति न होने को जिम्मेदार ठहराया गया था। हालांकि, विश्वविद्यालय द्वारा इस तरह के किसी प्रस्ताव को प्रारम्भ नहीं किया गया था।	आरंभ किया जाना है।
4	बकरवाली बकरियों पर डेटाबेस की स्थापना	एक परियोजना में बकरवाली बकरियों पर काम शुरू किया गया (जून 2018)। हालांकि, बकरवाली बकरी पर डेटाबेस की स्थापना का प्राथमिक क्षेत्र के निरूपण पर नेटवर्किंग परियोजना में संरेखित नहीं था, जिसमें प्ररूपी लक्षण के वर्णन का अधिदेश था	डेटाबेस की स्थापना पर कार्य आरंभ नहीं किया गया
5	वर्तमान में इस्तेमाल किए गए कीटनाशकों के विषविज्ञान का अध्ययन	मई 2018 तक इस तरह की कोई परियोजना आरंभ नहीं की गई थी। बताया गया (जून 2018) कि परियोजना कि फंडिंग के लिए आईसीएआर को प्रस्तुत किया जाएगा।	आरंभ नहीं हुआ

क्र.सं.	पहचाने गए क्षेत्र	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	अभ्युक्तियाँ
6	रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और मांस और दूध के उत्पादन के लिए पशुओं की जीनोटाइपिंग	मई 2018 तक इस तरह की कोई परियोजना आरंभ नहीं की गई थी। परियोजना के लिए बताया गया (जून 2018) कि फंडिंग के लिए आईसीएआर को प्रस्तुत किया जाएगा।	आरंभ नहीं हुआ
7	जीआईएस और रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करके जिला स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सूचनाओं का संग्रह और डिजिटलीकरण	इस तरह की कोई परियोजना आरंभ नहीं की गई थी। बताया गया कि परियोजना को प्रस्तुत किया गया है तथा धन की प्राप्ति के पश्चात आरंभ किया जाएगा।	आरंभ किया जाना है।
8	कीटों और रोगों के पूर्वानुमान के लिए डेटाबेस का विकास	उत्तर यह दर्शाते हुए सत्य नहीं है कि धन की अनुपलब्धता के कारण अनुमानित कार्य पूरा नहीं किया जा सका, क्योंकि यह परियोजना केवल ₹17.92 लाख की योजनागत लागत के विपरीत ₹6 लाख के लिए स्वीकृत की गई थी, जिसमें ₹4 लाख उपकरणों की लागत की ओर तथा ₹2 लाख आवर्ती आकस्मिकताओं के लिए तथा परियोजना को उपलब्ध अनुदान की सीमा के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए था। तथ्य यह भी है कि संकलित आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बागवानी फसलों की उपस्थिति के बारे में आकड़ों को बागवानी निदेशालय के साथ साझा नहीं किया गया था।	परियोजना के मात्रात्मक उत्पादों जिसमें रोगजनकों की उत्तरजीविता का अध्ययन सम्मिलित है जो अगली फसल में इनोकुलम के प्राथमिक स्रोत, विभिन्न अंतराल पर रोगों के मूल्यांकन, रोग प्रगति वक्र के रूप में कार्य करता है और क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न तारीखों पर फसल के रोग और मौसम की स्थिति में बदलाव के आधार पर रोगों की उपस्थिति और गंभीरता के समय की भविष्यवाणी हेतु मौसम के मापदण्डों के अभिलेखों को प्राप्त नहीं किया गया था

क्र.सं.	पहचाने गए क्षेत्र	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	अभ्युक्तियाँ
9	कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर बारिश की कमी के प्रभाव का अध्ययन	राज्य के कृषि विभाग से फंडिंग के लिए 2014-15 में ₹42 लाख की लागत पर परियोजना को लिया गया था। हालाँकि, इस परियोजना के अंतर्गत केवल ₹5 लाख की धनराशि जारी की गई है और इसके बाद परियोजना को छोड़ दिया गया है।	अध्ययन को संचालित किया गया है और अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है।
10	पशु रोग की अनुश्रवण और निगरानी (एडीएमएस) की स्थापना	हालांकि एडीएमएस लैब को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के साथ स्थापित किया गया था, जो समय पर धनराशि जारी न होने से पूरी तरह कार्यात्मक नहीं हो सकी थी।	उत्पादों को प्राप्त नहीं किया गया।
11	महत्वपूर्ण फसलों के विकसित जीनोटाइप का विकास करने के लिए पारंपरिक प्रजनन प्रयासों में तेजी लाने हेतु आणविक प्रजनन (मार्कर सहायता प्राप्त चयन)	आणविक मार्करों पर परियोजनाओं के संचालन के विषय में बताया गया था कि इन परियोजनाओं के निष्कर्षों को अभी तक पीआई द्वारा संप्रेषित नहीं किया गया था। हालाँकि, 2006 तथा 2017 के बीच ₹62.03 लाख की लागत से संचालित दो परियोजनाओं के माध्यम से चावल/ बीन्स की नई खेती के विकास का उद्देश्य (जून 2018 तक) हासिल नहीं किया गया था।	संचालन में, परिणाम जांच के अधीन थे।
12	खाद्य और औषधीय मशरूम की उच्च उपज वाली नस्लों का चयन और परिचय	मशरूम पर दीर्घकालिक (एआईसीआरपी)/ लघु अवधि की परियोजनाएं चालू थीं। हालांकि, खाद्य और औषधीय मशरूम पर विशिष्ट सिफारिशें उपलब्ध नहीं थीं। अध्ययनों के परिणामों का सत्यापन किया जाना था (मई 2018)।	हालांकि, संचालन में परिणाम अपडेशन के तहत थे।

क्र.सं.	पहचाने गए क्षेत्र	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	अभ्युक्तियाँ
13.	चावल, गेहूं, मक्का और सामान्य फलियों में जैविक और अजैविक तनाव के लिए विभिन्न आणविक दृष्टिकोणों के माध्यम से जीन की खोज	जीन खोज पर परियोजना का संचालित होना बताया गया था। हालाँकि 2015 और 2016 में संपन्न हुई सामान्य बीन पर इस तरह की दो परियोजनाएँ किसी तार्किक निष्कर्ष पर नहीं पहुँची थीं। इन परियोजनाओं के माध्यम से खोजे गए नवीन जीन का नई किस्मों की निर्गमन के लिए आगे उपयोग नहीं किया गया है।	निर्णयात्मक
14.	जीआईएस के माध्यम से कृषि योग्य भूमि और मिट्टी की उर्वरता मानचित्रण के लक्षण के वर्णन द्वारा मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार	जीआईएस के माध्यम से मिट्टी के मानचित्रण पर विभिन्न परियोजनाओं के विषय में मृदा विज्ञान डिविजन में संचालित होना बताया गया था। हालाँकि, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) परियोजना को मृदा की उर्वरता के मूल्यांकन पर वित्त पोषित किया गया है और 2014-15 के दौरान जम्मू क्षेत्र के विभिन्न जिलों में डिजिटल मृदा उर्वरता मानचित्र तैयार करने के उद्देश्य से जीआईएस का उपयोग करते हुए पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए इसकी स्थानिक विविधता अधूरी रह गई जैसा कि अप्रैल 2019 तक केवल दो जिले जिनमें जम्मू और कठुआ को कवर किया गया।	मिट्टी उर्वरता पर केवल आंशिक परिणाम उपलब्ध

(स्रोत: विश्वविद्यालय परिषद की बैठक का कार्यवृत्त)

परिशिष्ट-3.1.7

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.4.2; पृष्ठ: 109)

एसकेयूएसटी जम्मू में मांग के प्रति बीज उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़ें क्विंटल में)

वर्ष	मौलिक/बुनियादी फसल	इंडेंट	चट्टा में बीज उत्पादन	चाकरोई में उत्पादित बीज	कुल उत्पादन	कमी
2014-15	धान	800.00	98.29	174.86	273.15	526.85
	गेहूं	87,350.00	833.29	642.00	1,475.29	85,874.71
	योग	88,150.00	931.58	816.86	1,748.44	86,401.56
2015-16	धान	11,845.00	178.00	162.00	340.00	11,505.00
	गेहूं	90,000.00	51.56	133.53	185.09	89,814.91
	योग	1,01,845.00	229.56	295.53	525.09	1,01,319.91
2016-17	धान	13,150.00	336.75	243.00	579.75	12,570.25
	गेहूं	49,500.00	663.16	307.00	970.16	48,529.84
	योग	62,650.00	999.91	550.00	1,549.91	61,100.09
2017-18	धान	460.00	259.00	250.00	509.00	(-) 49.00
	गेहूं	9,102.00	539.25	255.00	794.25	8,307.75
	योग	9,562.00	798.25	505.00	1,303.25	8,258.75
कुल योग		2,62,207.00	2,959.30	2,167.39	5,126.69	2,57,080.31

(स्रोत: मेगा बीजों के अभिलेख)

परिशिष्ट-3.1.8

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.4.4; पृष्ठ: 111)

बंद की गई/ अवरुद्ध परियोजनाओं का विवरण

(₹ लाख में)

क्रम सं	तदर्थ परियोजना का नाम (परियोजना अवधि तीन वर्ष)	लागत	उद्देश्य/उत्पाद	अभ्युक्तियाँ	किया गया व्यय	विभाग का उत्तर
1.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), ब्रेसिका जंकिया के लिए एकल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिम्स (एसएनपी) का विकास आरंभ करने की तिथि: जुलाई 2013 समापन तिथि: 2017	58.43	एकल न्यूक्लियोटाइड पॉलिमोर्फिम्स (एसएनपी) जीनोटाइपिंग के लिए उच्च-थ्रूपुट मल्टीप्लेक्स सारणी का संश्लेषण	उपकरणों की खरीद और आवश्यक सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए समय पर कार्रवाई की नहीं करने के परिणामस्वरूप क्रियान्वयन में देरी हुई। 2016-17 में परियोजना के लिए अतिरिक्त समय और अव्ययित अनुदान के उपयोग के लिए अनुरोध, फंडिंग एजेंसी द्वारा सहमति नहीं ली गई थी और ₹22.24 लाख की अव्ययित राशि फंडिंग एजेंसी को वापस की जानी थी (अक्टूबर 2017)	26.76	पीआई ने कहा (मार्च 2018) कि खरीद शुरू करने में केंद्रीय खरीद समिति द्वारा देरी के कारण परियोजना को नुकसान हुआ जो उसके नियंत्रण से बाहर था।
2.	ब्रेसिका जंकिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के वांछनीय किस्मों में इरुसिक एसिड प्रोफाइलिंग और निम्न इरुसिक एसिड का अंतर्गमन। आरंभ करने की तिथि: अगस्त 2014 समापन तिथि: अगस्त 2017	35.93	गुणवत्ता वाले तेल की मांग को पूरा करने के लिए कम इरुसिक एसिड अवयव के साथ ब्रेसिका जनेशिया के जर्मप्लाज्म का विकास।	यूसी को अपलोड करने में तकनीकी विफलता और परियोजना के तीसरे वर्ष के लिए अनुदान जारी न करने के परिणामस्वरूप, तीसरे वर्ष परियोजना की गतिविधियों को हानि पहुंची। परियोजना के समय को बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था।	22.90	पीआई ने कहा (मार्च 2018) कि डीबीटी के टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुसार, तीसरे वर्ष के तकनीकी कार्यक्रम को बिना किसी वित्तीय सहायता के चलाने और परिणामों को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए काम जारी रखने की सलाह दी गई थी। हालांकि, डीबीटी के प्रमुख ने कहा (जून 2018) कि परियोजना को बंद करने से आगे की प्रजनन प्रगति अवरुद्ध हो गई है और आज तक प्रजनन कार्यक्रम में आगे की सिफारिश के लिए संयुग्मजी लाइनों को विकसित नहीं किया जा सका है।
3.	एंज़ोजेनिसिस ने जोती हुई बैंगन (डीबीटी) की फसल में फल और अंकुर	26.40	भ्रूण के बचाव और स्थानीय परिस्थितियों के लिए प्रोटोकॉल का	निवर्तमान पीआई के पक्ष में एनओसी जारी करने से पहले सह-पीआई/ मॉटर को परियोजना का हस्तांतरण सुनिश्चित नहीं किया	17.50	इंगित किए जाने पर, यह कहा गया (फरवरी 2018) कि परियोजना को स्थानांतरित करने का कोई

क्रम सं	तदर्थ परियोजना का नाम (परियोजना अवधि तीन वर्ष)	लागत	उद्देश्य/उत्पाद	अभ्युक्तियाँ	किया गया व्यय	विभाग का उत्तर
	प्रतिरोधी जीन की मध्यस्थता की। आरंभ करने की तिथि: फरवरी 2012 समापन तिथि: अगस्त 2014		मानकीकरण किया जाए तथा फलों के विकास और एंथर/माइक्रोस्पोर कल्चर के लिए और बैंगन की व्यापक हाइब्रिड के पराग रोपण प्रतिरोधी हेल्प्लोयड्स/ डबल हैप्लोयड्स का विकास।	गया था, हालांकि डीबीटी द्वारा परियोजना के हस्तांतरण के प्रावधान की सूचना निवर्तमान पीआई को एक विज्ञप्ति में सूचित की गई थी।		प्रावधान नहीं था। उत्तर का समर्थन करने वाला दस्तावेज़ केवल तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए पीआई की अनुपस्थिति के मामले में स्थानांतरण को प्रतिबंधित करता है, जो इस मामले में प्रासंगिक नहीं है। उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखकर भी देखा जाना चाहिए कि परियोजना के हस्तांतरण के लिए प्रावधान डीबीटी द्वारा निवर्तमान पीआई को एक विज्ञप्ति द्वारा सूचित किया गया था, जिसके आधार पर पीआई द्वारा एनओसी लागू किया गया था।
4.	भारत के मृदा कार्बन पूल का स्थानिक मूल्यांकन आरंभ करने की तिथि: 2008 समापन तिथि: 2012 (2012 के बाद की कोई जानकारी नहीं)	2.80	आगे के विश्लेषण के लिए मिट्टी के नमूनों के संग्रहण द्वारा कार्बन चक्र के घटकों का अनुमान	परियोजना में पीआई का लगातार परिवर्तन हुआ जिसके परिणामस्वरूप इसका कुप्रबंधन हुआ। जुलाई 2010 तक, विभिन्न भूमि उपयोग पैटर्न के अंतर्गत केवल 29 मिट्टी प्रोफाइल नमूने एकत्र किए गए थे। तीसरे पीआई ने (मई 2012) विभिन्न स्थानों पर मिट्टी के नमूने के लिए अपना नया कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके बाद कोई प्रगति नहीं हुई और परियोजना को अनिवार्य उद्देश्यों को पूरा किए बिना बर्खास्त किया गया।	0.40	मिट्टी के नमूनों को एकत्र करने और संबंधित क्वार्टरों में भेजने के लिए कहा गया था। हालांकि, परियोजना से संबंधित सभी रिकॉर्ड के संबंध में बताया गया कि वे बाढ़ में नष्ट हो गए थे। हालांकि, तथ्य यह है कि राष्ट्रीय कार्बन बजट के संकलन के लिए सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों को कवर करने के लिए मिट्टी वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक समूह की भागीदारी के अभाव में और पीआई के लगातार परिवर्तन के कारण, परियोजना आगे बढ़ने में विफल रही।

क्रम सं	तदर्थ परियोजना का नाम (परियोजना अवधि तीन वर्ष)	लागत	उद्देश्य/उत्पाद	अभ्युक्तियाँ	किया गया व्यय	विभाग का उत्तर
5.	<p>फलों की फसलों के लिए उच्च नस्ल रोपण सामग्री के लिए मदर प्लांट नर्सरी की स्थापना (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड) आरंभ करने की तिथि: सितंबर 2012</p> <p>जून 2014 के बाद की कोई परियोजना गतिविधियां नहीं</p>	43.00	साइट्स और अमरूद की उच्च उपज वाली किस्मों का बहुलीकरण किया जाना और बगीचेवालों को आपूर्ति किया जाना।	<p>2012-13 के दौरान परियोजना को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा नहीं किया जा सका और अंत में मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (एमआईडीएच) के तहत विश्वविद्यालय द्वारा एक अन्य परियोजना "बागवानी फल के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना" के तहत वृक्षारोपण हेतु बीच में छोड़ दिया गया, जिसकी अनुमानित लागत ₹784 लाख थी (फरवरी 2016)। परियोजना क्षेत्रों के अतिव्यापी होने के कारण, परियोजना के तहत पहले से ही निर्मित खट्टे फलों के मदर ब्लॉक को उखाड़ फेंकना पड़ा, जिसके लिए फंडिंग एजेंसी से रिकॉर्ड पर कोई औपचारिक मंजूरी नहीं ली गई थी। इसके अलावा, पीआईई द्वारा मांगी गई परियोजना (जनवरी 2017) के लिए अतिरिक्त समय/ स्थानांतरण के लिए किसी भी अनुमोदन के अभाव में परियोजना की गतिविधियाँ अवरूद्ध थीं। इस प्रकार, साइट्स और अमरूद की एचवाईवी के बहुलीकरण करने और बागवानों को इसकी आपूर्ति की जाए, ताकि इससे किसान प्रामाणिक रोपण सामग्री प्राप्त कर सकें, जो उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता और आय बढ़ा सकें, ऐसी योजना के वास्तविक उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सके।</p>	21.73	<p>जवाब में, यह कहा गया (अप्रैल 2018) कि पीआईई द्वारा अनुरोध की गई नर्सरी (जनवरी 2017) की परियोजना के लिए अतिरिक्त समय और स्थानांतरण हेतु अनुमति आज तक प्रतीक्षित थी, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना बंद हो गई। हालाँकि, तथ्य यह रहा कि परियोजना स्थलों का अतिव्यापीकरण गलत नियोजन का संकेत था।</p>
	कुल	166.56			89.29	

(स्रोत: अनुसंधान निदेशालय के अभिलेख)

परिशिष्ट-3.1.9

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.4.5; पृष्ठ: 112)

कोर ब्रीडिंग कार्यक्रम में अनुसंधान परिणामों का गैर-एकीकरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	व्यय	पूर्ण होने की तारीख	उद्देश्य/ अनुमानित परिणाम	उपलब्धि	अभ्युक्तियाँ
1.	भागीदारी के दृष्टिकोण से माध्यम आणविक मार्करों और इन-सीटू संरक्षण का उपयोग करते हुए बासमती चावल की आनुवंशिक विविधता का आकलन	19.13	19.13	2014	निर्यात गुणवत्ता की किस्मों के विकास के लिए बासमती के उन्नत जीनोटाइप का विकास	नई दिल्ली के प्लांट जेनेटिक रिसर्च के नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट में जमा विविध स्थानीय भू-भाग किस्म के बासमती	इन जीनोटाइप को परियोजना में परिकल्पित निर्यात के उद्देश्यों के लिए वांछित किस्मों के विकास के लिए आगे के क्रॉसिंग कार्यक्रमों में उपयोग नहीं किया गया था।
2.	सामान्य फलियों के बीच आनुवंशिक विविधता का निर्धारण और वॉटर स्ट्रेस टोलरेंस का मूल्यांकन (डीएसटी)	22.40	21.50	जून 2015	जल तनाव प्रतिरोध की सामर्थ्य रखने वाले वांछनीय किस्म के बीन जीनोटाइप की पहचान/ मूल्यांकन	<ul style="list-style-type: none"> उच्च लौह जस्ता प्रोटीन सामग्री वाले जीनोटाइप की पहचान की गई है वर्षा आधारित परिस्थितियों में उच्च उपज वाले जीनोटाइप की पहचान की गई है 	आणविक हस्तक्षेपों का उपयोग करके पहचाने गए 96 विविध जीनोटाइपों के सेट का उपयोग आगे के प्रजनन कार्यक्रमों के लिए नहीं किया गया है ताकि जल तनाव प्रतिरोधी किस्मों के विकास के अपेक्षित दीर्घकालिक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

3.	सामान्य बीन (डीओसी) में जिंक, आयरन और प्रोटीन सामग्री के लिए जीन की पहचान के लिए न्यूट्री-जीनोमिक्स और ट्रांसक्रिप्टोमिक्स	21.50	19.50	जुलाई 2016	जस्ता, लोहा और प्रोटीन सामग्री के लिए विभेदित रूप से व्यक्त जीन के सेट की पहचान	सीड जिंक, सीड आयरन, प्रोटीन, शर्करा/ स्टार्च सामग्री/ फेनोल, उपज का योगदान लक्षण और एन्थ्रेक्नोज प्रतिरोध के लिए जीनों की पहचान	एसएसआर मार्कर जीनोटाइपिंग/ वांछनीय लक्षणों के लिए सटीक हाई-थ्रूपुट मार्कर जीनोटाइपिंग का उपयोग करके पहचानी गई 96 लाइनों के मुख्य सेट का नई बीन किस्मों की उन्नत गुणवत्ता, उपज और रोग प्रतिरोध के साथ विकास हेतु उन्नत बीन आणविक प्रजनन कार्यक्रमों का उपयोग आगे नहीं किया गया था।
4.	जम्मू रीजन में चावल में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल (सीएमएस) प्रणाली का उपयोग करते हुए बासमती हाइब्रिड का विकास	1.91	1.91	2006	वांछित लक्षणों को शामिल करके बासमती हाइब्रिड का विकास।	प्रभावी पुनर्स्थापकों और अनुरक्षकों की पहचान के लिए 3 बासमती सीएमएस लाइनों (पूसा 3ए, 5ए और 6ए) का मूल्यांकन	पहचान की गई लाइनों को उनके पुनर्स्थापकों के साथ परिकल्पित रूप में बासमती हाइब्रिड को जारी करने के लिए मुख्य प्रजनन कार्यक्रम में एकीकृत नहीं किया गया था, हालांकि बीज उत्पादन को मानकीकृत किया गया था।
	कुल	64.94	62.04				

(स्रोत: अनुसंधान निदेशालय के अभिलेख)

परिशिष्ट-3.1.10

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.5.1; पृष्ठ: 114)

प्रयोगशाला से खेतों तक तकनीक हस्तांतरण संबंधी परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं.	परियोजना का शीर्षक	बजट (₹ लाख में)	फंडिंग एजेंसी का नाम	आरंभ करने का वर्ष	पूर्ण होने का वर्ष
1	खानाबदोशों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए भेड़, बकरियों और खानाबदोश महिलाओं के सामान्य परजीवी जूनोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए हस्तक्षेपी रणनीतियाँ	2.58	नाबार्ड	2013	2017
2	विसटर चूहों में प्रजनन सूचकांकों के विशेष संदर्भ के साथ धातुक्षय प्रेरित विकासात्मक विषाक्तता को नियंत्रित करने वाला तंत्र	16.79	राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, जम्मू और कश्मीर सरकार	2011	2014
3	जम्मू और कश्मीर में पर्यटन और तीर्थयात्रा के लिए उपयोग किए जाने वाले घोड़ों के महत्वपूर्ण उभरते जूनोटिक रोग	14.64	आईसीएमआर, नयी दिल्ली	2011	2014
4	एनिमल डिजिज़ मॉनिटरिंग एवं सर्विलांस (एडीएमएएस) लैब्स।	31.00	राज्य सरकार	2012	2015
5	ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए डेयरी पशुओं में प्रजनन और प्रबंधन रणनीति	15.80	डीएसटी	2010	2014
6	जम्मू जिले में बोवाइन क्रिप्टोस्पोरिडिओसिस और इसकी जूनोटिक सामर्थ्य	27.00	डीबीटी	2011	2015
7	जम्मू और कश्मीर में पशुधन में विभिन्न बीमारियों के उपचार में उपयुक्त कार्यप्रणाली के पैकेज के दस्तावेज़ों का सत्यापन और विस्तार	8.44	डीएसटी	2011	2014
	योग	116.25			

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट-3.4.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.4; पृष्ठ: 125)

पूर्व-संशोधित दरों पर खाद्यान्नों की बिक्री दर्शाता विवरण

क्रम सं	सहायक निदेशक का नाम (एफसीएस एवं सीए)	महीने	वस्तु	श्रेणी	बेची गई मात्रा (क्विंटल में)	प्रभारित दरें (₹ प्रति क्विंटल)	प्रेषित राशि (₹ लाख में)	प्रभारित की जाने वाली दरें (₹ प्रति क्विंटल)	प्रेषित की जाने वाली राशि (₹ लाख में)	अल्प प्रेषण (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6x7)	(9)	(10=6x9)	(11=10-8)
कश्मीर डिवीजन										
1.	बारामूला	अक्टूबर 2016	चावल	एनपीएचएच	17,789.79	1,000	177.90	1,500	266.85	88.95
2.	पुलवामा	अक्टूबर तथा नवंबर 2016	चावल	एनपीएचएच	21,081.33	1,000	210.81	1,500	316.22	105.41
3.	शोपियाँ	अक्टूबर तथा नवंबर 2016	चावल	एनपीएचएच	9,793.21	1,000	97.93	1,500	146.90	48.97
4.	कुपवाड़ा	अक्टूबर 2016	चावल	एनपीएचएच	11,350.36	1,000	113.50	1,500	170.26	56.76
5.	गांदरबल	अक्टूबर तथा नवंबर 2016	चावल	एनपीएचएच	9,719.37	1,000	97.19	1,500	145.79	48.60
6.	बांटीपोरा	अक्टूबर तथा नवंबर 2016	चावल	एनपीएचएच	9,904.11	1,000	99.04	1,500	148.56	49.52
7.	अनंतनाग	अक्टूबर 2016	चावल	एनपीएचएच	13,581.16	1,000	135.81	1,500	203.72	67.91
8.	बडगाम	अक्टूबर 2016	चावल	एनपीएचएच	11,438.89	1,000	114.39	1,500	171.58	57.19

क्रम सं.	सहायक निदेशक का नाम (एफसीएस एवं सीए)	महीने	वस्तु	श्रेणी	बेची गई मात्रा (क्विंटल में)	प्रभारित दरें (₹ प्रति क्विंटल)	प्रेषित राशि (₹ लाख में)	प्रभारित की जाने वाली दरें (₹ प्रति क्विंटल)	प्रेषित की जाने वाली राशि (₹ लाख में)	अल्प प्रेषण (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6x7)	(9)	(10=6x9)	(11=10-8)
9.	कुलगाम	अक्टूबर 2016	चावल	एनपीएचएच	7,698.10	1,000	76.98	1,500	115.47	38.49
जम्मू डिवीजन										
10.	रेयासी	अक्टूबर 2016	गेहूं	एनपीएचएच	616.66	725	4.47	1,200	7.40	2.93
			चावल		1,165.47	1,000	11.65	1,500	17.48	5.83
			आटा		1,364.30	800	10.91	1,300	17.74	6.83
11.	कठुआ	अक्टूबर 2016	गेहूं	एनपीएचएच	3,270.60	725	23.71	1,200	39.25	15.54
			चावल		2,610.42	1,000	26.10	1,500	39.16	13.06
			आटा		3,515.40	800	28.12	1,300	45.70	17.58
12.	उधमपुर	अक्टूबर 2016	चावल	एनपीएचएच	2,720.58	1,000	27.21	1,500	40.81	13.60
			आटा		4,929.82	800	39.44	1,300	64.09	24.65
			गेहूं		1,510.84	725	10.95	1,200	18.13	7.18
			चावल	एमएमएसए फ़ईएस	1,877.61	1,200	22.53	1,500	28.16	5.63
			आटा		1,773.22	800	14.19	1,300	23.05	8.86
			गेहूं		406.53	725	2.95	1,200	4.88	1.93
योग					1,38,117.77		1,345.78		2,031.20	685.42

(स्रोत: संबंधित सहायक निदेशकों द्वारा अनुरक्षित इशू रजिस्टर और ऑफ-टेक स्टेटमेंट)

परिशिष्ट-3.11.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.11; पृष्ठ: 140)

वेतन बकायों तथा अमान्य भत्तों के अधिक भुगतान के समय-वार ब्योरों को दर्शाता विवरण

(₹ राशि में)

क्रम सं.	डीडीओ का नाम	कर्मचारियों के नाम	अवधि	वसूली योग्य राशि	की गई वसूली	शेष
वेतन भत्तों का अधिक भुगतान						
1.	अपर एसपी श्रीनगर	बशीर अहमद सं. 655/एस	अगस्त 2009 से सितंबर 2017	4,16,740	2,72,000	1,44,740
2.	एसएसपी कुलगाम	तारिक अहमद सं. 668/केजीएम (वर्तमान में एसएसपी अनंतनाग के अंतर्गत तैनात)	मार्च 2008 से अक्टूबर 2018	5,76,041	5,76,041	शून्य
3.	एसएसपी कुलगाम	फजौल रहमान सं. 793/ केजीएम (वर्तमान में एसएसपी बांडीपोरा के अंतर्गत तैनात)	जून 2012 से नवंबर 2018	2,61,072	40,000	2,21,072
4.	एसएसपी कुलगाम	मुश्ताक अहमद सं. 1024/ केजीएम (वर्तमान में एसएसपी अवन्तिपोरा के अंतर्गत तैनात)	जुलाई 2011 से सितंबर 2018	4,53,875	90,000	3,63,875
5.	एसएसपी कुलगाम	निसार अहमद सं.1035/ केजीएम (वर्तमान में एसएसपी बडगाम के अंतर्गत तैनात)	अप्रैल 2002 से फरवरी 2018	5,96,318	1,15,000	4,81,318
6.	एसएसपी कुलगाम	सजद अहमद सं.1034/ केजीएम (वर्तमान में एसएसपी श्रीनगर के अंतर्गत तैनात)	दिसंबर 2011 से अक्टूबर 2018	5,55,463	81,000	4,74,463


क्रम सं.	डीडीओ का नाम	कर्मचारियों के नाम	अवधि	वसूली योग्य राशि	की गई वसूली	शेष
वेतन भत्तों का अधिक भुगतान						
7.	एसएसपी कुलगाम	रेयाज़ अहमद सं. 1036/ केजीएम (वर्तमान में एसएसपी गांदरबल के अंतर्गत तैनात)	दिसंबर 2011 से नवंबर 2018	4,50,782	45,000	4,05,782
	योग			33,10,291	12,19,041	20,91,250
अमान्य भत्तें						
8.	एसएसपी, सीआईडी, सीआईके, श्रीनगर	अमान्य राशन मनी भत्ता (140 कर्मचारी)	सितंबर 2009 से फरवरी 2015	12,87,600	8,14,100	4,73,500
	कुल योग			45,97,891	20,33,141	25,64,750

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट-3.12.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.12.1; पृष्ठ: 141)

सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग का संगठनात्मक चार्ट



(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

¹³ सिविल: 15; यांत्रिक: 3 तथा बाढ़ नियंत्रण: 4

¹⁴ सिविल: 3 तथा यांत्रिक: 2

¹⁵ सिविल: 18; यांत्रिक: 6 तथा बाढ़ नियंत्रण: 4

परिशिष्ट-3.12.2

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.12.2.1; पृष्ठ: 143)

प्रति हेक्टेयर एक लाख से अधिक विकास लागत वाली 28 योजनाओं के ब्योरे को दर्शाता विवरण

क्रम सं.	योजना का नाम	डिवीजन का नाम	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	मार्च 2018 तक किया गया व्यय (₹ लाख में)	प्रति हेक्टेयर विकास लागत (₹ लाख में)	आरंभ करने का वर्ष	पूर्ण करने का नियत वर्ष
1.	एलआईएस नागर गुसैन	सिंचाई डिवीजन, अखनूर	96.00	95.70	1.47	2011-12	2013-14
2.	एलआईएस चोकी और चोरा		550.00	549.78	1.45	2008-09	2010-11
3.	एलआईएस कोट-II		150.00	150.00	1.50	2011-12	2013-14
4.	एलआईएस गंगाल		113.00	113.00	1.50	2011-12	2013-14
5.	एलआईएस सिधरा (दन्ना)		135.00	128.98	1.50	2011-12	2013-14
6.	एलआईएस समोह चपरियाल		798.00	729.05	1.25	2008-09	2010-11
7.	मैट अनसू खुल का निर्माण	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, उधमपुर	63.11	63.11	1.26	2011-12	2013-14
8.	बाना तालाब से नाला बाड़ी का निर्माण		84.94	82.65	1.06	2011-12	2014-15
9.	जोगानी नाला से चौकी तक खुल का निर्माण		99.90	99.90	1.11	2011-12	2014-15
10.	कटवाल्ड खुल का निर्माण		81.21	81.21	1.28	2011-12	2014-15
11.	हंसा खुल पर चैक बांध का निर्माण		541.00	203.37	1.50	2011-12	2014-15
12.	थंगर खुल का निर्माण		111.00	75.95	1.00	2011-12	2014-15
13.	एलआईएस डब्बर पोथा का पुनःप्रतिरूपण/विस्तार	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, नौशेरा	129.77	128.47	1.02	2009-10	2012-13
14.	एलआईएस राजल के अंतर्गत जल की वृद्धि के लिए गुरुत्वीय फीडर का निर्माण		1,750.00	1,784.33	1.23	2006-07	2011-12
15.	एलआईएस खलसियान		129.00	129.00	2.35	2011-12	2013-14
16.	एलआईएस बेरी पट्टन		5,108.00	1,249.93	3.01	2011-12	2015-16
17.	सेरी खुल	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, राजौरी	58.98	45.25	1.07	2011-12	2013-14
18.	शुंगरी खुल		105.00	65.85	1.15	2011-12	2013-14
19.	लाउंडी खुल		95.42	62.88	1.25	2011-12	2013-14

क्रम सं.	योजना का नाम	डिवीजन का नाम	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	मार्च 2018 तक किया गया व्यय (₹ लाख में)	प्रति हेक्टेयर विकास लागत (₹ लाख में)	आरंभ करने का वर्ष	पूर्ण करने का नियत वर्ष
20.	एलआईएस धेरी धारा	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, राजौरी	119.00	118.89	1.58	2008-09	2010-11
21.	रकीबन खुल	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, राजौरी	336.00	149.88	1.56	2011-12	2013-14
22.	पेरी डंडेवली खुल		162.74	114.59	1.29	2011-12	2013-14
23.	खूंड़ाफेर खुल		79.05	48.12	1.36	2011-12	2013-14
24.	तरकुला खोड़ मोंग खुल		198.92	127.44	1.17	2011-12	2013-14
25.	नव खुल का निर्माण	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, बडगाम	893.77	73.20	1.06	2013-14	2015-16
26.	लिफ्ट सिंचाई योजना डुलांजा	हाइड्रोलिक डिवीजन, उरी	179.50	119.58	1.31	2011-12	2013-14
27.	पेठान जमींदारी खुल की पुनःप्रतिरूपण	सिंचाई डिवीजन, अनंतनाग	274.00	307.21	1.49	2011-12	2012-13
28.	वीरवार खुल का पुनःप्रतिरूपण		927.00	575.47	1.92	2011-12	2012-13
योग			13,369.31	7,472.79			

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट-3.12.3

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.12.5; पृष्ठ: 151)

चयनित डिवीजनों में अधिकतम सिंचाई सामर्थ्य, सृजित सिंचाई सामर्थ्य तथा प्रयुक्त सिंचाई सामर्थ्य को दर्शाता विवरण

(हेक्टर में)

क्रम सं.	डिवीजन का नाम	अधिकतम सिंचाई सामर्थ्य (यूआईपी)	निर्मित सिंचाई सामर्थ्य (आईपीसी)	प्रयुक्त सिंचाई सामर्थ्य (आईपीयू)	प्रतिशत प्राप्ति	
					यूआईपी के संदर्भ सहित सिंचाई सामर्थ्य का निर्माण	आईपीसी के संदर्भ सहित सिंचाई सामर्थ्य का उपयोग
1.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, राजौरी	6,825	1,635	1,188	24	73
2.	सिंचाई डिवीजन, अखनूर	4,184	1,315	50	31	4
3.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, नौशेरा	7,885	3,415	852	43	25
4.	सिंचाई डिवीजन, कठुआ	14,650	3,759	1,722	26	46
5.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, उधमपुर	4,328	953	389	22	41
6.	सिंचाई डिवीजन- I जम्मू	59,478	54,713	54,675	92	100
7.	सिंचाई डिवीजन- II जम्मू	640	290	255	45	88
8.	रवि तवी सिंचाई कॉम्प्लेक्स जम्मू	15,016	13,240	11,480	88	87
9.	नलकूप सिंचाई डिवीजन जम्मू	2,607	1,344	542	52	40
10.	सिंचाई डिवीजन, अनंतनाग	14,495	5,548	4,068	38	73
11.	सिंचाई डिवीजन, बारामूला	13,474	2,086	2,086	15	100
12.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, सोपोर	6,181	1,105	1,105	18	100
13.	फिरोज़पुर बेसिन सिंचाई डिवीजन, तंगमर्ग	9,698	8,015	8,015	83	100
14.	हाइड्रोलिक डिवीजन, उरी	4,063	470	470	12	100
15.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, बडगाम	16,837	9,720	8,672	58	89
16.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, हंदवाड़ा	1,325	50	50	4	100
17.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, कुपवाड़ा	7,685	2,000	628	26	31
योग		1,89,371	1,09,658	96,247	58	88

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट-3.12.4

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.12.8.1; पृष्ठ: 156)

पूर्ण होने वाले निर्माण कार्य, वास्तविक पूर्ण निर्माण कार्य तथा देरी हेतु कारणों के विभिन्न चरणों को दर्शाता विवरण

विवरण	लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के नाम	
	बेरी पट्टन	अंबारण-II
अनुमानित लागत	₹51.08 करोड़	₹4.45 करोड़
पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	2015-16	2009-10
जारी की गई निधियाँ	₹17.71 ¹⁶ करोड़	₹4.45 करोड़
व्यय	₹17.71 ¹⁷ करोड़	₹4.45 करोड़
सिविल निर्माण कार्य		
क्रियान्वयित किया जाने वाला	मुख्य कार्य, मुख्य नहर, शाखाओं आदि का निर्माण।	पंप हाउस, डिलीवरी टैंक, मुख्य चैनल, वितरण प्रणाली आदि का निर्माण।
वास्तविक क्रियान्वयित	केवल 20 प्रतिशत सिविल कार्यों को ही क्रियान्वित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से खुदाई शामिल हैं जैसा कि घटनास्थल पर सत्यापित हुआ।	केवल 60 प्रतिशत सिविल कार्य क्रियान्वित (पंप हाउस प्रगति में, वितरण टैंक पूर्ण, मुख्य चैनल और वितरण प्रणाली आंशिक रूप से पूरा हुआ)।
देरी हेतु कारण	अपर्याप्त निधि	अपर्याप्त फंडिंग। एमआईसीडी, जम्मू द्वारा संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने के कारण परियोजना को संशोधित किया गया। जिसकी मंजूरी प्रतीक्षित है।
विद्युत यांत्रिक कार्य		
क्रियान्वयित किया जाने वाला	पम्पिंग मशीनरी की स्थापना, संबंधित कार्यों के साथ राइजिंग मेन और विद्युत उप-स्टेशन का निर्माण।	पम्पिंग मशीनरी की स्थापना, संबंधित कार्यों के साथ-साथ राइजिंग मेन और इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन का निर्माण।
वास्तविक रूप से क्रियान्वित	कोई यांत्रिक कार्य क्रियान्वित नहीं किया गया है। इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन का काम पूरा हो चुका है।	राइजिंग मेन और पंपिंग मशीनरी की केवल खरीद की गई, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन का काम पूरा किया गया है।
देरी हेतु कारण	सिविल डिवीजन द्वारा पंप रूम बिल्डिंग का निर्माण न होना। स्टेज फर्स्ट पंप रूम और कैनाल सेक्शन आरडी: 0-5410एम के काम को निविदा आधार पर लिया गया था। हालांकि 10 से 45 प्रतिशत काम पूरा करने के बाद छोड़ दिया गया।	विद्युत यांत्रिक कार्यों के निष्पादन के लिए निधि प्रतीक्षित।

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

¹⁶ 2018-19 के दौरान जारी ₹5.21 करोड़ के साथ

¹⁷ सितंबर 2019 तक व्यय

परिशिष्ट-3.12.5

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.12.8.2; पृष्ठ: 158)

आठ सैंपल डिवीजनों में निष्क्रिय पड़ी मशीनरी के योजना वार ब्योरे दर्शाता विवरण

क्रम सं.	लिफ्ट सिंचाई योजना का नाम	डिवीजन का नाम	मशीनरी और संबद्ध सामाग्री का विवरण	लागत (₹ लाख में)	अवधि जिससे प्रयोग में नहीं
1.	राजपुरा	सिंचाई डिवीजन, अखनूर	(i) एचसी पंप, हेड मोटर, केवी स्टार्टर आदि और मेन रिफ्लेक्स वाल्व आदि।	24.60	सितंबर 2010
2.	नागर गुसैन		मोटर और स्टार्टर, स्लुइस वाल्व, रिफ्लेक्स वाल्व, फुट वैल्यू के साथ एचसी पंप	10.55	जनवरी 2014 से सितंबर 2014
3.	सिधरा धाना		मोटर और स्टार्टर, स्लुइस वाल्व, रिफ्लेक्स वाल्व और फुट वाल्व के साथ एचसी पंप	10.52	जनवरी 2014 से सितंबर 2014
4.	अंबारन-II		मोटर, स्टार्टर, स्लुइस वाल्व, रिफ्लेक्स वाल्व, फुट वाल्व आदि के साथ एचसी पंप	100.93	अक्टूबर 2014
5.	नूड बिहारा		फुट वाल्व	0.68	सितंबर 2014 (2016-17 में योजना पूर्ण)
6.	धेरी धारा	सिंचाई और बाढ़	एमआरवी	0.48	जून 2013
7.	रकीबन	नियंत्रण डिवीजन, राजौरी	मोटर और स्टार्टर, स्लुइस वाल्व के साथ एचसी पंप	8.70	जनवरी 2014 से सितंबर 2014
8.	ज़िंदा पीर	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, नौशेरा	मोटर और स्टार्टर और फुट वाल्व के साथ एचसी पंप	1.67	जनवरी 2014 से सितंबर 2014
9.	नबरी बरोटा	सिंचाई डिवीजन, कठुआ	मोटर और स्टार्टर के साथ स्लुइस वाल्व, रिफ्लेक्स वाल्व और फुट वाल्व के साथ एचसी पंप	45.07	जनवरी 2014 से सितंबर 2014
10.	लोअर राजवालता		मोटर और स्टार्टर, स्लुइस वाल्व, रिफ्लेक्स वाल्व और फुट वाल्व के साथ एचसी पंप	40.38	जनवरी 2014 से सितंबर 2014
9.	नबरी बरोटा	सिंचाई डिवीजन, कठुआ	मोटर और स्टार्टर के साथ स्लुइस वाल्व, रिफ्लेक्स वाल्व और फुट वाल्व के साथ एचसी पंप	45.07	जनवरी 2014 से सितंबर 2014
10.	लोअर राजवालता		मोटर और स्टार्टर, स्लुइस वाल्व, रिफ्लेक्स वाल्व और फुट वाल्व के साथ एचसी पंप	40.38	जनवरी 2014 से सितंबर 2014

क्रम सं	लिफ्ट सिंचाई योजना का नाम	डिवीजन का नाम	मशीनरी और संबद्ध सामाग्री का विवरण	लागत (₹ लाख में)	अवधि जिससे प्रयोग में नहीं
11.	मांडयारी	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन सोपोर	पम्पिंग उपकरण, ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन गैन्ट्री, मॉड्यूलर कंट्रोल पेनल्टी एनआरवी 350 एमएम 130 एम्पीयर स्टेबलाइजर आदि	40.31	मई 2012 से जनवरी 2015
12.	बर्न हंजीवीरा		पम्पिंग उपकरण, प्राइमिंग पंप, ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन गैन्ट्री, मॉड्यूलर कंट्रोल पेनल्टी एनआरवी 350 एमएम आदि	34.98	जनवरी 2014 से दिसंबर 2014
13.	अहमदपोरा कौंगामधारा		यांत्रिक कार्य वाल्व, एमएस पाइप, एनआरवी फ्लैंगेस, पावर केबल, 300 एचपी एटीएस स्टार्टर आदि।	146.22	मई 2012 से सितंबर 2015
14.	आदिपोरा		10 क्यूसेक पंपिंग उपकरण, 120 वर्ग मिमी केबल, रिफ्लेक्स वाल्व आदि।	43.57	सितंबर 2014 से मार्च 2015
15.	चोटीपोरा	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, बारामूला	70 वर्ग एमएम ए1 केबल, सीयू केबल, रिफ्लेक्स वाल्व, मॉड्यूलर कंट्रोल पैनल आदि।	8.94	अक्टूबर 2014 से मार्च 2015
16.	दुलांजा	हाइड्रोलिक डिवीजन उरी	300 केवीए वोल्टेज स्टेबलाइजर, वीटी पंप, मुख्य नियंत्रण कक्ष आदि।	80.22	नवंबर 2011 से मार्च 2012
17.	बोंगा सलामाबाद		100 केवी वोल्टेज स्टेबलाइजर, 125 डीआईए का राइजिंग मेन , स्टील के खंभे आदि	15.81	अप्रैल 2012 से फरवरी 2015
18.	बुधरेशी	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, हंदवाड़ा	300 केवीए वोल्टेज स्टेबलाइजर, मुख्य वितरण चैनल, राइजिंग मेन के लिए 800 मिमी पाइप, ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन आदि।	51.16	सितंबर 2009 से फरवरी 2014
19.	वादिपोरा		इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 1 क्यूसेक क्षमता वाली क्षैतिज पंप	4.90	2016
योग				669.69	

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट-3.15.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.15; पृष्ठ: 164)

अनुमानित लागत, आबंटित/ निर्मोचित निधि, किया गया व्यय, देय पर्यवेक्षण प्रभार, बकाया तथा वसूल किए गए पर्यवेक्षण प्रभारों के कार्य-वार ब्योरे दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	आरंभ की तिथि	पूर्ण होने की तिथि	अनुमानित लागत	जारी की गई निधियाँ	जनवरी 2018 तक व्यय	पर्यवेक्षण प्रभार	वसूल किए गए पर्यवेक्षण प्रभार	बकाया शेष	फ़र्म जिससे वसूली की जानी है	कार्य की वर्तमान स्थिति
1.	रैटल पावर हाउस, किशतवाड़ के लिए 10 एमवीए, 33 केवी रिसेविंग स्टेशन का निर्माण	नवंबर 2012	दिसंबर 2016	205.69	205.69	499.22	47.43	15.76	31.67	मैसर्स जीवीके पावर और इन्फ्रा लिमिटेड गुड़गाँव	पूर्ण
2.	निर्माणाधीन 132/33 केवी ग्रिड स्टेशन किशतवाड़ से रैटल पावर हाउस किशतवाड़ तक 12,050 किलोमीटर लंबी 33 केवी लाइन बिछाना	मई 2012	मई 2013	171.50	171.50						
	सामग्री और श्रम के मूल्य वृद्धि के लिए क्रम सं. 1 & 2 पर 20% प्रावधान			75.44	75.44						
3.	रिसेविंग स्टेशन ठठरी को 6.3 एमवीए से 10 एमवीए तक बढ़ाना	अक्टूबर 2012	मार्च 2013	18.97	18.97						


क्र. सं.	कार्य का नाम	आरंभ की तिथि	पूर्ण होने की तिथि	अनुमानित लागत	जारी की गई निधियाँ	जनवरी 2018 तक व्यय	पर्यवेक्षण प्रभार	वसूल किए गए पर्यवेक्षण प्रभार	बकाया शेष	फ़र्म जिससे वसूली की जानी है	कार्य की वर्तमान स्थिति
4.	ईएम और आरई डिवीजन किशतवाड़ के माध्यम से रेटल पावर हाउस किशतवाड़ के लिए अलग से 7 किमी लंबी 11 केवी फीडर प्रदान करना	अक्टूबर 2012	अप्रैल 2013	41.63	41.63						
5.	3.15 एमवीए, 33/11 केवी रिसेविंग स्टेशन एलकेएचईपी परियोजना ठठरी का निर्माण	मई 2015	अगस्त 2015	195.47	25.00	21.93	2.08	1.71	0.37	मैसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	अपूर्ण
	योग			708.70	538.23	521.15	49.51	17.47	32.04		

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट-3.16.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.16.1; पृष्ठ: 166)

पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वीकृति हेतु अंगीकृत प्रक्रिया तथा पीएचई विभाग का संगठनात्मक चार्ट



पंजीकरण प्रमाण पत्र के स्वीकृति हेतु अंगीकृत प्रक्रिया

भू-जल की निकासी के लिए बोर/ ट्यूबवेल की स्थापना के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) की स्वीकृति के लिए आवेदन मुख्य अभियंता पीएचई विभाग के कार्यालय में प्राप्त होता है। मुख्य अभियंता इसे अधीक्षक अभियंता (एसई), हाइड्रोलिक और मैकेनिकल सर्कल की टिप्पणियों और अनुशंसाओं के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए आगे भेजता है। संबंधित सिविल और मैकेनिकल डिवीजन से रिपोर्ट और अनुशंसाएँ प्राप्त होने पर एसई हाइड्रोलिक और एसई मैकेनिकल अपनी रिपोर्ट और अनुशंसा के साथ मामले को फिर से मुख्य अभियंता पीएचई विभाग को प्रस्तुत करते हैं। रिपोर्ट और अनुशंसा मिलने के बाद मुख्य अभियंता या तो आरसी को अस्वीकार कर देते हैं या उपयोगकर्ता को भू-जल के निष्कर्षण और दोहन के लिए कुछ शर्तों के अधीन स्वीकार करते हैं, जिसके लिए संबंधित डिवीजन के डिवीजनल प्रमुख (कार्यकारी अभियंता) द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा, लाइसेंसधारी से पानी के उपयोग के शुल्क की मांग और वसूली भी कार्यकारी अभियंता की जिम्मेदारियों में से एक है।

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट-3.16.2

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.16.3; पृष्ठ: 168)

2013 से 2016 की अवधि के दौरान राज्य (जम्मू/ कश्मीर) के दो डिवीजनों के कुओं में शीतकाल उपरांत और मानसून उपरांत भू-जल स्तर (जीडबल्यूएल) का मौसमी और वार्षिक वर्षा में उतार-चढ़ाव

जीडबल्यूएल में वृद्धि/ गिरावट	2013			2014			2015			2016		
	कुओं की संख्या- दर्शाते हुए											
	जीडबल्यूएल में वृद्धि	जीडबल्यूएल में गिरावट	योग	जीडबल्यूएल में वृद्धि	जीडबल्यूएल में गिरावट	योग	जीडबल्यूएल में वृद्धि	जीडबल्यूएल में गिरावट	योग	जीडबल्यूएल में वृद्धि	जीडबल्यूएल में गिरावट	योग
जम्मू डिवीजन जहां मानसून के बाद भू-जल स्तर बढ़ता है मानसून उपरांत (मई की तुलना में नवंबर)												
0-2 मी	121	08	129	136	30	166	107	71	178	136	30	166
2-4 मी	37	02	39	22	01	23	16	04	20	38	04	42
>4 मी	29	00	29	13	01	14	8	04	12	15	00	15
कुओं की कुल संख्या	187	10	197	171	32	203	131	79	210	189	34	223
वर्ष के दौरान कुल कुओं का प्रतिशत	95	05	एनए	84	16	एनए	62	38	एनए	85	15	एनए
कश्मीर डिवीजन जहां भूजल स्तर सर्दियों के बाद बढ़ता है सर्दियों के बाद (नवंबर की तुलना में मई)												
0-2 मी	15	02	17	18	00	18	12	02	14	06	08	14
2-4 मी	04	01	05	08	00	08	02	02	04	04	00	04
>4 मी	04	01	05	02	00	02	04	00	04	01	02	03
कुओं की कुल संख्या	23	04	27	28	00	28	18	04	22	11	10	21
वर्ष के दौरान कुल कुओं का प्रतिशत	85	15	एनए	100	शून्य	एनए	82	18	एनए	52	48	एनए

(स्रोत: वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए सीजीडबल्यूबी द्वारा तैयार ग्राउंड वॉटर इंडेक्स बुक)

2013 से 2016 की अवधि के दौरान सामान्य से विचलन के साथ राज्य में मौसमी और वार्षिक वर्षा गिरावट (मिमी)											
वर्ष	शीतकाल		मॉनसून-पूर्व		मानसून		मानसून-पश्चात		वार्षिक		
	वर्षा (एमएम)	सामान्य वृद्धि(+)/ गिरावट(-) से प्रतिशत विचलन	वर्षा (एमएम)	सामान्य वृद्धि(+)/ गिरावट(-) से प्रतिशत विचलन	वर्षा (एमएम)	सामान्य वृद्धि(+)/ गिरावट(-) से प्रतिशत विचलन	वर्षा (एमएम)	सामान्य वृद्धि(+)/ गिरावट(-) से प्रतिशत विचलन	वर्षा (एमएम)	सामान्य वृद्धि(+)/ गिरावट(-) से प्रतिशत विचलन	
2013	257.1	(+) 21	189.4	(-) 42	651.9	(+) 22	95.4	(-) 28	1193.8	(-) 1	
2014	195.0	(-) 8	395.0	(+) 21	633.4	(+) 18	55.0	(-) 58	1278.4	(+) 6	
2015	215.1	(+) 1	579.3	(+) 78	613.9	(+) 15	164.4	(+) 25	1572.7	(+) 30	
2016	78.8	(-) 63	331.8	(+) 2	482.7	(-) 10	9.4	(-) 93	902.7	(-) 25	

(स्रोत: हाइड्रोमेट डिवीजन, भारत मौसम विभाग द्वारा वर्षा के आंकड़ों पर रिपोर्ट)

परिशिष्ट-3.17.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.17; पृष्ठ: 184)

जुलाई 2016 के परे मुख्य अभियंता, पीएचई जम्मू के कार्यालय में स्टाफ का निरंतर संयोजन दर्शाता विवरण

क्रम सं.	नाम सुश्री/ श्री	पदनाम	संयोजन की अवधि			जुलाई 2016 से परे संयोजन के पूर्ण महीनों की संख्या	अगस्त 2016 से मई 2016 के दौरान भुगतान किया गया वेतन (₹ में)
			से	तक	पूर्ण महीनों की संख्या		
1.	रजिन्दर कुमार शर्मा	ईई	19.05.2016	12.12.2017	18	16	16,41,884
2.	रवि कान्त शर्मा	ईई	14.12.2016	31.07.2017	07	07	8,91,265
3.	राजेश कुमार गंडोत्रा	एईई	01.02.2016	17.09.2016	07	01	87,569
4.	गुरनाम सिंह	एईई	28.02.2015	मई 2018	39	22	18,23,787
5.	विजय कुमार शर्मा	एईई	25.04.2016	16.10.2017	17	14	12,36,527
6.	गोपाल कृष्ण गुप्ता	एईई	12.07.2016	मई 2018	22	22	1,50,23,808
7.	अनिल गुप्ता	एईई	22.09.2016	16.09.2017	11	11	9,01,304
8.	सुनील शर्मा	एईई	10.09.2016	मई 2018	20	20	32,48,824
9.	अजित कुमार	एईई	03.01.2017	27.11.2017	10	10	11,00,543
10.	सुनील सेठ	एईई	19.05.2016	20.09.2017	15	13	9,64,557
11.	नरिंदर कुमार सपोलिया	एईई	03.02.2017	21.04.2017	02	02	2,69,317
12.	करमवीर सिंह स्लाठिया	एई	02.02.2016	30.09.2017	20	14	5,51,103
13.	विजय कुमार चौधरी	एई	31.10.2017	मई 2018	19	19	30,18,994
14.	सुभाष चंद्र शर्मा	एई	09.11.2016	31.11.2017	12	12	14,39,643
15.	हरि बूषण	एईई	29.05.2012	30.06.2017	61	11	3,41,583
16.	सिसर खजूरिया	एईई	29.03.2017	मई 2018	14	14	12,19,692

क्रम सं.	नाम सुश्री/ श्री	पदनाम	संयोजन की अवधि			जुलाई 2016 से परे संयोजन के पूर्ण महीनों की संख्या	अगस्त 2016 से मई 2016 के दौरान भुगतान किया गया वेतन (₹ में)
			से	तक	पूर्ण महीनों की संख्या		
17.	सगीर हुसैन मलिक	एईई	29.06.2017	मई 2018	11	11	16,79,758
18.	अनिल शर्मा	एईई	22.04.2017	17.10.2017	05	05	5,11,693
19.	ब्रिज मोहन	एईई	21.11.2017	मई 2018	06	06	4,33,424
20.	राजिन्दर सिंह	एई	08.08.2017	08.01.2018	04	04	4,55,380
	योग						3,68,40,655

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

(नोट: ईई: कार्यपालक अभियंता, एईई: सहायक कार्यपालक अभियंता, तथा एई: सहायक अभियंता)

परिशिष्ट-3.24.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.24; पृष्ठ: 196)

राजस्व विभाग में अधिक वेतन और भत्ते तथा की गई वसूलियां दिखाता कार्यालय-वार विवरण

(₹ राशि में)

क्रम सं	डीडीओ का नाम	कर्मचारियों की संख्या	अवधि	एनपीएस अंशदान सहित अधिक आहरित वेतन	वसूली गयी राशि	बकाया राशि
1.	क्षेत्रीय निदेशक, सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख, मारज अनंतनाग	38	जुलाई 2014 से दिसंबर 2017	12,82,272	12,82,272	शून्य
2.	क्षेत्रीय निदेशक, सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख, बारामूला	70	जुलाई 2014 से फरवरी 2018	24,92,840	18,22,184 (मार्च 2019 तक)	6,70,656
3.	क्षेत्रीय निदेशक, सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख, श्रीनगर	43	जुलाई 2014 से मार्च 2018	15,70,059	10,32,000 (मार्च 2019 तक)	5,38,059
4.	तहसीलदार कुलगाम	23	जुलाई 2014 से मार्च 2018	8,39,799	4,43,049 (जुलाई 2018 तक)	3,96,750
5.	तहसीलदार अनंतनाग	7	जुलाई 2014 से दिसम्बर 2017	2,36,208	2,15,544 (अप्रैल 2019 तक)	20,664
	योग	181		64,21,178	47,95,049	16,26,129

(स्रोत: वेतन तथा वेतन पंजिका)

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agjk.nic.in